

अतीत का विसर्जन । अनागत का स्वागत

आदर्श साहित्य संघ प्रकाशन

अतीत का विसर्जन: अनागत का स्वागत

आचार्य तुलसी

सम्पादिका : साध्वीप्रमुखा कनकप्रभा

© आदर्श साहित्य सघ, चूरु (राजस्थान)

अर्थ-सौजन्य : श्रीमती दर्शनमाला जैन (धर्मपत्नी श्री जसवतराय जैन)
दिल्ली ने अपने सुपौत्र चि० निपुण जैन के शुभ जन्म के
उपलक्ष्य मे ।

प्रकाशक : कमलेश चतुर्वेदी, प्रबन्धक : आदर्श साहित्य सघ, चूरु (राजस्थान) /
मूल्य : पच्चीस रुपये, सस्करण : ~~२०१३~~ मुद्रक : पवन प्रिंटर्स, दिल्ली-११००३२

ATEET KA VISARJAN : ANAGATKA SWAGAT

by Acharya Tulsi

Rs. 25.00

स्वकथ्य

मेरे भीतर एक सपना उग रहा है। उसे मैं देखता हूँ या वह मुझे देखता है, मैं नहीं जानता। बस, मैं तो इतना भर जानता हूँ कि सपना उगता है, काल-लब्धि का योग मिलता है और वह एक पौध बनकर लहलहा उठता है। मैंने अपने मन की धरती पर आज तक न जाने कितने सपनों के बीज बोये, वे अकुरित हुए और फले-फूले। जब-जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, अपनी एक-एक स्वप्न-यात्रा के मर्मस्पर्शी अनुभवों से सवेदित होकर नित नये सपने सजोने लगता हूँ।

मेरा एक स्वप्न था—धर्म-संघ में साहित्य की नयी धाराओं का उद्भव। नये रूप, नयी विधा और नये शिल्पन से मेरा व्यामोह है, यह बात तो नहीं है। फिर भी नवीनता मुझे प्रिय है। क्योंकि मेरा यह अभिमत है कि शैलीगत नव्यता भी विचार-संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। सृजन की अनाहत धारा स्रष्टा और द्रष्टा दोनों को ही भीतर तक इतना भिगो देती है कि लौकिक शब्दों में लोकोत्तर अर्थ की आभा निखरने लगती है।

एक समय था जब तेरापथ धर्म-संघ में कोई भी साधु-साध्वी हिन्दी में लिखने या बोलने की स्थिति में नहीं था। युगबोध और अपनी अवधारणाओं को युगीन सन्दर्भों में प्रस्तुत करने के लिए हिन्दी भाषा में प्रवेश करना जरूरी था। एक दिशा का निर्धारण हुआ और साधु-साध्विया चल पड़े। घनीभूत इच्छाशक्ति, दृढ सकल्प, लक्ष्य के प्रति समर्पण और नये सृजन की योग्यता जिन-जिन में थी, वे सब उस दिशा में बढ़ते रहे, जहाँ से वे कुछ कर सकते थे। अनेक विधाओं में साहित्य का निर्माण हुआ है, हो रहा है और विद्वज्जगत् में उसका उचित समादर भी हो रहा है। पर मेरी स्वप्न-यात्रा का आखिरी पड़ाव यही नहीं है। मैं बहुत दूर तक देख रहा हूँ और अपने धर्मसंघ को वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ। क्योंकि अब तक जितना साहित्य सामने आया है, उसमें मौलिकता अधिक नहीं है। वैसे हमारे देश के सम्पूर्ण साहित्य-जगत् में मौलिक सृजन करने वाली प्रतिभाएँ बहुत कम हैं, जो हैं वे भी कुठिल हो रही हैं। किसी भी देश की चेतना बुद्धिजीवी लोगों की रचनात्मक आलोचना से झकृत होती है। हमारे देश के लेखकों ने समाज की परिस्थितियों के

सन्दर्भ में अपनी स्वतन्त्र सोच-समझ का पूरा उपयोग नहीं किया है। यही बात साधु-साध्वियों पर घटित होती है। उन्होंने भी स्वतन्त्र रूप से अपने चिन्तन को खोलने की आवश्यकता नहीं समझी। फलतः समाज की चेतना को झकझोरने वाला साहित्य नहीं के बराबर है। इस अभाव को भरा हुआ देखने के लिए अथवा साहित्य और सस्कृति के क्षेत्र में जो शुचितापूर्ण परम्पराएँ चली आ रही हैं, उनमें उन्मेषों के नये स्वस्तिक उकेरे हुए देखने के लिए मैं बेचैन हूँ। मेरे धर्मसंघ के सुधी साधु-साध्वियाँ इस दृष्टि से सचेतन प्रयास करें और कुछ नयी संभावनाओं को जन्म दें, यह अपेक्षा है।

साहित्य-सृजन की प्रेरणा देने में मुझे जितना आत्मतोष होता है, उतना ही आत्मतोष नया सृजन करते समय होता है। यह बात दूसरी है कि अन्यान्य व्यस्तताओं के कारण स्वतन्त्र रूप में लेखन का अवकाश मुझे कम ही मिल पाता है। लेखन का अवसर जितना दुर्लभ है, बोलने का अवसर उतना ही सुलभ है। प्रवचन मेरी दिनचर्या का अनिवार्य अंग बन गया है। इसलिए जब कभी लिखने की अपेक्षा सामने आती है, प्रायः मैं बोल देता हूँ और साधु-साध्वियाँ उसे लिपिबद्ध कर लेते हैं। पर इतने से काम नहीं चलता। उसको सजाने, सवारने और आकार देने में साधु-साध्वियों का हाथ लगता है, तभी उसको पुस्तक की आकृति मिलती है। मेरा जितना साहित्य पद्य-गद्यात्मक है, उसमें सम्पादन का क्रम प्रायः यही रहा है। इस काम के लिए कनकप्रभा को प्रेरित नहीं करना पड़ता, वह स्वतः स्फूर्त प्रेरित रहती है। इसमें उसकी जो तत्परता है, वह अन्य साधु-साध्वियों के लिए भी अनुकरणीय है।

‘अतीत का विसर्जन अनागत का स्वागत’ समय-समय पर दिये गये प्रवचनों और कुछ विशेष उद्देश्य से लिखे गये निवन्धों का सकलन है। मेरे ये विचार किसी भी पाठक की विचार-यात्रा में सम्बल बन सकें तो पुस्तक के प्रकाशन की सार्थकता है।

जैन विश्व भारती

लाडनू

८ नवंबर, १९६१

आचार्य तुलसी

अनुक्रम

अर्हंतो की नियति	१
यदि महावीर तीर्थंकर नहीं होते ?	४
भगवान् महावीर और आध्यात्मिक मानदण्ड	७
मानव-मानव का धर्म • अणुव्रत	१२
अणुव्रत की क्रान्तिकारी पृष्ठभूमि	१६
ग्राम-निर्माण की नयी योजना	२२
जैन-दर्शन और अणुव्रत	२८
अस्पृश्यता मानसिक गुलामी	३२
जीवन • एक प्रयोग-भूमि	३६
स्वार्थ चेतना • नैतिक चेतना	४०
जैन मुनि की आचार-परम्परा : एक सुलगता हुआ सवाल	४६
युवापीढी का दायित्व	५१
अहिंसा का सिद्धान्त • श्रावक की भूमिका	५५
श्रावक-दृष्टि और अपरिग्रह	६१
शरीर को छोड़ दे, धर्म-शासन को नहीं	६८
दायित्व-बोध के सूत्र	७४
क्या हिन्दू जैन नहीं है ?	७९
जैन-दर्शन की मौलिक आस्थाएँ	८३
बालक के निर्माण की प्रक्रिया	९०
युवक नयी दिशा खोले	९६
समस्या के बीज हिंसा की मिट्टी	१०१
लोकतंत्र और अहिंसा	१०५
स्वतंत्रता का मूल्य	१०८
गांधी एक कसौटिया अनेक	१११
उपवास और महात्मा गांधी	११५

तीर्थंकर और सिद्ध	१२१
मैं क्यों घूम रहा हूँ ?	१२५
मेरी यात्रा	१२८
नारी को लक्ष्मी-सरस्वती ही नहीं, दुर्गा भी बनना होगा	१३२
महिलाओं के लिए त्रिसूत्री कार्यक्रम	१३६
अतीत का विसर्जन : अनागत का स्वागत	१४०
भारतीय नारी का आदर्श	१४४
अनेकता में एकता का दर्शन	१४७
विश्व-मैत्री का पर्व . पर्युपण	१५१
विन्दु-विन्दु पर विचार	१५४
कैसे हो मनोवृत्ति का परिष्कार ?	१५७
अवधारणा : आत्मा और मोक्ष की	१६०
समाधान के स्वर	१६६
धर्म न अमीरी में है, न गरीबी में	१७१
क्या है लोकतन्त्र का विकल्प ?	१७६
कैसे मिटेगी अशान्ति और अराजकता	१८०
जन-सामान्य के लिए अणुव्रत की योजना	१८६

अहंतों की नियति

भगवान् महावीर शब्दजीवी नहीं थे, सत्यजीवी थे। उन्होंने सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर सत्य की खोज में अपना पहला पग रखा। यह उनकी आलोक की यात्रा थी। उन्होंने अन्धकार के अभेद्य कवच को छिन्न-भिन्न कर आलोक से साक्षात्कार किया। अन्धकार में जीने वाले लोग आलोक को नहीं पहचान पाते। वे आलोक पाने के लिए लालायित हैं, पर उसकी सत्ता को न समझ पाने के कारण वे उसे अपने दाए-बाए छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। महावीर की सत्य-सन्धिस्ता अबाध थी। सत्य को पाने की उनमें जो उदग्र अभीप्सा थी, वह उन्हें सुख-सुविधाओं से पार उस लोक में ले गयी, जहाँ सत्य के अतिरिक्त कुछ था ही नहीं। वे सत्यद्रष्टा बने, सत्यस्रष्टा बने और सत्य को केन्द्र में रखकर उसकी परिक्रमा करते रहे।

भगवान् महावीर न तो परम्परावादी थे और न ही परम्परा-भ्रजक थे। उन्होंने किसी परम्परा का अनुसरण नहीं किया, पर नयी परम्पराओं का प्रस्थापन अवश्य किया। 'अमुक महापुरुष ने ऐसा कहा है, इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ'—यह भाषा महावीर की नहीं थी। 'यह ऐसा है, इसलिए ऐसा होना चाहिए'—इस तर्क या सम्भावना की भाषा में महावीर कभी नहीं बोले। मैं कहता हूँ—यह ऐसा है। महावीर के इस कथन में अहं नहीं था। वे आत्म-साक्षात्कार की वेदी पर खड़े होकर बोलते थे। जब तक उन्हें आत्म-साक्षात्कार नहीं हुआ, वे प्रायः मौन रहे। उन्हें आत्म-साक्षात्कार की प्रेरणा अपनी अस्मिता को पहचानने के लिए ही प्राप्त हुई थी। जिस क्षण उन्हें अपने अस्तित्व का यथार्थ बोध हुआ, आत्म-साक्षात्कार हुआ, वे कृतार्थ हो गये। अब उनका मौन रहना नियति के लिए असह्य हो उठा। वे बोले और श्रोता आप्यायित हो गये।

भगवान् महावीर इस युग के चौबीसवें अहंत थे। उनसे पहले तेईस अहंत हो चुके थे। सभी अहंत साधारण जन की तरह ही जन्म लेते हैं। वे विरक्त होकर मुनि बनते हैं। एकान्त साधना करते हैं। ध्यान करते हैं, मौन रहते हैं, तपस्या

२ अतीत का विसर्जन : अनागत का स्वागत

करते हैं और मोह के चक्रव्यूह को तोड़कर अपनी चेतना की धरती से उसके पाव उखाड़ देते हैं। मोह का वलय टूटते ही उसके अभिन्न सखा शेष तीन घात्य कर्म भी पलायन कर देते हैं। इस कर्म चतुष्टयी से मुक्त अर्हंतो का चित्त केवल ज्ञान की विमल आभा से दीपित हो जाता है। केवलज्ञान से आलोकित उनका चित्त लोकजीवन के प्रति उमड़ती हुई राग-द्वेष-मुक्त करुणा से विगलित हो जाता है और वे जनसमूह को सम्बोध देते हैं। उस सम्बोध को झेलने वाला कोई ग्राहक मिल जाये तो नये युग का जन्म होता है, अन्यथा ऊसर भूमि में बहते हुए जल-प्रवाह की भांति अर्हंतो की देशना निष्फल हो जाती है।

भगवान् महावीर की देशना के साथ यही घटित हुआ। उनके कैवल्य की आभा निर्जन अरण्य में फूटी थी। देव इस घटना से अवगत हुए और अपने आत्मीय देवों के साथ समवसरण स्थल पर पहुँच गये। मनुष्य लोक में यह सूचना विलम्ब से पहुँची। इसलिए वे समय पर पहुँच नहीं सके। महावीर अब प्रतीक्षा नहीं कर सके। उनकी ज्ञान चेतना के केन्द्र में विस्फोट हो चुका था। वे बोले। उन्होंने जो कुछ कहा, वह समय के प्रवाह के साथ बहता गया। उपयुक्त पाप के अभाव में उसका सही उपयोग नहीं हो सका। भगवान् महावीर की प्रथम देशना खाली गयी, इसे एक महान् आश्चर्य माना जाता है। यह घटना जूँभिक गाव से बाहर ऋजुवालिका नदी के तट पर श्यामाक गाथापति के क्षेत्र की है, जहाँ भगवान् महावीर पारलौकिक ऐश्वर्य का वरण कर त्रिलोक के चक्रवर्ती बने थे।

भगवान् महावीर का दूसरा समवसरण 'मध्य अपापा' नगरी में हुआ। तब तक उनकी कैवल्य प्रभा का आलोक आसपास के सारे लोक में फैल चुका था। समवसरण में देवों की भांति मनुष्यों की भी अच्छी-खासी भीड़ थी। उस काल के ग्यारह महापण्डित भी किसी चुम्बकीय आकर्षण में खिंचे-खिंचे वहाँ पहुँच गये थे। उनके मन में महावीर के नवोदित व्यक्तित्व को धूमिल करने की चाह उमड़ रही थी, पर महावीर की मोहिनी दृष्टि का स्पर्श होते ही उनका अपना व्यक्तित्व महावीर के चरणों में निवेदित हो गया। वे ग्यारह विद्वान् अपने सँकड़ो शिष्यों के साथ भगवान् महावीर के शिष्य बन गये। उनकी पहचान गणधरो के रूप में हुई।

भगवान् महावीर का परम आत्मीय भाव पाकर गणधर गौतम का जिज्ञासु मन मुखर हो उठा। उन्होंने सहज सरल भाव से पूछा—'भन्ते ! किं तत्त्वं ? तत्त्वं क्या है ?' भगवान् ने उतनी ही महजता के साथ उत्तर दिया—'उप्पण्णे इवा'। गणधर गौतम का सन्देह अगड़ाई लेता हुआ उठ खड़ा हुआ—यदि इम ससार में सब कुछ उत्पन्न ही होता रहा तो पदार्थ का अन्त कहा होगा ? वह अर्थात् उत्पाद इस सीमित लोक में कैसे समायेगा ? गौतम ने अपनी इस जिज्ञासा को

वाणी देते हुए फिर पूछा—भन्ते ! किं तत्त्व ? तत्त्व क्या है ? भगवान् ने बिना किसी पृष्ठभूमि के कह दिया—‘विगमे इ वा’। गौतम के सोच का अब भी पार नहीं था। सब वस्तुएं नष्ट हो जाएगी तो ससार में क्या बचेगा ? गौतम समाधीत नहीं हुए। उन्होंने फिर पूछा—‘भन्ते ! किं तत्त्व ? तत्त्व क्या है !’ भगवान् की वीतरागी मुद्रा सहज स्मित से विकस्वर हो उठी। अपने प्रथम शिष्य गौतम के सशय को उच्छिन्न करने के लिए उन्होंने कहा—‘ध्रुवे इ वा’। गौतम को समाधान मिल गया। उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य की युगपत् समन्विति ही तत्त्व है। ससार का चेतन-अचेतन, चर-अचर, मूर्त-अमूर्त हर पदार्थ इस त्रयी के अक में ही अपनी सत्ता को सुरक्षित रख पाता है। किसी भी पदार्थ में उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य है, तभी वह पदार्थ है। जिसमें उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य नहीं है, वह पदार्थ भी नहीं है।

भगवान् महावीर द्वारा निरूपित यह त्रिसूत्री इस रहस्य का उद्घाटन करती है कि योग और वियोग में प्रसन्न और अप्रसन्न होने की कोई सगति नहीं है। उत्पाद के साथ व्यय का होना जरूरी है तो योग से साथ होने वाले वियोग को कैसे टाला जा सकता है ? जो व्यक्ति इस तत्त्व को समझ लेता है, वह महावीर के दर्शन को समझ लेता है, समत्व के दर्शन को समझ लेता है और सन्तुलन का पाठ पढ़ लेता है। भगवान् महावीर के दर्शन का सार यही है कि जब सारा ससार परिवर्तनशील है। ‘का अरई, के आणदे’, क्या निराशा और क्या आनन्द ! लाभ-अलाभ, सुख-दुःख, जीवन-मरण, मान-अपमान—ये जीवन की विसंगतियां नहीं हैं, वास्तविकताएं हैं। किन्तु इन्हें वही समझ सकता है, जिसे आत्मसाक्षात्कार हो जाता है अथवा किसी आत्मसाक्षात्कारी का अनुभव उपलब्ध हो जाता है।

भगवान् महावीर आत्मदर्शी थे, इसीलिए सर्वदर्शी थे। उन्होंने अपनी आत्मा के हर रूप को देखा, इसीलिए उनकी आंखों में विश्व का हर रूप रूपायित हो उठा। उन्होंने जिस त्रिपदी का निरूपण किया, वह शाश्वत सत्य का निरूपण था। विश्व के असन्तुलित और अव्यवस्थित लोक-जीवन को चिरकाल से इसी सत्य की प्रतीक्षा थी। वह सत्य ढाई हजार वर्ष से इस धरती और आकाश में अनवरत प्रतिध्वनित हो रहा है। अपेक्षा है, हम उन ध्वनि तरंगों को पकड़ें और अपनी विचार-तरंगों के साथ उनका मेल-जोल करवा दें। यदि हम ऐसा कर सकें तो हमारा युग एक बड़ी त्रासदी से छुटकारा पा सकता है। हम उस चिन्मय पुरुष भगवान् महावीर के प्रति सर्वभाव से प्रणत हैं, जिसके आत्मसाक्षात्कार ने धर्मतीर्थ की स्थापना की। उस तीर्थ के सहारे आगामी हजारों-हजारों वर्षों तक मानवजाति को आत्मदर्शन की दिशा उपलब्ध होती रहेगी।

यदि महावीर तीर्थकर नहीं होते ?

जैनेन्द्रजी बहुत बार कहा करते हैं — 'आपको तीर्थकर होना चाहिए । आचार्य बनने से काम नहीं चलेगा ।' जब-जब ऐसा प्रसंग आता है तब मेरे सामने तीर्थकर और आचार्य की भेद-रेखा स्पष्ट हो जाती है । तीर्थकर जो कहते हैं, वही शास्त्र बन जाता है और जो करते हैं, वही विधि बन जाती है । आचार्य वही कहते हैं जो शास्त्र में लिखा है और वही करते हैं जो शास्त्र द्वारा विहित है । मैं कई बार सोचता हूँ यदि महावीर तीर्थकर नहीं होते तो उनके अनुयायी उन्हें अतीत में कसकर रखते, आगे नहीं बढ़ने देते ।

१. भगवान् ऋषभ केवलज्ञानी नहीं हुए तब तक उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश नहीं दिया । महावीर ने गोशालक के अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए ।
२. ऐसा माना जाता है कि तीर्थकर केवली हुए बिना किसी को दीक्षित नहीं करते । महावीर ने गोशालक को दीक्षित किया और उसे पढ़ाया । महावीर तीर्थकर थे, इसलिए वे इस अपेक्षा से मुक्त थे कि पूर्ववर्ती तीर्थकरों ने क्या किया है ।
३. स्कन्दक संन्यासी आ रहे थे । महावीर ने गौतम को इस बात की सूचना दी । गौतम उनके सामने गये और उनका स्वागत किया । वर्तमान धारणा के साथ इस घटना की सगति नहीं है । किन्तु तीर्थकर शास्त्र-निरपेक्ष होने हैं, इसलिए वे देश-काल के औचित्य के अनुसार कार्य करने को स्वतन्त्र होते हैं ।
४. महावीर जिस युग में हुए, वह घोर जातिवाद का युग था । ब्राह्मण उच्च माने जाते थे और शूद्र नीच । चाडाल सर्वथा अछूत माने जाते थे । महावीर ने उन चाडालों को भी अपने सघ में प्रव्रजित होने की छूट दी थी । वर्तमान की धारणा के सन्दर्भ में सोचने वाले कुछ लोग कह देते हैं कि चाडाल मुनि हरिकेश अकेले रहते थे । उनका अन्य साधुओं में सम्बन्ध नहीं था । क्या वे जैन शासन में दीक्षित नहीं थे ? क्या भगवान् महावीर के चौदह हजार

साधुओं में नहीं थे ? वे अलग रहते थे, इसका कोई आधार है ? भगवान् महावीर जातिवाद के घोर विरोधी थे । आत्मौपम्य के सिद्धान्त की स्थापना करने वाला कोई भी अहिंसावादी जातिवाद का समर्थक हो नहीं सकता । महावीर के शासन में न जाने कितने शूद्र और चाडाल दीक्षित हुए होंगे । हरिकेश का नाम विशेष घटना के कारण उल्लिखित हो गया । औरों के साथ कोई विशेष घटना घटित न हुई हो अथवा उनका उल्लेख आज उपलब्ध न हो । महावीर यदि तीर्थंकर न होते तो उनके अनुयायी उन्हें ऐसा करने से अवश्य रोकते ।

५ अर्जुनमालाकार उपासना-प्रवण व्यक्ति था । वह यक्ष की बड़ी श्रद्धा से पूजा करता था । यक्ष उसकी पूजा से प्रसन्न था । एक घटना से उसका जीवनक्रम बदल गया । वह प्रतिदिन छह पुरुषों और एक स्त्री को मारने लगा । महीनों तक वह ऐसा करता रहा । एक दिन फिर मोड़ आया । वह सुदर्शन सेठ के साथ महावीर की शरण में गया । महावीर ने उसे अपने धर्म-सभ की शरण में ले लिया । ऐसे क्रूरकर्मी व्यक्ति को सहसा अपने साधु-सभ में सम्मिलित कर लेना अतर्कित घटना थी । यदि महावीर आचार्य होते तो ऐसा करने से अवश्य झिझकते, किन्तु वे तीर्थंकर थे, इसलिए उन्हें वैसा करने में कोई सकोच नहीं हुआ ।

भगवान् महावीर ने अपने श्रावकों के लिए एक आचार-सहिता निश्चित की । उनमें निम्न आचरण निषिद्ध किये गये हैं ।

- १ आश्रित जीवों की आजीविका का विच्छेद न करना ।
- २ कन्या के वैवाहिक सम्बन्ध में झूठ न बोलना ।
- ३ भूमि, पशु आदि के विक्रय के सम्बन्ध में झूठ न बोलना ।
- ४ धरोहर के विषय में झूठ न बोलना ।
- ५ मिलावट न करना ।
- ६ असली वस्तु दिखाकर नकली वस्तु न देना ।
- ७ गुप्त बात का प्रकाशन न करना ।

इस आचार-सहिता में सामाजिक बुराइयों का प्रतिषेध किया गया है । यदि महावीर आचार्य होते तो निश्चित ही उन पर यह आरोप लगाया जाता कि वे धर्म के मंच से नीचे उतरकर सामाजिक मंच के प्रवक्ता बन गये हैं । किन्तु वे तीर्थंकर थे, इसलिए उन्हें धर्म की भूमिका से नीचे नहीं लाया गया ।

महावीर सचमुच महावीर थे । तीर्थंकर होने के पश्चात् वे पूर्ण अभय थे । उनकी भय-विमुखता ने ही उन्हें महावीर बनाया था । यदि वे भयसकुल होते तो महावीर नहीं बन पाते । अभय का बीज अनासक्ति या अपरिग्रह है । यदि महावीर के मन में शिष्यों और अनुयायियों का लोभ होता तो वे अभय नहीं हो

पाते। यदि महावीर के मन में सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रशंसा की आसक्ति होती तो वे अभय नहीं हो पाते। अनगिन द्वार देवताओं ने उनके सामने नाटक किया पर उनका अन्तःकरण कभी उन नाटकों से आकृष्ट नहीं हुआ। उनके सामने नाटक होते हैं, उसे लोग क्या समझेंगे, इस आशंका से वे कभी विचलित नहीं हुए।

उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व की अनगिन घटनाएँ हैं। मैंने केवल इस ओर अगुलि-निर्देश किया है।

महावीर तीर्थंकर थे इसलिए वे विधि और निषेध में स्वतन्त्र थे। यह स्वतन्त्रता सहज ही प्राप्त नहीं होती। इसके लिए बहुत खपना पड़ता है, बहुत तपना पड़ता है। जैन दर्शन के अनुसार तीर्थंकर मनुष्य ही होता है, वह कोई देव रूप में अवतार नहीं लेता। जिसकी साधना उच्च कक्षा में पहुँच जाती है, वह तीर्थंकर हो जाता है। न मालूम मैं इस भूमिका में कब पहुँच पाऊँगा? किन्तु मैं तीर्थंकर का अनुगामी अवश्य हूँ। उनकी अनासक्ति और अभय में मेरी आस्था है। उनका अभ्यास और प्रयोग भी करता हूँ। मैं महावीर की इस वाणी का सतत अनुगमन करता हूँ कि 'सत्यनिष्ठ व्यक्ति अपनी सत्यनिष्ठा से जो करता है उसमें असत्य का विष व्याप्त नहीं हो सकता।'

भगवान् महावीर और आध्यात्मिक मानदण्ड

भगवान् महावीर हिन्दुस्तान के महान् सपूत थे। उनका दृष्टिकोण भौगोलिक सीमा में बंधा हुआ नहीं था। फिर भी हिन्दुस्तान को उन पर इसलिए गर्व है कि उसकी सीमा में अवतरित हुए थे।

महावीर का जन्मकालीन नाम वर्द्धमान था। अमाप्य अभय और अपराजेय पराक्रम के कारण उनका गुणात्मक नाम महावीर हो गया। अभय और पराक्रम मानवीय जीवन के विशेष गुण हैं। गुणात्मक शक्ति का उपयोग अच्छाई की दिशा में भी हो सकता है और बुराई की दिशा में भी हो सकता है। महावीर ने अपनी शक्ति का स्रोत सत्य की शोध के लिए बहाया। इसलिए उनमें सबके प्रति समानता की मनोवृत्ति विकसित हुई।

साम्यभाव

महावीर की अहिंसा में विषमता के लिए कोई स्थान नहीं था। उस समय कुछ लोग धन के आधार पर बड़े-छोटे माने जाते थे। कुछ लोग जातीयता के आधार पर बड़े-छोटे माने जाते थे। किन्तु महावीर ने इन सभी मानदण्डों को मान्यता नहीं दी। वे निरन्तर इस सत्य की उद्घोषणा करते रहे कि मनुष्य-मनुष्य में मौलिक एकता और समता है। उसे बाहरी उपकरणों के आधार पर विखण्डित और विभक्त नहीं करना चाहिए। महावीर ने पूनिया नामक एक साधारण गृहस्थ को इतना महत्त्व दिया कि सम्राट् बिम्बसार श्रेणिक उससे समता की याचना करने गये। पूनिया पौन रूप्ये से अधिक संग्रह नहीं करता था, इसलिए उसका नाम पूनिया था। पूनिया रुई की पूनिया कातकर अपनी आजीविका करता था, इसलिए उसका नाम पूनिया था।

एक दिन महावीर ने पूनिया के साम्यभाव की प्रशंसा की। उसे सुनकर सब लोग चकित थे। इतना अकिंचन व्यक्ति और महावीर की दृष्टि में उसका इतना ऊँचा स्थान। सम्राट् ने पूछा—'भते ! मैंने एक बार बहुत ही आसक्ति से हिंसा

की है। एक निरीह हिरनी जा रही थी। मैंने देखते ही बाण छोड़ दिया। उससे हिरनी और उसका गर्भस्थ बच्चा विध गया। बाण आगे जाकर भूमि में घस गया। मुझे अपने कौशल पर बहुत गर्व हुआ। मैं उस कार्य में अत्यन्त आसक्त हो गया। भते ! मुझे अनुभव हो रहा है कि उस आसक्ति से मैंने बुरे सस्कार अर्जित किये हैं। भते ! मैं उसके परिणामों से बच सकता हूँ ? और यदि बच सकता हूँ तो कैसे ?

भगवान् ने कहा—‘श्रेणिक ! आसक्ति के प्रगाढ़ परिणामों से बचना संभव नहीं है।’

‘फिर भी कोई उपाय हो तो भते अवश्य बताने की कृपा करे।’ श्रेणिक ने कहा।

भगवान् ने कहा—‘श्रेणिक ! यदि पूनिया का साम्यभाव तुम खरीद सकते तो उससे बच सकते हो।’

श्रेणिक ने सन्तोष की सास ली। उसे अपने वैभव पर भरोसा था। उसके द्वारा वह विश्व की किसी भी विभूति को खरीद सकता था। वह पूनिया के घर गया। सम्राट् का घर पर आना बहुत बड़ी बात थी, किन्तु पूनिया के लिए उसका कोई विशेष मूल्य नहीं था। सम्राट् ने पूनिया से कहा—‘तुम धन्य हो, भगवान् ने तुम्हारे साम्यभाव की बहुत प्रशंसा की है।’ इस प्रशंसा का भी उसके मन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। आखिर सम्राट् ने अपने मन की बात उसके सामने रख दी। सम्राट् ने कहा—‘अपना साम्यभाव मुझे दो और बदले में जितना चाहो उतना वैभव मुझसे ले लो।’ पूनिया ने विनम्र स्वर में कहा—‘सम्राट् ! आपका वैभव कितना है, सारी दुनिया के वैभव से भी साम्यभाव को नहीं खरीदा जा सकता।’ यह सुन सम्राट् हतप्रभ-सा हो गया। पूनिया की आध्यात्मिक गरिमा के सामने सम्राट् अपने को छोटा अनुभव करने लगा। यह था महावीर का मानदण्ड, जो आध्यात्मिक नैतिक और चारित्रिक गरिमा की तरतमता के आधार पर व्यक्ति को बड़ा और छोटा बनाता था।

सत्य-निष्ठा

भगवान् महावीर की निष्ठा का अन्तिम स्पर्श सत्य था। उसका हर चरण उसी के परिपार्श्व में टिकता था। एक बार उनके ज्येष्ठ शिष्य गौतम आनन्द के उपासनागृह में गये। आनन्द ने कहा—‘भते ! मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है। मैं बहुत दूर तक पदार्थों का साक्षात् कर रहा हूँ।’ गौतम ने कहा—‘आनन्द ! गृहस्थ को इतना बड़ा प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। तुम इस मिथ्या-भाषण के लिए प्रायश्चित्त करो।’ आनन्द बोला—‘भते ! प्रायश्चित्त किसे करना चाहिए—यथार्थभाषी को या अयथार्थभाषी को?’ गौतम ने कहा—‘अयथार्थभाषी को।’

‘तो भते ! आप ही प्रायश्चित्त करे । आप भगवान् के पास जाए और इसका निर्णय ले ।’

गौतम महावीर के पास आए । उन्होंने आनन्द के साथ घटित घटना भगवान् के सामने रखी । भगवान् ने उत्तर दिया—‘गौतम ! आनन्द सही है, तुम भूल पर हो । जाओ, उससे क्षमा-याचना करो ।’ गौतम उन्हीं पैरो लींटे और वहा जाकर आनन्द से क्षमा मागी । कहा चौदह हजार शिष्यों में प्रधान शिष्य गौतम और कहा गृहस्वामी आनन्द । महावीर के सामने गृहस्थ और मुनि का प्रश्न नहीं था । उनके सामने प्रश्न था सत्य का । सत्य से दूर रखकर वे गौतम को गौतम की गरिमा नहीं दे पाते । इसीलिए उन्होंने सत्य के सामने प्रधान शिष्यत्व को प्राथमिकता नहीं दी ।

अनेकान्तवादी दृष्टिकोण

सत्य के प्रति महावीर का दृष्टिकोण अनेकान्तवादी था । वे सत्य के अनन्त रूपों की व्याख्या अनन्त दृष्टिकोणों से करते थे । कौशाम्बी के शासक शतानीक की बहन जयती ने भगवान् से पूछा—‘भते ! जीवों का सक्षम होना अच्छा है या अक्षम होना ?’

भगवान् ने कहा—‘जयती ! कुछ जीवों का सक्षम होना अच्छा है और कुछ जीवों का अक्षम होना अच्छा है ।’

जयती—यह कैसे, भते ?

भगवान् बोले—‘अहिंसा में विश्वास रखने वाले जीवों का सक्षम होना अच्छा है और शस्त्र-प्रयोग में विश्वास रखने वाले जीवों का अक्षम होना अच्छा है ।’

अणु-शक्ति का भय इसलिए है कि उस पर उन लोगों का अधिकार है, जिनका विश्वास हिंसा में है । अहिंसा में निष्ठा रखने वाले लोग अणु-शक्ति का उपयोग मानवहित के लिए कर सकते हैं, किन्तु दूसरों को भयभीत करने के लिए नहीं कर सकते । भय की सृष्टि उन्हीं लोगों ने की है, जिनके हाथ में सहारक शक्ति है और जो उसका उपयोग करने के लिए कृत-सकल्प हैं । वर्तमान समस्या का समाधान इसी में है कि शक्ति-संतुलन अहिंसक हाथों में आए ।

व्यवहार के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण

महावीर अहिंसा की भाषा में बोलते थे । हिंसा की भाषा में बोलना उनके लिए संभव नहीं था । फिर भी उन्होंने व्यवहार के लोप का प्रतिपादन नहीं किया । हिंसा के तीन मुख्य प्रकार हैं ।

१. आरभजा—खेती, व्यवसाय आदि में होने वाली हिंसा ।
२. विरोधजा—आक्रमण से अपनी सुरक्षा करने में होने वाली हिंसा ।
३. संकल्पजा—प्रमाद, साम्राज्य-लिप्सा आदि कारणों से होने वाली हिंसा ।

महावीर ने कहा—गृहस्थ के लिए सकल्पजा हिंसा आक्रामक है, इसलिए वह अवश्य वर्जनीय है । बहुधा कुछ लोगो द्वारा यह कहा जाता है कि अहिंसा ने हिन्दुस्तान को कायर बना दिया । किन्तु मुझे लगता है कि इस उक्ति में सचाई का अंश नहीं है । अहिंसक व्यक्ति कायर नहीं हो सकता । पारस्परिक हिंसा, भय, सन्देह और फूट से मनुष्य कायर बनता है । गुजरात का एक सेनापति जैन धर्म में विश्वास करता था । राजा अपने देश से बाहर था । पीछे से शत्रु ने आक्रमण कर दिया । युद्ध की तैयारी हो रही थी । संध्या के समय रणभूमि में बैठकर सेनापति प्रतिक्रमण कर रहा था । वह एक इन्द्रिय वाले सूक्ष्म जीवों को भी न मारने का सकल्प दोहरा रहा था । सेना अधिकारियों ने उसे सुना । वे महारानी के पास गये । सारी घटना कह सुनाई । महारानी ने सेनापति को बुलाकर पूछा । उसने कहा, 'यह सही है । तुम्हारे मन में अहिंसा का इतना संकल्प है तब तुम कैसे लड़ोगे ? हमारी सेना विजयी कैसे होगी ?' महारानी ने जिज्ञासा की । सेनापति ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया—'देवि ! क्षमा करना । मैं जैन-धर्म से विश्वास करता हूँ । महावीर की वाणी मुझे शिरोधार्य है । मैं अनावश्यक रूप से एक इन्द्रिय वाले जीवों की भी हिंसा करना नहीं चाहता और यदि वह हो जाती है तो उसके लिए प्रायश्चित्त करता हूँ । देश की सुरक्षा के लिए जो आवश्यक होगा, वह मेरा कर्तव्य है । उस कर्तव्य की पालना के लिए मैं जी-जान से लड़ूँगा ।' महारानी को उसके शौर्य पर पहले ही विश्वास था और उसकी सैद्धान्तिक दृढ़ता से वह बहुत प्रभावित हुई । सेनापति के सफल नेतृत्व में सेना बड़े प्रभावी ढंग से लड़ी । शत्रु की सेना परास्त हो गई ।

महावीर की अहिंसा में क्रमिक विकास के लिए अवकाश है । मुनि के लिए उन्होंने अहिंसा के महाव्रत का विधान किया । किन्तु गृहस्थ के लिए अहिंसा के अणुव्रत का विधान है । हिन्दुस्तान ने अनाक्रमण की नीति अपनाकर महावीर की गृहस्थोचित अहिंसा की पुनर्चीपणा की, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ ।

लोकतन्त्र की आधारभूमि अहिंसा और अनेकान्त है । लोकतन्त्र के नायकों में सबको विकास का समान अवसर देने व दूसरों के विचारों के प्रति न्याय करने की भावना प्रबल होने पर ही वह सफल होता है, अन्यथा नहीं ।

संयम की शक्ति

महावीर संयम-प्रधान व्यक्ति थे। वैसे तो संयम भारतीय साधना का सामान्य तत्त्व है। सभी धर्माचार्यों ने उसका मूल्यांकन किया है। महावीर ने उसे अपनी साधना में मुख्य स्थान दिया था। उन्होंने अहिंसा को इसी सदर्भ में स्वीकार किया कि वस्तुतः अपना संयम करना ही अहिंसा है। समस्याओं के समाधान के लिए अनेक योजनाएँ और अनेक दृष्टिकोण हैं। किन्तु संयम की योजना और उसके दृष्टिकोण के अभाव में वे सफल नहीं होती। संयम की शक्ति का स्फोट होने पर कुछ कल्पनातीत बातें भी संभव बन जाती हैं।

मैं केवल अतीत में विश्वास नहीं करता। उसके आलोक में हम अपने पथ को देख सकते हैं। उसे देख लेना ही पर्याप्त नहीं है। उन पर चले बिना मजिल की दूरी तय नहीं होती। मेरा विश्वास वर्तमान पर अधिक है। पूर्वजों की स्मृति का अर्थ अतीत और वर्तमान का सामंजस्य होना चाहिए। महावीर की स्मृति का अर्थ है पराक्रमी होना। महावीर की स्मृति का अर्थ है विषमता के विष-वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकना। महावीर की स्मृति का अर्थ है सत्य-शोध के लिए विनम्र और उदार दृष्टिकोण अपनाना। महावीर की स्मृति का अर्थ है संयम की शक्ति का स्फोट करना।

महावीर जयन्ती के अवसर पर भगवान् महावीर के जीवन पर प्रकाश डालना सचमुच मेरे लिए आनन्द का विषय है। मुझे विश्वास है कि जनता मेरी आनन्दानुभूति में सभागी होगी।

मानव-मानव का धर्म : अणुव्रत

नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों की खोज करने वाला समाज प्रकाश की खोज करता है, अमृत की खोज करता है और आनन्द की खोज करता है। जिस समाज में नीति और संस्कृति का वर्चस्व है, वह समाज उन्नत एवं समृद्ध समाज है। उन्नति और समृद्धि का मानदण्ड बड़े-बड़े भवन, मिलें, कारखाने या लम्बी-चौड़ी सड़कें नहीं होती, उसका मानक है नीति और संस्कृति से भरा हुआ लोक-जीवन।

भारतीय लोक-जीवन को नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य विरासत में मिले हुए है। विरासत में प्राप्त मूल्यों की सुरक्षा और विकास का दायित्व वर्तमान पीढ़ी पर होता है। भारत की वर्तमान पीढ़ी के सामने एक जीवित और प्रतीक्षातुर सन्नाटा छाया हुआ है। उसके सामने एक ओर है अपने पुरखों द्वारा बोयी गयी नीति की फसल तथा दूसरी ओर है दूर-दूर तक फैला हुआ नैतिक मरुस्थल। उस मरुस्थल में नीति की लहर लाने के लिए दृढ़ संकल्प और तीव्र प्रयत्न की अपेक्षा है। सकल्पहीनता एवं अकर्मण्यता जीवन के लिए अभिशाप है। जिस समाज या देश में सकल्पहीन और अकर्मण्य व्यक्तियों की सख्या बढ़ने लगती है, उसकी प्रगति के आगे प्रश्नचिह्न लग जाता है।

आज से चार दशक पहले तक भारतवर्ष राजनैतिक दासता के घेरे में बन्दी था। देश के अधिसंख्य लोगों ने उस दासता को सहज भाव में अपने ऊपर ओढ़ लिया था। उनके मन में भारत को स्वतन्त्र देखने का न तो कोई स्वप्न था और न कोई सकल्प। कुछ चेतनाशील युवकों में अन्तर्द्वन्द्व जगा। उन्होंने देश को दासता की गिरफ्त से मुक्त करने का सकल्प किया और वे अहिंसा शक्ति का आलम्बन लेकर मैदान में उतर आये। वर्षों तक शारीरिक और मानसिक यातना भोगकर भी उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया। आग्नि अहिंसा की जीत हुई, भारत स्वतंत्र हुआ और भारतीय जनता स्वतंत्रता की खुशियों में डूब उठी। अणुव्रत आन्दोलन का इतिहास काल के उसी बिन्दु पर जाकर रकता है।

अणुव्रत का लक्ष्य है—व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन में पनपने वाली बुराइयों को दूर कर एक नीतिमान और चरित्रनिष्ठ पीढ़ी का निर्माण। इसकी संरचना अस्मप्रदायिक और मानवीय दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि पर की गयी है। सम्यक् दर्शन, सम्यक् सकल्प और सम्यक् आचरण—अणुव्रत का कार्यक्रम है। यह अपराध-चेतना को बदलने का आन्दोलन है। अपराधी मनोवृत्ति का शोधन इसे अभीष्ट है। इसके लिए यह किसी दण्ड या कानून से भी अधिक महत्त्व हृदय-परिवर्तन को देता है। इसमें देश, काल, परिस्थिति, जाति और मजहब आदि को गौण कर सर्व-धर्म-सम्मत तत्त्वों का समाकलन किया गया है। निःशस्त्रीकरण, मानवीय एकता, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक कुरीतियों का बहिष्कार, व्यसन-मुक्ति और नैतिक मूल्यों की स्थापना इस युग की समस्याओं का सीधा समाधान है। अणुव्रत मनुष्य को यही समाधान देने का उपक्रम है।

अणुव्रत आन्दोलन का प्रवर्तन एक सुचिन्तित विचार-यात्रा की निष्पत्ति है। उस यात्रा के कुछ विचार-बिन्दु ये हैं—

धर्म और सम्प्रदाय एक नहीं है। यह एक मान्यता है। किन्तु सम्प्रदायविहीन धर्म का कोई रूप नहीं है।

धर्म के दो रूप हैं—चरित्र और उपासना। चरित्र का पालन कठिन है, उपासना की प्रक्रिया सरल है। फिर भी चरित्र मुख्य है और उपासना गौण है। उस चरित्र-प्रधान धर्म को उपासना-प्रधान बनाकर मनुष्य क्रियाकाण्डों में ही उलझ रहा है। इससे धर्म रूढ़ बन रहा है और उसका प्रायोगिक रूप विस्मृत हो रहा है।

धर्म के क्षेत्र में भय और प्रलोभन को स्थान नहीं है। नरक का भय और स्वर्ग का प्रलोभन यदि इसी प्रेरणा से धर्म का आचरण किया जाता है तो इससे वर्तमान को क्या लाभ मिलेगा? वर्तमान जीवन की शुद्धि के अभाव में परलोक सुधार के रगीन सपने मन को कब तक आश्वस्त करते रहेगे।

धर्म पर किसी जाति, प्रान्त, वर्ग या मजहब का आधिपत्य नहीं होना चाहिए। धर्म की प्रभुसत्ता अखण्ड है। जब-जब उसे बाटने का प्रयत्न होता है, धर्म के नाम पर संघर्ष खड़े हो जाते हैं। इस आत्मघाती स्थिति से बचने के लिए धर्म को सब सीमाओं से मुक्त रखना चाहिए।

कुछ ऐसी जातियाँ हैं, जिनका कोई धर्म ही नहीं है। शास्त्रों की दुहाई देकर उन्हें धार्मिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों का अपना धर्म है, पर उन तथाकथित धार्मिकों के अनुसार शूद्रों का कोई धर्म ही नहीं है। क्या कोई ऐसा धर्म नहीं हो सकता, जो मानव मात्र को गले लगाकर उसका मार्गदर्शन कर सके।

मनुष्य दिन भर करणीय और अकरणीय का भेद किये बिना कर्म करता

रहता है क्योंकि उसके सामने सबसे बड़ा आलम्बन है 'धर्म-स्थान'। बुरे से बुरा काम करने वाला भी मन्दिर, मस्जिद, चर्च आदि धर्म-स्थानों में जाता है, पूजा-पाठ करता है और सोचता है कि मेरे सारे पाप धुल गये। यह धर्म और भगवान के साथ खिलवाड़ है। क्या कोई ऐसा धर्म नहीं हो सकता, जो व्यक्ति के इस भ्रम को तोड़कर उसे अपने प्रति प्रामाणिक बना सके ?

इन्हीं सब बातों की परिक्रमा करते-करते अणुव्रत की परिकल्पना सामने आ गयी। अणु और व्रत—इन दो शब्दों के योग से अणुव्रत बना है। अणु का अर्थ है सूक्ष्म और व्रत का अर्थ है सकल्प। संकल्प कितना ही सूक्ष्म या छोटा क्यों न हो, उसकी शक्ति असीम है। अणुव्रत के इस युग में अणुव्रत जैसे धर्म की ही अपेक्षा थी। आकार में सूक्ष्म होने पर भी अणुव्रत एक शक्ति-सम्पन्न अस्त्र है। इसी प्रकार अणुव्रत में भी असीम शक्ति है। यह दूसरी बात है कि अणुव्रत की शक्ति विध्वंसात्मक है और अणुव्रत की शक्ति सृजनात्मक है। अणुव्रत मानवजाति का संहारक है, जब कि अणुव्रत मानव-जीवन का निर्माता है।

अणुव्रत एक धर्म है, किन्तु इसके पीछे कोई सम्प्रदाय नहीं है। सभी सम्प्रदायों के लोग इसे अपना धर्म मानते हैं, किन्तु इस पर किसी सम्प्रदाय विशेष की मुद्रा नहीं है।

अणुव्रत में उपासना का तत्त्व गौण है और चरित्र की प्रधानता है। यह धर्म को रूढ़ियों और आडम्बरो के घेरे से मुक्त कर प्रयोग का धरातल देता है।

अणुव्रत वर्तमानजीवी है। यह परलोक-सुधार का आश्वासन नहीं देता है, पर इस जीवन को शान्त, स्वस्थ एवं सुखमय बनाने का दिशादर्शन देता है।

अणुव्रत जाति, प्रान्त, भाषा आदि सकीर्णताओं से जकड़ा हुआ नहीं है। इसका द्वार मानव मात्र के लिए खुला है। कोई भी मनुष्य अणुव्रत बनें सही अर्थ में मनुष्य बन सकता है।

अणुव्रत का धर्म-स्थान है व्यक्ति का कार्यक्षेत्र। कोई व्यक्ति मन्दिर, मस्जिद आदि धर्म स्थानों में जाए या नहीं, उपासना करे या नहीं, पर अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहे, यही उसकी धार्मिकता है।

बढ़ती हुई आकाशाएं दुःख का प्रमुख कारण हैं। अणुव्रत ने आकाशाओं को सीमित करने का मार्गदर्शन देते हुए एक घोष दिया—'संयम एतलु जीवनम्'—संयम ही जीवन है। इस आदर्श की स्वकृति जीने की सबसे बड़ी कला है।

अणुव्रत एक मानवीय आचार-संहिता है। मुख्य रूप से इसकी जितनी धाराएँ हैं, उनका सम्बन्ध वर्तमान परिस्थितियों और जीवन की शुद्धि के साथ है। दंग में बढ़ रही हिंसा को नियन्त्रित करने और अनाक्रमण के सिद्धान्त को अपनाने के लिए इसकी धाराएँ हैं—

चलने-फिरने वाले निरपराध प्राणी की हत्या नहीं करना।

आक्रमण नहीं करना, आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करना ।

हिंसात्मक उपद्रवों एव तोडफोडमूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लेना ।

मानवीय एकता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही अणुव्रती बन सकता है ।

इस दृष्टि से उसकी दो धाराएँ हैं—

जाति, वर्ण आदि के आधार पर किसी को अस्पृश्य या उच्च-नीच नहीं मानना ।

सम्पत्ति, सत्ता आदि के आधार पर किसी को छोटा-बड़ा नहीं मानना ।

अणुव्रत कोई सम्प्रदाय नहीं है, वह सब धर्मों के प्रति आदरभाव रखने की प्रेरणा देता है । इस सन्दर्भ में इसकी एक धारा है—

सब धर्म-सम्प्रदायों के प्रति सहिष्णुता रखना ।

राजनीतिक बुराई को दूर करने के लिए अथवा लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए अणुव्रत के सूत्र हैं—

रुपये तथा अन्य प्रलोभन से मत (वोट) न लेना और न देना ।

रिश्वत नहीं लेना ।

व्यवसाय के क्षेत्र में प्रामाणिक रहने के लिए अणुव्रत की आचार-सहिता है—

किसी वस्तु में मिलावट नहीं करना, नकली वस्तु को असली बताकर नहीं बेचना ।

तोल-माप में कमी-वेशी नहीं करना ।

तस्करी नहीं करना ।

सामाजिक कुरूपियों का बहिष्कार करने के लिए अणुव्रत का कार्यक्रम है—

विवाह के प्रसंग में दहेज का ठहराव नहीं करना ।

बाल विवाह, वृद्ध विवाह, मृत्युभोज जैसी परम्पराओं को प्रश्रय नहीं देना ।

व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता के लिए अणुव्रत ने व्यसन-मुक्ति का अभियान चलाया । इसके अन्तर्गत एक सकल्प है—

मादक व नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना ।

लोक-जीवन को सस्कारी बनाने में अणुव्रत की जो भूमिका रही है, उसे देखते हुए इसे मानव-धर्म की अभिधा दी जा सकती है । यह जीवन का समग्र दर्शन है । अणुयुग की विभीषिका से सन्नस्त मानवजाति को आज एक घोष की अपेक्षा है और वह घोष यह हो सकता है—

‘अणुव्रत नहीं, अणुव्रत चाहिए ।’

अणुव्रत की शीतल छाया के नीचे मानवजाति अपना नया इतिहास लिखे और भावी पीढ़ी के लिए एक ऐसी स्वस्थ यादगार छोड़ जाए, जो उसको युग-युग तक दिशा-दर्शन देती रहे, यह अपेक्षा है ।

अणुव्रत की क्रांतिकारी पृष्ठभूमि

संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं। प्रथम कोटि के व्यक्ति वे हैं, जो अन्धकार से प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं, जो अन्धकार में जीते हैं और अन्धकार में ही जीना पसन्द करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कोई क्रान्ति घटित नहीं हो सकती। क्रान्ति की वास्तविकता पैदा होती है, जहाँ अन्धकार को छोड़ आलोक की यात्रा पर प्रयाण किया जाता है। व्यक्ति और विचार, दोनों स्तरों पर प्रयाण की संगति बैठ सकती है।

क्रान्ति दो तरह की होती है। सीधी समतल सड़क पर सपाट गति की तरह एक क्रान्ति आती है और घुमावदार ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर कुछ घटकों को महसूसते हुए दूसरी तरह की क्रान्ति आती है। सपाट गति में कोई घटना नहीं होती, इसलिए उसमें कोई अप्रत्याशित परिवर्तन नहीं आता। कोई भी अघटना हमारी स्थूल आंखों की पकड़ में नहीं आ सकती। फिर भी उसमें धीरे-धीरे जो परिवर्तन आता है, वह समाज की तसवीर को ही बदल देता है। आकस्मिक रूप से किसी भी मोड़ पर कोई झटका लगता है, उसमें एक बार तो बहुत बड़ा परिवर्तन-सा प्रतीत होता है। किन्तु उसके स्थायित्व के बारे में आश्वस्ति नहीं मिलती। बहुत-सी क्रान्तियाँ इसीलिए अर्थहीन हो जाती हैं कि वे क्षणिक चमत्कार दिखाकर अपने प्रभाव को समाप्त कर देती हैं। कुछ घटनाएँ स्थायी भी हो सकती हैं, किन्तु यह सब निर्भर करता है, समकालीन परिस्थितियों और जनता की मनस्थितियों पर।

हिंसा और भ्रष्टाचार की घघकती हुई ज्वाला मानवीय मूल्यों को त्रिग रूप में भस्मसात कर रही है, यह एक बड़ी घटना है। इसके प्रतिबिम्ब बटन गोलों की आखों में हैं। इसका परिणाम एकदम सामने आता है, इसलिए इसकी त्रासदी भयावह है किन्तु अणुव्रत की चिनगारी ने अपनी पैनीस वर्षों की गुनगुनी दृष्टि जिन्दगी में चुपचाप जो काम किया है, वह किसी की दृष्टि का केंद्र बने या नहीं, पर ईमानदारी का तकाजा है कि अहिंसा, शान्ति, पवित्रता और चरित्र के क्षेत्र में

नयी धारा के उद्गम अणुव्रत का समुचित मूल्यांकन हो और इसी दृष्टि से उसके विगत कर्तृत्व और भावी सभावनाओं पर एक तटस्थ किन्तु आलोचनात्मक अध्ययन किया जाए।

चरित्र-निर्माण का आन्दोलन

अणुव्रत एक आन्दोलन है, इसलिए यह गत्यात्मक है। अणुव्रत चरित्र-निर्माण की प्रक्रिया है, इसलिए इसमें स्थितिपालकता भी है। इस आन्दोलन की पृष्ठभूमि में एक नीतिमान पीढ़ी के निर्माण का सपना था। यह स्वप्न देखा था हमने सन् १९४६, छापेर चातुर्मास में। उस समय भारत स्वतंत्र हुआ था। भारतीय लोग स्वतंत्रता की खुशी में झूम रहे थे। उस समय उनके सामने कोई लक्ष्य नहीं था, दिशा नहीं थी, महत्त्वाकांक्षा नहीं थी और साधन-सामग्री भी नहीं थी, जिसके द्वारा वे बेहतर जिन्दगी जीने की बात सोच सकें। उस समय एक ऐसे सचेतन प्रयास की जरूरत थी, जो व्यक्ति-व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वायत्तता की अनुभूति देकर अपनी खोयी हुई अस्मिता और नैतिक मूल्यों का बोध करा सके। इस दृष्टि से दूसरे लोग भी सतर्क रहे होंगे। उनके मन में अपने देश की मिट्टी में ऐसे बीज बोने की इच्छा जगी होगी, जो नैतिक मूल्यों की फसल उगा सके। हमारे मन में उस समय कोई बहुत बड़ी कल्पना और योजना नहीं थी, पर एक सुचिन्तित प्रक्रिया के आधार पर थोड़े से कार्यकर्त्ताओं के साथ सरदारशहर की घरती पर हमने अपना अभियान शुरू कर दिया।

नैतिक उन्नति का आधार है नैतिक विचार। विचार से आचार प्रभावित होता है और आचार का प्रभाव विचारों पर होता है। विचार और आचार की समन्विति ही जीवन है। किन्तु विचार जगत् में उथल-पुथल मचे बिना आचरण की बात पैदा नहीं हो सकती। इसलिए अणुव्रत ने सबसे पहले विचार-क्रान्ति की ओर ध्यान केन्द्रित किया। अणुव्रत का एकमात्र उद्देश्य है जाति, वर्ण, वर्ग, भाषा, प्रान्त और धर्मगत सकीर्णताओं से ऊपर उठकर मानव मात्र को आत्म-सयम और नैतिक मूल्यों के प्रति प्रेरित करना। जिस समय जातीयता, प्रान्तीयता, वर्ण-व्यवस्था, भाषा आदि को लेकर सकीर्ण मनोवृत्ति वाले लोगों में एक प्रकार का भ्रन्तर्द्वन्द्व चल रहा था, उस समय अणुव्रत ने मानवतावादी दृष्टिकोण देकर लोकजीवन में चारित्रिक मूल्यों को प्रतिष्ठा देने का सकल्प व्यक्त किया। इस सकल्प की पूर्ति के लिए अणुव्रत-यात्राओं का दौर प्रारम्भ हुआ। हमारे पास गृहस्थ कार्यकर्त्ता सीमित थे, इसलिए हमने अपने साधु-साध्वियों को इस दृष्टि से तैयार किया। उनकी पद-यात्रा का विस्तार हुआ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अणुव्रत के कार्यक्रम होने लगे। जनता ने पूरी गहमागहमी के साथ उनका स्वागत

आचार के क्षेत्र में अणुव्रत ने जो काम किया है, उसके सब आकड़ों का सर्वांगीणता के साथ प्रस्तुतीकरण हो तो वह ससार की एक नयी घटना हो सकती है। किन्तु अणुव्रत-कार्य का संपूर्ण आकलन न होने के कारण उसका पूरा विवरण प्राप्त करना संभव नहीं है। फिर भी साधारण रूप में एक विहंगावलोकन किया जाए तो कुछ निष्कर्ष इस रूप में निकलते हैं

- मानवीय एकता का विकास।
- सहअस्तित्व की भावना का विकास।
- समाज में सही मानदण्डों का विकास।
- साम्प्रदायिक सद्भावना का विकास।
- राष्ट्रीय चरित्र का विकास।
- धर्म के क्रान्तिकारी स्वरूप का विकास।

राष्ट्रीय चरित्र के सन्दर्भ में तीन बातें महत्त्वपूर्ण हैं :

- राजनैतिक बुराईयाँ।
- सामाजिक कुरूपियाँ।
- दुर्व्यसन।

राजनीति से अलिप्त रहकर भी अणुव्रत ने राजनीति पर अपना प्रभाव छोड़ा है। दलबदल की नीति, स्वार्थपरता और वोटों के विक्रय पर अणुव्रत ने जितना तीखा प्रहार किया है, शायद ही किसी आन्दोलन ने किया हो। ससदीय अणुव्रत मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सासदों को जो खरी-खरी बातें सुनने को मिली, उनकी पलकें झुक गयीं। उस वातावरण ने वहाँ उपस्थित सभी सासदों को अपना आत्मनिरीक्षण करने के लिए विवश कर दिया।

सामाजिक कुरूपियों से समाज इतना जर्जर और सत्वहीन बन जाता है कि वह युग की किसी चुनौती को झेल ही नहीं सकता। अज्ञान और अन्धविश्वासों के चौखटे में पनपने वाली न जाने ऐसी कितनी कुरूपियाँ हैं, जो सामाजिक विकास के आगे बाधाएं बनकर खड़ी हो जाती हैं। जन्म, विवाह, मृत्यु आदि जीवन के ऐसे कौन-से प्रसंग हैं, जिनसे संबंधित कुरूपियाँ समाज की पीड़ा नहीं हैं? आर्थिक दृष्टि से बोज़िल और अर्थहीन रूढ़ परम्पराओं के खिलाफ अणुव्रत के बगावती चरण आगे बढ़े। फलतः आज भारत की धरती पर अणुव्रत से सस्कारित परिवारों में अशिक्षा, पर्दा, मृत्युभोज, मृत्यु के प्रसंग में प्रथा रूप में रोना, बालविवाह, वृद्ध-विवाह, विधवा स्त्री अवमानना आदि परम्पराएँ चरमराकर टूट गयी हैं। दहेज और प्रदर्शन की समस्या आज भी ज्वलन्त है। अणुव्रत इस दिशा में भी मतर्क है। अणुव्रती परिवारों में दहेज का ठहराव किसी भी स्थिति में नहीं होता। इसके साथ-साथ सैकड़ों-सैकड़ों युवक-युवतियों ने हजारों लोगों की साक्षी से यह

किया और अर्थात् आन्दोलन भारतवर्ष में चलने वाले नैतिक आन्दोलनों में शीर्षस्थ बन गया ।

वह समाज और देश सौभाग्यशाली होता है, जिसमें मानवता या नैतिकता की चर्चा होती रहती है । वे लोग भी कम सौभाग्यशाली नहीं होते, जिन्हें ऐसी चर्चा सुनने के अवसर उपलब्ध होते हैं । उन लोगों का सौभाग्य और अधिक होता है, जिनकी ऐसी चर्चाओं की प्रवृत्ति करने का मौका मिलता है । अर्थात् आन्दोलन विशुद्ध अर्थ में नैतिक आन्दोलन है । एक दृष्टि से यह आत्मदशान का आन्दोलन है । सामाजिक सन्दर्भों से यह अपराध-बेतमी की बदलने का आन्दोलन है । अर्थात् परिणाम से अधिक प्रवृत्ति की चिन्ता करता है । प्रवृत्ति नहीं रहेगी तो परिणाम अपने आप समाप्त हो जाएगा । हमारे समाज या देश में अपराध यह रहे हैं, यह जिनकी चिन्ता का विषय है, उससे अधिक चिन्तनीय विषय यह है कि अपराध क्यों बढ़ रहे हैं । अपराध के कार्यों की समझकर उनको रोकथाम के लिए प्रयत्न ही तो नैतिक मूल्यों का अवतरण अपने आप संभव है ।

कोई व्यक्ति अपने जीवन की मुँहकर देखे और चिन्तन करे—मैं क्या हूँ, इस एक वाक्य पर गहरी अनुभूति करने पर वह हेतुमानदारी के साथ अपनी आदती और व्यवहारों की समझ सकता है तथा गलत आदती एवं व्यवहारों में परिवर्तन कर सकता है । सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प और सम्यक आचरण—अर्थात् का यह त्रिसूत्री कार्यक्रम व्यक्ति के जीवन में अकल्पित कानि ला सकता है । व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में अनेक लोगों ने ऐसा अनुभव किया है ।

कानि के चरण

अर्थात् वे विचार और आचार—दोनों क्षेत्रों में कानि के बीज बोये हैं । जहाँ-जहाँ वे बीज अकृत्रिम रूप से, अर्थात् के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदला है । वैचारिक दृष्टि से अर्थात् की शक्ति काफ़ी सशक्त है । हर समक्षद्वार और विवेकी व्यक्ति इसकी उपयोगिता से सहमत है । अपने आपको नैतिक मानने वाले लोग भी अर्थात् की नीति और आचार-संहिता से प्रभावित हैं । शारीरिक अर्थात् वे युग की सैन्यतियों का सामना कर समाज में चरित्र की प्रतिष्ठा की हैं । अर्थात् की आस्था व्यक्ति-निर्माण में है । व्यक्ति-जीवना नैतिक और आचार-निष्ठ होगा, समाज उत्तम हो उन्नत, संस्कृत और समृद्ध होगा । व्यक्ति की आचार-निष्ठा और नैतिकता का जीवन साक्ष्य होता है उसका अपना मत और व्यवहार । यदि वह चरित्र की सर्वाधिक मूल्य देता है तो किसी भी स्थिति में अवाञ्छनीय तरीकों से व्यवसाय नहीं करेगा । यदि वह चरित्र को अपना जीवन मानता है तो सत्यनिष्ठा और अमानिष्ठा से कतराकर अपने स्वीकृत सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा ।

संकल्प स्वीकार किया है कि वे जीवन भर कुवारापन ओढकर रह सकेंगे, पर जहा दहेज की मांग होगी, वहां शादी नहीं करेंगे।

विवाह आदि प्रसंगो पर होने वाले आडम्बर और अपव्यय पर नियंत्रण करने के लिए अणुव्रत भावना से प्रेरित सस्थाओ ने समाज मे जैन सस्कार विधि का प्रचलन किया। इससे आडम्बरहीन शादियो का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसी शादिया दिन मे होती है, फलस्वरूप बहुत सारे अपव्ययो से सहज ही बचाव हो जाता है। इन शादियो मे न दहेज की मांग होती है और न ही होता है ठहराव। इससे समाज के मूल्य-मानको मे भी तीव्रता के साथ परिवर्तन आ रहा है।

हर प्रदेश और समाज की अलग-अलग रूढिया होती हैं। अणुव्रत के कार्यकर्ता उनका अध्ययन कर उनके निराकरण मे सलग्न हैं। जिस दिन समाज मे किसी प्रकार की रूढि नहीं रहेगी और नये सिरे से जन्म लेने वाली रूढि को पनपने का अवसर नहीं मिलेगा, वह दिन अणुव्रत के इतिहास मे विशिष्ट दिन होगा।

अणुव्रत का एक अभियान है—व्यसन-मुक्ति। कुछ लोगो की दृष्टि मे मादक तथा नशीले पदार्थों का सेवन सांस्कृतिक उच्चता, सभ्यता और स्टैण्डर्ड लाइफ का प्रतीक है। किन्तु यह वास्तविकता नहीं है। ऐसे पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति अपनी उच्चता, सभ्यता और स्तर को विवादास्पद बना लेते हैं। मादक पदार्थ शरीर, मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव छोडते ही है, धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टि से भी उनके उपयोग का कोई औचित्य नहीं है। अणुव्रत ने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप मे व्यसन-मुक्ति के लिए व्यापक अभियान चलाया। इस अभियान मे हजारो व्यक्ति शराब, सिगरेट, अफीम, जुआ आदि दुर्व्यसनो की गिरफ्त से मुक्त हुए। इससे उनको अन्य लाभो के साथ आर्थिक लाभ भी मिलता है। अतिमात्रा मे शराब, सिगरेट, अफीम आदि का सेवन करने वाले लोग जब इनको छोड़ देते है, तब उनके परिवार मे जो खुशी होती है, वह अनिर्वचनीय होती है।

युवा पीढी पर प्रभाव

आज के धर्मनेताओं और धार्मिक बुजुर्गों को युवा पीढी की धर्मनिरपेक्षता पर बडी चिन्ता है। उनकी दृष्टि मे यह समय का दोष है, शिक्षा का दोष है और सस्कारो का दोष है। किन्तु मैं इस स्थिति को लेकर कभी चिन्तित नहीं होता। मेरे अभिमत से युवा पीढी को धर्म से नहीं, धर्म के नाम पर चलने वाले ढकोसलो से परहेज है। वह चरित्र का नहीं, रूढ क्रियाकाण्डो का विरोधी है। अणुव्रत ने धर्म को जिस रूप से व्याख्यायित और निरूपित किया है, कोई भी युवा उममे

विमुख नहीं हो सकता। यही कारण है हमारी धर्म-सभाओं में सैकड़ों-हजारों युवक-युवतियाँ जिज्ञासुभाव से निरन्तर उपस्थित होती हैं। अपनी चारित्रिक उज्ज्वलता के प्रति वे जागरूक भी रहते हैं। युवा पीढ़ी की शक्ति को सही दिशा में नियोजित करने की अपेक्षा है, वास्तव में यह एक कार्यकारी पीढ़ी है।

धर्म के क्रियाकाण्डी रूप को बदलने के लिए अणुव्रत ने धर्मक्रान्ति के पाँच सूत्र दिये—

- बौद्धिकता
- प्रायोगिकता
- समाधानपरकता
- वर्तमान प्रधानता
- धर्म सद्भावना

इन सूत्रों से धर्म के क्षेत्र में व्याप्त चिन्तनहीनता, रूढ़ता, अन्धविश्वास, परलोक-सुधार और साम्प्रदायिक कट्टरता के भाव विगलित हुए हैं। धर्म की वैज्ञानिकता और वर्तमान जीवन में उससे प्राप्त होने वाले लाभ का अनुभव हो जाए तो कोई भी प्रबुद्ध विचारक या युवक धर्म से विमुख नहीं जा सकता।

अणुव्रत के सिद्धान्त बहुत ऊँचे हैं, पर सकल्प करने मात्र से तो वे जीवनगत होते नहीं। आदमी नैतिक बनना चाहता है पर परिस्थितियों का दबाव आते ही उसका मन बदल जाता है। ऐसी स्थिति में अणुव्रत का उद्देश्य फलित नहीं हो सकता। इस समस्या को समाधान देने के लिए अणुव्रत के साथ प्रेक्षाध्यान का कार्यक्रम जोड़ा गया। प्रेक्षाध्यान का प्रयोग करने से ग्रन्थियों के स्त्राव बदलने लगते हैं। उस रासायनिक परिवर्तन का प्रभाव मनुष्य की आदतों पर पड़ता है। अनेक व्यक्तियों ने इस प्रयोग से अपने जीवन में अद्भुत रूपान्तरण अनुभव किया है। इस दृष्टि से यह माना जा सकता है कि अणुव्रत और प्रेक्षाध्यान एक-दूसरे के पूरक हैं। अणुव्रत आन्दोलन को रचनात्मक आन्दोलन का रूप देने में प्रेक्षाध्यान तक की अहम भूमिका रही है।

अणुव्रत का कार्यक्रम व्यापक कार्यक्रम है। इसने देश की सीमाओं से बाहर भी अपनी आवाज पहुँचायी है। इसका प्रभाव उन सब लोगों पर पड़ा है, जो वैयक्तिक और राष्ट्रीय चरित्र को उन्नत देखना चाहते हैं। अणुव्रत से प्रभावित अनेक प्रबुद्ध व्यक्ति सक्रिय रूप से इसके साथ जुड़े हैं। उन सबके आत्मीय सहयोग से ही अणुव्रत का रूप उत्तरोत्तर निखरता जा रहा है। उन लोगों में अणुव्रत-प्रवक्ता यशपालजी जैन का नाम भी उल्लेखनीय है। इन्होंने वर्षों तक अखिल भारतीय अणुव्रत समिति का अध्यक्षीय दायित्व सभाला। 'अणुव्रत' पत्र के लिए भी ये समय-समय पर लिखते रहते हैं। अणुव्रत दर्शन के ये उच्चकोटि के व्याख्याता हैं। अणुव्रत को इनकी सेवाओं से बहुत लाभ मिला है। और भविष्य में भी मिलता रहे, यही अपेक्षा है।

ग्राम-निर्माण की नयी योजना

प्रत्येक राष्ट्र के नागरिक दो प्रकार का जीवन जीते हैं—शहरी और ग्रामीण। दोनों जीवन पद्धतियों का अपना महत्त्व है और दोनों के अपने-अपने तौर-तरीके हैं। कोई भी जीवन पद्धति किसी से कम या अधिक नहीं है। दोनों में कुछ अच्छाईया है तो दोनों में ही कुछ कमिया भी हैं। कमियों को दूर कर अच्छाईयों को अपनाते से दोनों जीवन पद्धतिया सर्वांगीण हो सकती हैं।

एक ग्रामीण व्यक्ति अपने मित्र के निमन्त्रण पर देश की राजधानी में गया। पहली बार शहर गया था वह। व्यक्ति विचारशील था। उसने शहर की हर गतिविधि का सूक्ष्मता से अध्ययन किया। शहर से गाव लौटने पर गाव वालों ने उससे पूछा—गाव और शहर में क्या फर्क है? वह बोला—गाव के लोग सध्या के समय थके हुए घर आते हैं, पर सुबह उठते हैं तब ताजगी से भरे हुए होते हैं। इसके विपरीत शहर के लोग संध्याकाल में ताजगी से भरे रहते हैं। क्लबों, होटलों और छविगृहों में आकर जिन्दगी का मजा लेते हैं। किन्तु प्रातःकाल उठते हैं, तब अलसाए रहते हैं, मुर्दा-से बन जाते हैं।

एक व्यक्ति का यह अनुभव शहरी की कृत्रिमता और गावों की सहजता का पूरा चित्र खींच देता है। शहरी लोगो ने अपने वाह्य पर्यावरण और आंतरिक परिवेश दोनों बिन्दुओं पर कृत्रिमता का इतना सघन खोल चढा लिया है कि वास्तविकता की पहचान ही मुश्किल हो गयी है। एक समय था, जब लोग गाव छोड़कर शहरो में जाते थे, वह उनकी विवशता थी। शहरो में जाने के बाद भी उनका मन अपने गाव की यादों में खोया रहता था और गाव के प्रति प्रगाढ आकर्षण होता था। किन्तु कुछ लोग शहर में जाकर अपने आपको बड़ा आदमी समझने लगे और उस अन्धानुकरण में अच्छे-अच्छे आदमी वह गए। परिणाम यह हुआ कि सबका ध्यान शहरो की ओर केन्द्रित होने लगा और गावों के प्रति उपेक्षा का भाव जन्मने लगा। शायद इसी बात से आहत होकर गांधीजी को कहना पड़ा—‘शहर अपनी हिफाजत आप कर सकते हैं। हमें तो अपना ध्यान

गावों की ओर लगाना चाहिए। हमें उन्हें उनकी सकुचित दृष्टि, पूर्वाग्रहों और वहमों से मुक्त करना है। इसे करने के लिए इसके सिवा और कोई तरीका नहीं है कि हम उनके साथ उनके बीच में रहे, उनके सुख-दुःख में हिस्सा ले और उनमें शिक्षा का तथा उपयोगी ज्ञान प्रचार करें।'

गांधीजी के इस कथन में उनकी दूरगामी सूझ-बूझ ही नहीं, उस पीड़ा का भी प्रतिबिम्ब है, जिसे हमारे देश की ग्रामीण जनता भोग रही है। देश को स्वतंत्र हुए सैंतीस वर्ष हो गए। इस अवधि में देश में कुछ नहीं हुआ, यह बात नहीं है। पर जो कुछ हुआ है, हो रहा है, उससे गावों को कितना लाभ मिला है? आज भी देश में ऐसे गावों की कमी नहीं है, जहाँ लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता। कुछ गावों के आदमी तो यहाँ तक कह देते हैं—पानी तो अब केवल आखों में रहा है, पीने के लिए कैसे मिलेगा? एक भाई ने तो यात्रियों से यहाँ तक कहा कि आप घी का लोटा ले लीजिए, पर पानी मत माँगिए। बड़ी-बड़ी योजनाओं पर बहुत लोग सोचते हैं, पर इस सबसे छोटी किन्तु महत्त्वपूर्ण योजना पर ध्यान कौन दे? गावों में पानी ही सुलभ न हो तो सड़कों और बिजली के बारे में तो कहना ही व्यर्थ है। गावों में तो सड़कें ही नहीं, पर जो हैं उनकी भी दुर्गति हो रही है। नगे पाव पैदल चलने वाले लोग ही सड़कों की असलियत को समझ सकते हैं। इस वर्ष जोधपुर की यात्रा में एक ऐसी ही सड़क पर चलते समय मेरे मुँह से राजस्थानी भाषा में अनायास ही यह दोहा निकल पड़ा :

सड़कें राजस्थान री, केड़ी बणी कमाल ।

कूड़ी स्यू जोघाण पथ, देखो पाला हाल ॥

आदमी की न्यूनतम आवश्यकता है—रोटी, पानी, वस्त्र, मकान, चिकित्सा और शिक्षा। गावों के आदमी श्रमशील होते हैं। वे कड़ी मेहनत करना जानते हैं। पर क्या उनके श्रम का शोषण नहीं होता? जी-तोड़ मेहनत कर वे फसल उगाते हैं, पर क्या वे अपने अनाज को उचित मूल्य पर बेच पाते हैं? सरकार उनके लिए कितनी ही व्यवस्थाएँ करे, पर क्या वे उनका सही लाभ उठा पाते हैं?

इस सन्दर्भ में दो सवाल सिर उठाएँ खड़े हैं—

१. गावों के लोग इतना श्रम करके भी अभावों में क्यों जीते हैं?
२. सरकार उनके लिए जो व्यवस्थाएँ देती है, उनका लाभ उन्हें क्यों नहीं मिलता?

दोनों प्रश्न महत्त्वपूर्ण हैं और इनके उत्तर भी साफ-साफ हैं। ग्रामीण जनता कठोर परिश्रम करके जो पैसा कमाती है, वह उसका सही ढंग से नियोजन करना नहीं जानती। इसलिए अपने पसीने की कमाई को वह शराब, तम्बाकू, भाग, अफीम आदि नशीले पदार्थों के सेवन में पानी की तरह बहा देती है। उसके पास

पैसा आया भी, लेकिन आदतो के पोषण में लग गया। इस स्थिति में अभाव की पीड़ा ज्यों की त्यों बनी रहती है।

गाव के लोग सिगरेट तो नहीं, बीड़ी अधिक पीते हैं। बीड़ी का एक बण्डल पी लेना उनके लिए साधारण बात है। कुछ लोग दो-तीन बण्डल भी पी लेते हैं। एक बण्डल के कम से कम ७५ पैसे खर्च होते हैं। प्रतिदिन ७५ पैसे के हिसाब से एक महीने में २२ रुपये ५० पैसे व्यय होते हैं। इस प्रकार एक वर्ष में २७० रुपये खर्च होते हैं। यदि एक घर में बीड़ी पीने वाले पांच व्यक्ति हों तो वर्ष भर का खर्च १३५० रुपये हो जाता है। प्रतिदिन एक बण्डल के हिसाब से जो व्यय होता है, उसे अगर तीन गुना कर दिया जाए तो वार्षिक व्यय चार हजार हो जाता है। एक वर्ष का यह व्यय पांच या दस वर्ष में कितना हो जाता है। एक व्यसन को छोड़ने से व्यक्ति को इतना आर्थिक लाभ हो जाता है। तम्बाकू के साथ शराब, अफीम आदि के व्यसन छूटने से यह लाभ और अधिक बढ़ जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लाभ को कोई प्रत्यक्ष रूप में समझे या नहीं, पर आर्थिक लाभ तो सबके सामने है।

कुछ लोग शराब, तम्बाकू आदि का सेवन नहीं करते, किन्तु मृत्युभोज आदि सामाजिक कुरीतियों में पैसा खर्च कर देते हैं। यह 'काज किरियावर' ओसर-मोसर घर की बरबादी का कारण बन रहा है, फिर भी वह उनके लिए अपरिहार्य बन रहा है। क्यों? ऐसा नहीं करेंगे तो पिता-दादा की सद्गति नहीं होगी। आश्चर्य! जीवनकाल में पिता, दादा को पानी पिलाने की फुरसत नहीं, घर में दिन-रात की सिर-फुटौवल और मरने के बाद उन्हें हलुवा-पूड़ी खिलाना चाहते हैं। कैसी विडम्बना है! अशिक्षा, अधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों की यह निष्पत्ति इन गावों को कहा ले जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। किसी आदमी के पास पैसा हो और वह अपने पूर्वजों की स्मृति में कुछ करना ही चाहता हो तो उसके लिए करणीय कामों की कमी नहीं है। 'काज किरियावर' में जो पैसा लगता है, इसका उपयोग दूसरे रचनात्मक काम में करके वह अपने पिता की यादगार को स्थायी रख सकता है।

गाव के लोग अपने आपसी मतभेदों और झगड़ों को सरलता से निपटा सकें, इस दृष्टि से गाव-गाव में पंचायतीराज की व्यवस्था हुई। इस व्यवस्था के अनुसार पंचों का निर्णय गाववासियों को सर्वमान्य होना चाहिए था, किन्तु यह क्रम भी शिथिल हो गया। पंच परमेश्वर की बात गौण हो गयी। इसलिए गाववासी अपने छोटे-छोटे झगड़ों को अदालतों में ले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उन्हें न्याय मिलता है या नहीं, यह तो पता नहीं, उनका पैसा वकीलों की जेब में अवश्य चला जाता है। इससे भी गाव का नुकसान होता है। उसी झगड़े का गाव

के दो-चार आदमी बैठकर निपटा ले तो इज्जत और पैसा—दोनों की सुरक्षा हो जाती है।

छुआछूत समाज के लिए कलक है। इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। इसे धर्म का अग मानना मूढता का प्रतीक है। फिर भी गावों में अस्पृश्यता की भावना प्रबल है। अनुसूचित जातियों के साथ रोटी-बेटी का व्यवहार करना होगा, यह बाध्यता तो है नहीं। फिर किसी को अछूत मानकर उससे घृणा करना, उसे मानवीय अधिकारों से वंचित रखना कहा का न्याय है।

अपनी जोधपुर यात्रा के दौरान हम लोग एक छोटे गाव में ठहरे। वहाँ हमारी साध्विया किसी हरिजन भाई के मकान में ठहर गयी। अब तो गाव के लोगो ने बावैला खड़ा कर दिया। उन्होंने यहाँ तक धमकी दी कि या तो आप इस मकान को छोड़कर दूसरे मकान में चले जाइए अन्यथा भविष्य में आपको ठहरने के लिए सवर्ण लोगो के मकान नहीं मिलेगे।

साध्वियो ने मुझसे पूछा—हमें क्या करना चाहिए ? मैंने उनसे कहा—तुम लोग वही रहो। गाववालो को मैं समझाऊंगा। आखिर गाव वाले समझे भी, किन्तु थोड़ी देर में माहौल इतना खराब कर दिया कि गाव में हडकम्प-सा मच गया। मैंने उनसे कहा—हम अस्पृश्यता को मानते नहीं। हमारी दृष्टि में जाति से कोई व्यक्ति ऊँचा या नीचा नहीं होता। हमारे अभिमत में अछूत अगर कोई है तो आदमी के भीतर का गुस्सा और झूठा अह है। यह बात हम सब लोगो के बीच में कहते हैं, फिर भी किसी को अछूत मानते रहेगे तो हमारी कथनी और करनी की एकता कैसे सधेगी ?

यह एक घटना है। न जाने ऐसी कितनी घटनाएँ घटित होती होगी। इन घटनाओं का अन्त तभी होगा, जब गाववालो की चेतना जागृत होगी। इसलिए गाववासियो को छुआछूत की बीमारी का समूल उच्छेद कर सबके साथ भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए।

शादी-विवाह के प्रसंग पर 'टीका' मागना, यह भी एक बीमारी है, जो शहरो की भाँति गाव में भी अपने विषाक्त कीटाणुओं को फैला रही है। यह भी बर्बादी का ही एक रास्ता है। पिता अपनी बेटी को कुछ भी दे, पर उससे मागकर लेना और उसे बाध्य करना कहा तक उचित है ? हमारे नीतिकारो ने तो यहाँ तक कहा है—

आप दिया सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी।

झगड़ लिया सो खून बराबर, आ सन्तां री बानी॥

गाववासी सन्तो की इस वाणी को भूलकर अपने सगे-सवधियो से झगडकर भी 'टीका' लेते हैं, यह बहुत गलत परम्परा है।

आज हमारे देश में प्रजातन्त्र है। प्रजातन्त्र का आधार है जनता के वोट।

प्रत्याशी लोग आते हैं और गाववासियों को शराब पिलाकर या पैसे का प्रलोभन देकर 'वोट' ले जाते हैं। यह प्रजातन्त्र कहा हुआ ? गाववासियों को यह अधिकार है कि वे सोच-समझकर अच्छे नैतिक आदमी को वोट दें। इसमें जातपात, प्रलोभन या भय आड़े नहीं आना चाहिए। किन्तु ऐसा होता है। यदि गाववासी इस बुराई से मुक्त हो जाए तो गाव का सुधार हो सकता है।

ऐसी और भी कई बुराइयाँ हैं, जिनसे गावों में रहने वाले लोगों का ही खास सम्बन्ध है। पर गाव के लोग उन्हें समझते नहीं हैं। शिक्षा की कमी इसका प्रमुख कारण है। उनको समझाने वाले भी कोई नहीं मिलते। यदि उन्हें उन्हीं का होकर इन सब बुराइयों से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया जाए तो उनमें बहुत जल्दी परिवर्तन हो सकता है। यह बात मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ।

इस वर्ष हमारी यात्रा को तीन भागों में बाटा जा सकता है। तीसरे भाग में लगभग तीन सौ किलोमीटर की हमारी यात्रा गावों की यात्रा थी। इस यात्रा में हमने ग्रामीण जीवन को बहुत निकटता से देखा, परखा और उसका अध्ययन किया। जिस किसी गाव में हम गए, गाववासियों की भीड़ किसी सूचना या निमंत्रण की प्रतीक्षा किए बिना अपने आप एकत्रित हो जाती। उस अनाहूत भीड़ से बातचीत करने में मैं इतना भाव-विभोर हो जाता कि अपने जीवन के व्यक्तिगत क्षण भी मैं उन्हें अर्पित कर देता। उन लोगों के सुख-दुःख की कहानी को जितनी निकटता से सुनता, उतना ही अधिक आत्मीय भाव उन लोगों के प्रति उमडता। हमने उनकी समस्याओं को सुना, समझा और उनका समाधान भी सुझाया। प्राकृतिक समस्या का जहाँ तक प्रश्न है, किसी के हाथ की बात नहीं है। पर गाव की उपेक्षा से उपजी समस्याओं की ओर यदि देश के विचारशील लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और सत्तारूढ व्यक्ति अपना ध्यान केन्द्रित करें तो बहुत जल्दी उनका समाधान हो सकता है। अब रही उनकी अपनी निजी समस्याएँ, जिनका सम्बन्ध आदतों, अधविश्वासों, सामाजिक कुरूपियों और अशिक्षा से है, उनके सम्बन्ध में हमने बड़े प्रेम से उनको समझाया, एक-एक बुराई का प्रतिफल बताया और उन्हें आह्वान किया। बहुत बार हमारे एक ही आह्वान पर संकड़ों व्यक्ति बुराई छोड़ने के लिए तैयार हो जाते और कभी-कभी कुछ ही व्यक्ति साहस जुटा पाते। कुल मिलाकर हर गाव में बुराई करने वालों का अनुपात कम हुआ है। इस अनुभव के आधार पर हमने ग्रामीण लोगों के लिए एक आचार-संहिता का निर्धारण किया। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि उम आचार-संहिता का गाव-गाव में पालन होने लगे तो बिना किसी लागत के ग्राम-विकास या ग्राम-निर्माण की एक नयी योजना क्रियान्वित हो जाती है। लागत की बात दूर, इस योजना में तो बचत की पूरी संभावना है। बचत के उन पैसे का

उपयोग गावों के विकासमूलक कामों में किया जाए तो गाववासी दोनों ओर से लाभान्वित होकर अपने जन्म और जीवन को सार्थकता दे सकते हैं। ग्राम्य-जीवन के लिए निर्धारित आचार-सहिता के जो सूत्र हमने गाववासियों को बताए, वे ये हैं—

१. बिना प्रयोजन निरपराध जानवरों को नहीं मारना और अपने अधीन पशुओं की दुर्दशा नहीं करना।
२. शराब, तम्बाकू, भाग, गाजा, जर्दा, अफीम आदि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना।
३. मृत्यु-भोज नहीं करना।
४. विवाह के प्रसंग में 'टीका' नहीं मागना।
५. गावों के झगड़ों को लेकर कोर्ट-कचहरियों में नहीं जाना।
६. जाति के नाम पर किसी को अच्छूत नहीं मानना।
७. रुपये या किसी अन्य प्रलोभन से वोट न देना।

इस सप्तसूत्री कार्यक्रम को लेकर एक अभियान चलाया जाए और साधु-सन्त इस अभियान को आगे बढ़ाने में अपनी शक्ति, समय और चिन्तन का पूरा उपयोग करे, यह अपेक्षा है।

जैन दर्शन और अणुव्रत

दर्शन मनुष्य की सत्याभिमुखी प्रगति का स्वाभाविक क्रम है। इन्द्रिय की प्रवृत्ति बहिर्मुखी है इसलिए वह पहले बाह्य जगत् को देखता है। बाह्य जगत् यानी स्थूल सत्य। इन्द्रिय के द्वारा उपलब्ध सत्य से वह सन्तुष्ट नहीं होता, तब बुद्धि के द्वारा स्थूल से सूक्ष्म सत्य की ओर प्रस्थान करता है। बुद्धि भी उसे पूर्णतः सन्तुष्ट नहीं कर पाती, तब वह अनुभूति के द्वारा सूक्ष्मतम या परिपूर्ण सत्य की ओर प्रस्थान करता है।

दर्शन का यह क्रम सर्वत्र रहा है। इस क्रम के अनुसार मनुष्य ने जगत्, आत्मा और परमात्मा को देखने का चिर प्रयत्न किया है। यही दर्शन के विकास का इतिहास है।

दर्शनीय तत्त्व यानी सत्य के रूप परस्पर-विरोधी नहीं हैं। देखने की दृष्टियाँ भिन्न-भिन्न हैं, इसलिए सत्य भी परस्पर-विरोधी जैसा प्रतिभासित होता है। दर्शन के दो रूप प्राप्त हैं।

१ तार्किक या बौद्धिक।

२. आनुभाविक।

जितना दार्शनिक भेद है वह सब बौद्धिक-तार्किक स्तर पर है। अनुभव के स्तर पर मतभेद नहीं हो सकता है।

अनुभव की तीन कक्षाएँ हैं। प्रथम कक्षा में सत्य का संक्षेप में अनुभव व प्रतिपादन होता है। दूसरी कक्षा में सत्य का आंशिक विस्तार से अनुभव व प्रतिपादन होता है। तीसरी कक्षा में सत्य का समग्रता से अनुभव व प्रतिपादन होता है। जैन दार्शनिकों ने इन कक्षाओं की सज्ञा क्रमशः द्रव्याधिकनय, पर्यायाधिकनय और प्रत्यक्ष प्रमाण दी है।

अनुभव की कक्षा का यथार्थ बोध होने पर सत्य के ग्रहण में कोई मतभेद नहीं होता। यह मतभेद-शून्य विद्या ही जैन दर्शन के अनुसार अध्यात्म विद्या है। इसी को भगवद् गीता में सब विद्याओं में श्रेष्ठ कहा गया है—‘अध्यात्मविद्या

विद्यानाम् ।' जैन दर्शन जिन तत्त्वो पर विकासशील हुआ है, वे आधारभूत तत्त्व चार हैं:

१. आत्मवाद ।
२. लोकवाद ।
३. कर्मवाद ।
४. क्रियावाद ।

भगवान् महावीर ने कहा है

१. आयावाई ।
- २ लोयावाई ।
३. कम्मावाई ।
४. किरियावाई ।

जैन दर्शन के अनुसार चैतन्य स्वतंत्र है । वह पच महाभूतो या देह से निष्पन्न नहीं है । भगवान् महावीर से पूछा गया—'भते ! आत्मा शाश्वत है या अशाश्वत् है?' भगवान् ने कहा—'आयुष्मन् । द्रव्यार्थिकनय की दृष्टि से (अस्तित्व की दृष्टि से) आत्मा शाश्वत् है—अनुत्पन्न और अविनाशी है । पर्यायार्थिकनय की दृष्टि से (रूपान्तर की दृष्टि से) वह अशाश्वत है —उत्पन्नधर्मा और विनाशधर्मा है ।

जैन दर्शन आत्मवादी है, इसीलिए वह परम आस्तिक है । उसमे परमात्मा का अस्वीकार नहीं । आत्मा की तीन कक्षाएँ हैं

१. वहिर्-आत्मा ।
- २ अन्तर्-आत्मा ।
३. परम-आत्मा ।

१ वहिरात्मा आत्मा की पहली कक्षा है । उसमे देह और आत्मा का भेद-ज्ञान नहीं होता ।

२ अन्तरात्मा आत्मा की दूसरी कक्षा है । उसमे भेद-ज्ञान प्राप्त हो जाता है । उसके उपलब्ध होने पर उसका प्रस्थान अपने देहमुक्त स्वरूप की ओर हो जाता है ।

३ परमात्मा आत्मा की तीसरी कक्षा है । उसमे आत्मा अपने मौलिक रूप मे अवस्थित हो जाता है, परमात्मा बन जाता है ।

इसी दृष्टि से मैंने कहा कि जैन दर्शन मे परमात्मा का अस्वीकार नहीं है, उसके सृष्टि-कर्तृत्व का अस्वीकार है ।

ईश्वरवादी दर्शन—नैयायिक, वैशेषिक आदि—ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानते हैं । जैन दर्शन के अनुसार जगत् अनादि-अनन्त है । इसलिए उसके कर्तृत्व का भार वहन करने की किसी को आवश्यकता नहीं है ।

भगवान् महावीर से स्कन्दक संन्यासी ने पूछा—‘भते ! लोक शाश्वत है या अशाश्वत है ?’

भगवान् ने कहा—‘आयुष्मन् ! द्रव्यार्थिकनय (अस्तित्व) की दृष्टि से लोक शाश्वत है और पर्यायार्थिकनय (रूपान्तरण) की दृष्टि से वह अशाश्वत है ।’

वह अशाश्वत है इस दृष्टि से उसमे सृष्टि-कर्तृत्व का अंश भी सन्निहित है । महावीर के अनुसार वह जीव और पुद्गल के स्वाभाविक सयोग की प्रक्रिया से सम्पादित होता है । इसी सम्पादन को लक्ष्य में रखकर महान् आचार्य हरिभद्रसूरी ने जैन दर्शन की ईश्वरवादी दर्शनों के साथ तुलना की है । उन्होंने लिखा है :

‘पारमैश्वर्ययुक्तत्वात्, आत्मेव मत ईश्वर ।

स च कर्तृति निर्दोषं, कर्तृवादो व्यवस्थितः ॥’

—‘आत्मा परम ऐश्वर्य सम्पन्न है । अतः वह ईश्वर है । वह कर्ता है । इस दृष्टि से जैन दर्शन कर्तृवादी भी है ।’

जैन दार्शनिकों ने सत्य को अनेकान्त दृष्टि से देखा है, इसलिए अनन्तधर्मा तत्त्व के किसी एक धर्म की स्वीकृति को उन्होंने सम्पूर्ण सत्य की स्वीकृति नहीं माना । उनकी दृष्टि में एकाशग्राही जितने दृष्टिकोण हैं । वे सब मिथ्या हैं । सर्वाशग्राही दृष्टिकोण ही सम्यक् हो सकता है ।

साधारण मनुष्य का ज्ञान अपर्याप्त होता है । इसलिए वह एकाशग्राहिता के वलय से मुक्त नहीं हो सकता और सर्वाशग्राहिता के बिना वह सम्यक्-दृष्टि नहीं हो सकता । इस समस्या के समाधान के लिए भगवान् महावीर ने ‘सियात्’ (स्यात्) शब्द का आविष्कार किया । ‘स्यात्’ शब्द सापेक्षता का सूचक है । एकाशग्राही दृष्टिकोण सापेक्ष होता है तब वह मिथ्या नहीं होता । उसमें एक धर्म की स्वीकृति अन्तर्भूत अनन्त धर्मों की स्वीकृति में विभिन्न होकर नहीं होती । यह प्रक्रिया अज्ञात अनन्त सत्य के निषेध की नहीं, किन्तु स्वीकृति की प्रक्रिया है । इसमें मनुष्य ज्ञात को ही अन्तिम सत्य मानकर नहीं बैठता, वह ज्ञात के प्रति आसक्त हो अज्ञात की जिज्ञासा का द्वार बन्द नहीं करता ।

इस सर्वग्राही दृष्टि के कारण जैन दार्शनिकों का प्रतिपादन ऐसा हो गया है, जैसे उसका अपना कोई मौलिक स्वरूप ही न हो । इसीलिए एक जैन आचार्य ने जैन दर्शन की व्याख्या इसी सन्दर्भ में की है । उनकी व्याख्या है—‘जो एकाशग्राही दृष्टिकोणों का समूह है वही जैन दर्शन है ।’

उसकी सप्तभगी और सप्तनयो ने प्रत्येक दर्शन के साथ अपना नैकट्य स्थापित किया है । इसीलिए वह आपात-भ्रम, जिसका मैंने उल्लेख किया, महम ही हो जाता है । किन्तु मैं इसी को जैन दर्शन की मौलिक देन मानता हूँ । साम्प्रदायिक आस्था का प्रस्थान दूसरों से विभिन्न होने की दिशा में होता है किन्तु

सत्यसधित्सा का प्रस्थान समरसता की दिशा में होता है। इसलिए अपने को दूसरो से विभिन्न रखना उसका लक्ष्य नहीं होता। मेरी दृष्टि में दर्शन का यही अन्तिम ध्येय है। सत्य की एकात्मकता—आत्मौपम्य या आत्माद्वैत जितना शाश्वत सत्य है उतना ही सामयिक समस्याओं का समाधान है।

सामयिक समस्याओं का समाधान करना भी दर्शन का एक अंग है। शाश्वत और सामयिक दोनों की समन्वित स्वीकृति ही मेरी दृष्टि में जैन दर्शन है।

अणुव्रत

जैन दर्शन का दृष्टिकोण उदार रहा है। अणुव्रत उसी का प्रतिफल है। यह धर्म का नवनीत है। आज की समस्या है कि धर्म और व्यवहार अलग-थलग हो गए हैं। अणुव्रत धर्म और व्यवहार की दूरी को मिटाने की प्रक्रिया है। धर्मस्थान में जाने वाले को भले ही धर्मगुरु धार्मिक होने का प्रमाणपत्र दे दे, किन्तु व्यवहार-शुद्धि के बिना अणुव्रत की दृष्टि में वह धार्मिक नहीं है।

आज धर्म क्रियाकाण्ड-प्रधान हो गया है। मैं क्रियाकाण्डो का विरोधी नहीं हूँ लेकिन उनको प्रमुख स्थान देने के पक्ष में भी नहीं हूँ। क्रियाकाण्डो की उपयोगिता तभी हो सकती है जब उसकी पृष्ठभूमि में आचार और व्यवहार की पवित्रता हो।

मनुष्य जब धर्म से शून्य होता है तब उसमें छलना पनपती है। फिर वह मनुष्य को ही नहीं, भगवान् को भी धोखा देने लग जाता है, झूठा मामला लडता है। जब वह न्यायालय में जाता है तब भगवान् से आशीर्वाद मागकर जाता है और वह जीत जाता है तब भगवान् की मनाती करता है। भगवान् यदि झूठो की विजय करता है तो वह भगवान् कैसे होगा? झूठ चलाने के लिए जो भगवान् की शरण लेता है वह भक्त कैसे होगा? धार्मिक कैसे होगा? अणुव्रत इस प्रकार की चर्या को धार्मिकता का प्रमाणपत्र नहीं देता और न ही दे सकता।

जो व्यक्ति अहिंसा और सत्य, प्रामाणिकता और पवित्रता का आचरण करता है, वह भले भगवान् को न माने पर वह सही अर्थ में भगवान् का भक्त है और सच्चा धार्मिक है। अणुव्रत प्रामाणिकता का आन्दोलन है। वह पूजा की अपेक्षा प्रामाणिकता को अधिक महत्व देता है।

अणुव्रत जाति व सम्प्रदाय आदि के भेदों से दूर है। किसी भी देश, जाति व सम्प्रदाय का आदमी अणुव्रती बन सकता है यदि वह प्रामाणिकता के पथ पर चलना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि इस अमाम्प्रदायिक आन्दोलन को हर आदमी व्यापक दृष्टि से देखे और उसे व्यापक बनाने के कार्यक्रम से अपना योग दे।

अस्पृश्यता : मानसिक गुलामी

अछूत मुक्ति सेना के इस कार्यक्रम को लेकर कई दिनों से चर्चा चल रही थी। कुछ व्यक्ति मेरे पास आए और पूछने लगे कि अछूत मुक्ति सेना के लोग आपके पास क्यों आ रहे हैं ? मैंने कहा—‘हमारे यहाँ उन सबको आने का अवकाश है जो जीवन-विकास एवं आत्म-हित की प्रेरणा लेना चाहते हैं तथा अहिंसात्मक तरीके से काम करना चाहते हैं।’ अछूत मुक्ति सेना के कार्यकर्ता अपने विचार रखने एवं यहाँ से विचार लेने के लिए इस कड़ी धूप की परवाह न करते हुए यहाँ आए हैं, इसकी मुझे प्रसन्नता है।

अस्पृश्यता का प्रारम्भ कब से हुआ इसका इतिहास बताना कठिन है किन्तु इतना अवश्य है कि प्रारम्भ में इस समाज का बड़ा महत्त्व था। मेवा करने वालों को यह काम मिला। किसी प्रकार की ग्लानि एवं घृणा के बिना समाज को स्वच्छता एवं स्वास्थ्य प्रदान करने वाले इस समाज को ‘महत्तर’ शब्द में संबोधित किया गया। ‘महत्तर’ शब्द का अर्थ है—महान् से भी महान्। अतः इस कार्य के लिए जो इसे सम्मान प्राप्त हुआ, वह इस शब्द से प्रकट होता है। किन्तु शब्दों का उत्कर्ष या अपकर्ष होता रहता है। आज इस शब्द का अपकर्ष हुआ है। यही कारण है कि लोग महत्तर शब्द से भडकते हैं।

मैं इसे विचारों की दासता मानता हूँ। इसे मिटाना कठिन है। गांधीजी ने इसे मिटाने का बीड़ा उठाया। बहुत कुछ कार्य हुआ किन्तु वे भी इस कार्य को अधूरा छोड़कर चले गए। सरकार ने अस्पृश्यता-निवारण का कानून बनाया। किन्तु मन को बदलने वाला कानून नहीं बन सका। जब अन्तर का कानून काम करेगा तभी आत्मा की आवाज बन सकेगी।

मुझे प्रसन्नता है कि हरिजन स्वयं उठने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरों का सहयोग लिया जा सकता है किन्तु उन पर निर्भर हो जाना दामता और दीनता है। जब किसी को उठना या उत्थान करना है तो स्वयं को प्रयत्नशील बनना होगा। पक्षाघात से पीड़ित व्यक्ति दूसरों के सहारे उठकर भी टिक नहीं सकता।

जो स्वस्थ है, थोड़ा सहारा मिल जाने मात्र से उठ जाता है। अतः उत्थान का प्रारम्भ स्वयं से हो। पुरुषार्थी को ही सहयोग प्राप्त होता है, अन्यथा सहयोग मिलता भी नहीं।

अस्पृश्यता विचारों की गुलामी है। किसी मनुष्य को अस्पृश्य मानना कितना अनुचित है? कुत्ता थाली में पानी पी सकता है क्योंकि वह अस्पृश्य नहीं है। किन्तु मनुष्य के पास बैठना भी स्वीकार नहीं, यह आश्चर्य की बात है। जातिवाद ने अस्पृश्यता को बढ़ावा दिया किन्तु केवल जातिवाद ही इसका कारण नहीं है। धर्म-सम्प्रदायों ने भी इसे बढ़ावा दिया है। यदि सब धर्म-गुरु अस्पृश्यता का प्रतिकार करना प्रारम्भ कर दें तो लाखों-करोड़ों व्यक्तियों को सही चिन्तन मिल सकता है। जब से मेरे सामने यह प्रश्न आया और मुझे लगा किसी को अस्पृश्य मानना अपराध है तब से इस विचार को प्रतिष्ठित करने का मैंने प्रयास किया है। मेरी एक सभा में कुछ हरिजन भाई आए। कई व्यक्तियों ने उन्हें रोक दिया। मैं दूर से सारी स्थिति का अकन कर रहा था। मुझे लगा कि यह मानवता के प्रति न्याय नहीं हो रहा है। मैंने तत्काल उपस्थित जनसमूह से कहा—'जहाँ मेरा प्रवचन हो वहाँ जातीयता के कारण किसी को प्रवचन सुनने से नहीं रोका जाना चाहिए। उसे रोकना मैं अपने को रोकना मानता हूँ।' परिणाम यह हुआ कि अब समाज के सहस्रो व्यक्तियों के दिमाग से 'अस्पृश्यता' नाम नेस्तनाबूद-सा हो गया है।

जब से अणुव्रत का कार्य प्रारम्भ हुआ है तब से महाजन-हरिजन, अमीर-गरीब आदि सभी प्रकार के कार्यकर्ता एक साथ बैठकर चिन्तन करने लगे हैं। मैं अन्यान्य लोगों से भी कहना चाहूँगा कि हरिजन लोग और चाहते भी क्या हैं? ये कब कहते हैं कि आपको बेटी हमें देनी होगी। और यह भी कब कहते हैं कि आपको हमारे साथ भोजन करना होगा। इनका यह आग्रह है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। ये तो इतना ही चाहते हैं कि एक वर्ग विशेष के प्रति जो घृणा के भाव हैं, उन्हें आप निकाल दें। यह भावना खत्म करना मेरा भी काम है। लोगों के मन में धर्म की भावना भरनी है तो अस्पृश्यता की भावना मिटानी होगी।

अस्पृश्य तो अशुचि या गन्दगी है। हरिजन लोग सफाई करते हैं, इसलिए उन्हें अस्पृश्य माना जाता है तो मैं पूछता हूँ कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपनी सफाई अपने आप नहीं करता? तब क्या आप अथवा आपके हाथ अस्पृश्य नहीं हो जाएंगे? कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग औरों की सफाई करते हैं, तो क्या माता अपने पुत्र की सफाई नहीं करती? क्या परिवार में रुग्ण और अपग सदस्यों की सफाई नहीं होती? यदि [होती है तो आप अस्पृश्य नहीं होंगे? यदि नहीं होते तो समाज की सतह पर सफाई करने वाले ये हरिजन अस्पृश्य क्यों होंगे?

वस्तुतः अस्पृश्यता की भावना धार्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से हेय है।

भगवान् महावीर ने जुगुप्सा (घृणा) को पाप माना है। जुगुप्सा मोह कर्म की अट्ठाईस प्रकृतियों में से एक है। यदि मोह कर्म को खत्म करना है तो जुगुप्सा को मिटाना होगा। जुगुप्सा करनी है तो बुराई से करो, जबकि उन्हें सैकड़ों की संख्या में अपने अन्दर लिये बैठे हैं। बात ऐसी है कि बुराई करने वाला अपने को बुरा नहीं मानता। अपने को बुरा मानने वाला बुराई कर भी नहीं सकता।

महाराष्ट्र के सन्त नामदेव का नाम सबने सुना होगा। कहा जाता है कि वे पहले एक डाकू थे। डाकूओं में एक बात होती है कि उन्हें मृत्यु का भय और जीवन के प्रति आसक्ति नहीं होती। उच्चकोटि के अहिंसक की भी यही स्थिति होती है। भगवान् महावीर ने अहिंसक के लिए कहा है—‘जीवियासामरण-भयविष्यमुक्त्वा’—उसे जीवन के प्रति आसक्ति और मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहिए। डाकू नामदेव भी ऐसे ही थे। उन्होंने बहुतेका धन और सुहाग लूटा। अनेक व्यक्तियों के प्राण लूटे। उनके नाम से ही लोगों के मन में भय का संचार होने लगा। एक बार किसी सराय में वे बैठे थे। कुछ लोग, जो उन्हें नहीं पहचानते थे, परस्पर बातें करने लगे। एक ने कहा—‘डाकू नामू ने मेरे पुत्र को मार डाला।’ दूसरा बोला—‘उसने मेरे घर का सत्यनाश कर दिया। मेरा तो ऐसा किया, किन्तु उसका क्या होगा? वह अपने पापों से कैसे छुटकारा पाएगा?’ तीसरे ने कहा—‘मुझे तो उसके नाम से ही घृणा होती है।’ अपने कृत्यों से लोगों को हुई पीड़ा एवं आलोचना सुनकर उनके मन में अपनी बुराइयों के प्रति घृणा जाग उठी। डाकू नामू सन्त नामदेव बन गए। यदि सन्त नामदेव का चिन्तन सब में जागृत हो जाए तो अस्पृश्यता की समस्या सहज ही हल हो सकती है।

यदि डाका डालना पाप है तो बिना मतलब किसी से घृणा करना भी पाप है। हरिजन लोग आपसे और कुछ नहीं मांगते, केवल महानुभूति और मौहार्दं मांगते हैं। क्या इतना भी आप इन्हें नहीं दे सकते?

अस्पृश्यता का निवारण अछूतों पर दया करने के लिए नहीं किन्तु अपने मन की वृत्तियों को सुधारने के लिए करना चाहिए। किसी को ‘बेचारा’ मानना ठीक नहीं है। यदि दया करनी है तो अपनी दीनता के प्रति कीजिए। अपने को ठीक कर ले तो दया स्वतः हो जाएगी। आचार्य भिक्षु ने कहा—‘अपने-आप को बचाओ, दूसरे अपने-आप बच जाएंगे। अपने पैर को बचाओगे तो चीटियां स्वतः बच जाएंगी।’

हरिजन भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप दूसरों की महानुभूति चाहते हैं तो अपने-आप को भी टटोलें। आप में भी छुआछूत है, आपमें से एक-दूसरी जाति के प्रति अस्पृश्यता की भावना है। उनका स्पर्श नहीं करने। उनसे

हाथ का पानी भी नहीं पीते। परस्पर एक-दूसरे को हीन मानते हैं। अतः आप इस जुगुप्सा को जीतने का प्रयास करें। यदि सवर्ण लोगो की अस्पृश्यता की भावना खत्म करवाना चाहते हैं तो परस्पर की अस्पृश्यता को मिटाना होगा।

केवल नारो से कोई काम होने वाला नहीं है। इसके लिए चरित्र को ऊँचा उठाने का प्रयास करना होगा, अन्यथा सुधार नहीं हो सकेगा। आप व्यसनमुक्त रहे। जुआ और शराब छोड़ें। सिनेमा तथा विवाह-शादी के अवसर पर अपव्यय से बचे। ऐसा करने के लिए अणुव्रती बने। अणुव्रती बनने का अर्थ है—अच्छा मनुष्य बनना। अणुव्रत का मंच महाजनो तथा नेताओ के लिए जितना खुला है, उतना ही हरिजनो के लिए भी। अणुव्रत का एक नियम है कि जाति, वर्ण आदि के आधार पर किसी को अस्पृश्य या हीन-उच्च नहीं माने। यदि सब अणुव्रती बन जाते हैं तो अस्पृश्यता की बीमारी सहज ही खत्म हो सकती है।

जीवन एक प्रयोग भूमि

हम जीवन-क्रम को देखते हैं तब लगता है कि जीवन जीने की कोई निश्चित पद्धति नहीं है। जिस देश-काल में जो धारणाएँ मान्य होती हैं, उन्हीं के अनुसार जीवन चलता है। धारणाएँ बदल जाती हैं, जीवन का क्रम बदल जाता है। जीवन का क्रम परिवर्तनशील है, इसलिए नये प्रयोग करने का अवकाश है। इस अवकाश से हम लाभ उठाना चाहते हैं।

अच्छाई का उभार

मनुष्य के जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों के बीज पड़े हैं। निमित्त पाकर वे फूट पड़ते हैं। मनुष्य में अच्छाई नहीं होती तो वह कभी अच्छा नहीं बन पाता। देश, काल, प्रकृति और व्यवस्था का अनुकूल योग मिलता है, तब अच्छाई को उत्तेजन मिलता है, वह प्रकट होती है और मनुष्य अच्छा बन जाता है।

धर्म की प्रेरणा

धर्म ने मनुष्य को अच्छा बनाने की प्रेरणा दी है। पर उस प्रेरणा से धर्मनिष्ठ लोग ही लाभान्वित हुए हैं। धर्मप्रेमी बहुत लोग हो सकते हैं पर धर्मनिष्ठ लोग बहुत थोड़े होते हैं। अतः धर्म की प्रेरणा से समाज में अच्छाई का आना महज नहीं है। धर्मप्रेमी लोग धर्म की प्रेरणा को अच्छा समझते हैं। किन्तु उसमें स्वार्थों का मग्न होना है, तब बुराई का सहारा लेकर भी वे अपने स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं। इसलिए धर्म से उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। बहुत लोग कहते हैं—हजारों वर्ष बीत गए, धर्म से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समग्र समाज की दृष्टि से देखें तो इस उक्ति में सचाई है। कुछ लोगों की दृष्टि में देखें तो सचाई यह है कि धर्म की प्रेरणा से जितना परिवर्तन हुआ, उतना किसी भी व्यवस्था से नहीं हुआ। अहिंसा, अपरिग्रह, प्रामाणिकता और नैतिकता में धर्मनिष्ठ लोग सबसे आगे रहे हैं और हैं।

धर्म और व्यवस्था का योग

धर्म का शासन सबको मनवाया नहीं जा सकता। वह उन्हीं के लिए होता है, जो मानना चाहते हैं। वैधानिक शासन मान्य करना पड़ता है, भले फिर वह हृदय से मान्य हो या न हो।

जो धर्मनिष्ठ नहीं होते, वे स्ववशता से अपने स्वार्थों का त्याग नहीं कर सकते। वैधानिक व्यवस्था में विवशता होती है, इसलिए वहाँ स्वार्थों का त्याग करना पड़ता है। धर्म के शासन में (हृदय के शासन में) और वैधानिक व्यवस्था में परस्पर सतुलन हो तो सामाजिक जीवन अधिक स्वस्थ हो सकता है। जिन लोगो ने समाज-व्यवस्था को समानता के आधार पर प्रतिष्ठापित करने का प्रयत्न किया है, उन्होंने धर्म के प्रति ग्लानि का भाव प्रकट किया है। ऐसा करके उन्होंने अपनी व्यवस्था में ज्वालामुखी की श्रृंखला को अवकाश दिया है। सत्य की निष्ठा को समाप्त कर समस्याओं को सुलझाने की मनोवृत्ति नयी समस्याओं के बीज बोने की मनोवृत्ति होगी।

मैं धर्म के क्षेत्र में क्रांति की अपेक्षा मानता हूँ। पर धर्म की समाप्ति के लिए नहीं, किन्तु उसकी शुद्धि के लिए। जल की गदगी को मिटाने की बात समझ में आ सकती है किन्तु जल के प्रति ग्लानि करने की बात समझ में नहीं आती। पुराने लोगो ने धर्म के साथ समानता पर आधृत समाज-व्यवस्था का सम्पादन नहीं करके शायद भूल की थी और आज वे लोग समानता पर आधृत समाज-व्यवस्था में से धर्म को अलग कर भूल कर रहे हैं। इन दोनों भूलों का परिमार्जन धर्म और समानता पर आधृत समाज-व्यवस्था के योग से हो सकता है। अणुव्रत इसी दर्शन की भूमिका पर प्रतिष्ठित है।

अणुव्रत की अपेक्षा

मेरी दृष्टि में मानवीय विकास की सर्वोच्च भूमिका व्रत है। व्रतविहीन मनुष्य का मानवीय एकता में विश्वास नहीं हो सकता। उच्छृङ्खल व्यवहार व्रत-विहीनता या असयम की स्थिति में पनपते हैं। अपने आस-पास देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि लोग धार्मिक बनना चाहते हैं पर व्रती बनना नहीं चाहते। किन्तु उन्हें समझना चाहिए कि आत्मसयम के बिना धार्मिकता विकसित नहीं हो सकती।

विलासी मनोवृत्ति

विलासी मनोवृत्ति जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। जीवन का लक्ष्य जैसे ही शिथिल होता है, वैसे ही विलासी वृत्ति उभर आती है। कठोर जीवन जिए बिना

कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली नहीं हो सकता। अणुव्रत सयत और स्वावलंबी जीवन-पद्धति का प्रेरक है।

प्रान्तीयता की समस्या

मैंने कुछ स्थायी समस्याओं की चर्चा की। अब मैं वर्तमान समस्याओं की ओर आप लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूँ। प्रान्तीयता आज की ज्वलंत समस्या है। हिन्दुस्तान एक राष्ट्र है। फिर भी एक प्रान्त के लोग दूसरे प्रान्त में सुरक्षित नहीं हैं। कभी-कभी ऐसा संदेह होने लगता है कि क्या यह एक राष्ट्र है? प्रान्तीय निष्ठा ने राष्ट्रीय निष्ठा को निस्तेज बना दिया है। प्रान्तीयता के पनपने में कुछ दोष राजनीतिक दलों का है और कुछ व्यापारियों का है। व्यापारिक लोग प्रान्तवासी लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करके चलें, उनके स्वार्थों और हितों पर बराबर ध्यान दे तो समस्या को उग्र बनने से रोका जा सकता है। राजनीतिक दलों का भी यह पवित्र कर्तव्य है कि वे प्रान्तीयता को उभार न दें। इससे न केवल राष्ट्रीय एकता किन्तु मानवता खतरे में पड़ती है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शत्रु बन जाता है। अणुव्रत मानवीय एकता का प्रबल समर्थक है। इसलिए हर अणुव्रती को प्रान्तीयता के विष में मुक्त रहना चाहिए।

हिंसक उपद्रव

हिन्दुस्तान के अनेक भागों में समय-समय पर हिंसक उपद्रव भडक उठते हैं। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय वृक्ष को अहिंसा की निष्ठा से सींचने का प्रयत्न किया था, वह प्रयत्न व्यर्थ ही गया, ऐसी अनुभूति हो रही है। अहिंसा के बिना राष्ट्रीय चरित्र विकसित नहीं होता और राष्ट्रीय नीति व जीवन-पद्धति में स्थायित्व नहीं आता, हिंसा का आवेश बढ़ता जाता है।

मैं हिंसा को सर्वथा अवाञ्छनीय मानता हूँ। फिर भी हिंसा की पृष्ठभूमि में विद्यमान कारणों की उपेक्षा को भी अनुचित मानता हूँ। असाधारण विषमता टिक नहीं सकती। प्रबुद्ध युग उसे सह नहीं सकता। उच्चवर्ग इस स्थिति का अनुभव करे तो हिंसा में कमी आ सकती है। शासन-तंत्र में बैठे लोग भी अपनी नीति में कुछ हेर-फेर करे तो सहज ही हिंसा टल सकती है। हिंसक उपद्रवों द्वारा बाध्य हुए बिना सरकार समस्या पर ध्यान नहीं देती, इस धारणा को बदले बिना समय-समय पर होने वाले गोलीकांडों को रोका नहीं जा सकता। क्या सरकार कर्तव्य-बुद्धि व औचित्य के आधार पर बाध्य हुए बिना समस्या को नहीं मुलझा सकती ?

अन्याय का प्रतिकार

अन्याय का प्रतिकार नहीं होता है तो अन्याय बढ़ता है। कोई भी आदमी यह कैसे कह सकता है कि अन्याय का प्रतिकार न किया जाए। किन्तु उसके प्रतिकार का तरीका केवल हिंसा ही नहीं है। अहिंसात्मक ढंग से भी उसका प्रतिकार किया जा सकता है। मैंने इस बार प्रतिरोधात्मक अहिंसा पर बहुत बल दिया है। मैं अणुव्रत कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि वे कोई उचित व विवेकपूर्ण मार्ग ढूँढें, जिससे अहिंसात्मक पद्धति के द्वारा सामूहिक रूप से अन्याय का प्रतिकार किया जा सके।

जीवन के हर क्षेत्र में हिंसा के सामने अहिंसा का, स्वार्थपरता के सामने निस्वार्थता का तथा धन की मूर्च्छा के सामने धन की अनासक्ति का विकल्प प्रस्तुत करना अणुव्रत का लक्ष्य है। इसलिए आगामी वर्ष का कार्यक्रम उसी लक्ष्य की पूर्ति के आधार पर बनना चाहिए। कार्य की प्रयोगात्मक दिशा को विकसित करना अपेक्षित है। मुझे आशा है कि अणुव्रती इस दिशा में गहराई से चिन्तन करेंगे।

अणुव्रत-आचार-सहिता को व्यापक कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि के रूप में विकसित किया गया है। उससे कार्य को गति मिलने की संभावना है।

इस वर्ष हमारे साधु-साध्वियों ने अणुव्रत को व्यापक बनाने में काफी प्रयत्न किया है। मैं उन्हें उनके शुभ प्रयत्न के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। अनेक कार्यकर्ताओं ने भी इस दिशा में अपना समय और शक्ति लगाई है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। मुझे आशा है हम मिलकर कार्य को आगे बढ़ाने में कृत-सकल्य होंगे।

स्वार्थ चेतना : नैतिक चेतना

पिछले बीस वर्षों से हम जिस विषय की चर्चा करते आ रहे हैं, उसी विषय की चर्चा करने के लिए आज पुनः एकत्र हुए हैं।

चर्चा करना और एकत्र होना अच्छी बात है। किन्तु उसकी अच्छाई का आधार उसका परिणाम हो सकता है। हमारी चर्चा का और हमारे एकत्र होने का क्या कोई परिणाम आ रहा है? या हम भावना के बल पर ही चर्चा और मिलन के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं? यह एक प्रश्न है और गंभीर प्रश्न है। इसका उत्तर पाए बिना हम भावी कार्यक्रम की रेखा नहीं खींच सकते।

नैतिक अभियान का संकल्प

एक दिन मुझे लगा कि नैतिक विकास का प्रयत्न होना चाहिए। आस-पास रहने वाले लोगों के लिए एक छोटी-सी योजना बनायी गयी। उसका नाम रखा गया अणुव्रत।

नाम बहुत पुराना और रूप नया। मेरे आस-पास रहने वाले लोग अधिक सख्या में जैन थे। वे जैन-धर्म के अनुयायी थे। अतः उनके लिए नया धर्म चलाने की किसी आवश्यकता का अनुभव नहीं हो रहा था। इस बात की आवश्यकता का अनुभव हो रहा था कि उनका व्यवहार नैतिक बने।

धार्मिक का व्यवहार नैतिक न हो यह बहुत आश्चर्य की बात है। पर आज के धार्मिक समाज में यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं रही है। मैंने धार्मिकों को नैतिक बनाने का संकल्प किया और उसके लिए अणुव्रत का काम प्रारम्भ किया।

मानव-धर्म की स्थापना

कार्य के प्रारम्भ में मुझे सूझा कि नैतिकता का मार्ग सबके लिए उपयोगी है,

फिर इसे कुछ लोगो तक ही सीमित क्यों रखा जाए ? इस चिन्तन के बाद इसे व्यापक रूप दिया गया । फलस्वरूप—

१. अणुव्रत धर्म क्रांति का वाहक बन गया, किसी धर्म-सम्प्रदाय का बाधक नहीं रहा ।

२. वह मनुष्यमात्र के लिए हो गया, किसी जाति या वर्ग विशेष का नहीं रहा ।

३. वह सार्वदेशिक हो गया, किसी देश विशेष का नहीं रहा ।

निष्कर्ष की भाषा में कहा जा सकता है कि अणुव्रत के बहाने जाने-अनजाने मानव-धर्म की स्थापना हो गई ।

मानव-धर्म वही हो सकता है, जो केवल धर्म हो, सम्प्रदाय न हो ।

मानव-धर्म वही हो सकता है, जो किसी के द्वारा अधिकृत न हो ।

अणुव्रत आंदोलन का ध्येय और प्रगति

अणुव्रत के माध्यम से मैं तीन काम करना चाहता था

१. जनसाधारण में नैतिक निष्ठा उत्पन्न करना ।

२. धार्मिक के जीवन में व्याप्त धर्म-स्थान और कर्म-स्थान की विसंगति को दूर करना ।

३. व्रत के द्वारा सामाजिक समस्याओं का समाधान करना ।

कोई भी ध्येय पूर्ण हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । प्रथम ध्येय में कुछ सफलता मिली है, दूसरे में कम और तीसरे में उससे भी कम ।

नैतिकता के अभियान में कुछ कठिनाइयाँ हैं

१. गरीबी ।

२. वडप्पन के मापदण्ड

३. अनैतिकता के प्रत्यक्ष लाभ ।

४. बुराई का फल बुरा होता है—इस सिद्धांत के प्रति अनास्था ।

५. नैतिकता और अनैतिकता से होने वाले लाभ और अलाभ का अपरिचय ।

१. महगाई के जमाने में पेट-भर रोटी नहीं मिलती, उस स्थिति में मध्यम वर्ग के कर्मचारी यदि रिश्वत ले लेते हैं और मध्यम वर्ग के व्यापारी यदि अप्रामाणिकता बरतते हैं, उसमें कौन-सा बड़ा दोष है ? इस मान्यता के आधार पर मध्यम वर्ग में अनैतिकता को प्रोत्साहन मिल रहा है ।

२. सम्पन्न व्यक्तियों को एक शादी में चालीस-पचास हजार रुपये चाहिए । यदि वे अप्रामाणिकता न बरते तो उनकी लडकियों की शादी कैसे हो ? उनका घरेलू खर्च कैसे चले ? इस मान्यता के आधार पर सम्पन्न वर्ग में अनैतिकता को प्रोत्साहन मिल रहा है ।

३. एक आदमी अनैतिक आचरण करता है और दूसरा नहीं करता। अनैतिक आचरण करने वाला सम्पन्न हो जाता है, मकान बना लेता है, उसके अनेक मित्र हो जाते हैं तथा उसे सब प्रकार की सुख-सुविधा और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। नैतिक आचरण करने वाला उतना धन नहीं कमा पाता। इसलिए उसे उतना सामाजिक महत्त्व भी नहीं मिलता और पर्याप्त सुविधाएँ भी नहीं मिलती। इस स्थिति में अनैतिकता को प्रोत्साहन मिलता है।

४. किसी जमाने में इस सिद्धांत—बुराई का फल बुरा होता है—से समाज अनुशासित था। फलतः वह बुराई से बचता था और यदि किसी व्यक्ति से कोई बुराई हो जाती तो वह उसका प्रायश्चित्त करता था। आज उस सिद्धांत के प्रति आस्था टूट चुकी है। दूसरा नया सूत्र कोई आया नहीं है, जो समाज को बुराई से बचाने में उतना समर्थ हो। इस सैद्धांतिक रिक्तता के कारण भी अनैतिकता को प्रोत्साहन मिल रहा है।

५. कुछ लोग अनैतिक आचरण के द्वारा तात्कालिक लाभ उठा लेते हैं। किन्तु जब अधिकांश लोग अनैतिक आचरण करने लग जाते हैं तब लाभ की अपेक्षा कठिनाइयाँ अधिक बढ़ जाती हैं किन्तु अनैतिक आचरण करने वालों को इस तथ्य का ज्ञान नहीं है।

समाज एक शृंखला है, उसकी एक कड़ी में गड़बड़ होने पर सारी शृंखला ढीली हो जाती है।

समाज एक जलाशय है। उसमें एक ढेला फेंकने पर इस छोर से उस छोर तक लहरे उठ जाती हैं।

किन्तु जिन्हें व्यक्ति की बुराई के सामाजिक परिणामों का बोध नहीं होता, वे व्यक्तिगत हित साधने के लिए विप-वीज बोलते रहते हैं और फलतः अनैतिकता को प्रोत्साहन मिलता रहता है।

नैतिक अभियान के सामने आने वाली कठिनाइयों की रींने सक्षेप में चर्चा की है। विस्तार में जाएं तो अनगिन कठिनाइयाँ हैं। इन कठिनाइयों के कारण किसी भी नैतिक अभियान के तत्काल व सोलह आना सफल होने की आशा कम की जा सकती है।

बल-प्रयोग और हृदय-परिवर्तन

सत्ता के बल पर किये जाने वाले अभियान भी कठिनाइयों व विफलताओं में मुक्त नहीं होते तब हृदय-परिवर्तन के आधार पर चलने वाले अभियान कम तत्काल सफल हो सकते हैं।

आप पूछ सकते हैं कि फिर ऐसे अभियान क्यों चलाये जाए, जो तत्काल और पूर्णतः सफल नहीं होते ?

तात्कालिक परिणाम की आशा सत्ता से की जा सकती है। पर उसकी कठिनाई यह है कि जैसे-जैसे समय बीतता है उसके परिणाम शिथिल होते जाते हैं।

हृदय को प्रभावित करने वाले अभियानों का तात्कालिक परिणाम दिखाई नहीं देता। पर जैसे-जैसे समय बीतता है वैसे-वैसे उनके परिणाम विकासशील और सुदृढ़ होते जाते हैं। कोई भी समझदार आदमी तात्कालिक परिणाम के लिए दीर्घकालिक परिणाम की उपेक्षा नहीं कर सकता।

भावी कार्यक्रम का आधार

हिंसा, सग्रह और अनैतिक मूल्यों के प्रति जिस वेग से आस्था बढ़ रही है, उसी वेग से यदि नैतिक अभियान ने काम नहीं किया तो क्या दीर्घकालीन परिणाम की आशा की जा सकती है ? यह प्रश्न बड़ी तत्परता से पूछा जाता है। किन्तु इसका उत्तर उतनी तत्परता से नहीं दिया जा सकता।

आज अधिकांश लोग अपने-अपने स्वार्थ की सिद्धि में सलग्न हैं। स्वार्थसिद्धि को बुरा भी नहीं कहा जा सकता। किन्तु दूसरों के स्वार्थों को विघटित कर अपना स्वार्थ साधना निश्चित ही बुरा है और बहुत बुरा है। समाज में इस बुराई के प्रति घृणा उत्पन्न हुए बिना नैतिकता के भाग्य के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।

मैं नैतिकता को व्यवस्थाओं व विधि-विधानों के साथ नहीं करता। मैं उसे व्यक्ति-व्यक्ति के हृदय की अच्छाई के साथ जोड़ता हूँ। जो व्यक्ति अपना हित साधने के लिए दूसरों का विघटन नहीं करता, दूसरों के प्रति क्रूर व्यवहार और विश्वासघात नहीं करता, उसे मैं नैतिक आदमी मानता हूँ।

अणुव्रत अभियान सस्कार-निर्माण का अभियान है। एक आदमी सकरी पगडंडी द्वारा पहाड़ पर सीधा चढ़ सकता है। पर हजारों-हजारों लोग और वाहन वैसे नहीं चढ़ सकते। सड़क बनाने में समय लगता है पर उसके बनने पर एक बच्चा भी पहाड़ की चोटी तक पहुँच सकता है। हमें निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। सफलता की उतावली में यथार्थ को नहीं भुला देना चाहिए। मैं यह चाहता हूँ कि अभियान के प्रयत्न तीव्र हो, सघन हो और व्यवस्थित हो।

मद अग्नि से पानी गर्म नहीं होता। अग्नि में पर्याप्त ईंधन डालने पर ही पानी गरम हो सकता है।

पाच-पाच हाथ के पचासो गड्ढे खोदने पर भी जल नहीं निकलता। यदि पचास हाथ का एक ही गड्ढा खोदा जाता है तो जल निकल आता है।

इधर-उधर बिखरी ईंटो से मकान नहीं बनता। मकान बनाने के लिए उन्हें व्यवस्थित ढग से जचाना होता है। अणुव्रत अभियान का भावी कार्यक्रम इन्हीं तत्त्वो पर आधारित होना चाहिए।

१. अभियान को तीव्र करने के लिए जनता तक पहुचना व उसे नैतिकता से होने वाले लाभ समझाना जरूरी है। 'तुम्हे नैतिक बनना चाहिए'—यह उपदेश है। इससे बहुत सफलता की आशा नहीं की जा सकती।

आप नैतिकता और अनैतिकता के परिणामो का विश्लेषण कीजिए। जनता किस ओर आकृष्ट होती है, यह उसी पर छोड़ दीजिए। यदि आपकी शैली समर्थ है और आप उसके हृदय तक पहुच सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि वह नैतिकता के लाभ से प्रभावित न हो। सूत्र की भाषा में नैतिकता का उपदेश उस (नैतिकता) के विकास का मद प्रयत्न है और नैतिकता का प्रशिक्षण उसके विकास का तीव्र प्रयत्न है।

यह प्रसन्नता की बात है कि नैतिक शिक्षण की ओर केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारो का ध्यान आकृष्ट हुआ है। अणुव्रत-आन्दोलन को इस कार्य में अपनी शक्ति का नियोजन करना चाहिए और नैतिक शिक्षा के कार्यक्रम को प्राथमिकता देनी चाहिए।

२ नैतिक जीवन जीना चाहिए, यह शुभ सकल्प है। जिस आदमी में थोड़ी-सी भी सत् की मात्रा है, वह सकल्प को स्वीकार करना चाहेगा। किन्तु नैतिक जीवन जीने में आने वाली कठिनाइयो को पार करने का मार्ग न सूझे तब आदमी नैतिक मार्ग से दूर हट जाता है।

इस स्थिति में क्या अणुव्रत समिति का यह कर्तव्य नहीं होता कि वह नैतिक जीवन जीने के प्रयोग प्रस्तुत करे?

एक शिक्षक, राज्य कर्मचारी और व्यापारी नैतिक आचरण करने हुए अपना जीवन अच्छे ढग से कैसे चला सकता है, इसके प्रयोग प्रस्तुत किये जाए तो नैतिक विकास में बहुत योग मिल सकता है।

अणुव्रत का मार्ग यह नहीं है कि नैतिक बनने के लिए काम छोड़ दिए जाए। काम छोड़ देने पर नैतिक और अनैतिक बनने का प्रश्न नहीं उठता। अपना काम करते हुए आदमी अनैतिक आचरण न करे—बस यही अणुव्रत का ध्येय है। इस ध्येय की पूर्ति के लिए विकल्पो की खोज करना और उनका प्रयोग जनता के सामने प्रस्तुत करना अणुव्रत समिति का काम है। नैतिकता की प्रतिष्ठा को वाचिक प्रयत्नो से ही नहीं हो सकती। उसके लिए सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में प्रायोगिक कार्य करना जरूरी होता है।

भगवान् ऋषभ जब राजा थे तब उन्होंने प्रजाहित के लिए असि, मसि और कृषि का प्रवर्तन किया। एक आचार्य के मन में यह प्रश्न पैदा हुआ कि कृषि आदि में हिंसा है, फिर भगवान् ऋषभ ने उनका प्रवर्तन कैसे किया? इस प्रश्न का समाधान भी उन्होंने किया है। उनका कहना है कि उस समय प्राकृतिक खाद्य का अभाव ही रहा था। उसके कारण लोग चोरी और छीना-झपटी करने लग गये थे। भगवान् ऋषभ ने चोरी छुड़ाने के लिए जनता को कृषि आदि का प्रशिक्षण दिया।

जीविका के अप्रामाणिक तरीके के सामने यदि प्रामाणिक तरीके प्रस्तुत न किए जाए तो नैतिक विकास की आशा आत्मविश्वास के साथ नहीं की जा सकती।

अणुव्रत का मुख्य कार्य सस्कार-निर्माण है। इसलिए उसका मुख्य कार्यक्षेत्र शिक्षा-जगत् होना चाहिए। सस्कार-निर्माण के क्षेत्र में शिक्षक जितना काम कर सकते हैं, उतना अन्य लोग नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि इस कार्य में शिक्षकों का अधिक से अधिक योग प्राप्त किया जाए।

त्याग और नैतिक चेतना

भोग और स्वार्थ चेतना प्रकृति में जागृत रहती है। इसलिए मनुष्य अपनी सुख-सुविधा के लिए निरन्तर दौड़ रहा है। उसमें त्याग और नैतिक चेतना जगानी होती है। अणुव्रत ने इस दिशा में एक प्रेरणा का सूत्रपात किया है। हम यह दावा नहीं कर सकते कि सारी दुनिया में इस प्रकार की चेतना को जगा देंगे। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि मुझे इस काम में सबका हित लगता है। इसलिए मैं और मेरे सहयोगी इस क्षेत्र में काम करते हैं। क्या, कितना होगा, इसका भार उठाना हमारे लिए संभव नहीं है।

क्या स्वार्थ चेतना समाप्त हो जायेगी? क्या मनुष्य कभी पूरा नैतिक बन जायेगा? ऐसे प्रश्नों में उलझे बिना हमारा काम इतना ही है कि हम स्वार्थ चेतना के विरोध में नैतिक चेतना के जागरण का अभियान निरन्तर चालू रखें।

मैं समस्या के स्थायी समाधान में कभी विश्वास नहीं करता। सूर्य प्रतिदिन प्रकाश देता है और अधकार को हरता है। मनुष्य का मनुष्यत्व इसी में है कि वह समस्याओं के सामने समाधान की लौ जलाता रहे।

मेरी दृष्टि में समस्याओं का यही स्थायी समाधान है। चिन्तन की इसी भूमिका के आधार पर हमने अणुव्रत का काम किया है और करते रहेंगे।

(उन्नीसवा अखिल भारतीय अणुव्रत सम्मेलन, मद्रास)

जैन मुनि की आचार-परंपरा : एक सुलगता हुआ सवाल

दीक्षा क्या है ?

दीक्षा वह संस्कार है, जो जीवन को रूपान्तरित करता है और व्यक्ति को बंध मुक्ति की दिशा में अग्रसर करता है। उसके अनेक प्रकार हैं। जैसे—मंत्र-दीक्षा, सम्यक्त्व-दीक्षा, व्रत-दीक्षा, मुमुक्षु-दीक्षा, समण-दीक्षा, मुनि-दीक्षा, जिनकल्प दीक्षा, वीतराग-दीक्षा आदि।

मंत्र-दीक्षा बच्चों को दी जाती है। इससे जैन धर्म के मूलमंत्र नमस्कार महामंत्र के प्रति आस्थाभाव जागृत होता है और धार्मिक जीवन का न्यूनतम अनुष्ठान शुरू हो जाता है। सम्यक्त्व-दीक्षा उन सबके लिए है, जो अपनी धार्मिक आस्था को केन्द्रित कर देव, गुरु और धर्म की पहचान बनाना चाहते हैं। व्रत-दीक्षा श्रावकत्व की विशिष्ट भूमिका है। इसमें भगवान् महावीर द्वारा निरूपित चार व्रतों के आचरण का सकल्प स्वीकार किया जाता है। मुमुक्षु-दीक्षा उन भार्गवहनों के लिए है, जो संसार से विरक्त हो और अपने परीक्षण काल को साधना और शिक्षा के अभ्यास में बिताना चाहते हों। यह दीक्षा स्वीकार करने वालों को पारमार्थिक शिक्षण संस्था में रहना होता है। समण-दीक्षा गृहस्थ और मुनि के बीच की एक श्रेणी है। इसमें गृहस्थ जीवन छूट जाता है, पारिवारिक रिश्ते टूट जाते हैं और साधना का विशेष क्रम लागू होता है, किन्तु मुनि जीवन की मर्यादाओं में कुछ छूट रहती है। मुनि-दीक्षा में सब प्रकार की मपाप प्रवृत्तियों का प्रत्याख्यान किया जाता है। मुनि बनने के बाद भी कुछ दीक्षाएँ, जिनका साधन साधना के विशिष्ट प्रयोगों से है। अहालदक मुनि अप्रमाद की साधना करने हैं। जिनकल्प मुनि कठोर अभिग्रह और तप स्वीकार करने हैं। मुनि दीक्षा में आखिरी श्रेणी वीतराग दीक्षा है। इसमें यथान्याय चारित्र्य की उपलब्धि होती है, राग-द्वेष की ग्रथिया खुल जाती हैं और सिद्धि का प्रमाण-यत्र मिल जाता है।

समण-दीक्षा एक नया प्रयोग

इन सब दीक्षाओं में समण-दीक्षा भी एक विशिष्ट दीक्षा है। यह हमारी स्वोपज्ञ दीक्षा है और सबसे पहले हमने इस दीक्षा को विलक्षण दीक्षा की संज्ञा दी थी। हमारे पूर्वजों द्वारा खींची हुई लकीरों से हटकर एक नया प्रयोग होने के कारण इस दीक्षा की विलक्षणता स्वतः सिद्ध है। यह एक सुचिन्तित और सोद्देश्य चिन्तित प्रयोग है। इसलिए इसकी सीमाओं और सभावनाओं को लेकर हमारे मन में किसी प्रकार का ऊहापोह नहीं है।

कुछ मुनि ऊपर से नीचे की ओर

आज अनेक मुनि ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। वे ऊर्ध्वगमन से अधोगमन कर रहे हैं। कुछ मुनि कहते हैं—मुनियों के लिए पदयात्रा बहुत कष्टप्रद हो रही है, इसलिए यान-वाहन का प्रयोग होना चाहिए। इससे समय का अधिक उपयोग होगा और दुविधाएं दूर होंगी। कुछ मुनियों का अभिमत है—केशलुचन की परम्परा युगानुकूल नहीं है, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। कुछ मुनि भिक्षा-विधि को असामयिक करार दे रहे हैं। कुछ मुनि ज्योतिष का सहारा लेकर अपनी आजीविका का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। वे हस्तरेखा देखते हैं, कुण्डली बनाते हैं, यहां तक कि महिलाओं और लड़कियों के हाथ देखकर उनको भविष्य बतलाते हैं। भौतिक सिद्धि के लिए मंत्र के प्रयोग, टोने-टोटके आदि बताने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कुछ मुनि जब चाहा मुख-वस्त्रिका लगा लेते हैं और जब चाहा खोल लेते हैं। समाज में पूजा पाना अथवा भिक्षा और अन्य सुविधाएं जुटाना, इससे अधिक मुख-वस्त्रिका का कोई उपयोग उनकी दृष्टि में है, ऐसा महसूस नहीं होता। कुछ मुनि साधुत्व की सब सीमाओं का अतिक्रमण कर कुछ भी कर लेने में सकोच का अनुभव नहीं करते।

सुविधावाद पर अकुश लगाना जरूरी

साधु-वेश की इस विडम्बना को देखकर मन एक साथ ही चिन्ता और पीडा से भर जाता है। उस पर भी आश्चर्य यह है कि जैन मुनि की आचार-परम्परा को उलटने वाले इस वर्ग पर समाज में कोई अगुली उठाने वाला भी नहीं है। इस क्रम को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि स्थिति और अधिक बदतर होती जाएगी। समय का तकाजा है कि इन मुद्दों पर गभीरतापूर्वक विचार हो और साधु-समाज की महत्वाकांक्षा एवं सुविधावादिता अपना मार्ग बदलकर साधुता का मूल्य प्रतिष्ठित करे।

परपरा-परिवर्तन का यह जो क्रम चल रहा है, युगधारा की ओट में सुविधावाद का नया प्रयोग है। एक अपवाद-सेवन के बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा और फिर चौथा, इस प्रकार एक शृंखला आगे बढ़ रही है। अपवाद-नेव की बात भी तब आती है, जब कोई विशेष परिस्थिति सामने हो। अकारण नयी-नयी सुविधाओं का उपयोग और उसके विरोध में कभी कोई आवाज उठाने वाला नहीं। इससे उन लोगों को निरकुश मनमानी करने का मौका मिलता है।

व्यवस्थित आचार संहिता

जैन मुनियों की आचार परंपरा जितनी प्राचीन है, उतनी ही सुचिन्तित और व्यवस्थित है। इसे व्यवस्थित करने में हमारे पूर्वजों का कितना समय और श्रम लगा होगा। आज तक इस आचार-संहिता को जीने वाले जैन मुनियों के प्रति समाज में घनीभूत आस्था और समादर की भावना रही है। कुछ स्वच्छन्द व्यक्तियों द्वारा इस परंपरा को तोड़ने का प्रयत्न जैन दर्शन और संस्कृति के प्रति गहरी होती हुई आस्था को कमजोर बनाने का प्रयत्न है।

यह जो स्वेच्छाचार का क्रम चल रहा है, कोई भी तटस्थ आनोन्क इन आचार-शैथिल्य का पोषक और स्वच्छन्दता को प्रवाहित करने का मार्ग कहे बिना नहीं रह सकता। क्योंकि इसमें अध्यात्म, धर्म या परमार्थ सब गौण हो जाते हैं। केवल लोक-संग्रह, आत्म-श्लाघा और सस्ती वाहवाही के लिए किए जाने वाले कोई उपक्रम क्या जैनत्व के गौरव को सुरक्षित रख सकेंगे ?

सुविधावादियों का अहिंसात्मक प्रतिरोध

यह प्रश्न किसी एक व्यक्ति या सम्प्रदाय का नहीं, समूचे जैन समाज का है। सुविधावादी मूल्यों के सहारे जीने वाले लोग कुछ भी सोचें, किन्तु जैनत्व में मौलिकता या उसकी तेजस्विता को बचाने के लिए जैन समाज को सघर्ष के लिए कटिबद्ध रहना होगा। एक अहिंसात्मक सघर्ष, जो किसी व्यक्ति विशेष के प्रति रोष और आक्रोश के भाव को जन्म दिए बिना उक्त सुविधावादियों को अभाव घोषित करे और उसके विरोध में सशक्त आवाज उठाए ताकि हमारी हजारों वर्षों की गौरवमयी सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रह सके।

युग-बोध के सन्दर्भ में जैन मुनियों की आचार-परंपरा पर गंभीर अध्ययन किया जाए तो कुछ परंपराओं में परिवर्तन की अपेक्षा अनुभव हो सकती है। परिवर्तन से हमारा विरोध भी नहीं है। पर उसका कोई रास्ता तो होना चाहिए। हमारे अभिमत से जैनों की एक सर्वमान्य उपमिति हो, जिसमें आचार-सिद्ध

बहुश्रुत और सघमान्य व्यक्तियों का वर्चस्व हो। वे सब मिलकर कुछ नीतियों का निर्धारण करे और आगमानुमोदित परिवर्तन की बात सुझाए। आगमसोची सूझ-बूझ, अनाग्रही और निरपेक्ष चिन्तन से प्रसूत उनके निर्णयों को जैन-सघ मान्य करे, यह एक व्यावहारिक रास्ता है। इससे जैन सम्प्रदायों के बीच तादात्म्य भाव भी बढ़ सकता है।

समण श्रेणी में कुछ बातों की छूट

समण श्रेणी की स्थापना करते समय हमारे मस्तिष्क में ये सभी बातें थीं। इसमें जैन मुनि की आचार सम्बन्धी कुछ बातों की सहज छूट रखी गई है, किन्तु वह लोकरंजन और लोकसंग्रह के लिए नहीं है। इस श्रेणी में दीक्षित होने वालों के सामने कुछ विशेष बिन्दु हैं, जिन पर केन्द्रित रहकर उन्हें अपनी यात्रा करनी है। कुछ बिन्दु ये हैं :

- अध्यात्म साधना
- उच्चस्तर का अध्ययन
- जैनत्व के प्रति आस्था का सुदृढीकरण
- जैन शासन की प्रभावना

यहां प्रश्न उठ सकता है कि जैन मुनियों की आचार-परंपरा में परिवर्तन करने वालों का भी तो यही लक्ष्य हो सकता है। लक्ष्य यही होता होगा, किन्तु दिशा और साधन-सामग्री भी लक्ष्य के अनुरूप ही हों, तब सफलता मिलती है। मुनि बनने के बाद स्वीकृत व्रतों को शिथिल करना ऊपर से नीचे जाने का मार्ग है। उसी वेश और परिवेश में स्वेच्छाचारिता को अपनाया आत्मवचना का मार्ग है।

समण श्रेणी ऊपर से नीचे आने का नहीं, नीचे से ऊपर जाने का रास्ता है। यह गृहस्थ जीवन को छोड़कर सन्यास की ओर अभिगमन है। इसमें साधना, सेवा, शिक्षा, यात्रा आदि की दृष्टि से जो उपक्रम हैं, वे वैयक्तिक साधना के साथ धर्मसंघ और समाज के लिए भी विशेष उपयोगी हैं।

पिछले वर्ष दो समणियां लन्दन की यात्रा पर गई थीं। उन्होंने वहां सात सप्ताह बिताए। अपने प्रवासकाल में उन्होंने वहां के गुजराती जैन लोगों से संपर्क किया। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा—'जैन मुनि यहां आते हैं। वे अपने समय और साधना की बात को भूलकर पैसा बटोरने में लग जाते हैं। उनका यह काम हमें विलकुल पसन्द नहीं है। आपका क्रम बहुत अच्छा है। न आप नियमों को तोड़ते हैं और न पैसा बटोरते हैं।' ऐसे माध्यम ही यहां जैन धर्म के वर्चस्व को उजागर कर सकते हैं। गुजराती लोगों के इस कथन में एक टीस है,

पीड़ा है, जो हमें आगाह करती है कि किसी भी स्थिति में जैन मुनियों की छवि को धूमिल नहीं होने देना है।

समण-दीक्षा : समय की मांग

समण-दीक्षा समय की मांग है। इसलिए प्रायः सब लोगों ने हमको पसन्द किया है। इसका भविष्य उज्ज्वल है। फिर भी इसे लेकर समाज में कुछ आशकाएँ हैं। उन आशकाओं का कोई घरातल हो या नहीं, फिर भी मैं उन्हें अन्याय नहीं मानता। क्योंकि किसी भी नयी प्रवृत्ति पर समाज में ऊहापोह होता है, वह उसकी जीवंतता और जागरूकता का सूचक है।

समण श्रेणी में दीक्षित होने वाली बहनों पर भी यह जिम्मेदारी है कि वे अपनी श्रेणी की मौलिकता और उज्ज्वलता को सुरक्षित रखती हुई अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें। इसके लिए उन्हें अहंकार-विजय और ममकार-विजय की साधना करनी होगी। यह भारतीय सस्कृति और जैन सस्कृति का बहुत बड़ा आदर्श है। इस आदर्श को आत्मसात कर ये हमारे देश में ही नहीं, देश से बाहर पहुँचकर भी धर्म की प्रभावना में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकेंगी। इसकी भावी सभावनाओं से भी मैं आश्वस्त हूँ। वे सभावनाएँ जितनी जल्दी उजागर होंगी, समण श्रेणी की उपयोगिता उतनी ही अधिक बढ़ेगी।

युवा पीढ़ी का दायित्व

पिता ने अपने पुत्रों को अपने पास बुलाया और स्नेह भरे शब्दों में कहा—हमारा यह हरा-भरा बगीचा फलों और फूलों से महकता हुआ, रंग-बिरंगे पक्षियों से चहकता हुआ, हर मौसम में जिसका पत्ता-पत्ता नाचता हुआ, थके-मादे-हारे पथिकों के लिए एक विश्वसनीय सहारा—ऐसा है हमारा यह बगीचा, जिसको मेरे प्रपितामह ने अपने हाथों से लगाया, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए जी तोड़कर मेहनत की, ठिठुरती सर्दों, चिलचिलाती धूप, बर्फीली हवाएँ और मूसलाधार वर्षा, इन सबकी परवाह नहीं करते हुए जिन्होंने एक-एक बीज को देख-परखकर अपने हाथों से बोया, अपने खून-पसीने से सींचा, सुरक्षा के लिए चारों ओर बड़ा प्रवध किया और जब माटी को फूटते हुए देखा अकुर के रूप में तब इस बगीचे को सौंप दिया मेरे पितामह के हाथों में, पूरी सतर्कता से इसकी देखभाल करने के लिए।

मेरे पितामह ने उसी मेहनत और लगन से इस बगीचे की सार-सभाल की, व्यवस्थित क्यारिया बनाई, आवारा जानवरों से इसे बचाया, सुरक्षा-व्यवस्था की और कड़ा किया, प्यार और ममता भरे हाथों से सींचा, अपना सोना, उठना, बैठना, खाना-पीना सब इन्हीं पेड़-पत्तों-पौधों के बीच किया, इनके दुःख में अपना दुःख और सुख में अपना सुख माना, अपना पूरा जीवन इन्हीं के बीच जिया, और जब ये अकुर अपने जीवन में आने लगे, पेड़-पौधों के रूप में आकार लेने लगे तब सौंप दिया इस पेड़-पौधों भरे बगीचे को मेरे पिता के हाथों में, इसकी परवरिश के साथ-साथ इसके फलों और फूलों का आनन्द लूटने के लिए।

मेरे पिता ने अपने पूर्वजों की तरह इमका लालन-पालन किया। इसमें विविध प्रकार के नये पेड़-पौधे लगाए, इसकी सीमा को धीरे-धीरे विस्तार दिया, इसके फलों और फूलों की महक से आसपास के चेतन-जगत् को आकृष्ट किया, इसकी बढ़ती हुई महक और चमक से वहकने वाले विरोधियों का उठकर सामना किया, अपनी तपस्या-साधना और वलिदान से इसके एक भी पेड़ पर, एक भी

पौधे पर, एक भी फूल, फल और पत्ते पर आच नहीं आने दी। और फिर एक दिन सौंप दिया इसका दायित्व मेरे कंधे पर, इसको सौ गुना विस्तार देने के लिए।

मुझे तो मिला यह चमन भरा-पूरा, फलो और फूलो से लदा हुआ, वासन्ती हवाओ मे लहराता हुआ। मुझे जो करना था वह यह कि इसके फूलो की मदमाती सुगंध का आनन्द मैं तो लू ही किन्तु ऐसी व्यवस्था भी करू जिससे अधिकसे-अधिक जन-समुदाय भी इसका आनन्द ले सके। इसके मधुर-मधुर फलो का रसास्वादन मैं तो करू ही, किन्तु यह भी व्यवस्था करू जिससे अधिक से अधिक मानव-समुदाय इसका रसास्वादन कर सके। इसके पेड़-पौधो की शीतल छाह मे मैं तो सुख की नीद सोऊ ही, किन्तु ऐसी व्यवस्था भी करू जिससे अधिक से अधिक प्राणी-समुदाय इसकी छाह मे सुख की नीद सो सके। इसके साथ ही मैं इसमे फनो और फूलो के नये-नये प्रयोग करू जो मानव-समुदाय को अधिक तृप्ति दे सके, अधिक आनन्द दे सके, एक शान्तमय और समाधिपूर्ण जीवन जीने का मार्ग प्रस्तुत कर सकें। फिर ज्यो-ज्यो इसकी सीमाएं बढ़ती गई, इसके विरोधी भी बढ़ते गये। आवारा जानवर भी जहा-तहा से भीतर घुसने की कोशिश करने लगे। नये-नये प्रयोगो से घर के कुछ लोग विदकने लगे। उन सब विरोधो और अवरोधो का सामना करते हुए मुझे जो भी करना था, किया। मुझे जो सत्य लगा, मैंने उमके लिए बड़े-मे-बडा सघर्ष भी किया। मुझे जो गलत लगा, बडे मे बडे समर्थन के बाद भी मैंने उसे उखाड़ फेंका। मैंने समस्त मानव जाति को मामने रखते हुए सकीर्ण सीमाओ का परित्याग किया। किन्तु इसके साथ ही उमकी गरिमा और महिमा पर, इसके आदर्श और सिद्धांतो पर, इसकी गौरवमयी परम्परा और उज्ज्वल इतिहास पर सदा सतर्क नजर भी रखी।

यह है हमारे इम उपवन की मक्षिप्त कहानी, जिस कहानी को इम नमन के जर्न-जर्न से उसकी ही ज्वानी सुना जा सकता है। और आज जो मैंने तुम सबको, मेरी लाडली सतानो को, मेरे योग्य युवा-उत्तराधिकारियो को यहा आमंत्रित किया है इसके पीछे एक ही कारण है। मैंने जिस व्यापक स्तर पर उम उपवन को विस्तार दिया है, उसके सरक्षण के लिए अब तुमको भी जागृत करना है। मैंने जिस वैज्ञानिक स्तर पर नये-नये प्रयोग आरभ किये हैं, उनके मवहन के लिए तुमको भी मेरा सहभागी बनना है। इसकी पवित्र गौरवमयी परम्परा को गो गुना विस्तार देने के लिए तुमको अपने वलिदान के लिए तैयारी करना है। वन, यरी मुझे तुम लोगो से कहना है।

तुम सोच रहे होगे, हम बिलकुल तैयार हैं इसके लिए। लेकिन हमें करना क्या है? मैं तुमसे कहता हूँ तुमको केवल इतना ही करना है कि तुम्हारा हर चिन्तन, तुम्हारी हर प्रवृत्ति, तुम्हारी हर प्रतिभा, तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी

शक्ति और सामर्थ्य और तुम्हारी हर सास इस भुवन को सीचने के लिए और तुम्हारी सुरक्षा के लिए सम्पूर्ण रूप से समर्पित रहे। तुम्हारा ऐसा कोई चिन्तन नहीं होगा, जिससे इसकी गरिमा पर आच आए, तुम्हारा ऐसा कोई कार्य नहीं होगा, जो आवारा जानवरो को भीतर घुसने में सहयोगी बनता हो। तुम्हारा ऐसा कोई कदम नहीं होगा जो इस उपवन की छोटी-सी कली को भी कुचलने वाला हो। फिर जो भी व्यक्ति इस चमन को टेढ़ी नजर से देखता है, उसका करारा उत्तर दिया जाए। जो भी इसके पेड़-पौधों को कुचलना चाहता है, उसे कुचल दिया जाए। कुचलने से मेरा मतलब तुम समझ गए होगे, उसे निरस्त और दया का पात्र बना दिया जाए। जो भी आवारा जानवर भीतर घुसने की चेष्टा करे, उनका सस्ती से मुकाबला किया जाए। इसकी सुरक्षा को और अधिक कडा किया जाए और बाहरी दुश्मनों से इसकी पूरी तरह रक्षा की जाए।

इसके साथ ही उपवन की आंतरिक सुरक्षा और समृद्धि की जिम्मेदारी भी तुम लोगो पर है। इन गुलाब के पौधों के आसपास कुछ कटीली झाड़िया भी उग आयी है, उन्हें काटकर दूर फेंकना है। इन आम्र-कुजों के आस-पास कुछ धतूरे भी उग आए हैं, उन्हें साफ करना है। इन मधुर फलों वाले वृक्षों पर कुछ विष-वल्लरिया चढ़ने की कोशिश में है, उन्हें उखाड़ फेंकना है। कुछ पेड़ों की शाखाएँ इस तरह बढ़ गई हैं कि आने-जाने वाले राहियों-जनों को बहुत खतरा है, उन्हें भी काटकर काम में लेना है। कुछ फूल और कलियाँ अपने सौन्दर्य का विज्ञापन करने के लिए उपवन की सम-रसता, सम-लयता और सम-श्रेणी को नष्ट कर रहे हैं, उन्हें काटना-छाटना है। इसके रास्तों को साफ करना है। इसके पहरेदारों को सावधान करना है। जो पहरेदार दुश्मनों से मिले हैं उन पर कड़ी नजर रखना है।

किन्तु हमें हमारी सीमाओं को विस्तार देते जाना है। जो भी इस चमन के फूलों की सुवास से अपने को सुवासित करना चाहे, जो भी इसके फलों का रसास्वादन कर अपने को तृप्त करना चाहे, जो इसके शतशाखी पेड़ों के नीचे बैठकर सुस्ताना चाहे और जो भी इसकी मजबूत शाखाओं पर झूले डालकर क्रीडा करना चाहे, हमें उसे बिना किसी जाति, लिंग, रंग और सांप्रदायिक भेदभाव के स्थान देना है, अवकाश देना है और देना है हृदय का प्यार और मंगलभरी कामनाएँ। किन्तु इन सबके साथ ही हमारी सतर्कता और सावधानी में कोई प्रमाद न आए, इसका अवश्य ध्यान देना है।

अन्त में, पिता ने अपने वक्तव्य का उपसंहार करते हुए कहा—इस उपवन की मुसकान ही हमारी मुसकान है। इसके आसू ही हमारे आसू हैं। इसका सुख ही हमारा सुख है। इसका दुःख ही हमारा दुःख है। इसका हर श्वास, इसकी हर घडकन और इसका हर स्पदन, यही हमारा जीवन है। आओ, हम इसकी

गोद में बैठकर नाचे, गाएं, खुशिया मनाए, आनन्द और चैन की वशी बजाए अपने तन से, मन से, धन से, प्रतिभापूर्ण चिन्तन से और अपने समग्र जीवन में इसके गौरवपूर्ण इतिहास में नये स्वर्णिम अध्याय जोड़े और इसके लिए अपने-अपने दायित्वों को पूरा करने में सजग प्रहरी की भाँति जुट जाए।

प्रकृति की गोद में बसे दूधालेश्वर महादेव के प्रागण में शिविर में भाग लेने वाले युवक बन्धुओं ! आपने चाहा है मैं युवा पीढ़ी के उत्तरदायित्व के बारे में कुछ कहूँ। लेकिन इस छोटी-सी कथा के साथ ही मैं अपना वक्तव्य सम्पन्न करता हूँ। मुझे इसके सिवा आपसे और कुछ नहीं कहना है। तेरापथ का यह सुरम्य उपवन आपका, मेरा, सबका है। हम अपने-अपने दायित्वों को समझे और उसे पूरा करने में प्राणपण से जुट जाएँ। वस, इसी भावना के साथ मैं शिविर का शुभारंभ करता हूँ।

अहिंसा का सिद्धांत : श्रावक की भूमिका

अकसर मैं सुनता हूँ जैन धर्म की अहिंसा ने समाज को कायर बना दिया है। जैन धर्म अहिंसा की सूक्ष्मता में जाता है। वह पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति में भी जीव मानता है। छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े मारने में भी हिंसा मानता है। युद्ध लड़ने में भी हिंसा मानता है। शत्रु को मारना भी पाप मानता है। इस पाप-पाप की रट ने पूरे समाज को कायर बना दिया है। युवा पीढ़ी के मन में समाज की इस स्थिति पर आक्रोश और रोष है। कई बार भावावेश में आकर युवा वर्ग यह भी कह बैठता है—नहीं चाहिए हमें ऐसी अहिंसा और शान्ति जो समाज को दबू और कायर बनाती है।

समाज की वर्तमान अवस्था को देखकर युवा पीढ़ी के मन में आक्रोश और रोष होना स्वाभाविक है। युवा वर्ग ही क्यों, मैं कहता हूँ मुझे भी नहीं चाहिए ऐसी अहिंसा और शान्ति जो समाज को कायर बनाती है। युवकों के इस विचार से भी मैं सहमत हूँ कि उस अहिंसा की बातें बन्द होनी चाहिए, जो समाज को कायर और कमजोर बनाती है, किन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जैन धर्म की अहिंसा से ही समाज कायर और शक्तिहीन बना है।

यह सही है कि जैन धर्म पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि को भी सजीव मानता है। सजीव वस्तु का प्राण-हरण करना हिंसा है, पाप है। छोटे बड़े प्राणियों को मारना, युद्ध में लड़ना, शत्रुओं को मारना तथा अपने पोषण, संरक्षण और सर्वद्वन्द्वन के लिए की जाने वाली हिंसा हिंसा ही है। वह कभी अहिंसा नहीं हो सकती। वास्तव में प्रमाद हिंसा है। जहाँ कहीं भी, जिस किसी रूप में भी प्रमाद होता है, वह हिंसा है।

यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि इन सबमें हिंसा और पाप है तो क्या हम युद्ध नहीं लड़ें? शत्रु का सामना नहीं करें? उदर-पोषण के लिए पानी, वनस्पति आदि की हिंसा से बचकर भूखो मर जाएँ?

इन प्रश्नों को आप लोगों को अत्यन्त स्पष्टता से समझ लेना चाहिए। क्या

युद्ध में शत्रु को मारना भी हिंसा है, पाप है ? इसके उत्तर में मैं कहूँगा—
अध्यात्म के क्षेत्र में किसी को शत्रु मानना भी हिंसा है, पाप है। अहिंसा तो
परिधि में कोई शत्रु होता ही नहीं। वहाँ केवल प्रेम और मैत्री का साम्राज्य होता
है। सबके लिए समान रूप से खुला हुआ, सब पर प्रेम की समान धारा बरसता
हुआ। अहिंसा में आस्था रखने वाला यदि कोई कहता है वह मेरा शत्रु है, मेरी
समझ में उसकी अहिंसा अधूरी है। वहाँ अभी भी हृदय में सबके लिए समान प्रेम
का भाव नहीं। वहाँ अभी भी अपने और पराए का भेदभाव बना हुआ है। जब
किसी को शत्रु मानना ही हिंसा है, तब किसी को शत्रु मानकर मारना अहिंसा
कैसे हो सकती है ? इसी प्रकार अपने पोषण, संरक्षण और जीवन-धारण के लिए
की जाने वाली हिंसा भी अहिंसा कैसे हो सकती है ?

तो क्या जैन लोग युद्ध के मैदान छोड़कर भाग जाए ? मैदान छोड़कर
भागना कायरता है और कायरता हिंसा है। हिंसा और कायरता परस्पर एक-
दूसरे के अनुगामी हैं। वहाँ अहिंसा तो हो ही नहीं सकती जहाँ कायरता है।
अहिंसा वही है जहाँ अभय है। भय में अहिंसा की साधना असम्भव है। जहाँ
व्यक्ति युद्ध के मैदान छोड़कर भाग रहा होता है, समाज पर आई कठिन घड़ियों
के समय घरो में छिपकर अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहा होता है, वहाँ
वह भले ही स्थूल रूप से हिंसा से बच रहा हो किन्तु सूक्ष्मता से और गहरे में वह
हिंसक ही है। वहाँ हिंसा ही होती है, अहिंसा नहीं। कैसे हो सकती है वहाँ
अहिंसा जहाँ व्यक्ति प्राणों के व्यामोह से अपनी जान लुकाए फिरता है। वहाँ
कायरता है, भय है, मोह है, इसलिए हिंसा है।

गीता का अर्जुन युद्धभूमि में अपने ही लोगों को देखकर काप उठता है।
श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा—

‘हतो वा प्राप्यसे स्वर्गं
जितो वा भोक्ष्यसे महीम्’

—अर्जुन ! तू किसी बिना जहापोह और तरुण के युद्ध कर। युद्ध में यदि तू मारा
गया तो स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि युद्ध में शत्रु को मारना धर्म है। और यदि तू युद्ध
में जीत गया तो मुखपूर्वक पृथ्वी पर राज्य भोगेगा।

जैन तत्त्व-चिंतन इसमें भिन्न है। वह कहता है—धर्म की दृष्टि में युद्ध
सदा अवाञ्छनीय है। वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के प्रति, एक राष्ट्र की दूसरे
राष्ट्र के प्रति होने वाली घृणा की उपज है। जहाँ भी अपने स्वार्थ टक़राने हैं,
युद्ध के वादल उमटने-धुमडने लगते हैं। पड़ोसी भी उस समय दुश्मन बन जाता
है। दूसरे विचार को मानने वाला, दूसरे धर्म में आस्था रखने वाला, भिन्न जानि
भिन्न रंग और भिन्न सम्प्रदाय का व्यक्ति उस समय तक शत्रु बन जाता है।
भाई भी तलवार लेकर सामने खड़ा हो जाता है। महाभारत के युद्ध में आर्या

है कौन ? कौरव और पाण्डव ही तो है ? भाई-भाई ही तो है ? फिर भाई को दुश्मन बनाकर चाहे वह अनीति पर आरूढ हो, युद्ध में मारने से स्वर्ग मिलने की बात जैन चित्तन को स्वीकार नहीं है ।

मुझे लगता है आप लोग जरा उलझन में पड़ गए हैं । इधर मैं कह रहा हूँ किसी भी स्थिति में, किसी भी अनिवार्यता में किसी को मारना हिंसा है । उधर मैं यह भी कह रहा हूँ कि मैदान छोड़कर भाग जाना, घर में छिपकर बैठना हिंसा है । मारना भी हिंसा है और भागना भी हिंसा है । फिर अहिंसा क्या है ? कहा है ? इन दोनों के बीच में ही है अहिंसा, जहाँ न मारना है, न भागना है । व्यक्ति मारता इसलिए नहीं कि मारना हिंसा है । भागता इसलिए नहीं कि भागना हिंसा है । जहाँ वह सर्वथा अभय और निर्भय है, वहाँ है अहिंसा ।

हिंसा और अहिंसा की इस उलझन को मैं केवल चिन्तन के स्तर पर ही नहीं, सैद्धान्तिक स्तर पर सुलझाना चाहता हूँ । आगमों में जहाँ हिंसा का विश्लेषण है वहाँ आरम्भजा, विरोधजा और सकल्पजा हिंसा का उल्लेख है । आरम्भजा हिंसा का सम्बन्ध शरीर धारण की अनिवार्यता से है । कृषि, व्यापार तथा दैहिक अपेक्षा को पूरा करने के लिए पृथ्वी, पानी, वनस्पति आदि जीवों की हिंसा आरम्भजा हिंसा है । अपने प्रतिद्वन्द्वी के आक्रमण से बचने के लिए तथा सुरक्षा प्रतिशोध और आशका के आधार पर आक्रमण या प्रत्याक्रमण के रूप में जो हिंसा निष्पन्न होती है वह विरोधजा हिंसा है । इसका तीसरा रूप है—सकल्पजा हिंसा । बिना आधार, बिना प्रयोजन, 'मुझे इसका प्राण-वियोजन करना ही है' इम प्रकार सकल्पपूर्वक प्राण-वध का नाम सकल्पजा हिंसा है । सामान्यतः हिंसा के जितने निमित्त हैं इस त्रिवेणी में सन्निविष्ट हो गए हैं । सकल्पजा हिंसा किसी भी स्थिति में वाञ्छनीय नहीं है । जीवनयापन और दायित्व की दृष्टि से सामाजिक प्राणी को समाज की ओर से आरम्भजा और विरोधजा हिंसा की स्वीकृति प्राप्त है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि आरम्भजा और विरोधजा हिंसा हिंसा नहीं है । आवश्यकता और अनिवार्यता की स्थिति हिंसा को अहिंसा नहीं बना सकती ।

यहाँ जैन दृष्टि स्पष्ट है । उसका मूल आधार है सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन और सम्यक् चारित्र्य । जो जैसा है उसे वैसा ही मानना सम्यक् ज्ञान है । उस पर श्रद्धा होना सम्यक् दर्शन है और उसका आचरण करना सम्यक् चारित्र्य है । ज्ञान और दर्शन के अनुसार आचार पूर्ण सम्यक् न हो सके तो कम से कम ज्ञान और दृष्टि तो सही हो । व्यक्ति को यह तो पता हो कि उसकी मजिल कौन-सी है ? उसका सही रास्ता कौन-सा है ? सही मजिल और सही मार्ग का ज्ञान होने पर जब कभी गति होगी, सही ही होगी । कोई व्यक्ति सम्यक् ज्ञान के अभाव में जिस किसी मार्ग से चल रहा है, पर उसको सर्वथा सही मान लेना, यह मिथ्या ज्ञान होगा । जैन दर्शन का आग्रह यही है कि हम हिंसा को हिंसा मानें, फिर चाहे

किसी भी अनिवार्यता से गुजर रहे हो। अहिंसा को अहिंसा ही माने, फिर वही किसी भी विवशता से गुजर रहे हो। किसी भी अनिवार्य कारण की अनुपस्थिति में भी हिंसा हिंसा ही रहेगी, अहिंसा अहिंसा ही रहेगी। हिंसा और अहिंसा का कभी मेल नहीं हो सकता। अहिंसा का सही रूप वहाँ निखरता है जहाँ 'सर्वे पाणा ण हंतव्वा'। कोई भी प्राणी हनन करने योग्य नहीं है, यह सिद्धान्त व्यावहारिक रूप ले लेता है, शत्रुता का भाव समाप्त हो जाता है। आत्मोन्नति की भावना का विकास होता है और आतंककारी स्थिति का अन्त हो जाता है।

यह अहिंसा की पराकाष्ठा है। किन्तु साधारण आदमी की पहुँच इस पराकाष्ठा तक नहीं होती। वह या तो मारने की भाषा जानता है या भागने की। तीसरी भाषा उसकी समझ के बाहर है। इस स्थिति में जैन दर्शन का मार्गदर्शन करता है, यह मैं एक घटना से स्पष्ट करूँ। मैं समझता हूँ यह घटना न केवल जैन दर्शन की अहिंसा को ही स्पष्ट करेगी किन्तु अहिंसा के क्षेत्र में श्रावक की भूमिका को भी स्पष्ट करेगी।

एक समय की बात है, गुजरात का राजा यात्रा पर निकला। उसके राज्य की सीमाओं पर कोई सामरिक हलचल नहीं थी इसलिए वह निश्चिन्ता से अपने मित्र देशों का आतिथ्य स्वीकार कर रहा था। दिन बीतते गए, वह अपने देश से बहुत दूर चला गया। एक पड़ोसी राजा उसकी लोकप्रियता और निराक्रान्त राज्य-संचालन से जलने लगा। अवसर देखकर उसने चढाई कर दी। राज्य में खलबली मच गई। राजा बाहर है, सेना सुमज्जित नहीं है, शत्रु सेना ने चागे और घेरा डाल लिया है। बाहर से संचार-व्यवस्था भंग हो गई है। क्या करना चाहिए? सेनापति ने सबको आश्वस्त किया। उसने दृढ़ता से कहा— 'महाराज यहाँ उपस्थित नहीं हैं तो क्या हुआ, हम महारानी के निर्देश में काम करेंगे और शत्रु सेना को परास्त कर विजयश्री का वरण करेंगे।'

दूसरे ही दिन सेनापति ने पूरी तैयारी के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान कर दिया। अपराह्न तक वह युद्ध के मैदान में पहुँच गया। उस समय रात को युद्ध नहीं होता था। हवाई हमले भी नहीं होते थे इसलिए युद्ध-क्षेत्र में पहुँचने पर भी दूसरे दिन सूर्योदय होने तक युद्ध स्थगित था। सूर्यास्त होने तक मंत्रियों अपनी-अपनी छावनियों में पहुँच गए और शत्रु का हर मोर्चा तोड़ने के लिए विशेष योजना बनाने लगे।

सहसा सेनापति को कुछ याद आया और मंत्री की स्वीकृति लेकर वह सामायिक करने बैठा। उस दिन पक्ष का अन्तिम दिन था। सेनापति जैन श्रावक था। पक्ष के अन्तिम दिन प्रतिक्रमण करना जैन श्रावक का प्रमुख कार्य है। सेनापति युद्धक्षेत्र में भी अपने धार्मिक कार्यों के प्रति पूर्ण जागरूक था। उनमें छोटे-बड़े सब जीवों का नाम लेकर उनकी हिंसा न करने का नकल्य दोगराना।

अतीत में हुई अज्ञात भूलों के लिए प्रायश्चित्त किया और किसी भी प्राणी को मानसिक दृष्टि से भी सकलेश, पीडा पहुंचाने की सम्भावना से अपनी पापकारी प्रवृत्तियों की निन्दा की।

मन्त्री ने यह सब देखा और स्तब्ध रह गया। इस सेनापति के नेतृत्व में हम विजयी बन सकेंगे ? सबके सामने एक प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया। जो व्यक्ति एक चीटी को मारने में पाप समझता है, वह आदमी को कैसे मार सकेगा ? क्या ऐसा पाप-भीरु व्यक्ति युद्ध लड़ सकता है ? सेना के वरिष्ठ अधिकारी चिंतित हो गए। राजा की बिना अनुमति मुख्य सेनापति को उसके पद से हटाना और वह भी केवल अनुमान के आधार पर मन्त्री को उचित नहीं लगा। वह सेनापति से बात करने के लिए उत्सुक हो रहा था किन्तु सेनापति तो सामायिक में था। सामायिक पूरी होने पर वे लोग मिले और बातचीत के दौरान उनका सन्देह स्पष्ट हो गया। सेनापति ने उनके सन्देह का निराकरण कर दिया। फिर भी उनका विश्वास प्रकम्पित हो रहा था।

दूसरे दिन सूर्योदय के साथ ही युद्ध प्रारम्भ हुआ। सेनापति ने अपना कौशल दिखाया और शत्रु को पीछे खदेड़ दिया। कई दिनों तक युद्ध चला। स्थिति में उतार-चढ़ाव भी आए किन्तु अन्त में शत्रु-सेना ने हथियार डाल दिए। सेनानायक ने आत्म-समर्पण कर दिया और राजा अपने अन्तपुर में जाकर बैठ गया। युद्ध-विराम की घोषणा के साथ दोनों राज्यों की जनता ने शान्ति की सास ली। उधर विजयी सेनापति को सम्मान सहित नगर में लाया गया। युद्ध-स्थल में घटी विचित्र घटना की बात रानी तक भी पहुंची। उसने सेनापति को बुलाकर उसके प्रतिक्रमण का रहस्य जानना चाहा। सेनापति के चिंतन और आचरण के बीच समुत्पन्न द्वन्द्व का समाधान चाहा।

सेनापति ने जैन धर्म और दर्शन का विशद विवेचन करते हुए रानी को बताया—'यह तो आप जानती ही है कि मैं जैन हू। जैन दर्शन के सिद्धान्तों में मेरी गहरी आस्था है। जैन धर्म में साधु और श्रावक इन दो वर्गों का विभाजन है। मुनियों के लिए पांच महाव्रतों की सम्पूर्ण आराधना अनिवार्य है। अहिंसा उनका आदर्श है। वे किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देते। हमारा आदर्श भी अहिंसा है। हम भी इसकी पूर्ण आराधना करना चाहते हैं। किन्तु आप जानती हैं हम श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, हमें अपने जीवन का मोह है। परिवार और देश का मोह है। इसके लिए हम परिग्रह रखते हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं। ऐसा करना हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। इसलिए हमारे लिए अहिंसा की एक सीमा रेखा है कि हम चलने-फिरने वाले निर्दोष प्राणियों की सकल्पपूर्वक हिंसा न करें। यद्यपि हमारा लक्ष्य यही है कि हम पूर्ण रूप से हिंसामुक्त बनें, किन्तु जब तक समाज और देश के साथ हमारी प्रतिबद्धता है, हम अपने कर्तव्य से पराङ्मुख नहीं हो

सकते। एक निरपराध चीटी को सताकर हम प्रायश्चित्त के भागी बनते हैं, जबकि अपने आततायियों और आक्रान्ताओं के साथ युद्ध लड़कर हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं।

‘अब आप यह जानना चाहते हैं कि युद्ध में लड़ना अनिवार्य है वहाँ हिंसा ही अनिवार्यता है। ऐसी स्थिति में प्रतिक्रमण करना प्रतिक्रमण की विडम्बना नहीं है क्या? जिस समय मैं युद्ध में लड़ने गया, मैं स्वयं जानता था कि मुझे शत्रुओं में लड़ना है। महाराज जब यहाँ नहीं हैं तो मुझे विशेष जागरूक होकर लड़ना है, फिर भी मैंने प्रतिक्रमण किया। उस समय मेरे सामने एक ही चिन्तन था कि शत्रुओं के साथ-साथ निरपराध प्राणी की हत्या तो नहीं हो गई।’

आरम्भजा और विरोधजा हिंसा से मैं उपरत नहीं हो सकता पर सकल्पन हिंसा का अपराध तो नहीं हो गया। युद्ध की नीतियों का उल्लंघन तो नहीं हुआ गया वस, मेरे प्रतिक्रमण का यही रहस्य था।

अहिंसा के इस सूक्ष्म विवेचन से महारानी को नयी दृष्टि मिली। मत्स्य और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को भी जैन दर्शन के इस मौलिक चिन्तन विस्मय-विमुग्ध कर दिया।

मैं समझता हूँ यह घटना अहिंसा और श्रावक की भूमिका को काफी स्पष्ट करने वाली है। अहिंसा के सूक्ष्म और वैज्ञानिक चिन्तन की गहराइयों में गिरते-खड़े जैन दर्शन गया है वहाँ तक कोई भी दर्शन नहीं पहुँच पाया। फिर आज विज्ञान भी पृथ्वी, पानी, अग्नि, वनस्पति को सजीव मानने लगा है। आज विज्ञान भी जैन तत्त्व चिन्तन का समर्थन करने लगा है। किन्तु तत्त्व के मूल निरूपण के साथ-साथ जैन धर्म ने साधु और श्रावक की भूमिका को भी स्पष्ट किया है। उलझन तब ही जाती है जब हम उन भूमिकाओं को भुला देते हैं मैं सोचता हूँ इस घटना से काफी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। अपेक्षा यही है कि इन भूमिकाओं को समझे और अपनी दृष्टि को स्पष्ट करें।

श्रावक दृष्टि और अपरिग्रह

आज का विषय मैं एक छोटी-सी कथा से प्रारम्भ करूँ। एक था व्यापारी। समुद्र के रास्ते से व्यापार किया करता था। विज्ञान उस समय इतना विकसित था नहीं। छोटी-बड़ी नौकाओं द्वारा वह एक देश से दूसरे देश माल का आयात और निर्यात किया करता था। थोड़े ही दिनों में उसने लाखों रुपये कमा लिये।

एक बार उसके मित्रों ने उसे परामर्श दिया, 'आपका यह व्यापार बहुत जोखिम भरा है। पता नहीं कब समुद्र में तूफान आ जाए और कब नौका किसी चट्टान से टकरा जाए। इसलिए हमारा यह आग्रह है आप थोड़ा समय निकालकर तैरना सीख लीजिए। ऐसे सकट के समय में तैरना बहुत काम आता है।' व्यापारी ने कहा—'सुझाव तो बहुत सुन्दर है आपका। किन्तु पहले यह बताएँ तैरना सीखने में समय कितना लगेगा?' मित्रों ने कहा, 'कम से कम सात दिन तो लग ही जाएंगे।' 'सात दिन!' व्यापारी ने आश्चर्य से कहा, 'यह तो मेरे लिए बहुत ही कठिन है। आप जानते हैं सात दिनों में तो मैं लाखों रुपये का माल इधर से उधर और उधर से इधर कर देता हूँ। इस स्थिति में सात दिन का समय निकालना कैसे सम्भव हो सकता है? कोई दूसरा उपाय हो तो आप बताएँ।'

'दूसरा उपाय तो फिर यह हो सकता है—टीन के दो खाली पीपों का मुह बन्द कर आप अपने पास रखिए। सकट के समय आप उनको पकड़कर समुद्र में उतर जाएँ। जब तक वे पीपे आपके हाथ में रहेगें, आप डूबेंगे नहीं। तब तक आपकी रक्षा के लिए कोई न कोई सहायता तो पहुँच ही जाएगी।'

'यह उपाय सरल भी है और मेरे लिए सम्भव भी।' व्यापारी ने कहा। फिर उसने टीन के दो खाली पीपे मगवाए, उनका खूला मुह बन्द करवाया और जहाँ वह नौका में सोता-वैठता था वही पर उन पीपों को रखवा दिया। एक बार वह दूसरे देश में माल लादकर आ रहा था, समुद्र में अचानक भयंकर तूफान आ गया। लहरों के थपेड़ों से नाव डगमगा गई। मल्लाहों ने चिल्लाकर

कहा, 'नाव खतरे में फँस गई है। सब अपनी-अपनी रक्षा का प्रवन्ध कर लें। जो भी तैरना जानते थे उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दो। अब उस व्यापारी ने अपने मित्रों की राय याद आई। मन में सोचा, आज यदि तैरना सीखा हुआ होता तो मैं भी छलांग लगाकर अपनी जान बचा लेता।

तभी उसे खाली पीपों की याद आयी। उसने पीपों को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। उन पीपों के आस-पास टीन के कुछ और भी पीपे थे जिनमें सोना भरा था। व्यापारी ने सोचा, मित्रों ने पीपे पकड़कर उतरने की सलाह दी थी। अब मैं इन खाली पीपों को पकड़कर नीचे उतरूँ या इन दो भरे पीपों को पकड़कर, क्या फर्क पड़ता है? सारा सोना यो ही डूबने वाला है। कम-से-कम दो पीपों में सोना तो बच जाए। उसने सोने के विस्कुटों से भरे दो पीपे उठाये और समुद्र की उफनती हुई लहरों में उतर गया। नीचे उतरा कि सीधा गहराई में ही डूबना चला गया। खाली टीन के पीपे लेकर उतरता तो शायद वह न भी डूबता, किन्तु उन पीपों के कारण तो उसे डूबना ही पड़ा।

जैसे वह व्यापारी अन्तिम समय में सोने का मोह नहीं छोड़ सका, मुझे लगता है जैन समाज की भी परिग्रह और सग्रह के प्रति वैसी ही व्यामोह भरी दृष्टि पैदा हो गयी है। भगवान् महावीर ने अहिंसा की तरह अपरिग्रह पर भी कम बल नहीं दिया था। किन्तु आज जैन समाज की परिग्रह और सग्रह के प्रति जो दृष्टि है उसे देखते हुए अपरिग्रह का पुनर्मूल्यांकन जरूरी है। देश के प्रबुद्ध वर्ग का यह आरोप भी है कि भगवान् महावीर ने असंग्रह पर जितना बल दिया था आज जैन समाज का सग्रह के प्रति उतना ही अधिक आकर्षण और दृढ़ता है। इस स्थिति में यह जरूरी है कि भगवान् महावीर के अपरिग्रह के प्रति यह दृष्टिकोण को समझा जाये और श्रावक-जीवन में उस दृष्टि का विकास किया जाए।

भगवान् महावीर ने परिग्रह के प्रति विवेक देते हुए कहा—वस्तु के प्राप्ति होने वाला ममत्व परिग्रह है। परिग्रह वस्तु में नहीं, मन में होता है, वृत्तियों में होता है। एक व्यक्ति के पास धन कम है, किन्तु वह प्राप्त और अप्राप्त अर्थों के प्रति आसक्त है तो परिग्रह में वृद्धि हुआ है। एक व्यक्ति के पास धन-मार्ग विपुल है, किन्तु उसमें मूर्च्छा नहीं है, ममत्व नहीं है, आसक्ति नहीं है तो वह परिग्रह में वृद्धि हुआ नहीं है।

एक राजा और संन्यासी नदी में स्नान करने गये। मन्थारी अपनी पुरानी लंगोटी और कमण्डलु को तट पर रखकर पानी में चला गया। उम तट पर ही राजा का महल था। सहसा नदी के किनारे आग लग गयी। राजा शान भाव से स्नान कर रहा था किन्तु मन्थारी तट पर पहुँचने की जल्दी मचाने लगी। उधर आग बढ़ रही थी। राजप्रासाद आग की लपटों में घिर गया। राजा ने

मन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सन्यासी रुआसा होकर बोला—‘मेरी लगेटी और कमण्डलु जलकर राख हो गये हैं, अब तुम राजभवन की तो सुरक्षा करो।’ राजा ने अनासक्त भाव से कहा—‘इस ससार में मेरा जो कुछ भी है वह मेरे पास है। यह राजप्रसाद मेरा कैसे हो सकता है? इसे भोगने की सुविधा मुझे प्राप्त है। इसका मतलब यह तो नहीं कि यह मेरा है। ससार की किसी भी वस्तु पर हमारा स्वामित्व नहीं है।’

अपरिग्रह में परिग्रह और परिग्रह में अपरिग्रह, यह मन स्थिति भगवान् महावीर के चिंतन को स्पष्ट अभिव्यक्ति देती है। उन्होंने कहा—‘मुच्छर्त्ता परिग्रहो।’ मुच्छर्त्ता—ममत्व परिग्रह है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वस्तु-सयम, पदार्थ-सीमाकरण हो ही नहीं। धन-सपत्ति का सीमाकरण अपरिग्रह की ओर गति है। जहाँ वस्तु हो या न हो, धन-सपत्ति हो या न हो, चित्त में कोई फर्क नहीं पड़ता। सपत्ति प्रसन्नता पैदा नहीं करती और अर्थाभाव से सक्लेश की स्थिति नहीं बनती। वह अपरिग्रह और ममत्व-विसर्जन की स्थिति है। साधारण आदमी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए अपरिग्रह की दिशा में सपत्ति के सीमाकरण का सिद्धान्त बहुत मूल्यवान है।

जैन श्रमणों के लिए अपरिग्रह आदर्श है। ममत्व-विसर्जन की साधना के लिए उनको विधान दिया गया—सयमयात्रा के लिए अनिवार्य उपकरण सामग्री से अधिक उपकरण काम में न लये। इस सदर्थ में जैन-श्रावक के लिए विधान दिया गया—वह गलत तरीके से धन का उपार्जन न करे, सही तरीके से अर्जित सपत्ति के उपभोग की सीमा करे। अपनी वार्षिक आय की सीमा का निर्धारण करे। प्राप्त सपत्ति के स्वामित्व का विसर्जन करे। ममत्व वही है जहाँ अधिकार की भावना है। स्वेच्छा से जहाँ भी अधिकार समाप्त होता है, ममत्व समाप्त हो जाता है।

श्रावक के लिए व्यापार अपने और कुटुम्ब-पालन का साधन तो होता ही है, राष्ट्र की आर्थिक शक्ति को सतुलित रखने और विस्तार देने का साधन भी होता है। इन दोनों दृष्टियों को सामने रखते हुए श्रावक के लिए व्यापार नहीं करने का विधान जैन-शास्त्रों ने नहीं दिया। उन्होंने यही कहा कि श्रावक गलत उपायो से, अमानवीय तरीके से धनार्जन नहीं करे। सही तरीके से अर्जित धन का उपयोग कैसे करे? इसके उत्तर में कहा गया है कि वह व्यक्तिगत उपभोग-परिभोग की सीमा करे।

राजा प्रदेशी जब मुनि केशीकुमार से श्रावक धर्म स्वीकार करता है, अपने भोगोपभोग की सीमा करता हुआ वह पूरे राज्य को चार भागों में बांट देता है। वह कहता है—सेयविका आदि राज्य के समस्त नगरों और गावों की आय को मैं चार भागों में बांटता हूँ। एक भाग सेना-वाहन के लिए, एक भाग कोष्ठागार

के लिए, एक भाग अंत:पुर के लिए और एक भाग राज्य में बड़ी-बड़ी कूडागार शालाएं बनाने के लिए, जिनको आज की भाषा में विश्राम भवन कहा जा सकता है। श्रमण माहणों के लिए ठहरने की व्यवस्था रहती, भूखो को भोजन दिया जाता, श्रमणोपासकों के लिए औपघशालाओं की व्यवस्था रहती और राज्यों के विश्राम की व्यवस्था रहती। इस प्रकार अपनी संपत्ति को चार भागों में बांटकर स्वयं उसके स्वामित्व से, मालकियत से मुक्त हो गया।

यह छोटा-सा उदाहरण श्रावक की परिग्रह और सग्रह के प्रति होने वाली दृष्टि को काफी रूप से स्पष्ट कर देता है। श्रावक का जीवन नैतिक और प्रामाणिक हो, इस दृष्टि से मैंने अणुव्रत को नये परिवेश में रखा। उपनिषद् धनराशि के प्रति श्रावक का विवेक जागृत हो इसलिए विसर्जन का मूत्र दिया। इसके पीछे यही उद्देश्य था कि श्रावक स्वामित्व से जितना अधिक मुक्त होगा, उतना ही अपरिग्रह की दिशा में विकास कर सकेगा। अपरिग्रह की दिशा में विकास करने के लिए स्वामित्व-विसर्जन और अधिकार-विसर्जन अत्यंत आवश्यक है।

हमारी तेरापंथ परम्परा में स्वामित्व-विसर्जन के साथ-साथ एक उत्तम भरा प्रश्न और खडा होता है। वह है स्वामित्व-विसर्जन के साथ होने वाली संपत्ति की व्यवस्था का। राजा प्रदेशी ने अपने राज्य की आय को चार भागों में बांटकर व्यवस्था की। इस प्रकार की व्यवस्था करना क्या धर्म है—यह प्रश्न केवल तेरापथ परम्परा का है। दूसरी किसी भी परम्परा में ऐसे प्रश्न का अभाव नहीं है। क्योंकि उन्होंने इसे धर्म मान लिया। तेरापथ के आदि-प्रवर्तक आचार्य भिक्षु का इसके प्रति भिन्न दृष्टिकोण था। उनका कहना था, 'उपभोग-परिग्रह की सीमा करना धर्म है। अपने स्वामित्व को हटाना धर्म है। किन्तु संपत्ति की व्यवस्था करने से धर्म का कोई संबंध नहीं है। वह तो एक उसका उत्तम्य है ताकि संपत्ति गलत हाथों में न चली जाये, उसका कोई दुरुपयोग न कर ले। उमरिण होती है यह व्यवस्था। स्वामित्व-विसर्जन के साथ उसका कोई लेना-देना नहीं है।'

यह आचार्य भिक्षु की बड़ी मौलिक दृष्टि थी। उन्होंने कहा, 'जब स्वामित्व-विसर्जन ही करना है, तो काहे की यह चिन्ता कि कौन इस संपत्ति का उपयोग करता है। जब अपना ममत्व हट गया वस्तु से तो काहे की चिन्ता कि इस वस्तु को कोई चोर ले जायेगा या साहूकार। कोई भी ले जाये उस वस्तु को, विसर्जन करने वाले को इसकी चिन्ता नहीं होनी चाहिए। अब भी चिन्ता करना है वह उस वस्तु के बारे में, इसका अर्थ यह है कि अभी भी उस वस्तु के साथ उमरिण लगाव और आकर्षण है। अभी भी वह उस वस्तु के साथ बंधा हुआ है।'

बड़ी गहरी थी वह दृष्टि कि जब मन हट गया परिग्रह से, ममान में, मो...

चादी से, पत्नी-पुत्र से, धन-सपत्ति से, तब इनका पीछे क्या होगा—यह चिन्ता व्यर्थ है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि व्यवस्था करने से कोई स्वामित्व-विसर्जन कर ही नहीं सकता। राजा प्रदेशी ने राज्य की आय की व्यवस्था की और फिर सदा के लिए उसके स्वामित्व से अलग हो गया। ऐसा नहीं करता तो वह कर्तव्य से च्युत होता। केवल उसके अपने व्यक्ति का ही प्रश्न नहीं होता, पूरे राज्य का ही उस पर दायित्व था। उसके लिए व्यवस्था करना जरूरी था इसलिए उसने राज्य की पूरी व्यवस्था की और स्वयं उससे अलग हो गया।

स्वामीजी की दृष्टि बहुत गहरी थी इस व्यवस्था और विसर्जन को अलग-अलग करने के पीछे, किन्तु श्रावक समाज पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसने यही समझा, अतिथि भवन बनाना पाप है, किसी भूखे को देना पाप है, धन-सपत्ति की व्यवस्था करना, उन्हें दूसरो को सौपना पाप है। परिणाम यह हुआ कि अर्जन हर उचित-अनुचित उपायो से होता रहा, सग्रह पर सग्रह होता गया, कोई सीमा नहीं रही सग्रह पर किन्तु जब विसर्जन का सवाल आया तब पाप बीच में आ गया, स्वामीजी की दृष्टि बीच में आ गयी। कहा थी स्वामीजी की दृष्टि कि आप नहीं करे व्यवस्था, नहीं करे विसर्जन ? उनका आशय तो केवल इतना ही था कि जब अन्तिम छलाग लगाना हो तो मत ज्ञाको इधर-उधर। केवल लक्ष्य पर रखो अपनी नजर। इतनी तैयारी न हो तो जितना कर सको, करो, किन्तु वहा पर भी हमारी दृष्टि स्पष्ट रहे। जो व्यवस्था है उसे व्यवस्था समझे, जो विसर्जन है उसके आध्यात्मिक मूल्य को पहचाने। दोनों का मिश्रण नहीं करे। आचार्य भिक्षु की दृष्टि के पीछे यही रहस्य था।

किन्तु विसर्जन करना, ममत्व को हटाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए समाज के लोगो को वहाना मिला कि आचार्य भिक्षु ने व्यवस्था में धर्म नहीं बताया है। उन लोगो ने कभी यह नहीं सोचा कि आचार्य भिक्षु ने तो सग्रह करने में भी महापाप बताया है। फिर हम सग्रह क्यों करते हैं ? गलत तरीके से किये जाने वाले धनार्जन को आचार्य भिक्षु ने महान् अनर्थ का कारण बताया है। फिर वे लोग व्यापार में उचित-अनुचित साधनो का विवेक क्यों नहीं रखते हैं ? वस्तुतः यह कोई कारण है ही नहीं। कारण केवल इतना ही है कि धन-परिग्रह के प्रति ममत्व छूटना बहुत कठिन है। वस्तुओ पर होने वाला स्वामित्व छूटना कठिन है। उमसे बचने के लिए धर्म और अधर्म की आड ली जाती है।

अर्थ-विसर्जन के प्रश्न पर धर्म-अधर्म की चर्चा का महत्त्व तब होता जब व्यक्ति अपने और अपने परिवार के लिए होने वाले व्यय को उसके साथ रखता। अपनी सुख-सुविधा और विलासिता के लिए, अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए विवाह आदि प्रसंगो पर अर्थ का जो अपव्यय होता है, उसमें पाप मानकर व्यय का संवरण करता। क्या अर्थ के सदुपयोग पर रोक लगाने वाला धर्म उसके

अपव्यय को मौन भाव से सहन कर लेगा ? किन्तु यह व्यक्ति की कितनी बड़ी दक्षता है कि जहाँ अपने स्वार्थ का हनन होता है वहाँ वह उससे बचाव का साधन खोज लेता है अन्यथा मध्यस्थ रहता है। इस स्वार्थ-चेतना से ऊपर उठे बिना अपरिग्रह की बात समझ में नहीं आ सकेगी।

संक्षेप में फिर समझ लें आप अपरिग्रह के प्रति रही भगवान् महावीर की दृष्टि को। हमारे में ममत्व-विसर्जन का विकास हो। उसके लिए वस्तुओं का सीमाकरण हो। परिग्रह की मर्यादा हो। शेष बची धन-संपत्ति की व्यवस्था जैन श्रावक इस प्रकार करता है जिससे उस संपत्ति का दुरुपयोग भी न हो, उनमें मालकियत का अहं भी न रहे और संग्रह के प्रति होने वाली तीव्र लालसा पर अंकुश भी हो।

महात्मा गांधी ने मिल-मालिको, व्यापारियों और धनवानों को दृष्टीहीन का सुझाव दिया था—एक निश्चित धन-राशि का उपयोग अपने और अपने परिवार वालों के लिए हो और शेष संपत्ति का उपयोग समाज के हितों में हो। यह वही प्रयोग था जिसके लिए भगवान् महावीर ने अपने श्रावकों को निर्देश दिया था। हमने गलती यह की कि उस धन-राशि की व्यवस्था करना भी धर्म नहीं है, यह कहकर संग्रह-पर-संग्रह करते गये। किन्तु धन-संपत्ति के उपभोग-परिभोग की सीमा के लाभों पर ध्यान नहीं दिया।

यह तो स्पष्ट ही है कि जिस व्यक्ति के अपने भोग की एक निश्चित सीमा है वह गलत और भ्रष्ट उपायों से अधिक संग्रह की चेष्टा ही नहीं करेगा। अधिक संग्रह की तीव्र लालसा पर उसके अंकुश लग जायेगा। अर्थात् जैन के क्रूर और अशुद्ध साधनों पर स्वयं रोक लग जायेगी। उपभोग की सीमा से अधिक संपत्ति पर उसका कोई ममत्व या आसक्ति भी नहीं रह जायेगी। अधिक धन-संग्रह में बढ़ने वाली विलासिता से स्वयं बचाव होगा। इसके साथ ही साथ उस संपत्ति का उपयोग समाज के हितों में सहज ही हो जायेगा।

मुझे एक छोटी-सी घटना याद आ रही है। उसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को सम्पन्न करूँगा। एक लकड़हारा था। जंगल से लकड़ियाँ काटकर लाना, शहर में बेचना और अपना तथा अपने परिवार का पालन करता। एक बार राज्य का राजा जंगल में शिकार के लिए गया। एक हिरण के पीछे दौड़ता-दौड़ता वह रास्ता भूलकर भटक गया। संयोगवश वह लकड़हारा भी लकड़ी काटने के लिए उस दिन जंगल के उसी हिस्से में आया हुआ था। राजा ने उस लकड़हारे को देखा। प्यास के मारे उसके होंठ इतने सूख गये थे कि वह कुछ भी बोल न सका। पानी के लिए उसने अपने होठों पर हाथ रख दिया। लकड़हारे ने इशारा समझकर उसे पानी पिलाया। तब कही जाकर राजा कुछ बोल नारा। राजा ने अपना परिचय देते हुए लकड़हारे का कुशल संवाद पूछा। उमरों

गरीबी के प्रति अपनी सवेदना प्रकट की। लकडहारे ने अपनी आय पर पूर्ण सतोष व्यक्त करते हुए कहा—‘राजन् । मैं प्रतिदिन छह टके कमाता हूँ लकडिया बेचकर । एक टका मैं मां-बाप को देता हूँ । एक टका पुत्र की शिक्षा पर खर्च करता हूँ । एक टका अपनी पत्नी को देता हूँ । एक टके से अपना पेट पालता हूँ । एक टका खजाने में डालता हूँ और एक टका घर पर आये अतिथि अथवा भिखारी को देता हूँ । इस तरह मैं तो राजा भोज हूँ । किसी प्रकार की कोई कमी नहीं । किसी प्रकार की कोई चिन्ता नहीं । दिन में पसीने की कमाई करता हूँ । रात में सुख की नीद सोता हूँ ।’ राजा उसकी बातें सुनकर आश्चर्य-चकित रह गया ।

मैं समझता हूँ ऐसा चाहिए श्रावक का जीवन—सात्त्विकता एवं सतोष से परिपूर्ण । जहाँ तक बन सके, श्रावक व्यापार में गलत साधनों का सहारा न ले, सात्त्विक एवं सादगीपूर्ण जीवन जीने के लिए उपभोग-परिभोग की सीमा करे । उस सीमाकरण के फलस्वरूप उस सामग्री का लाभ समाज को अनायास ही मिल जायेगा, यही होनी चाहिए अपरिग्रह के प्रति श्रावक की दृष्टि जिस पर आप सबको विचार करना है ।

शरीर को छोड़ दें ! धर्म-शासन को नहीं

एक संस्कृत कवि ने राजहंस को संबोधित कर लिखा है—

भुक्ता मृणाल-पटली भवता निपीता
न्यम्बूनि यत्र जलजानि निषेवितानि
रे राजहंस ! वद तस्य सरोवरस्य
कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः ।

—राजहंस ! जिस सरोवर में तुमने पेट भर कमलनाल को खाया, जो भरकर जिसका ठंडा और मीठा जल पीया, खिलते हुए कमल फूलों का सेवन किया, उस सरोवर के ऋण से तुम कैसे मुक्त हो सकोगे ? किस प्रकार का कार्य करके तुम उस सरोवर के उपकार का ऋण चुका सकोगे ?

एक और कवि की उक्ति मुझे एक प्रसंग की याद दिला रही है । सामने एक बूढ़ा पेड़ है, जिस पर फूल नहीं, फल नहीं, पत्ते नहीं, कोपल नहीं—बिलकुल श्रीविहीन । सूखकर एकदम ठूठ रह गया हो जो । उस पर बैठा है एक सुन्दर पक्षी । कवि उस पक्षी को कहता है—‘ओ भोले पछी ! क्यों बैठे हो अब तुम इस पेड़ पर ? किस आशा में बैठे हो ? उड़कर चले जाओ—फलो, फूलों और पत्तों से लदे हुए किसी हरे-भरे वृक्ष पर । अब यह वृक्ष बूढ़ा हो गया है । मृत्यु के किनारे खड़ा है । पता नहीं हवा के किस झोके के साथ ही यह धराशायी हो जाए । इसलिए उड़कर चले जाओ किसी सुरक्षित वृक्ष पर । यहाँ पर ठहरकर व्यर्थ ही मृत्यु को क्यों निमंत्रण दे रहे हो ?’

पक्षी सुनता है मनुष्य का स्वार्थ-भरा सुझाव और मन-ही-मन हंस देता है । फिर धीमे से बोलता है—‘बिलकुल ठीक सोच रहे हो तुम, मनुष्य के चिन्तन का यही क्रम है । यदि मैं भी कहीं मनुष्य होता तो यही सोचता, मेरा भी चिन्तन इतना ही स्वार्थपूर्ण होता । लेकिन तुम देखते हो—मैं कोई मनुष्य नहीं हूँ । मनुष्य नहीं हूँ तो प्रबुद्ध नहीं हूँ । एक भोला मूर्ख पछी हूँ तुम्हारी नजर में । इसलिए उड़कर नहीं जाऊँगा कहीं भी सूखे पेड़ पर से । मैं जानता हूँ कि इस वृक्ष में न मृगों

खाने को फल मिलने वाले है, न फूल मिलने वाले है और न ही पत्तो की छाया मिलने वाली है। कुछ भी नहीं मिलने वाला है मुझे इस वृक्ष से—मेरी सुख-सुविधा के लिए, मेरे जीवन-धारण के लिए। फिर भी इसे छोड़कर मैं अन्यत्र नहीं जा सकता, क्योंकि मैं जानता हू कि इसकी टहनियों पर बने एक छोटे से घोंसले में ही मैं पैदा हुआ, गर्मी में इसने शीतल छाह दी, शीत और वर्षा में आश्रय दिया तथा तूफानी में मेरी रक्षा की। मैंने हर बार इसे कष्ट दिया, इसने हर बार मुझे प्यार दिया। यदि यह नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता, मैं कहा होता और मेरे पर क्या मुसीबतें गुजर रही होती।

इस स्थिति में इसकी विपन्नावस्था में, इस जर्जर अवस्था में इसकी मृत्यु को ममीप जानकर मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ। मैं किसी दूसरे हरे-भरे वृक्ष पर चला जाऊँ तो इस धरती पर मेरे से बढकर कृतघ्न दूसरा कौन होगा? कौन होगा पापी अधम मेरे से बढकर? मैं ऐसा नहीं कर सकता। आज तक मैं यही जिया हूँ। मरना होगा तो यही मरूँगा। मरने के डर से मैं अपने पालक, प्राणदाता और जीवनदाता वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा।

उस भोले-भाले पक्षी का मर्मभेदी उत्तर सुनकर कवि अवाक् रह गया। एक अज्ञानी दीखने वाले पक्षी से महान् सत्य का उद्घाटन सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसके कोमल मन में अपने आश्रयदाता के प्रति कितना गहरा अनुराग, कितनी गहरी निष्ठा और कितना गहरा आत्मीय भाव था। एक क्षण के लिए भी नहीं टूटने वाला उसका वह तादात्म्य भाव, सुख-दुःख में सहानुभूति और साथ ही साथ जीने-मरने का मनोभाव—क्या एक बुद्धिशील मनुष्य अपने उपकारी के प्रति इतना कृतज्ञ रह सकता है?

कवि की स्वार्थ-चेतना को एक झटका-सा लगा। उसका अतर्मन कराह उठा। वह सोचने लगा—हम मनुष्य हैं, परमार्थ का दम्भ भरते हैं, पर जीते हैं औपचारिक ससार में। औपचारिकता के राजपथ पर हम इकट्ठे होते हैं, हसते हैं, गाते हैं और खुशिया मनाते हैं। किन्तु अन्दर-ही-अन्दर विघटित होते जा रहे हैं। जिस देश, समाज और परिवार में हमने जीवन पाया, हमें बराबर मिलती रही है जिसकी सुखद छाया, उस देश या समाज-परिवार से हमारा कितना लगाव है? क्या हम उसके सुख-दुःख में साथी हैं? क्या उसकी खुशिया हमें सुख देती है? क्या उसकी पीडा का हमारे मन पर कोई प्रभाव होता है? कवि सोचता-सोचता इतना आत्म-विभोर हो गया कि वह वहाँ खड़ा नहीं रह सका। वह उछलकर उस बूढ़े वृक्ष पर चढ़ा जहाँ वह नन्हा-सा मासूम पक्षी बैठा हस रहा था। कवि ने उसे अत्यन्त स्नेह से गले लगाया। अपने अनुचित सुझाव के लिए क्षमा मांगी। पक्षी के सामीप्य मात्र से कवि कृतज्ञता से भर गया। अब उसके शब्दों से चिन्तन

और व्यवहारो से कृतज्ञता का प्रवहमान स्रोत बहने लगा। कवि को बड़ा ही सुख मिला उस स्थिति से।

युवक बंधुओ ! यह एक भोले पंछी और विज्ञ कवि की छोटी-सी कहानी है। आपको इसमें अतिरजन का दर्शन होता होगा। हो सकता है हम अपनी सुविधाओं के लिए ऐसे सदर्थों को अर्थवाद की तरफ ले जाते हैं किन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है, यह कहानी भले ही कवि की कल्पना हो, पर हमें यथार्थवादी दृष्टिकोण देती है, हमारी सकल्प-शक्ति को दृढ़ बनाती है और विचलित मन-स्थिति को देती है सशक्त आलम्बन।

उस पंछी की छोटी-सी देह को वृक्ष का आधार मिला और वह उसके प्रति सर्वात्मना समर्पित हो गया। हमें अपने धर्म-शासन से क्या नहीं मिला। अछात्म-चेतना का जागरण हमारे जीवन की सबसे बड़ी तडप है, आकाशा है, चाह है। इस चाह को राह देने वाले हमारे धर्म-शासन ने हमारा कितना उपकार किया है।

बंधुओ ! मैंने आपके सामने जिन दो सन्दर्भों का उल्लेख किया है, बड़े रोमांचक है। अपने आधार को विपन्नावस्था में देखकर, अंतिम स्थिति में पाकर तथा उससे स्वयं की विपन्नता का अनुमान लगाकर भी वह भोला पंछी कहीं नहीं गया। फिर इस समय हमारा सघ तो कितना सम्पन्न है। दिन-प्रतिदिन इसकी सम्पदा बढ़ती जा रही है, प्रगति के आयाम खुल रहे हैं। हमारा यह उदीयमान धर्म-शासन, जिसे मैं हरे-भरे उपवन के रूप में देखता हूँ, आज कितना लहलहा रहा है? इसकी शीतल छाया, इसके मधुर फल, इसकी मोहक सौरभ और इसकी आकर्षक चहल-पहल सुदूर राष्ट्रों को अपनी ओर आकृष्ट कर रही है। इसके सघन निकुंज हर क्षण मानव और मानवता को त्राण दे रहे हैं। किसी भी स्थिति में हम इसके मुरझाने या सूखने की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या हम इस हरे-भरे, फले-फूले एकमात्र आधारभूत धर्म-शासन से एक क्षण भी अपने दूर होने की बात सोच सकते हैं? क्या हम युग के तूफानों में, आधी-पानी के दिनों में अपने शासन की सरहदों को छोड़कर कहीं जा सकते हैं? क्या हम अपने छोटे से जीवन में इस नाशवान शरीर से धर्म-शासन के ऋण से उन्मूढ हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। पर तभी जब हम व्यक्तिगत स्वार्थों से मुक्त होकर धर्म-शासन की प्रभावना करेंगे। स्नायु में शोणित की तरह हमारी नस-नस में शासन के प्रति गहरे अनुराग के भाव होंगे। हर सकट की घड़ी में हम इसके लिए प्राणों की बाजी पर खेलेंगे।

सकट की घड़िया ही वास्तव में कसीटी की घड़िया होती है। एक समय की बात है, जंगल में दावानल लग गया। हरा-भरा खुशहाल जंगल देखते-देखते आग में झुलसने लगा। आग चन्दन के वृक्षों तक पहुँच गई। एक-एक वृक्ष धराशायी

होने लगा। शेष बचे हुए वृक्षों में से एक पर एक हंस बैठा था। आग की लपटें और झुलसते जंगल को देखकर वह न घबराया, न खिन्न हुआ और न वहाँ से उड़ने के लिए उद्यत हुआ। उसकी अकर्मण्यता देखकर उसकी नन्ही-सी जान पर द्रवित होकर वृक्ष बोला—

आग लगी बनखण्ड में, दाज्ज्या चदन-वंश,

म्हे तो दाज्ज्या पंख बिन तू क्यूँ दाझै हंस ?

—बनखण्ड में आग लग गई। चदन वृक्ष झुलस गए। हम झुलसते हैं क्योंकि लाचार हैं। हमारे पास उड़ने की पंख नहीं है। भोले हंस ! तेरे पास पंख है। तू तो प्रतिदिन उड़ता है। फिर आज तुझे क्या हो गया है ? तू हमारे साथ क्यों झुलस रहा है ?

वृक्ष का ममता भरा, करुणा-सिक्त प्रश्न सुनकर हंसता हुआ हंस बोला—

पान मरोड्या फल भख्या बँट्या एकण डाल,

तू दाझै मै उड़ चलू जीणो किते एक काल ?

—ओ मेरे जीवनदाता ! तुम क्या कह रहे हो ! मैं सदा तुम्हारे कोमल पत्तों के साथ खेलता रहा, फल खाता रहा और एकमात्र इसी आश्रय पर रहता रहा। आज जब तुम सकट में हो, आग की लपटों में घिर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़कर उड़ जाऊँ। कहाँ जाऊँ ? आखिर मुझे कितने समय तक जीना है। यह शरीर नाशवान है। आज नहीं तो कल इसे छोड़ना ही है। पर इसके लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मेरे जीवन की दुःखद घड़ियों में सशक्त आलम्बन देने वाला, सम्भालने वाला यही तो है। मानसिक व्यथाओं तथा पारिवारिक सक्लेशों की स्थिति में हमें समुचित मार्गदर्शन देने वाला यही तो है। हमारा धर्म-संघ हमें अधकार से प्रकाश में ले जाता है। अज्ञान से ज्ञान में ले जाता है और इस मरण-धर्मा शरीर में रहने वाली आत्मा को अमरता की ओर ले जाता है। रूढ़िवादी परम्पराओं में पलनेवाले हमारे समाज को अधविश्वासों और रूढ़ियों से मुक्त कर प्रगतिशील विचार देने वाला हमारा धर्म-शासन शाश्वत और सामयिक सत्यों का बोध देकर जीवन की सही दशा देने वाला, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का बोध देने वाला, हर स्थिति में शान्ति और सहिष्णुता का महान् आदर्श दिखाने वाला शासन—क्या हम किसी भी क्षण इसे भूल सकते हैं ? क्या हम इसके उपकारों का बदला चुका सकते हैं ?

हम शरीर को छोड़ दे, धर्म-शासन को नहीं। इस सूक्त की सार्थकता इन अनजान-अनबूझ पछियों के ही जीवन में है, यह बात नहीं है। हमारे शासन का इतिहास, हमारे संघ की परम्पराएँ आज भी मुखर हैं अपने वीर वंशजों का गौरव गाने और उनको स्मृतियों के चित्रपट पर दिखाने के लिए जो धर्म-शासन के लिए देश और शरीर छोड़ने को तत्पर रहे।

आचार्यश्री भारीमालजी उदयपुर में प्रवास कर रहे थे। कुछ विरोधी व्यक्तियों ने तत्कालीन राणा श्री भीमसिंह जी को भ्रम में डाल दिया। उन्होंने आचार्यश्री को उदयपुर से निर्वासित कर दिया। उदयपुर को छोड़कर वे राजसमंद पहुँचे। तब तक विरोधी लोग उन्हें मेवाड़ से निर्वासित कराने की योजना बनाने लगे। केवल योजना ही नहीं, उस सम्बन्ध में अनेक अफवाहें चारों ओर फैला दी गईं। उस समय उदयपुर के श्रावक श्री केशरजी भण्डारी जो अब तक प्रच्छन्न तेरापथी थे, प्रकाश में आए। राणा के साथ उनके आत्मीय सम्बन्ध थे। वहाँ पहुँचकर वे बोले—'लोगों के कहने से आपकी बुद्धि विपरीत क्यों हो गयी है? आप सत्तो को कष्ट दे रहे हैं, उसका दुष्परिणाम सबको भोगना पड़ेगा।' राणाजी के मन में जैसा जचाया गया, उन्होंने कहा—'वे सत्त वर्पा को वाधते हैं। ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। उन्होंने कहा—'आप बहकावे में हैं। वे तो भेरे गुरु हैं। राणा स्तब्ध रह गए। उन्होंने तत्काल पत्र लिखा, जिसमें अपने अनुचित व्यवहार के लिए क्षमा मागी और पुनः उदयपुर पधारने के लिए आग्रह-अनुनय भरा निवेदन किया। हरकारा पत्र लेकर राजसमंद पहुँचा। श्रावक इस सूचना से कि हरकारा आ रहा है, बौखला उठे। मेवाड़ के सभ्रान्त श्रावक राजसमंद में उपस्थित थे। उन्होंने दृढ़ता से कहा—'इस बार क्या आदेश आएगा—मेवाड़ छोड़ने का ही तो। कसो कमरे, हमारे गुरु यहाँ नहीं रहेंगे तो हमें रहकर क्या करना है। हम सब इनके साथ ही निर्वासित होंगे। हरकारे के पहुँचने पर उन्होंने कहा—'पढ़ना क्या है। फाड़ डालो पत्र को और तैयार हो जाओ। बुजुर्ग व्यक्तियों के सुझाव से पत्र पढ़ा गया तो रंग ही बदल गया। राणाजी का पश्चात्ताप और आग्रह भरा पत्र आचार्यश्री भारीमालजी को निवेदित किया गया। उनके मन में राणा के प्रति कोई रोष नहीं था और न अनुनय से गौरव का भाव जगा। उन्होंने संतो को उदयपुर भेजा और अपने लिए कहा—'अब कौन पत्थर कुचलने वहाँ जाए। इस घटना में मेवाड़ी वीरो का धार्मिक शौर्य उफन-उफनकर बह रहा है, जो हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी को धर्म-शासन के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है।

एक ही क्या, ऐसी अनेक घटनाएँ हैं जिनसे धर्म-शासन का गौरव उद्गीत हो रहा है। जयाचार्य के समय मुनि मुनिपतजी की दीक्षा का प्रसंग और वह विरोधियों का षड्यंत्र। आखिर जयाचार्य के नाम वारंट जारी करवाया। उस समय जोधपुर के भण्डारी श्री वादरमलजी और लाडनू के श्री दूलजी दूगड ने जिस साहस का परिचय दिया, जो कौशल दिखाया वह उल्लेखनीय है—अपने जीते-जी शासन पर आंच नहीं आने देंगे। आचार्यों पर एक फूल की छड़ी भी नहीं आने देंगे—इस शरीर के रहते हुए। हमारा तन, मन, सर्वस्व शासन पर निछावर है। शासन है तो हम हैं। शासन हमारे लिए सर्वोपरि है। इस शासन

की सुखद हवा में हम सास ले रहे हैं। शासन की जरूरत पर पहला बलिदान हमारा हो। यह उदात्त और उदार-चिन्तन, धर्म-शासन के लिए मर-मिटने का मनोभाव भी कितना हृदयग्राही है। कितना प्रेरक है।

मनुष्य का आयुष्य बहुत छोटा है। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। फिर कौन-सा मोह उसके प्राणोत्सर्ग में बाधक बनेगा? कौन-सा व्यामोह इस नश्वर शरीर को रोककर रखेगा? हम सब इस अवसर की प्रतीक्षा में हैं जब हमें धर्म-शासन के लिए कुछ करना होगा। शासन की नींव के पत्थर नहीं बन सके तो क्या हुआ? शासन के प्रासाद पर कलश तो चढ़ाएंगे। ध्वजा तो फहराएंगे।

यूरोप के धर्म-सुधारक मार्टिन लूथर का नाम आप लोगो ने सुना होगा। तरुणो! धर्म के नाम पर प्रचलित अधविश्वासो और अर्थहीन रूढ़ परम्पराओं के विरुद्ध वे तीव्र क्रान्ति करना चाहते थे। उनकी क्रान्ति ने जनमत को जागृत कर दिया। जनता में अपना प्रभाव कम होते देख पोप पादरियो को बड़ी चिन्ता हुई। उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न था वह। पोप ने एक पत्र मार्टिन लूथर को भेजा— अपना यह प्रचार-कार्य और प्रशिक्षण-कार्य अविलम्ब बंद करो, अन्यथा सिर काट दिया जाएगा। मार्टिन ने पत्रवाहक के सामने ही पत्र को फाड़कर फेंक दिया और गर्व के साथ कहा—लो, यह सिर तैयार है, पर मुझे खेद है कि मेरे पास एक ही सिर है। यदि मेरे पास हजार सिर होते तो भी मैं धर्म के लिए, अपने प्राणों की तडप के लिए उनका बलिदान कर अपनी आत्मा को सतुष्ट करता, महान् गौरव का अनुभव करता।

युवक वधुओ! अब मैं अपना वक्तव्य अधिक लम्बा नहीं करूंगा। हम भी अपने धर्म-शासन के लिए एक जीवन नहीं, जितने जीवन हमें और मिले, अपने तन, मन, सर्वस्व निछावर करने का सकल्प ले और इस सकल्प को जन्म-जन्म तक पूरा करने का सकल्प ले।

दायित्व-बोध के सूत्र

विश्व-चेतना दो वर्गों में विभक्त है—व्यष्टि और समष्टि। यो वर्गवाद की परिधि में अनेक नये वर्गों का विस्तार हो रहा है, किन्तु उनका सक्षिप्तीकरण व्यष्टि और समष्टि में समाहित हो जाता है। व्यष्टि और समष्टि एक-दूसरे के पूरक हैं। व्यष्टि के बिना समष्टि का अस्तित्व नहीं रहता और समष्टि के बिना व्यष्टि का विकास नहीं हो पाता। सागर और बूद का सम्बन्ध है इन दोनों में। यद्यपि एक सर्वशक्ति-सम्पन्न अस्तित्व के लिए समष्टि का कोई उपयोग नहीं है, किन्तु शक्ति-सम्पन्नता की स्थिति प्राप्त करने में व्यक्ति-चेतना और समूह-चेतना दोनों का अपना-अपना मूल्य है। इस मूल्य की अहंता वे व्यक्ति समझते हैं, जो सापेक्ष जीवन में विश्वास करते हैं। निरपेक्षता का दृष्टिकोण या निश्चयवादी दृष्टिकोण समूह-चेतना का विघटक है।

समूह-चेतना व्यक्ति-चेतना के जागरण में सहयोगी है। व्यक्ति-चेतना जब-जब निराशा, नीरसता और अकर्मण्यता से आक्रान्त होती है, समूह-चेतना उसे उठाकर ऊपर ले आती है। ब्रह्माद्वैतवादियों के अनुसार इस दृष्टि में केवल ब्रह्मा का ही अस्तित्व था। कहा जाता है कि अकेलेपन से उसका मन ऊब गया, 'स एकाकी न रेमे।' अपने एकाकीपन को मिटाने के लिए उसने माया का सृजन किया। यह दृश्यमान बहुरंगी सृष्टि ब्रह्माद्वैत की माया है। परिवार, समाज और राष्ट्र के साथ सामूहिक जीवन-पद्धति का रहस्य भी सम्भवतः यही रहा होगा। इस रहस्योद्घाटन के साथ मैं यह मानकर चलता हूँ कि व्यक्ति अपनी पारिवारिक सामाजिक और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के साथ संघीय प्रतिबद्धता को भी स्वीकार करे। व्यक्ति की अध्यात्म-चेतना का जागरण धर्म-सघ की प्रतिबद्धता में अन्तर्निहित है।

सामान्यतः सघ शब्द का अर्थ है प्राणी समूह या समान धर्मवाने प्राणियों का समूह। प्रस्तुत सन्दर्भ में यह एक पारिभाषिक शब्द के रूप में व्यवहृत हुआ है। यहाँ 'सघ' शब्द साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका—इस चतुर्विध समुदाय का

बोधक है। इसका दूसरा नाम तीर्थ भी है, जिसका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है त्रिस्थ—ज्ञान, दर्शन और चरित्र—इस त्रिक में ठहरने वाला। तीर्थ और सघ शब्द अर्थ-बोध की दृष्टि से बहुत निकट है। सघ की स्थापना तीर्थकर करते हैं। उनके बाद सघ-संचालन का दायित्व आचार्यों पर आता है। आचार्य तीर्थकर के प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी कहलाते हैं।

हम अपने आपको बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं जिन्हें ऐसा सुगठित, सुव्यवस्थित, शालीन और आदर्श धर्म-सघ मिला। सघ हमारे लिए गति है, प्रतिष्ठा है, त्राण है। एक मछली के लिए पानी का जितना महत्त्व है, फूल के लिए पौधे का जितना उपयोग है, मकान के लिए नींव की जितनी अपेक्षा है, एक व्यक्ति के लिए संघ की उतनी ही महत्ता, उपयोगिता और अपेक्षा है। पानी का अभाव मछली की मृत्यु है, पौधे का अभाव फूल का मुरझाना है और नींव का अभाव मकान के अस्तित्व को खतरा है। इसी प्रकार सघ के आधार से छूटा हुआ व्यक्ति असहाय हो जाता है। आलम्बनहीन व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, इसे आप एक छोटी-सी घटना के माध्यम से समझिए—

एक वकील था। अपने जीवन की कठिन घड़ियों में वह जब कभी चिन्तन की गहराई में उतरता, तब उसका एक हाथ कोर्ट के बटन पर चला जाता था। बटन पर हाथ लगते ही उसे बड़ी राहत मिलती और हर समस्या का समाधान मिल जाता। इसी क्रम से वह न्यायालय में अनेक मुकदमे जीतता गया। वकील के एक प्रतिद्वन्दी को इस रहस्य का पता चल गया। वह उसे नीचा दिखाना चाहता था। एक बार उसने धोवी को प्रलोभन देकर उसके कोर्ट की बटन तुड़वा दी। न्यायालय जाते समय वकील कुछ जल्दी में था, अतः यो ही कोर्ट गले में डालकर चल पड़ा। प्रकृत प्रसंग पर बहस के समय थोड़ी-सी उलझन खड़ी हुई। अनायास उसका हाथ कोर्ट के बटन पर गया। बटन गायब था, वह अपने आपको सभाल नहीं सका। पास पड़ी कुर्सी खींचकर वह बैठ गया। उसका शरीर पसीने से तर-बतर हो गया और मस्तिष्क शून्य हो गया। चिन्तन-शक्ति और वाक्-शक्ति की कुण्ठा से वह अपने काम में असफल हो गया।

एक बटन का आलम्बन छूटकर व्यक्ति को इतना असहाय बना देता है, तब पारिवारिक या सघीय आलम्बन छूटने से व्यक्ति पर क्या बीतती होगी? सघ एक विशाल छायादार वृक्ष है, जो अपने परिश्रान्त शरणागतों को घनी छाया, मधुर फल, रम्य सुवास और आखों को सुख देने वाले आकर्षक फूलों से लाभान्वित करता है। सघ की सीमाओं में व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से परिभ्रमण कर अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व को निखार दे सकता है।

सघ के साथ सघपति का बहुत गहरा सम्बन्ध है। सघ की सारणा-वारणा और विकास का समग्र दायित्व सघपति का होता है। जिस सघ का अधिनेता

सक्षम होता है, वह अपने सघ की सीमाओं को विस्तार देता हुआ उसको प्रगति के उच्च शिखरों तक पहुँचा देता है। किसी भी सघ के बहुमुखी विकास का श्रेय सघपति को मिलता है तो ह्यासोन्मुख सघ का दायित्व भी उसी पर रहता है। सघ को युग के साथ रखने के लिए आचार्य अपने समाज को मार्गदर्शन देता है। नये चिन्तन और परिवर्तन के क्रम में उसे समाज की आलोचनाओं का विषय बनना होता है। हर नया तथ्य समाज के गले उतारना होता है। सघ की सुव्यवस्थाओं के लिए सघपति को कड़ा अनुशासन रखना पड़ता है तो सघीय सदस्यों को प्रियता भी देनी होती है। सघीय सदस्यों को उनके जीवन की सही दिशा देनी होती है। धर्म-सघ के प्रति समाज की आस्था को टिकाए रखने का जिम्मेदारी भी सघपति की होती है। श्रमण सघ का आध्यात्मिक और व्यवस्था सम्बन्धी समग्र नेतृत्व करता हुआ सघपति श्रावक-समाज को अध्यात्म-जागरण की दिशा में प्रेरित करता है। सामाजिक स्तर पर नये मूल्यों का निर्धारण उन्हें ही करना होता है।

हमारे धर्म-सघ के आद्य प्रवर्तक आचार्यश्री भिक्षु ने सघ की सुव्यवस्था और अध्यात्म-साधना की दृष्टि से उस युग में नया चिन्तन दिया जबकि उनके समय विरोध का वातावरण काफी प्रबल था। उस समय आचार्य भिक्षु अपनी प्रतिभा को व्यक्ति-चेतना के जागरण में ही समर्पित कर देते तो हमें ऐसा प्रगतिशील सघ नहीं मिलता। उनकी अद्भुत क्षमताओं का अकन हम कर रहे हैं, किन्तु उस युग में तो वे अपमान और प्रताड़नाओं से ही आक्रान्त रहे। अपने सघ के सगठन पक्ष को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्होंने जिस कौशल से व्यवस्थाओं का निर्माण किया, वह इतिहास की आश्चर्यकारी घटना है। दूसरे धर्मसघों पर आज भी तेरापथ मध की शालीन परम्पराओं, व्यवस्थाओं और संगठन का प्रभाव है।

आचार्य भिक्षु के बाद इस सघ में जितने आचार्य हुए उन सबने अपने-अपने युग की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर महत्त्वपूर्ण काम किए। उन सबका व्यक्तिगत विश्लेषण न करके यहाँ दिग्-सूचन मात्र किया जाता है। आचार्यश्री भारीमालजी आचार्यश्री भिक्षु के सशक्त अनुशासन की कपोपल पर चढ़े और सघ के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। तृतीय आचार्यश्री रायचन्द्रजी ने अपने विनय और समर्पण भाव से आचार्य-पद की गरिमा को और अधिक समुज्ज्वल बना दिया। श्रीमज्जाचार्य का व्यक्तित्व और कर्तृत्व मर्यादाओं और व्यवस्थाओं के सफल सशोधन और मौलिक साहित्य-सृजन में से ज्ञाक रहा है। पंचम आचार्य मधवागणी की कोमलता और पापभीरुता इतिहास-प्रसिद्ध है। माणकगणी के उज्ज्वल भविष्य का प्रतिबिम्ब उनके साधना-काल की पूर्व भूमिका में ही झनकने लगा था। दीक्षा से पूर्व उनके पारिवारिक जनो ने कहा—यह बहुत कोमल है, बोझ नहीं उठा सकेगा। उस समय उनके लिए कहा गया—एक रजोहरण तो उठा

सकेगा ? डालगणी का वर्चस्वी जीवन आज भी अनेक व्यक्तियों की स्मृति में है । अतीत में दो आचार्यों की अतिशय कोमलता से कुछ-कुछ अव्यवस्थाएँ होने लगी, वे स्वयं निरस्त हो गईं । डालगणी के तेजस्वी व्यक्तित्व का प्रतीक है समग्र सघ द्वारा उनका आचार्य पद के लिए मनोनयन । हमारे अष्टम आचार्यश्री कालूगणी ने अपनी श्रमशीलता और नियमितता से सघ को नया आलोक दिया । शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने नया कीर्तिमान स्थापित किया । उनके आशीर्वाद से ही आज हम अपने सघ में आध्यात्मिक स्तर को उन्नत बना पाए हैं ।

पूज्य कालूगणी ने अपना दायित्व मुझे सौंपा । पिछले वर्षों से मैं अपनी और अपने धर्म-सघ की बहुमुखी प्रगति के लिए प्रयत्नशील हूँ । इस अवधि में अनुकूल और प्रतिकूल हर परिस्थिति में मैंने अपने धर्म-सघ को निखरता हुआ पाया है । हमारा सघ कोई रूढ़ धार्मिक संस्थान नहीं है । सामयिक और शाश्वत मूल्यों के आधार पर परिवर्तन और स्थिरीकरण का सिद्धान्त हमें मान्य है । मेरे मन में एक बहुत गहरी तडप है कि जैन दर्शन और थेरापथ दर्शन के हमारे जो आदर्श हैं वे आदर्श की भूमिका तक ही सीमित न रहकर जीवनगत बनें । इसके लिए हमें अपनी परम्पराओं, संस्कारों और विचारों का पुनर्विलोकन करना होगा तथा शाश्वत सत्यों को आधार मानकर जीवन-पद्धति का निर्धारण करना होगा ।

सघ और सघपति की सक्षिप्त चर्चा के साथ आप लोग अपने दायित्व के बारे में मार्ग दर्शन चाहते हैं । अपने दायित्व से प्रतिबद्ध रहकर ही युवापीढी अपने और अपने समाज की हित-सिद्धि में योगभूत हो सकती है । मेरी समझ में आज का युवा मानस उत्तरोत्तर प्रबुद्ध बनता जा रहा है । प्रबुद्धता स्वयं कर्तव्य की प्रेरणा है । फिर भी दिशा-सूचक यन्त्र के रूप में कुछ सूत्र आपके आलम्बन बन सकते हैं । उन सूत्रों की चर्चा के साथ ही मैं अपना कर्तव्य पूरा करूँगा । उनसे आपको कोई दिशा मिल पायी या प्राप्त दिशा की ओर गति में त्वरा आयी तो समाज अपने धरातल को और अधिक सुदृढ़ बना सकेगा । अब मैं युवा दायित्व का एक शब्दचित्र अपने समाज के होनहार युवकों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

- १ सघ और सघपति के प्रति गहरा समर्पण भाव ।
- २ समाज में सघीय आस्थाओं का निर्माण ।
- ३ परम्पराओं के परिप्रेक्ष्य में सघ में नये मूल्यों की ओर ध्यानाकर्षण ।
- ४ निर्धारित मूल्यों का व्यापक स्तर पर प्रसार ।
- ५ सघ के सामयिक निर्णयों के अनुरूप जनमत को प्रबुद्ध करना ।
- ६ समाज के सगठन पक्ष को सुदृढ़ बनाना ।
- ७ अध्यात्म के कुछ प्रयोगों में अपने आपको लगाना ।
- ८ धर्म-सघ की प्रभावना के लिए अपना यथासंभव योगदान देना ।

९. सघ की नीतियों और गतिविधियों से परिचित रहकर भ्रान्त धारणों का निराकरण करना ।

१०. एक सीमा तक व्यक्तिवादी दृष्टिकोण में ऊपर उठकर सघीय हित-संवर्धन के लिए काम करना ।

११. अपने समय, श्रम आदि के विसर्जन से समाज को लाभान्वित करना ।

१२. अर्थहीन परम्पराओं में परिवर्तन का औचित्य सिद्ध करते हुए भी मौलिक परम्पराओं की सुरक्षा करना ।

१३. जैन दर्शन और तेरापथ दर्शन का गम्भीर अध्ययन करना ।

१४. वर्ग विशेष में प्रतिवद्ध जैनधर्म और तेरापथधर्म की व्यापकता में जन-जन को लाभान्वित करना । इन्हें कौमवाद की सकीर्ण परिधि में निकालकर जैनधर्म के रूप में प्रसारित करना ।

१५. वर्तमान में प्रचलित मान्यता, 'प्रामाणिक जीवन जिया ही नहीं जा सकता, प्रामाणिकता केवल आदर्श या कल्पना है', को तोड़कर व्यापार और व्यवहार में पूर्ण प्रामाणिक रहने की साधना करना तथा अपने परिपार्श्व में वैसा ही वातावरण बनाना ।

१६. अपनी संस्कृति और संस्कारों की स्थिति ध्यान में रखकर जैन संस्कार-निर्माण की दिशा में विशेष लक्ष्य रखना ।

१७. इधर-उधर भटकती हुई अपनी आस्था को केन्द्रित कर देव, गुरु और धर्म के प्रति ही उसका नियोजन करना । लोकमान्य देवों की अवहेलना न करते हुए तटस्थ बुद्धि से अरिहन्त को ही अपना आराध्य समझकर आध्यात्मिक अर्चा-उपासना करना ।

दायित्व-बोध का यह सूत्रात्मक शब्द-चित्र आप लोगों को एक नयी प्रेरणा देगा, इसी विश्वास के साथ...

क्या हिन्दू जैन नहीं हैं ?

युवक बन्धुओ !

आप लोगो के मन मे अनेक जिज्ञासाए है, अनेक प्रश्न है और अनेक उलझने हैं। होनी ही चाहिए। जिज्ञासा और उलझन न हो तो व्यक्ति का ज्ञान सीमित रह जाता है और रह जाता है वह अनजान इस दुनिया के विचित्र विचारो और विचित्र व्यवहारो से। जिज्ञासा व्यक्तिगत परिवेश मे हो सकती है और जागतिक समस्याओ पर भी हो सकती है। धर्म के सम्बन्ध मे हो सकती है, अध्यात्म के सम्बन्ध मे हो सकती है, नैतिकता के सम्बन्ध मे हो सकती है और हो सकती है हमारे दैनिक व्यवहारो के सम्बन्ध मे।

जैनत्व और हिन्दुत्व के बारे मे आप लोगो के दिमाग मे कुछ उलझने है। जो हैं वे अकारण नहीं है। कुछ ऐसी भ्रातिया फँसी हुई है जो व्यक्ति को भ्रात बना देती हैं। जैन हिन्दू है या नहीं ? है तो वे अपने आपको जन-गणना मे जैन क्यो लिखाते है ? नहीं, तो फिर वे किस वर्ग मे आते है ? हिन्दू धर्म मे जैनो का विश्वास है क्या ? आदि-आदि इतने प्रश्न है, जो अकारण ही आपको उलझा रहे हैं। मेरा जहा तक ध्यान है हिन्दू शब्द का प्राचीन प्रयोग जैन चूर्ण साहित्य मे मिलता है। मेरे अभिमत से जिन भगवान् को अपना आराध्यदेव माननेवाले व्यक्तियो के लिए जैन शब्द का प्रयोग बाद मे प्रचलित हुआ था, पहले जैन मुनियो के लिए निर्ग्रन्थ शब्द काम मे आता था। इसी प्रकार हिन्दू शब्द भी बहुत अधिक प्राचीन नहीं है। चूर्ण साहित्य मे घुमक्कड जातियो के लिए 'हिण्डू' शब्द का व्यवहार है। प्राकृत भाषा मे हिण्ड धातु भ्रमण अर्थ मे प्रचलित है। कही लोकभाषा मे भी इसका व्यवहार होता है। भारत का इतिहास आर्यों की भ्रमणशीलता के बारे मे काफी स्पष्ट है इसलिए इस अर्थ की सगति बैठ सकती है।

हिन्दू शब्द भौगोलिक स्थिति के साथ भी अपना सम्बन्ध रखता है। सिन्धु नदी के नाम पर भी हिन्दू शब्द का प्रचलन सम्भव लगता है। सिन्धु का हिन्दू रूप उच्चारण-भेद से सम्मत है। अत नदी के उस पार रहने वाले लोगो ने इस

पार रहने वालों के लिए हिन्दू शब्द का प्रयोग किया होगा और आगे चलकर यह शब्द रूढ़ बन गया होगा। इसी प्रकार हिन्दू शब्द को व्युत्पत्ति की कपोपन पर भी कसा गया—‘हिंसया दूयते’—जो व्यक्ति हिंसा से दुःखी होता है, परित्याग होता है वह हिन्दू है। यह है शाब्दिक दृष्टि से ‘हिन्दू’ का इतिहास।

राष्ट्रीय सदर्भ में इस शब्द को पढा जाए तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हिन्दू शब्द स्वभावतः धर्म-परक नहीं है। इसका मूल सम्बन्ध राष्ट्र से है। हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता जिन लोगों को प्राप्त है, वे चाहे यहाँ पैदा हुए हैं, चाहे बाहर से आए हैं, हिन्दू कहलाने चाहिए। जापान, चीन आदि में पैदा होने वाले व्यक्ति चाहे वे किसी वर्ग या जाति से सबद्ध हैं, जापानी और चीनी कहलाते हैं। तब हिन्दुस्तान की गोद में पलने वाले हिन्दुस्तानी या हिन्दू क्यों नहीं कहलायेंगे? भारतीय लोग प्रादेशिकता के आधार पर अपने आपको बंगाली, बिहारी, गुजराती मानते हैं तब अखण्ड भौगोलिकता के आधार पर वे स्वयं को हिन्दुस्तानी क्यों नहीं मानेंगे?

अब आपके सामने ज्वलन्त प्रश्न है—जैन हिन्दू है या नहीं? कितना अटपटा वेबुनियाद और अर्थहीन है यह प्रश्न? किन्तु यह प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष का न होकर साधारण प्रश्न बन गया है, इसलिए इसका समाधान भी करना होगा। उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर हम जैनो को हिन्दुत्व से भिन्न नहीं कर सकते क्योंकि जैन भी हिन्दुस्तान में जन्मे हैं, पले-पुसे हैं और पल्लवित हुए हैं। हिन्दुमान को वे अपना राष्ट्र मानते हैं, अपना देश समझते हैं, इसे मातृभूमि का गौरव देते हैं, अतः जैन हिन्दू हैं। किन्तु हिन्दू का अर्थ किसी धर्मशास्त्र विशेष को मानना, उस पर आस्था रखना और उसके अनुसार आचरण करने वाला होगा तो जैन हिन्दू कैसे हो सकते? क्योंकि धार्मिक आस्था सबकी अपनी-अपनी होती है। भारतीय दर्शन की मुख्यतः दो धाराएँ हैं—वैदिक धारा और श्रमण धारा। धर्म धारा में बौद्धों और जैनो का समावेश है। इसका धार्मिक विश्वास वैदिक धर्म से भिन्न है। वैदिक धारा श्रमण धारा में विश्वास नहीं करती है तो श्रमण धारा भी वैदिक मान्यताओं को स्वीकार करे, यह जरूरी नहीं है। यद्यपि अच्छी बातें हर दर्शन को मान्य होनी चाहिए, ग्राह्य होनी चाहिए किन्तु जहाँ अपनी आस्था का विघटन होता हो, उसके स्वीकरण की स्थिति कैसे हो सकती है? भारतीय सविधान की धर्म-निरपेक्षता किसी भी व्यक्ति के धार्मिक विश्वासों में घन-पहुचाने के पक्ष में नहीं है।

वेदों का प्रामाण्य मानने वाला ही हिन्दू है, इस परिभाषा के साथ हिन्दू शब्द को धर्म के साथ जोड़ना, हिन्दू शब्द को साम्प्रदायिक और सकीर्ण बनाना है। मुझे तो लगता है कि केवल जैन ही क्या, अनेक वैदिक धर्मावलम्बी व्यक्ति भी इस परिभाषा से सहमत नहीं होंगे। हिन्दू संस्कृति एक उदार और मर्यादा

संस्कृति रही है। किसी भी धर्म या जाति को आत्मसात करने की अपूर्व क्षमता इसके पास रही है किन्तु इस सकीर्ण व्याख्या ने वह सारी उदारता समाप्त कर दी है। व्याख्या की सकीर्णता से हिन्दू लोग भी सकीर्ण बनते जा रहे हैं। सांप्रदायिक लडाइया और धार्मिक उन्माद सकीर्ण मनोवृत्तियों के ही प्रतीक हैं। ये दकियानूसी और सकीर्ण विचार युग-चेतना को गुमराह करने वाले हैं और युवाशक्ति को विघटित करने वाले हैं। दकियानूसी विचारधारा वाले धर्म-गुरुओं ने हिन्दू संस्कृति को, हिन्दू धर्म को सकीर्ण सीमाओं में बाधकर हिन्दुस्तानवासियों का हित नहीं किया है। हमारे अभिमत से हिन्दुत्व को भौगोलिक और राष्ट्रीयता के साथ जोड़कर हिन्दुस्तान में पलने वाले सब धर्मों को हिन्दू धर्म के रूप में स्वीकार किया जाए तो सारी उलझने समाप्त हो जाएगी।

कोई भी सुलझा हुआ व्यक्ति हिन्दू शब्द को सकीर्ण बनाने के पक्ष में नहीं होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके नेता गुरु गोलवलकरजी, विश्व हिन्दू परिषद् के कुछ व्यक्ति और आज के तटस्थ विद्वान् 'हिन्दू' के बारे में जिस क्रम से सोच रहे हैं, उससे हमारी धारणाओं के साथ सामंजस्य स्थापित हो रहा है।

अब आप लोगों का दूसरा प्रश्न है कि यदि जैन हिन्दू है तो वे जनगणना में अपने आपको जैन क्यों लिखवाते हैं ? यह तो सीधी और स्पष्ट बात है। सरकार की ओर से जनगणना-परिपत्रों में ऐसी व्यवस्था दी गयी है। वहाँ धर्म का जो कोष्ठक है वहाँ पूछा गया है—धर्म हिन्दू है या जैन ? हिन्दू और जैन का वर्गीकरण जब सामने है तो कोई भी जैन धर्म में विश्वास करने वाला स्वयं को जैन क्यों नहीं लिखाएगा ? मैं तो मानता हूँ कि यदि हमें हिन्दुस्तान की नागरिकता स्वीकार करने वाले सब लोगों को हिन्दू मानना है तो धर्म के वैकल्पिक कोष्ठकों में हिन्दू शब्द रखा ही क्यों जाए ? वैसे जैन धर्म हिन्दुस्तान में जन्मा है, पला है, पनपा है, विकसित हुआ है, इस स्थिति में वह हिन्दू धर्म कैसे नहीं कहलाएगा ! किन्तु इसे धर्म की सकीर्ण परिधि से बाहर निकालना होगा। हिन्दू शब्द की असकीर्ण व्याख्या से दूसरे करोड़ों व्यक्ति अपने आपको हिन्दू कहने में गौरव का अनुभव कर सकेंगे।

अब आप लोग पूछेंगे कि राष्ट्रीयता या नागरिकता की दृष्टि से हर कौम के व्यक्ति हिन्दू है तो जैनो को हिन्दू कहने में क्या आपत्ति है ? मैंने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है, अब यह प्रश्न आप उन लोगों से पूछिए जो जैनो को हिन्दुओं से अलग रखना चाहते हैं। मैं अपना अभिमत स्पष्ट कर सकता हूँ किन्तु अन्य लोगों के चिन्तन का क्या आधार है, यह तो उनके बताने की बात है।

मेरे अभिमत के अनुसार भारतीय संस्कृति या हिन्दू संस्कृति के निर्माण में उन सब धर्मों का योग है जो हिन्दुस्तान की धरती पर पनपे हैं। सब धर्मों का अस्तित्व भिन्न-भिन्न है, सबकी मान्यताएँ भिन्न-भिन्न हैं। इस स्थिति में एक

वैदिक धर्म को हिन्दू धर्म मानना, अथवा वैदिक और हिन्दू को एक-दूसरे का पर्याय शब्द मानकर अन्य सब धर्मों—जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, सिक्ख, मुसलमान आदि को हिन्दू न मानने के पीछे हिन्दू शब्द की सकीर्ण व्याख्या के अतिरिक्त और क्या हेतु हो सकता है? मैं समझता हूँ अब इस सम्बन्ध में और अधिक स्पष्टीकरण की अपेक्षा नहीं है। आप लोग स्वयं सोचें, स्वयं समझें, अपनी प्रतिक्रिया का निराकरण करें। शिविर में सम्मिलित प्रगतिशील जिज्ञासु युवक व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से ऐसे विवादास्पद विषयों पर चर्चा करें, अपना ज्ञान और अनुभव बढ़ाएँ तथा अपने समाज को सही दिशा दें।

जैन दर्शन की मौलिक आस्थाएं

आचार्य अपने शिष्यों को दर्शन का अध्ययन करा रहे थे। दर्शन के गम्भीर तथ्य और शैक्ष मुनियों की अपरिपक्व बुद्धि जब परिपक्व नहीं होती, परिणत नहीं होती, अर्थबोध सम्यग् नहीं हो पाता। अपरिणत की भांति अतिपरिणत व्यक्ति कभी तत्त्व का समुचित ग्रहण नहीं कर सकता; इसलिए परिणतता या परिपक्वता की स्थिति बहुत जरूरी है। आचार्य अपने शिष्यों को पूर्वीय और पाश्चात्य सब दर्शनों में विशेषज्ञ देखना चाहते थे, अतः एक साथ कई दर्शनों के ग्रन्थ प्रारम्भ करवा दिए। शिष्य अवस्था और ज्ञान, दोनों दृष्टियों से अपूर्ण थे। अपने दर्शन की उन्हें सामान्य जानकारी भी नहीं थी। अन्य दर्शनों की विभिन्न मान्यताओं में वे उलझ गए। आचार्य ने उनकी उलझन का अध्ययन किया और कुछ समय के लिए दूसरे दर्शनों का अध्यापन स्थगित करने का निर्णय लिया। अब आचार्य उन पर कड़ा परिश्रम करने लगे। फिर भी क्रम व्यवस्थित नहीं बना। शिष्यों के मस्तिष्क में वे विचार, वे मान्यताएं परिक्रमा लगाने लगे जो उन्हें विस्मृत करने थे। आचार्य के सब उपाय निष्फल हो गए। शिष्यों के मन में आचार्य की योग्यता के प्रति सन्देह होने लगा। सन्देह अश्रद्धा जो जन्म देता है, अश्रद्धा से मानसिक प्रबलता क्षीण हो जाती है और व्यक्ति किंकर्तव्यविमूढ हो जाता है।

इस घटना से हमें प्रेरणा मिलती है अपने दर्शन को सूक्ष्मता से जानने की, गहराई से समझने की। सम्भवतः इसीलिए आप लोगो ने जैन दर्शन की मौलिक आस्थाओं के सम्बन्ध में जिज्ञासा की है। जो जिज्ञासा आपने की है, तीव्रता से करे। आपके मन में गहरी तडप जगे, तीव्र आकाक्षा जगे, जैन दर्शन के रहस्यों को जानने की। तीव्रता के बिना व्यक्ति पूर्णता तक नहीं पहुँच सकता। यह तीव्रता जिसमें हो जाती है उसे और कुछ दिखाई नहीं देता। भारी कोलाहल में भी उसे कुछ सुनाई नहीं देता। उसकी आंखों में एक ही दृश्य, एक ही सपना और एक ही उत्सुकता रहती है।

एक युवक आत्मा के बारे में जिज्ञासु था। उसने सुना, अमुक स्थान पर

अमुक महात्माजी बहुत ज्ञानी हैं। दिनभर भक्तों से घिरे रहते हैं और उन्हें ज्ञान की बातें बताते हैं। युवक उस दिशा में चला। महात्मा जी एक मन्दिर में रहते थे। वहाँ पहुँचकर उसने अत्यन्त उत्सुकता से अपनी जिज्ञासाएँ रखी। किन्तु महात्माजी मौन थे। निकट बैठे एक भक्त ने कहा—पहले तीन बार मन्दिर की प्रदक्षिणा करो, सात बार महात्माजी के चरण-स्पर्श करो। यहाँ की विधि ही नहीं जानते हो, कैसे मिलेगा तुमको ज्ञान? युवक कुछ गंभीर होकर बोला—‘महात्माजी, पहले मुझे समाधान दो, उसके बाद सौ बार चरण स्पर्श कर लूँगा, प्रदक्षिणा कर लूँगा। किन्तु इस समय मैं प्रदक्षिणा के लिए जाऊँ और मेरा प्राण तो हो जाए तो? क्या आप मुझे उतने समय तक जीवित रहने का प्रमाणपत्र दे सकते हैं? यदि नहीं तो पहले मुझे अपने प्रश्नों का हल खोजना है, समाधान पाना है। मेरे असमाहित प्राण मुझे कुछ करने नहीं देंगे।’

उत्साही तरुणो! क्या आप लोगों के मन में अपने दर्शन को समझने की इतनी गहरी आकुलता है? उत्सुकता है? तडप है? आकाक्षा है? है तो लो, मैं बहुत ही सक्षेप में अपने विचारों को आपके लिए संप्रेषित कर रहा हूँ।

जैन दर्शन विश्व के सभी दर्शनों से विलक्षण है, क्योंकि इसकी आस्थाएँ विलक्षण हैं। यो हर दर्शन की आस्थाओं में कुछ न कुछ विलक्षणता रहती ही है। पर जैन दर्शन की मौलिक स्थापनाएँ सचमुच आश्चर्यकारी हैं। आत्मवाद, आत्मकर्मत्ववाद, कर्मवाद, अनेकान्तवाद, समतावाद, जातिवाद की अतात्त्विकता आदि अनेक तथ्य ऐसे हैं जो जैन दर्शन की मौलिकता को अभिव्यक्ति देते हैं।

आत्मवाद

दर्शन का मूल है आत्मा। आत्मा के अभाव में दर्शन की उत्पत्ति संभव नहीं है। आत्म-दर्शन ही सबसे बड़ा दर्शन है। आत्मोपलब्धि या सत्योपलब्धि जैन दर्शन की चरम उपलब्धि है। आत्मा है और वह सर्वशक्ति-सम्पन्न है किन्तु कुछ पुद्गलों के आवरण और विकरण से उस शक्ति का उपयोग नहीं हो सकता। ऐसी आत्मा संसारी या आवृत आत्मा कहलाती है। सब प्रकार के आवरणों और विकारों में मुक्त शुद्ध चैतन्य आत्मा का मूल स्वरूप है। वह मुक्त आत्मा, सिद्ध आदि शब्दों से भी अपना स्वरूप विश्लेषण करती है। चैतन्य आत्मा का लक्षण या स्वरूप है। वह अरूप है इसलिए आँखों का विषय नहीं है। हर आत्मा परमात्मा बनने की क्षमता रख सकती है। पर कोई परमात्मा उन्हें विकास या ह्रास की स्थिति में नहीं ला सकता। कर्म-मुक्त आत्मा परमात्मा है, पर कोई भी आत्मा परमात्मा का अर्थ नहीं है, उसके अधीन नहीं है।

हर आत्मा में अनन्त चेतना शक्ति है। हर आत्मा में मीमाहीन ज्ञान-दर्शन की उपस्थिति है पर उनका विकास समान नहीं है। उनका विस्तार एक-रूप नहीं

है। चेतना-विकास का तारतम्य कर्म-हेतुक है। आत्मा का कोई रूप नहीं है इसलिए वह हमारे लिए प्रत्यक्ष भी नहीं है। हमारे ज्ञान के साधक तत्त्व है— इन्द्रिया और मन। इन्द्रिया रूपवान पदार्थों का ज्ञान करती है। मन की पहुँच भी इन्द्रियगम्य विषयो तक सीमित है अतः वह दृश्य नहीं है। फिर भी 'स्व-सवेदन'— मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, सकलनात्मक बोध—प्रत्येक इन्द्रिय द्वारा अपने-अपने विषय का ग्रहण होने के बाद उनका समग्र अवबोध और चैतन्य गुण आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। आत्मा का न कोई आकार है, न रूप, न वह हल्की-भारी है, न स्त्री है, न पुरुष। वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप, निराकार और स्व-सवेदन वेद्य है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा आदि जिज्ञासाएँ आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करती हैं। यदि आत्मा, जीव या चेतन नामक तत्त्व नहीं होता तो उसके प्रतिपक्षी अनात्मा, अजीव, अचेतन आदि शब्द अस्तित्व में क्यों आते? आत्मतत्त्व नहीं होता तो मृत शरीर में इन्द्रिया सक्रिय क्यों नहीं रहती? ये सब तथ्य आत्मा और उसके स्वतन्त्र अस्तित्व में साधक हैं। ससारी आत्माओं का सकोच-विस्तार विविध रूपों में है। एक चीटी और एक हाथी की आत्मा असंख्य-प्रदेशात्मक होने पर भी अपने-अपने शरीर से सापेक्ष है। जैन दर्शन आत्मा को देह परिमाण स्वीकार करता है।

आत्म-कर्तृत्व

आत्मा अपने सुख-दुःख की कर्त्ता स्वयं है। कर्म करने वाली आत्मा को ही उसका फल भोगना होता है। आत्म-कर्तृत्व जैन दर्शन का महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त को न मानने तो सृष्टि की विचित्रता घटित नहीं हो सकती। इसमें ईश्वर का योग मानने तो वह राग-द्वेष से मुक्त नहीं रह पाता। ईश्वर किसी को सुखी और किसी को दुःखी बनाएगा, उसके पीछे पक्षपातपूर्ण दृष्टि काम करेगी। पक्षपात राग-द्वेषजन्य है। ईश्वर राग-द्वेष-मुक्त होता है अतः ईश्वर कर्तृत्व का सिद्धान्त बुद्धिनाम्य नहीं होता।

कर्मवाद

जैन दर्शन के अनुसार ससार की विचित्रता का हेतु है कर्म। अविद्या, वासना, या अदृष्ट शब्द कर्म के ही द्योतक हैं। कर्म एक स्वतन्त्र तत्त्व है। आत्मा की अनन्त शक्तियों को प्रभावित करने की क्षमता है इस छोटे-से कर्म तत्त्व में। शुद्ध आत्मा पर कर्म का कोई असर नहीं होता, पर ससारी आत्माएँ कर्म के अधीन हैं। कर्म पुद्गल द्रव्य है, अजीव है। वह आत्मा का गुण नहीं है, फिर भी आत्म-प्रदेशों के साथ एकीभूत होकर रहता है। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से

कर्म बन्धन की चार अवस्थाएं हैं। इनके आधार पर ही बद्ध कर्म फल देते हैं। आत्मा को जो सुख-दुःख की अनुभूति होती है। वह कर्मजन्य है। आत्मा और कर्म अनादिकाल से एक साथ रह रहे हैं। पूर्व-निबद्ध कर्म टूटते हैं, उनके साथ ही नये कर्मों का बन्ध हो जाता है। इस दृष्टि से ससारी आत्मा एक क्षण भी कर्म-भुक्त नहीं हो सकती। आत्मा की प्रमत्तता कषाय और योग कर्म बन्ध के मुक्त हेतु है। बद्ध कर्म आत्म-गुणो पर आवरण डालते हैं, विकृति पैदा करते हैं और प्राप्तव्य वस्तु का प्रतिरोध करते हैं। जिन कर्मों का बन्धन मन्द विचारो से होता है, उनका फल-भोग कम-अधिक हो सकता है किन्तु तीव्र परिणामो के फल को टाला नहीं जा सकता।

यहां प्रश्न हो सकता है कि आत्मा चेतन है, शक्ति-सम्पन्न है, अचेतन कर्मों का प्रभाव उस पर कैसे हो जाता है? अचेतन कर्म भी अनुकूल-प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न करने में सक्षम है। जैसे मादक और विषैले पदार्थों का प्रभाव तत्काल दिखलाई पड़ता है वैसे ही कर्म पुद्गल अनुकूल और प्रतिकूल फल दे सकते हैं। अनादिकाल से सम्बद्ध कर्म भी विशेष साधना से आत्मा से अलग हो सकते हैं। जैसे अन्योन्य सश्लिष्ट स्वर्ण और मिट्टी, तिल और तैल भिन्न-भिन्न हो सकते हैं वैसे ही आत्मा भी कर्मों का सम्बन्ध विच्छिन्न कर मुक्त हो सकती है। जैन-दर्शन कर्मवाद को मानता है पर इसके आधार पर वह अकर्मण्यता को प्रोत्साहन नहीं देता। पुरुषार्थ के प्रबल आधार पर आत्मा हर स्थिति का मुकाबला कर सकती है।

अनेकान्तवाद

संसार की हर वस्तु अनन्त-धर्मात्मक है। सासारिक प्राणी की ग्रहण-शक्ति और प्रतिपादन बहुत सीमित है। सीमाहीन को एक सीमा में आवद्ध कर उसे व्यावहारिक रूप देना, जैन दर्शन की अद्वितीय क्षमता है। अनेकान्तवाद का अर्थ है वस्तु में अनन्त धर्मों का स्वीकार। सचेतन, अचेतन, छोटी-बड़ी कोई भी वस्तु अनन्त धर्मों का पिण्ड है। उस अनन्त-धर्मात्मक वस्तु में शेष सब धर्मों को गौण कर एक धर्म विशेष के प्रतिपादन की पद्धति का नाम स्याद्वाद है। अनेकान्तवाद और स्याद्वाद जैन दर्शन की मौलिक दोनों में विशिष्ट हैं। केवल दर्शन के क्षेत्र में ही नहीं, हमारे व्यावहारिक जीवन की अनेक-अनेक समस्याओं को समाधान इन्हीं से मिलता है। हर चिन्तन और कथन के पीछे कोई न कोई अपेक्षा रहती है। उस अपेक्षा को नहीं समझने से स्थिति जटिल बन जाती है। स्याद्वाद उन अपेक्षाओं को ध्यान में रखने की दिशा देता है, जिनके आधार पर प्रतिपाद्य वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है। कुछ विचारक स्याद्वाद को सशयवाद कहकर टाल देते हैं किन्तु यह तत्त्व को सम्यक् रूप से नहीं समझने का परिणाम है। स्याद्वाद—कथंचिद्वाद

किसी अपेक्षा से यह सत्य है, किसी अपेक्षा से यह भी सत्य हो सकता है, इस चिन्तन से आग्रह की स्थिति समाप्त होती है। समन्वय, सह-अस्तित्व, सौहार्द, समझौता और अनाग्रह भाव का विकास होता है। स्याद्वाद जीवन की सही दिशा है। व्यक्तिगत और सामूहिक हर समस्या का समाधान इसमें सन्निहित है। अनेकान्तवाद और स्याद्वाद दार्शनिक और सैद्धान्तिक स्तर पर जितना महत्त्व रखते हैं, उससे भी अधिक उपयोगी हमारे व्यावहारिक जीवन में हैं।

समतावाद

ससार के छोटे-बड़े सभी प्राणी के प्रति आत्मौपम्य भाव का विकास समतावाद है। सब प्राणियों की आत्मा समान है। सब में सुख-दुःख की अनुभूति है। देह की सूक्ष्मता या स्थूलता के आधार पर चेतना-तत्त्व में न्यूनाधिक्य नहीं होता। 'पुरिसा तुमसि नाम सच्चेव ज हतव्वति मन्नसि—जिसे तुम मारना चाहते हो वह तुम ही हो। कितना गहरा है यह दर्शन! आज विश्व के कुछ भूखण्डों में साम्यवाद की चर्चा है। उसके प्रयोग भी हुए हैं, किन्तु जैन-दर्शन के समतावाद की तुलना में यह नहीं आ सकता। साम्ययोग, साम्य भाव या समतावाद का सिद्धांत विश्वात्मा के साथ ऐक्यानुभूति में फलित होता है। वैचारिक और मानसिक स्तर पर भी किसी प्राणी को पीड़ित या परितापित करना समतावादी को मान्य नहीं हो सकता। लाभ-अलाभ, सुख-दुःख, निन्दा-प्रशंसा, मान-अपमान, जीवन-मरण, अनुकूलता-प्रतिकूलता—ये जितने द्वन्द्व हैं, उनमें सम रहने का अभ्यास जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। समतावाद का आदर्श समग्र मानव-जाति के लिए सुखद और शान्तिप्रद है।

जातिवाद की अतात्त्विकता

जैन-दर्शन जातिवाद में विश्वास नहीं करता। 'एकैव मानुषी जाति'—मनुष्य जाति एक है। उसका विभाजन, उसका विघटन मानवीय मूल्यों का विघटन है। आचरण के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, व्यक्ति की नीतियों के आधार पर, मनुष्य जाति अपने आप अनेक-अनेक वर्गों में विभाजित हो जाती है। यह विभाजन नैसर्गिक है। इसे हम चाहे या न चाहे, टाला नहीं जा सकता। किन्तु कल्पित भेदों का निर्माण कर हम मानवता को विघटित होने से नहीं बचा सकते। जैन-दर्शन के अनुसार जातिकृत भेद कल्पित है। जातिवाद कोई शाश्वत तत्त्व नहीं, समाज की व्यवस्था है। जाति और रंग के आधार पर मनुष्य को मानवीय अधिकारों से वंचित रखना मानवता का अपराध है। मनुष्य की उच्चता और नीचता का मानदण्ड जाति नहीं बन सकती। 'णो हीण णो अइरित्ते'—न कोई हीन है और न कोई अतिरिक्त है। मानवीय भूमिका पर सबको समान अधिकार

प्राप्त है। मनुष्य-मनुष्य की मानवता को किसी भी आधार पर तोड़ा नहीं जा सकता। मनुष्य जाति में विभाजन का प्रबल तत्त्व कोई है तो वह है कर्म। अनेक कर्म के आधार पर मनुष्य ऊँच-नीच, अच्छा-बुरा बनता है। पर इसे शाश्वत मूल्य नहीं दिया जा सकता। कर्म-परिवर्तन के साथ व्यक्ति-परिवर्तन का सिद्धान्त अधिक संगत है। भगवान् महावीर ने कहा—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—यह परिकल्पना कर्माश्रित है। इस परिकल्पना के आधार पर स्पृश्यता और अस्पृश्यता की बात यथार्थ कैसे हो सकती है? अस्पृश्यता मानवता का कलक है अभिशाप है। जैन दर्शन इसे कभी मान्यता नहीं देता। एक उच्चकुल-प्रसूत व्यक्ति नीच कर्म करने पर भी अस्पृश्य नहीं होता तब तथाकथित हीन कुलों में उत्पन्न होने वाले सदाचारी व्यक्तियों को अस्पृश्य मानना क्या युक्तिसंगत हो सकता है?

महारथी कर्ण पांडवों का अपना भाई था। उसका लालन-पालन एक सारथि के घर हुआ। लेकिन उसकी प्रसिद्धि सारथि के औरस-पुत्र के रूप में हुई। इसीलिए उसके शौर्य की अवमानना की गई। शस्त्रविद्या में कौरवों-पांडवों से अधिक निष्णात होने पर भी उसे अपनी योग्यता को अभिव्यक्ति देने का अवसर नहीं दिया गया। इस प्रताड़ना से व्यथित होकर कर्ण ने कहा—

सूतो वा सूत-पुत्रो वा, यो वा को वा भयाम्यहम् ।

दैवायत्तं कुले जन्म, मदायत्तं तु पौरुषम् ॥

—मैं सारथि हूँ। सारथि का पुत्र हूँ या और कुछ हूँ, किस कुल में मेरा जन्म होता है, यह नियति के अधीन है, भाग्य के हाथ में है। मेरे अधीन है मेरा पुरुषार्थ, वह कहीं भी किसी भी परिस्थिति में मेरे साथ रहेगा।

जैन दर्शन पुरुषार्थवाद के माध्यम से जातिवाद को कड़ी चुनौती देता है। जो लोग अपने-आपको उच्च जाति से सम्बद्ध रखना चाहते हैं उसका आधार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यह वर्ण-व्यवस्था नहीं, मानवीय मूल्य होंगे। मानवता को विघटित करने वाला कोई भी वाद और कोई भी व्यवस्था समाज में अधिक समझकर मनुष्यता के स्तर पर जीना है और दूसरों को ऐसे ही जीवन का बोध देना है। इसी तरह एकेश्वरवाद, देववाद, अन्ध-भक्तिवाद एवं कर्मकाण्डों का अनुपादेयता को स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर जैन दर्शन की वैज्ञानिकता का प्रतिपादन करना है।

जैन दर्शन की इन मौलिक आस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में इसकी हर दृष्टि को, हर चिन्तन को हम समझे और जैन सस्कृति के अभ्युदय में योग्यभूत बनें। हमारा सस्कृति, हमारा दर्शन हमें सापेक्ष दृष्टि देता है। किसी भी प्रकार के दुराग्रह से वह त्याज्य मानता है। हम अपनी आस्थाओं को जैन दर्शन की आस्थाओं

कषोपल पर कसे और अपने समाज में सम्यक् आस्था का निर्माण करें। आस्था हमारे जीवन का बहुत बड़ा सम्बल है। नीरस बुद्धिवाद हमारी आस्थाजन्य सरसता को न खो दे, इसके लिए युवा पीढ़ी को सतर्क रहना है। युवा वर्ग की आस्थाओं के उज्ज्वल भविष्य की पुण्य कामना करता हुआ मैं इस साप्ताहिक शिविर का समापन करता हूँ और आशा करता हूँ कि शिविरकाल में प्राप्त अनुभवों और विचारों से लाभान्वित होते हुए आप समग्र मानव समाज को लाभान्वित करेंगे।

बालक के निर्माण की प्रक्रिया

सहजता

इस मानव-लोक का सबसे अधिक सुन्दर, प्रिय और आकर्षक बिन्दु है बालक। उसका निर्विकार सौन्दर्य अनायास ही मन को मुग्ध कर लेता है। काश, मनुष्य विकास की अभीप्सा को छोड़ अपने बालकपन को सुरक्षित रख पाता। बालक की सरलता, निश्छलता, सहजता, आत्मीयता आदि गुण अवस्था विशेष में अनुबन्धित न रहे और बढ़ती हुई उम्र के साथ मनुष्य का अनुगमन करते रहे तो अवस्था से युवा या वृद्ध होने पर भी जीवन की मौलिकता सुरक्षित रह सती है। मौलिकता का जितना ह्रास होता है, आदमी उतना ही कृत्रिम बन जाता है और उसके प्रति होने वाली प्रियता या अप्रियता का सम्बन्ध उसकी उपयोगिता से जुड़ जाता है।

तीर्थकरो के लिए कहा जाता है कि उनका शरीर विना अलकार अनट्टा रहता है। इस कथ्य की पुष्टि में उदाहरण दिया जाता है शिशु का। शिशु की प्रत्येक क्रिया स्वाभाविक होती है। उसका रोना, हसना, खेलना, बोलना यहाँ तक कि रूठना भी सहज लगता है। उसकी तुतलाती बोली में भी विशेष प्रकार का आकर्षण होता है। बड़े-बूढ़े सब उसका अनुकरण करना चाहते हैं। प्रश्न हो सकता है कि ऐसा क्यों होता है? बालक की इस सर्वप्रियता का राज क्या है? सीधा-सा समाधान है इस प्रश्न का, वह है उपचारहीनता। बालक के जीवन में उपचार नाम की कोई चीज नहीं होती। वह जैसा है, उससे अतिरिक्त दिग्दर्श देने में उसे कोई रस नहीं होता। उसकी यह सहजता ही सबको अपनी ओर खींचने में निमित्त बनती है।

सत्यता

जैन आगमों में सत्य के चार प्रकार बतलाए गये हैं—

काय ऋजुता—शरीर की छलना-रहित प्रवृत्ति ।

भाव ऋजुता—मन की छलना-रहित प्रवृत्ति ।

भाषा ऋजुता—वचन की छलना-रहित प्रवृत्ति ।

अविसवादिता—कथन और आचरण का अविरोध ।

बालक के जीवन में ये चारों बातें सहज होती हैं, इसलिए उसकी बात में पूर्वापर विरोध नहीं होता और न ही उसके व्यवहारों में किसी प्रकार लुकाव-छिपाव या प्रदर्शन जैसा कोई तत्त्व होता है । बालक के जीवन में सत्य का सहज अवतरण होता है, जबकि बड़ा होने के बाद सत्य की शिक्षा देनी पड़ती है । बच्चे को सिखाने पर भी असत्य बोलना नहीं आता । उसके कथन मात्र से यह बात प्रकट हो जाती है कि वह जो कुछ कह रहा है, सिखाया हुआ कह रहा है ।

एक बार पिता ने अपने पुत्र से कहा—बाहर जो व्यक्ति मेरे बारे में पूछ रहा है, उसे कह दो कि अभी पिताजी घर में नहीं हैं । बालक सहजभाव से उस व्यक्ति के पास जाकर बोला—पिताजी कह रहे हैं कि अभी पिताजी घर में नहीं हैं । जिसने भी इस बात को सुना, वह बच्चे की सरलता पर मुग्ध हुए बिना नहीं रह सका ।

एक छोटी बच्ची स्कूल गयी । वहाँ पहले दिन उसकी मँडम ने सिखाया—परस्पर गाली-गलौज नहीं करना चाहिए । बच्ची घर आयी । उसने अपनी मम्मी को गाली-गलौज करते देखा तो वह बोली—मँडम ने कहा है गाली देना बहुत बुरी बात है । उसकी मम्मी ने सुना-अनसुना कर दिया ।

दूसरे दिन वह स्कूल गयी । मँडम ने उसको बोध-पाठ दिया—किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए । वह घर गयी । द्वार पर किसी भिखारी को अपने पिता द्वारा तिरस्कृत होते देख उसने धीरे में कहा—पापा ! किसी का तिरस्कार मत करो । पिता ने बिना कुछ सोचे-समझे उसके नाजुक कपोल पर एक चाटा जड़ दिया । तीसरे दिन उसकी मँडम ने कहा—झूठ बोलना पाप है । घर पर माता ने उसको झूठ बोलने की प्रेरणा दी । इस विसर्गति से बच्ची सहम गयी । अगले दिन स्कूल जाने का समय हुआ । स्कूल की बस घर से बाहर खड़ी थी । माता-पिता दोनों उसे जल्दी तैयार होने के लिए कह रहे थे । वह अनमनी होकर बोली—मम्मी ! मैं स्कूल नहीं जाऊँगी । 'क्यों ?' इस प्रश्न के उत्तर में वह बोली—वहाँ मँडम सब कुछ गलत पढ़ाती हैं ।

स्कूल में जो कुछ सुना, सीखा, घर में उससे सर्वथा विपरीत आचरण से बच्ची का मन घबराहट से भर गया और उसने स्कूल जाने से इनकार कर दिया । किन्तु धीरे-धीरे असत्य बोलने का भी अभ्यास हो जाता है । फिर कुछ भी कहने और करने में मन प्रकपित नहीं होता । बचपन में सत्य की अभिव्यक्ति स्वाभाविक

प्रक्रिया होती है। आगे चलकर असत्य-भाषण स्वाभाविक बन जाता है। इसी-
जिसे सत्यनिष्ठ रहना है, उसे अपना बालकपन सजोकर रखना ही होगा।

वर्तमान में जीना

वर्तमान में जीना योगविद्या का प्रमुख सूत्र है। योग के साधक प्रयत्नपूर्वक व्रत-
क्षण में जीने का अभ्यास करते हैं। सलक्ष्य अभ्यास करने पर भी वह दिव्य
किसी विशिष्ट योगी को ही उपलब्ध हो पाती है, जबकि बालक वर्तमानजीवित
होता है। वह अतीत की स्मृति नहीं करता और भविष्य की कल्पना में उसे
उलझता। उसके पास कोई एक वस्तु है, उसे उससे छीन लेने पर एक क्षण
रुआंसा होता है, किन्तु दूसरी वस्तु मिल जाने पर दूसरे ही क्षण खुश हो जा
है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के वियोग का उसके मन पर दीर्घकालीन प्रभाव
नहीं होता। बालक की यह वर्तमानजीविता ही उसे स्वास्थ्य, सुख और प्रसन्न
देने वाली है।

प्रभु यीशु एक बगिया के निकट से गुजरे। साथ में उनके कुछ मित्र थे। उन्हीं
मित्रों का ध्यान बगिया की ओर आकृष्ट करते हुए कहा—'देखो, ये फूल बि
रहे हैं। इन्हें पता नहीं है, कल सूरज उगेगा या नहीं? पौधों को पानी मिलेगा
नहीं? पर आज ये सम्पूर्ण रूप से खिले हुए हैं। कल के साथ इनका कोई अनुभव
नहीं है। इसीलिए ये इस रूप में खिले हुए हैं। मनुष्य कल की चिन्ता और
व्यवस्था करता है। परसों की चिन्ता और व्यवस्था करता है। भावी पीढ़ी की
चिन्ता और व्यवस्था करता है। अपनी कन्न की भी चिन्ता और व्यवस्था करता
है। भविष्य की चिन्ता में आज की विस्मृति हो जाती है। आज का मूल्य चुक
जाता है। आज की हत्या हो जाती है और आदमी कभी वर्तमान में जीना
सकता। बच्चा अपने आज को जीवित रखता है। इसीलिए वह कुछ वन
है।

अभय

बालक अभय होता है। भय के साथ उसका कोई संपर्क नहीं होता। वह आग
हाथ डाल लेता है और साप को पकड़ने के लिए तत्पर रहता है। हाथ जल जा
या सांप काट लेगा, ऐसी भय-चेतना उसमें सक्रिय नहीं रहती। कठिन-मे-
काम करते समय भी उसमें किसी प्रकार की झिझक नहीं होती। कहा जा स
है कि उसमें सोचने-समझने की शक्ति नहीं होती। उसका बुद्धिबल और विवेक
जागृत नहीं होता। यह प्रश्न सोच-समझ या बुद्धि-विवेक का नहीं, महज मान
गुण का है। अभय बालक का सहज गुण है। वह भय को जानता ही नहीं है।
उसे सिखाया जाता है। बच्चा जब भी रोता है, आप्रह करता है या ऐगा

रता है, जिससे बड़े लोगो को डिस्टर्ब होता है तब वे कहते हैं—भूत ले जाएगा, हावा पकड़ लेगा, कान काट लेगा, हाबू खा जाएगा आदि। ऐसे प्रसंग भय की ज्ञान को जगाते हैं अथवा बच्चे को असत्य बोलना सिखाते हैं।

गृहिणी रसोई में विशेष खाद्य पदार्थ बनाती है और उसे अलमारी में रख देती है। छोटे बच्चे ने अलमारी खोलने का प्रयत्न किया तो गृहिणी बोली—बेटा! अलमारी के अन्दर हाबू बैठा है। इसे खोलना मत। खोलोगे तो हाबू खा जाएगा। बच्चा एक बार तो सहमा। पर बार-बार उसमें मिठाई रखते देख उसका मन ललचा गया। एक दिन उसने मा की आख बचाकर अलमारी को थोड़ा-सा खोला। शायद किसी कोने से हाबू निकल आये, इस डर से वह कुछ देर खड़ा रहा। किन्तु जब भीतर से कोई बाहर नहीं आया तो उसने हिम्मत कर अलमारी खोल ली। वहाँ रखी हुई मिठाई को बच्चे ने जी-भर कर खाया और अलमारी बन्द कर दी। कुछ देर बाद गृहिणी ने किसी काम से अलमारी खोली। बच्चे की करतूत उससे छिपी नहीं रही। उसने बेटे को बुलाकर कहा—‘बोलो, अलमारी किसने खोली? मिठाई किसने खायी?’ बच्चे ने सारी व्यवस्था पहले से सोच रखी थी। वह तटस्थ भाव से बोला—‘मा! मुझे क्या पता? तुम कह रही थी कि इसमें हाबू रहता है। मिठाई वहीं खा गया होगा।’

बच्चे के इन बोलो ने मा की विचार-चेतना को जगा दिया। उसे अपनी भूल का अनुभव हो गया। इस घटना से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि बच्चे के सस्कारों को विगाड़ने में माता-पिता की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है।

सच तो यह है कि बच्चे का लालन-पालन करना, उसे संरक्षण देना और सस्कारी बनाना बहुत कठिन है। संलक्ष्य बच्चों के निर्माण का प्रयत्न भी बहुत कम होता है। कुछ बच्चे ठोकरे खाते-खाते बन जाते हैं और कुछ विगाड़ जाते हैं। बालक का निर्माण करने के लिए माता का बालक बनकर रहना जरूरी है अन्यथा किसी भी बच्चे का निर्माण सही ढंग से नहीं हो सकता।

सामाजिकता एक समस्या

बालक में न वासना होती है, न तृष्णा होती है और न आकांक्षा होती है। उसके मन में कुछ और व्यवहार में कुछ, ऐसा भी नहीं होता। वह भूख बिना खाता नहीं और भूख लगने के बाद खाने बिना रहता नहीं। कुछ माताएँ समय की प्रतिबद्धता के क्रम से बच्चे को वार-वार दूध या दूसरे पदार्थ देती हैं। बच्चे को भूख नहीं होती, इसलिए वह खाना नहीं चाहता। उसे जवरन खिलाया-पिलाया जाता है। परिणाम यह होता है कि भूख के अभाव में भोजन को सुपाच्य बनाने वाले स्राव नहीं होते, फलतः बच्चा बीमार हो जाता है। उसे उल्टी या दस्त होने

लगते हैं। डॉक्टर का उपचार चलता है। एलोपैथिक औषधियों से पेट बन्द हो खराब हो जाती है और बच्चे का स्वास्थ्य एक समस्या बन जाता है।

बच्चा सहज होता है, इसलिए किसी प्रकार का वेग धारण नहीं कर सकता। जब और जहा इच्छा होती है, वह मलोत्सर्ग एवं मूत्रोत्सर्ग कर देता है। वह जैसे बड़ा होता है, उसे सामाजिकता सिखायी जाती है। इस शिक्षण-प्रक्रिया में मध्य वह वेग धारण करना भी सीख लेता है, जो उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से दुष्प्रभावी प्रमाणित होता है।

निर्माण की प्रक्रिया

बच्चा प्रकृति से कोमल होता है। वह किसी प्रकार की क्रूरता और प्रतिक्रिया को सहन नहीं कर सकता। उसके साथ क्रूर व्यवहार करना उसे क्रूर बनाने का प्रयत्न करना है। बच्चे में सग्रह करने की वृत्ति नहीं होती। वह अपने और पदों की भेदरेखा को नहीं जानता। ये सब ऐसी वृत्तियाँ हैं जो स्थायी रह सके। मनुष्य इस दुनिया का सर्वाधिक सुखी, सर्व प्रकार से सुन्दर और सर्वश्रेष्ठ प्राप्त हो सकता है।

बालक का निर्माता सृष्टि का निर्माता है। उसे प्रारम्भ से ही कुछ बातों में ओर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, जिससे बच्चे का सही निर्माण हो सके—

- ० बच्चे को हर बात की सही जानकारी दी जाए।
- ० उसकी जिज्ञासाओं का उत्तर देते समय झुझलाहट से बचा जाए।
- ० बच्चे में प्रारम्भ से ही अच्छी आदतें डालने का प्रयत्न किया जाए।
- ० बच्चे को प्रारम्भ से ही स्वावलम्बी बनाने की प्रेरणा दी जाए।
- ० बच्चे को बुरे व्यक्तियों के संपर्क से दूर रखा जाए।
- ० बच्चे को बोध देने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके काम में लिये जाए।
- ० बच्चे की सहजता को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया जाए।

संस्कार-केन्द्रों की भूमिका

बच्चे का निर्माण परिवार का निर्माण है, समाज का निर्माण है, राष्ट्र का निर्माण है। जिस राष्ट्र के बच्चे अनुशासित और चरित्रनिष्ठ नहीं होते, वह राष्ट्र कर्मशक्ति सपन्न और गौरवशाली राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें, शिक्षण संस्थान, सामाजिक और धार्मिक संस्थाएँ—इन सब का दायित्व है कि वे बच्चों के प्रति लापरवाही न बरतें। बल्कि उनके मनोविकास की योजनाओं को सही समय में क्रियान्वित करें।

हमारे समाज की एक सक्रिय संस्था है—अखिल भारतीय तरापय युवा

परिषद् । उसने सस्कार-केन्द्रो मे बच्चो को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है । इस निर्णय के अनुसार स्थान-स्थान पर सस्कार-केन्द्र खुल रहे है, पर अब तक उनकी कोई व्यापक प्रतिक्रिया सामने नही आयी है । अपेक्षा है, इस दिशा मे ठोस प्रयत्न हो । बच्चो को प्रशिक्षित करने के क्रम से उनके ग्रन्थितत्र पर भी ध्यान दिया जाए । जिन ग्रन्थियो को सक्रिय या निष्क्रिय रखने से बालको का विकास हो, उन्हे वैसा ही रखने के लिए कुछ विशेष प्रयोग कराए जाए ।

यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि बारह वर्ष की अवस्था के बाद भी किसी बच्चे की पीनियल ग्लैण्ड को सक्रिय रखा जा सके तो उसके व्यक्तित्व को विकसित किया जा सकता है । बारह वर्ष की अवस्था तक यह ग्रन्थि स्वतः सक्रिय रहती है और अपराधमूलक प्रवृत्तियो पर नियन्त्रण करती है । इस उम्र के बाद वह निष्क्रिय होने लगती है, किन्तु प्रयत्नपूर्वक उसको सक्रिय रखा जा सकता है ।

जीवन-विज्ञान एक ऐसा ही अभिक्रम है, जो ध्यान, प्राणायाम, कायोत्सर्ग, योगसन आदि माध्यमो से ग्रन्थितत्र को नियन्त्रित रखने का प्रशिक्षण देता है, प्रयोग करवाता है, जिससे आन्तरिक व्यक्तित्व का विकास होता है । शिक्षा-शास्त्रियो द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम बाह्य व्यक्तित्व को सवारता है, पर उससे जीवन की सर्वांगीण कला मे पारगामिता नही मिल सकती, क्योकि वह क्रम अपूर्ण है, अधूरा है । उसको पूर्णता दी जा सकती है पाठ्यक्रम के साथ जीवन-विज्ञान की शिक्षा को अनिवार्य करके । जीवन-विज्ञान बच्चो को सिखाता है कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे खाना, कैसे व्यवहार करना, इससे भी आगे, कैसे श्वास लेना ? इत्यादि । ये सब जीवन की बुनियादी बाते है । इन्हे सीखे बिना कोई भी बालक अपने सपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण नही कर सकता । आज ससार मे एक प्रतीक्षातुर सन्नाटा है, उसे तोडने के लिए प्रायोगिक कार्यक्रमो पर ध्यान केन्द्रित करना होगा । ऐसा होने से ही अन्तर्राष्ट्रीय बालवर्ष मनाने और बाल विशेषाक निकालने की सार्थकता है ।

युवक नयी दिशा खोलें

जीवन की तीन अवस्थाएं होती हैं—बचपन, यौवन और बुढ़ापा। बचपन अधूरा होता है, बुढ़ापा अक्षम होता है, जीवन को समूचेपन से जीने का समय है यौवन। 'मज्झिमेण वयसा एगे संवुज्झमाणा समुट्ठिता'—भगवान् महावीर की यह बानी युवावस्था को जीवन का मध्यकाल बताकर जागरूकता का सन्देश दे रही है। जो व्यक्ति मध्यम वय में सम्बुद्ध नहीं होता, क्षमताओं का उपयोग नहीं करता, वह फिर क्या करेगा? युग की सम-विषम परिस्थितियों से उत्पन्न और अनुभूत भाव बोध को अभिव्यक्त करने तथा जीवन की विरूपताओं को बदलने की उदर आकांक्षा इसी वय में जन्म ले सकती है।

यौवन को प्राप्त करना भी एक सुयोग है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो युग बनते ही नहीं। वे बचपन में सीधे बुढ़ापे में चले जाते हैं। युवावस्था के दौर में उन्हें भी गुजरना होता है, पर उनमें युवकत्व नहीं आता है। उनके निस्तेज चेहरे और कर्मचेतनाशून्य उच्छ्वास मात्र ही उस यौवन के साक्षी रहते हैं। इन्हें अधिक न तो वे अपने लिए कुछ कर पाते हैं और न समाज को ही कुछ दे पाते हैं।

कुछ लोग जीवन की तीनों अवस्थाओं पर क्रमशः आरोहण करते हैं। वे युग बनते हैं, फिर भी यौवन की उपयोगिता सिद्ध नहीं कर पाते। वे इतना सतर्क जीवन जीते हैं कि व्यक्तिगत स्पर्धाओं और महत्वाकांक्षाओं में उलझकर अपने ध्येय को विस्मृत कर देते हैं। उनका यौवन कार्यकारी तो होता ही नहीं, पतन-नाक प्रमाणित हो जाता है। युवाशक्ति जितनी विराट् और उपयोगी है, उतनी ही खतरनाक भी है, इस तथ्य को सामने रखकर युवाशक्ति का रचनात्मक उपयोग करने की जरूरत है।

गांधीजी से एक बार पूछा गया कि उनके मन की आश्वस्ति और निराला का आधार क्या है? गांधीजी बोले—'इस देश की मिट्टी में अध्यात्म के बीज हैं,

यह मेरे लिए सबसे बड़ा आश्वासन है। पर इस देश की युवा-पीढ़ी के मन से करुणा का स्रोत सूख रहा है, यह सबसे अधिक चिन्ता का विषय है। गांधीजी की यह चिन्ता सार्थक थी, क्योंकि किसी भी देश का भविष्य उसकी युवापीढ़ी होती है। यह पीढ़ी जितनी जागरूक, तेजस्वी, प्रज्ञावान, चरित्रनिष्ठ और सक्षम होगी, भविष्य उतना ही समुज्ज्वल और गतिशील होगा।

लक्ष्य की स्थिरता · सकल्प की दृढता

आज की युवापीढ़ी विसर्गितियों में जी रही है। एक ओर उसकी अपनी आकांक्षाएँ हैं। वह कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है। दूसरी ओर है उसके सामने लक्ष्यहीनता से जनमा हुआ भटकाव। कुछ बनने और करने का स्वप्न वहीं बिखर जाता है, जहाँ लक्ष्य की स्थिरता न हो। युवा पीढ़ी अपने जीवन के उस चौराहे पर खड़ी है, जहाँ उसे अपनी मजिल की पहचान नहीं है। वह निर्णय नहीं कर पा रही है कि किस दिशा में आगे बढ़ना श्रेयस्कर है। वह जिस धरती पर पाव टिकाकर चल रही है, उसकी ठोसता के बारे में स्वयं ही सदिग्ध है। इस सदेह की यातनाओं से वह इतनी विक्षिप्त हो गयी है कि उसकी विवेक-चेतना मूर्च्छित होती जा रही है। मूर्च्छा से भरा हुआ युवक निर्माण के स्वप्न लेता है, पर उसकी प्रवृत्ति की धारा ध्वस की ओर मुड़ जाती है। उसके भीतर जमा हुआ विद्रोह का लावा पिघलकर समूची मानवीय सभ्यता को क्षत-विक्षत और अपाहिज होने के लिए विवश कर देता है। यह स्थिति न उस पीढ़ी के लिए हितावह है और न समकालीन सामाजिक या राष्ट्रीय चेतना के लिए। इस दृष्टि से युवा पीढ़ी को अपना लक्ष्य स्थिर कर उसी को केन्द्र में रख अपनी प्रवृत्तियों को दिशा देनी चाहिए। जिसका लक्ष्य स्थिर नहीं, और लक्ष्य तक पहुँचने का सकल्प दृढ नहीं तो, वह लक्ष्यहीन और सकल्पहीन युवक कुछ कर सकेगा, इस सभावना को ही समाप्त कर देना चाहिए।

वेचैनी युवको में उतरे

किसी भी वर्ग या समाज की युवा पीढ़ी अपनी शक्ति का उपयोग रचनात्मक कामों में करती है, उसे देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। मानसिक दृष्टि से मैं उसके साथ हो जाता हूँ। मेरे मन और मस्तिष्क की मगलमय भावनाएँ उसी दिशा में प्रवाहित होने लगती हैं। उस पीढ़ी के साथ मेरा तादात्म्य भाव जुड़ जाता है और मुझे अनुभव होता है कि कोई प्रकार मेरे अन्तःकरण को उद्वेलित कर रही है। जब-जब ऐसा होता है, मैं युवा पीढ़ी के बहुआयामी विकास को देखने के लिए वेचैन हो जाता हूँ। मेरी यह वेचैनी एक-एक युवक के भीतर उतरे, उसकी ऊर्जा के केन्द्र प्रकम्पित हो और उस प्रकम्पन-धारा का उपयोग सकारात्मक

काम में हो तो युवा पीढ़ी के जीवन में एक विशिष्टता का आविर्भाव हो सकता है।

युवाशक्ति का सामूहिक नियोजन

तेरापथ समाज संख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा समाज नहीं है। फिर भी इस समाज के पास एक शक्तिशाली और वर्चस्व-सम्पन्न युवा पीढ़ी है। वह अपनी शक्ति को रचनात्मक काम में नियोजित करना चाहती है, कर रही है, यह सन्तोष का विषय है। विकेन्द्रित युवाशक्ति को केन्द्रित करने के लिए उसने एक सस्या को माध्यम बनाया है। इस अखिल भारतीय तेरापथ युवक परिषद् नामक मस्या ने समाज के युवकों को सकलित करने का काम शुरू कर दिया है। स्थान-स्थान पर युवक परिषदों का गठन कर युवकों को संगठित, अनुशासित और व्यवस्थित करने की दृष्टि से उपक्रम किये जा रहे हैं। अब तक देश भर में सौ से अधिक युवक परिषदों से कई हजार युवक जुड़ चुके हैं। परिषदों के साथ और अधिक युवकों को जोड़ने का लक्ष्य बना लिया गया है। फिर भी मुझे लगता है कि जितने युवक यहाँ आये हैं, उनसे कई हजार गुना युवक इस संगठन से असंपृक्त हैं। उन सबको संगठित करने का कोई कारगर उपक्रम हुआ नहीं है। यदि ऐसा होता तो युवाशक्ति के सामूहिक नियोजन की सभावनाएँ और अधिक बढ़ जाती।

हमारे समाज की युवा पीढ़ी व्यसन-मुक्त और रूढ़ि-मुक्त हो, यह एक प्राथमिक कार्यक्रम है। इसमें युवकों का उत्साह उल्लेखनीय है। आज जब कि युवक मादक व नशीले पदार्थों का पर्याय बनता जा रहा है, समाज के अधिसंघन युवक व्यसन-मुक्त है। जिन युवकों में यह दुर्बलता है, उन्हें भी ऐसे प्रयोग मुमाने जा रहे हैं, जिसे वे अपनी पूरी पीढ़ी को व्यसन-मुक्त घोषित कर सकें।

सामाजिक रूढ़ियों का जहाँ तक सवाल है, युवा पीढ़ी में उनके प्रति कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर भी जब तक इस दिशा में कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं उठता है, समाज रूढ़ि-मुक्त नहीं बन सकता। अणुव्रत और नये मोड के द्वारा जो परिवर्तन आये हैं, उन्हें आगे बढ़ाने तथा नयी रूढ़ियों को पनपने में रोकने का काम युवक परिषदों को व्यापक स्तर पर उठाना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो समाज अधिक सशक्त, स्वस्थ और सकारणी बन सकता है।

नयी संस्कृति का सूर्योदय

अखिल भारतीय युवक परिषद् प्रतिवर्ष एक अधिवेशन बुलानी है। उस मध्य में अपनी संगठनशक्ति और कर्मशक्ति के अंकन करने का अवसर मिलता है तथा समाज उसके कर्तृत्व के प्रति आशावान बनता है। मैंने देखा है कि इन वर्षों

समाज के युवको ने अनेक क्षेत्रों में आशातीत प्रगति की है। वे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने पादन्यास किया है और उनकी व्यावसायिक क्षमताएँ भी बढ़ी हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में वे अपने चरित्र को ताक पर रखकर गलत तरीके के काम में नहीं ले रहे हैं, यह एक बड़ी उपलब्धि है। युवा पीढ़ी की यह नैतिक आस्था उत्तरोत्तर पुष्ट होती रहेगी तो समाज के सोच-विचार की पद्धति बदलेगी और उससे पूरी समाज-व्यवस्था प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी।

युवा पीढ़ी के विकास की इस प्रतिस्पर्धा में जो युवक सलग्न हैं, उनका कुछ नयी दिशाओं में प्रवेश होना भी जरूरी है, जैसे—उच्चस्तर की जैन फिलॉसफी में अभी तक युवा पीढ़ी का प्रवेश नहीं हो पाया है। यदि कुछ युवक भी अपनी अभिरुचि को इस ओर मोड़ सकें तो एक नई संस्कृति का सूर्योदय हो सकता है। इसी प्रकार उच्च स्तर की राजनीति में भी आज युवको का वर्चस्व नहीं है। हलके स्तर की राजनीति में युवक प्रवेश करें, यह मैं नहीं चाहता। किन्तु प्रज्ञासम्पन्न, चरित्रसम्पन्न और कर्मसम्पन्न युवक राजनीति में नहीं जायेंगे तो उससे किसका भला हो सकेगा ?

समाज में कुछ बुराईयाँ होती हैं। लोग उन्हें देखते हैं और साक्षी भाव से देखते रहते हैं। उनके मन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। उनका मौन बुराईयों को प्रोत्साहन देता है। अन्य लोगों की तरह युवक भी ऐसे प्रसंग पर चुपचाप बैठे रहें, उन नागवार हरकतों को सहते रहें, यह किसी भी दृष्टि से वाछनीय नहीं है। समाज में कहीं भी बुराई हो, उसकी जड़ें उखाड़ने का सचेतन प्रयास हो तो एक महत्त्वपूर्ण काम हो सकता है।

दोहरा लाभ

युवा पीढ़ी के सामने अपनी क्षमताओं को काम में लेने का एक अवसर है। वह अवसर है 'अमृत-महोत्सव' का। नहीं चाहते हुए भी मैंने उसके लिए स्वीकृति दी है, इस मूल्य पर स्वीकृति दी है कि उसको केवल समारोह या आयोजन का रूप न देकर ठोस रचनात्मक काम का रूप दिया जाए। किसी भी रचनात्मक काम के साथ युवको को जुड़ना ही है। इस बात को ध्यान में रखकर युवक परिषद् देश भर के युवको से सम्पर्क कर उन्हें एकसूत्रता में बांध दे तो वह अपनी वाछित दिशा में अग्रसर हो सकती है। पर इसके लिए युवादृष्टि या पाथेय प्रेषण ही पर्याप्त नहीं है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए साक्षात्कार की जरूरत है। युवको की टोलियाँ गाव-गाव में घूमकर एक-एक युवक से सम्पर्क करें, उसे वर्तमान हालात में युवा पीढ़ी के दायित्व की अवगति दें तथा युवक परिषद् की गतिविधियों की जानकारी देकर खण्ड-खण्ड युवाशक्ति को अखण्ड रूप में नियोजित करने

की प्रेरणा दे। ऐसी अधिक नहीं, आठ-दस टोलियों की अपेक्षा है, जो पूरे देश में माहील बना सके। इससे उन हजारो-हजारो युवको को तो नयी दिशा और नया बल मिलेगा ही, युवक परिपक्व भी शक्ति-सम्पन्न बनेगी, ऐसा विश्वास है।

नौ युवकों की जरूरत है

मेरे बारे में एक आम धारणा बन गयी है कि मैं स्वप्नदर्शी व्यक्ति हूँ। स्वप्नदेयता मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने उस आह्लाद को अभिव्यक्ति नहीं दे सन्ता, जो मेरे किसी भी स्वप्न के रूपायित होने पर होता है। वैसे मेरे स्वप्न-चित्रों को कैनवास पर उतारने में पूरा धर्मसंघ मेरे साथ है। साधु-साधिव्या ही नहीं, श्रावक-श्राविकाएँ भी इस दिशा में जागरूक हैं। फिर भी मुझे कुछ ऐसे युवकों की जरूरत है, जो दृढ़ अध्यवसाय और प्रबल इच्छाशक्ति के साथ मेरे विचारों को झेल सकें। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था—'यदि मुझे नचिकेता की श्रद्धा से सम्पन्न केवल दस या बारह युवक मिल जाए तो मैं इस देश के विचारों और कार्यों को एक नयी दिशा में मोड़ सकता हूँ।' मेरी भी अनेक आशाएँ, अपेक्षाएँ युवा-पीढी में केन्द्रित हैं। मैं यहाँ उपस्थित और अनुपस्थित सभी युवकों में आह्वान करता हूँ कि यदि मुझे सुगनचन्द आचलिया, भवरलाल दूगड, पन्नानाल सरावगी और शोभाचन्द सुराना जैसे नौ युवक भी मिल जाए तो मैं अपने देने-अनदेखे कई स्वप्नों को साकार कर सकता हूँ और मानवीय एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों को अधिक तीव्रता दे सकता हूँ। वे युवक अपने लक्ष्य के प्रति इतने समर्पित हों कि उन्हें उसके अतिरिक्त कुछ दिखाई ही न दे। सोते-जागते उमी के बारे में सोचें, उसी के सपने लें और उसी दिशा में केन्द्रित रहें, तभी वे अपने निष्ठावान व्यक्तित्व और ऊर्जस्वित कर्तृत्व को सार्थकता दे सकते हैं।

समस्या के बीज : हिंसा की मिट्टी

वर्तमान समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। आपको ज्ञात होगा कि अधिकांश समस्याएँ हिंसा की भावना से उत्पन्न हैं। युद्ध, लड़ाई और संघर्ष—इन सबका मूल भय है। बिजली जैसे उमड़ते हुए बादलों की सूचना देती है, वैसे ही भय हिंसा के अवतरण की सूचना देता है। भय हिंसा से उत्पन्न होता है और हिंसा भय से उत्पन्न होती है। यदि एक आदमी दूसरे आदमी से घृणा नहीं करता, उसे नहीं सताता, नहीं ठगता और नहीं मारता तो मानवीय संपर्कों में भय का जन्म ही नहीं होता। किन्तु एक आदमी ने दूसरे आदमी को सताया है, लूटा है, ठगा है, तिरस्कृत किया है और मारा है, इसीलिए मनुष्य के मन में भय की सृष्टि हुई है। वह भय से प्रेरित होकर ही शस्त्र-निर्माण की दिशा में आगे बढ़ा है। प्रस्तर-आयुधों से अणु-आयुधों तक के विकास की पृष्ठभूमि में भय ही सबसे बड़ा प्रेरक तत्व है। एक मनुष्य धन का सग्रह करता है। उससे आप पूछिये—तुम सग्रह क्यों करते हो? उसका सहज उत्तर होगा कि वह बुढ़ापे में काम आएगा। बीमारी होने पर उसके बिना और सहारा ही क्या है? बुढ़ापे और बीमारी में सुरक्षा का आश्वासन नहीं है। इसी भय से प्रेरित होकर मनुष्य सग्रह करता है। यदि जीवन की सुरक्षा को कोई आश्वासन हो तो सग्रह की प्रेरणा अपने आप शिथिल हो जाती है। सग्रह हिंसा है। उसकी प्रेरणा भय है। भय सब जगह वास्तविक ही होता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत बार वह काल्पनिक भी होता है। किन्तु एक जगह वह वास्तविक होता है तो पाँच जगह काल्पनिक भी चल जाता है। छोटा सिक्का सच्चे सिक्के के आधार पर ही चलता है।

हिंसा और भय से बचने के लिए ही मनुष्य ने समाज का निर्माण किया था। जीवन की सुरक्षा का आश्वासन पाने के लिए ही मनुष्य ने समाज का निर्माण किया था। क्या आज समाज उसे आश्वासन दे रहा है? क्या समाज में उसे आश्वासन देने की क्षमता है? मैं उस सामाजिक व्यवस्था को त्रुटिपूर्ण मानता हूँ, जो मनुष्य को सुरक्षा का आश्वासन नहीं देती। जीवन की हर समस्या और

दुर्बलता के लिए आश्वासन दे सके ऐसी समाज-व्यवस्था में ही अहिंसा के बीज अंकुरित हो सकते हैं। आज समूचे ससार में विद्यार्थी एक समस्या के रूप में सामने आ रहा है। क्या नयी पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से सघर्ष करने के लिए ही उत्पन्न हुई है? क्या विद्यार्थी के उफनते हुए आक्रोश के पीछे पुरानी पीढ़ी की हिंसा का तान नहीं है? हर नयी पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी से हिंसा के विचार विरासत में मिलते आ रहे हैं। पुरानी पीढ़ी का अपना अभिनिवेश ही नयी पीढ़ी को विद्रोह के लिए विवश कर रहा है। देश और काल के साथ बनने वाले विचार और जीवनरूप जब शाश्वत का रूप ले लेते हैं, तब नयी पीढ़ी के मन में पुरानी पीढ़ी के प्रति अविश्वास पैदा हो जाता है।

विचार एक प्रवाह है, व्यवस्था एक परम्परा है। प्रवाह अपनी गति से आगे बढ़ता रहे और परम्परा उत्तरोत्तर गतिशील रहे, तब भय पैदा नहीं होता। उसकी गति अवरुद्ध हो जाने पर वे भय के हेतु बन जाते हैं। भारतीय दर्शनों में मिथ्या दृष्टिकोण की लम्बी चर्चा मिलती है। अशाश्वत को शाश्वत और शाश्वत को अशाश्वत मानना मिथ्या दृष्टिकोण है। जो अपना नहीं है, उसे अपना और जो अपना है, उसे अपना नहीं मानना मिथ्या दृष्टिकोण है। इससे भय उत्पन्न होता है। सत्य की परिधि में पहुंचे बिना कोई भी आदमी अभय नहीं हो सकता और अभय हुए बिना कोई भी आदमी अहिंसक नहीं हो सकता।

वास्तविकता की भूमिका पर पहुंचकर यदि विद्यार्थी-समस्या को देखा जाए तो उसके समाधान में मुझे कोई सन्देह नहीं है। आज के विद्यार्थी के मन में पुराने सामाजिक मूल्यों के प्रति विद्रोह की चिनगारी सुलग रही है। यदि उन्हें नये विचारों, नयी आर्थिक समस्याओं और नये सामाजिक मूल्यों को विकसित करने का अवसर दिया जाए तो हिंसक उपद्रव सहज ही निरस्त हो सकते हैं।

विद्यार्थी-समस्या का एक दूसरा पहलू भी है और वह बहुत ही आश्चर्यपूर्ण है। कुछ लोग हिंसा की सफलता में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि हिंसा से लक्ष्य के निकट जितना शीघ्र पहुंचा जा सकता है, उतना अहिंसा से नहीं पहुंचा जा सकता। वे विद्यार्थियों को हिंसा के लिए प्रेरित करते हैं और विद्यार्थी अनुभव की अपरिपक्वता के कारण उसे स्वीकार कर लेते हैं। हिंसा से कुछ काम संपन्न जाते हैं। उससे उनमें विश्वास पैदा हो जाता है। यह विश्वास बहुत बड़ा भ्रम है। सब कार्य न हिंसा से सघते हैं और न अहिंसा से। कुछ काम हिंसा से हो सकते हैं और कुछ काम अहिंसा से। ये दोनों दृष्टिकोण सामने रहे तो मनुष्य का चिन्तन एकांगी नहीं बनता और वह हिंसा को ही कार्य-सिद्धि का एकमात्र साधन नहीं मानता।

हिंसा, दबाव व विरोध के द्वारा समस्या सुलझाने का प्रणिधान ममूने व्यग्रहण से प्राप्त होता है। किन्तु अहिंसा व सापेक्ष दृष्टिकोण से समस्या के समाधान का

प्रशिक्षण नहीं मिलता। इसलिए यदि विद्यार्थी अपनी समस्या सुलझाने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं तो यह दोष किसका है? कम-से-कम विद्यार्थियों का नहीं है। वे उसी शस्त्र का उपयोग करते हैं, जो उन्हें परम्परा से प्राप्त होता है। अहिंसा का अस्त्र उन्हें प्राप्त ही नहीं है, फिर वे उसका उपयोग कैसे करेंगे?

इस दोष की भागी है पुरानी पीढ़ी—अभिभावक और शिक्षक या शिक्षा-व्यवस्था के सूत्रधार। हमारे शिक्षाशास्त्री क्या यह अनुभव नहीं करते कि शरीरशास्त्र, मानसशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्र की भाँति अहिंसा भी विद्या की एक शाखा है। उसका अध्ययन उक्त विद्या-शाखाओं से कम आवश्यक नहीं है। वह केवल धार्मिक सिद्धान्त ही नहीं है, वह जीवन-व्यवहार की सफलता का सर्वश्रेष्ठ सूत्र है। पारिवारिक जीवन, पडोसी जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवसाय और पारस्परिक सम्पर्क—इन सभी क्षेत्रों में अहिंसा के प्रयोग किये जा सकते हैं। आप गाली देकर जो बात नहीं मनवा सकते, वह प्रेम देकर मनवा सकते हैं। मैं इस यात्रा के दौरान महरौली आश्रम में गया था। वहाँ ईश्वरभाई देसाई मिले। वे मानसिक चिकित्सा करते हैं। हजारों पागलों को उन्होंने चिकित्सा की है। बड़े-से-बड़े पागल को भी उन्होंने साकल से नहीं बाधा। वे उस चिकित्सा में प्रेम का प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग में वे बहुत सफल हुए हैं। अहिंसा के मूल्य के विषय में हमारा ज्ञान बहुत अल्प है। यह कहकर भी मैं अत्युक्ति नहीं कर रहा हूँ कि नहीं जैसा है। इसीलिए हर छोटी समस्या को भी हम बहुत बड़ा रूप दे देते हैं। जो गाँठ को खोलना नहीं जानता, उसके हाथ में जाकर वह और घुल जाती है।

अहिंसा के अध्ययन को मैं समाजशास्त्रीय अध्ययन का अनिवार्य अंग मानता हूँ। कोई आदमी सामाजिक तो है, किन्तु अहिंसा से अभिन्न नहीं है, यह ठीक वैसे ही है, जैसे कोई आदमी जीवित तो है किन्तु प्राण से अभिन्न नहीं है। अहिंसा सामाजिक जीवन की प्राण-प्रतिष्ठा है। उसे समझे बिना कोई व्यक्ति दूसरों के साथ सत्-व्यवहार नहीं कर सकता। दूसरों के साथ असत्-व्यवहार कर वह उनसे सत्-व्यवहार की आशा नहीं रख सकता। अहिंसा प्रवृत्ति के असत् अंश का शोधन करती है, इसलिए हर प्रवृत्ति के साथ उसका अनिवार्य सम्बन्ध है। विद्यार्थी-समस्या का स्थायी समाधान अहिंसा की शिक्षा और उसके सक्रिय प्रयोग से बढ़कर कोई है, ऐसा मुझे प्रतिभासित नहीं होता।

हिंसा के अनेक रूप हैं। कुछ रूप वर्तमान में अप्रिय लगते हैं, किन्तु परिणामकाल में प्रिय लगते हैं। कुछ वर्तमान में प्रिय लगते हैं, किन्तु परिणामकाल में अप्रिय लगते हैं। दक्षिण भारत में शैवों ने जैनो को धर्म-परिवर्तन के लिए बाध्य किया, तब उन्हें वह कार्य बहुत प्रिय लगा। किन्तु जब मुसलमानों ने शैवों को धर्म-परिवर्तन के लिए बाध्य किया, तब उन्हें वह

प्रिय नहीं लगा। हिंसा की परम्परा का एक बार सूत्रपात हो जाय : वह दीर्घकाल तक चलता रहता है। कभी-कभी हिंसा का प्रवाह सुन्न होकर भूमिगत हो जाता है। ईसाई प्रचारकों द्वारा जो धर्म-परिवर्तन की प्रक्रिया चली रही है, उसका माध्यम सेवा है। उसमें हिंसा का रूप दृश्य नहीं है। किन्तु सेवा का परिणाम धर्म-परिवर्तन आये, उसका आंतरिक रूप सेवा कैसे हो सकता है? ईसाई प्रचारकों द्वारा किया जाने वाला कार्य हिन्दुओं को प्रिय नहीं लग रहा है। किन्तु इस अप्रियता का मूल हिंसा की प्राथमिक प्रियता में छिपा हुआ है।

वर्तमान की शासन-पद्धतियाँ नियन्त्रण की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। वैयक्तिक स्वतन्त्रता की सीमा सिमटती जा रही है। क्या सुविधा स्वतन्त्रता में अधिक मूल्यवान् है? नहीं है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? सुविधा केर स्वतन्त्रता क्यों छीनी जा रही है? मेरी दृष्टि में यह हिंसा की प्रतिनिधि है। वैयक्तिक स्वार्थ की पूर्ति बहुत प्रिय लगती है। वह जैसे-जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे नियन्त्रण को निमन्त्रण मिलता जाता है। बहुत लोग समाजवादी व साम्यवादी व्यवस्था से घबराते हैं। उनमें वैयक्तिक इच्छा पर काफी अकुश रहता है। इसलिए उनसे घबराते हैं। क्या इन व्यवस्थाओं का जन्म निरकुश स्वार्थ-पूर्ति के कारण नहीं हुआ है? यदि बौद्धिक लोगों द्वारा मन्दमति लोगों के स्वार्थों का हनन करने होता तो वैयक्तिक स्वतन्त्रता पर कोई आच नहीं आती। दूसरों के स्वार्थों का हनन का बदला अपने स्वार्थों की हत्या कर चुकाना पड़ेगा, यह कल्पना उन लोगों को नहीं थी, जो ईश्वरीय सत्ता का आशीर्वाद लेकर गरीबों पर शासन कराने के लिए ही इस धरती पर पैदा हुए थे।

भगवान् महावीर अहिंसा के सर्वाधिक प्रभावशाली व्याख्याता थे। उनका कहा था—'जितने दुःख हैं, वे सब हिंसा से उत्पन्न हैं।' इस अनुभूति के सम्बन्ध में वर्तमान समस्याओं की आत्मा प्रस्फुट होती है और वर्तमान समस्याओं के सम्बन्ध में उस अनुभूति की आत्मा प्रस्फुट होती है।

लोकतन्त्र और अहिंसा

‘दिन है और अधिकार है’—इस उक्ति में जितना अन्तर्विरोध है, उतना ही अन्तर्विरोध इस स्थिति में है कि लोकतन्त्र है और हिंसा की प्रबलता है। लोकतन्त्र के प्रासाद का आधारस्तम्भ अभय है। जहाँ जनता के मन में भय है, वहाँ लोकतन्त्र की नींव ही नहीं पड़ी है। भय का जन्म तानाशाही में होता है, क्योंकि वहाँ विषमता होती है। विषमता में स्वतन्त्रता और सहानुभूति कुठिल हो जाती है।

लोकतन्त्र को जीवित रखते हैं—अभय, समानता, स्वतन्त्रता और सहानुभूति। हिन्दुस्तानी लोग आत्मालोचन करें—क्या उनके जीवन में ये तत्त्व हैं? यदि है तो वे लोकतन्त्र के नागरिक हैं और यदि नहीं है तो क्या सही अर्थ में हिन्दुस्तान लोकतन्त्रीय देश है?

मुझे लगता है अभी हिन्दुस्तानी लोगों ने लोकतन्त्र को बौद्धिक मान्यता दी है। उसके साथ उनका तादात्म्य नहीं हुआ है। मैं इसे आरोपण कहता हूँ। सिर पर आरोपित घड़े का भार अनुभव होता है। समुद्र में तैरने वाले का उसके साथ तादात्म्य हो जाता है। इसलिए अपार जलराशि के नीचे जाने पर भी उसे भारानुभूति नहीं होती। पतले-से वृन्त बड़े-बड़े फलों को धारण कर लेते हैं। तादात्म्य के अभाव में वे वैसा नहीं कर सकते।

हर देश में कुछ लोग प्रबुद्ध होते हैं। देश के संचालन का दायित्व भी उन पर होता है। वे जिस शासन-प्रणाली को पसंद करते हैं, वही प्रवृत्त हो जाती है। हिन्दुस्तान के नेता लोकतन्त्र को पसन्द करते थे। इसलिए हिन्दुस्तान लोकतन्त्रीय देश बन गया। यह लोकतन्त्रीयता नेताओं की पसन्द का परिणाम है, जनता की तादात्म्यानुभूति का परिणाम नहीं है। स्वतन्त्रता के प्रारम्भिक दिनों में जनता जवाहरलाल जैसे नेताओं के प्रति तादात्म्यानुभव करती थी और उनकी लोकतन्त्र के प्रति तादात्म्यानुभूति थी। इसलिए प्रत्यक्षत न सही, परोक्षत लोकतन्त्र के साथ जनता की तादात्म्यानुभूति जुड़ जाती है। अब कोई वैसा शक्तिशाली और प्रिय नेता नहीं है, जिससे जनता की तादात्म्यानुभूति हो और नेतृ-वर्ग ने जनता की

लोकतंत्र से तादात्म्य करने की चेष्टा नहीं की। इसलिए आज हिंसा बरतने, तोड़-फोड़ और गोलीकाण्ड की पुनरावृत्तियाँ हो रही हैं।

राजतंत्र का मान्य सूत्र था—'राजा कालस्य कारणम्'—'समय की शक्ति और बुराई राजा के अधीन है। राजा की नीति अच्छी है तो समय अच्छा है, राजा की नीति बुरी है तो समय बुरा है। एक राजा बेश-परिवर्तन कर चुका था। वह एक ईख के खेत में जा पहुँचा। बुढ़िया ने उसका सत्कार किया। राजा ने कुछ इधर-उधर की बातें कर ईख का रस पीने की इच्छा प्रकट की। बुढ़िया ने एक ईख पेंरा और प्याला भर दिया। राजा ने प्याला पी लिया और कुछ देर मन सोचा, 'ईख बहुत मीठा है, इस पर कर कम है। आज मैं जाकर कर बढ़ा दूँगा।' राजा ने एक प्याला और मागा। बुढ़िया ने एक ईख पेंरा, पर प्याला नहीं भरा। राजा ने पूछा, 'बुढ़िया! प्याला क्यों नहीं भरा?' बुढ़िया बोली—'भाई! राजा की नीयत खराब हो गयी है इसलिए प्याला नहीं भरा।' इन बातों का राजा के मन पर भारी असर हुआ। उसने कर कम करने की बात सोची और एक प्याला और मागा। बुढ़िया ने ईख पेंरना शुरू किया तो पीने ईख से ही प्याला भर गया। राजा ने विस्मय के साथ पूछा—'बुढ़िया! प्याला पीने ईख में कैसे भरा?' बुढ़िया ने कहा—'भाई! मेरे देश के राजा की नीयत पहले से भी खराब हो गयी है।' राजा आश्चर्यचकित हो लौट चला। क्या आज के लोकतंत्र का शासक भी काल का कारण है? क्या उसकी अच्छी और बुरी नीति का प्रतीक असर होता है? मैं इस प्रश्न का निर्णय क्या दूँ? इस विषय में इतना ही कहूँ कि जिस दिन 'नेता कालस्य कारणम्'—इस सूत्र की जनता द्वारा पुष्टि होगी, उसी दिन लोकतंत्र चमकेगा। 'यथा राजा तथा प्रजा'—यह सूत्र भी बहुत प्रिय रहा है। गीता भी इस तथ्य की पुष्टि करती है—'यद् यदाचरते धर्मस्तदा लोकास्तदनुवर्तते'—श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है, उसी का जनता अनुसरण करती है। क्या यह सूत्र नेतृवर्ग को चुनौती नहीं देता? समय, शालीनता, धर्म, सतुल्यता, सादगी और शिष्टता से दूर रहकर क्या शासक लोग जनता में गुणों की अपेक्षा रख सकते हैं? एक पूजापति में सतपो के उपदेश का नीति साहस नहीं हो सकता। विधानसभाओं में लड़ने वाले विधायक जनता को अनुमान का पाठ नहीं दे सकते। जो आदमी जितना मुखिया होता, वह उतना ही अधिक संयमी होता—यह जीवन का प्राचीन मूल्य है। किन्तु क्या प्राचीन होने मात्र इसकी प्रयोजनीयता समाप्त हो गयी? नहीं हुई। यह आज भी उतना ही प्रयोजनीय है, जितना हजार वर्ष पहले था।

राजतंत्र में अहिंसा के विकास की कम संभावनाएँ थीं। फिर भी उनमें अच्छे तत्त्व विकसित हुए थे। लोकतंत्र में अहिंसा के विकास की संभावनाएँ

संभावनाएँ होती हैं। यदि लोकतंत्र में भी अच्छाइयों का विकास न हो तो इससे अधिक आश्चर्य की बात क्या होगी। क्या प्रस्तुत अभाव को भरने के लिए अहिंसा के प्रशिक्षण की बात सोची जाएगी? क्या धर्म-सत्ता और राज्य-सत्ता का इस विषय में सक्रिय योगदान होगा? क्या विश्वविद्यालय अहिंसा के प्रशिक्षण को एक शाखा के रूप में स्वीकृत करेंगे?

स्वतंत्रता का मूल्य

स्वतंत्रता शाश्वत सत्य है। हर युग में मनुष्य ने उसके लिए संघर्ष किया है। आज भी कर रहा है। किन्तु परतंत्रता की पकड़ आज भी ढीली नहीं है। स्वतंत्रता की इतनी अदम्य चाह होने पर भी परतंत्रता से मुक्ति नहीं मिले। इसका रहस्य क्या है? यह जिज्ञासा बार-बार मन में उभरती है। महरे मरुतमर के वाद आत्मानुभूति के विरल क्षण में मुझे इसका उत्तर मिला कि मनुष्य स्वतंत्रता को स्वतंत्रता दिये बिना अपनी स्वतंत्रता चाहता है। यही परतंत्रता की प्रकृति है। स्वतंत्रता की चाह होने पर भी उसकी प्रक्रिया च्युटिपूर्ण है तो वह कैसा होगा?

स्वतंत्रता की चाह उसी व्यक्ति की सच्ची हो सकती है जो दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालता। यह अहिंसा का मार्ग है। परतंत्रता हिंसा का ही दूसरा नाम है। जितनी हिंसा बढ़ती है, उतनी ही परतंत्रता बढ़ती है। मनुष्य को हिंसा प्रिय है, इसका फलितार्थ है कि उसे परतंत्रता प्रिय है। क्या ऐसा कोई आदमी है जो हिंसा का बीज बोकर परतंत्रता की फसल काटता?

आदमी आदमी से घृणा करता है, यह हिंसा का पहला चरण है। आदमी आदमी को नीच मानता है, यह हिंसा का दूसरा चरण है। घृणा करने वाला आदमी सामने वाले व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करता तो वह घृणा नहीं करता। मिस्र के विदेशमंत्री ने यह स्वीकार किया कि उरुगायरा के सार्वभौम सत्ता को अस्वीकार करना एक भूल थी। यदि यह सच्चाई प्राग्भूत ही प्रकट हो जाती तो संभवतः युद्ध नहीं हुआ होता। युद्ध क्यों होता है? यह लगता है कि दूसरा देश उसकी स्वतंत्रता को अस्वीकार कर रहा है, नहीं युद्ध का विगुल वज उठता है।

मनुष्य ने सामाजिक जीवन की पद्धति स्वीकार की, इसका अर्थ है स्वतंत्रता के साथ समझौता किया है। यदि वह अमामाजिक होता तो फिर

स्वतंत्र होता। सामाजिक आदमी सापेक्ष-स्वतंत्रता को ही पसन्द कर सकता है। वह अपनी स्वतंत्रता का उसी सीमा में प्रयोग कर सकता है, जिससे दूसरो की स्वतंत्रता में कोई विघ्न न हो। परतंत्रता अपनी वृत्तियों में भी पलती है। श्रम करने वाला आदमी रोटी के मामले में स्वतंत्र हो जाता है। जिनमें श्रम को हेय मानने की मनोवृत्ति है, वे दूसरो के मोहताज रहते हैं। हिन्दुस्तान में बडप्पन की कसौटी है श्रम नहीं करना। श्रम करने वाला छोटा माना जाता है। क्या विलास पराधीनता नहीं है ?

मैं उस स्वतंत्रता को कोई मूल्य नहीं देता, जिसमें उसके पोषक तत्त्व कम हो। मुझे लगता है कि हिन्दुस्तान स्वतंत्र होने के बाद भी स्वतंत्रता का मूल्य आकने में बहुत सफल नहीं हुआ है। इसका मूल कारण है हिन्दुस्तानी आत्मा को न पहचानना। हिन्दुस्तान की आत्मा है त्याग, त्याग और त्याग।

इन्द्रिय-विजय, त्याग और स्वावलम्बन का केवल धार्मिक मूल्य ही नहीं है, इनका सामाजिक मूल्य भी बहुत स्पष्ट है। अपना स्वार्थ साधना, अपने स्वार्थ का संग्रह करना उसकी आत्मा का हनन है। जहाँ जातीय, साम्प्रदायिक, दलीय और भाषायी हित प्रधान बन जाते हैं, वहाँ व्यापक एकता विघटित होने लग जाती है। उसका परिणाम होता है, स्वतंत्रता का विघटन। जनतंत्र में प्रत्येक जाति को अपने विकास का पूर्ण अधिकार है। किन्तु उसका उपयोग अहिंसा की मर्यादा को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। दूसरी जातियों को आघात पहुँचाये बिना किया जाने वाला विकास अहिंसा की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता, इसलिए वह स्थायी होता है। साम्प्रदायिक और दलीय आधार पर दूसरो पर निम्न स्तर के आरोप लगाये जाते हैं, वह प्रतिहिंसा को जन्म देने वाली हिंसा है।

धर्म के क्षेत्र में ऐसा किया जाता है, वह सबसे बड़ा अधर्म है। धर्म की हत्या अधर्म से नहीं होती, किन्तु उसकी हत्या उसके उन उपासको से होती है, जो अपने सम्प्रदाय के हितों के लिए दूसरे सम्प्रदायों के हितों को कुचलने का यत्न करते हैं। क्या राजनीतिक दल दूसरो के लिए काटे बिखेर अपने पैरो को सुरक्षित रख सकते हैं ? अवाञ्छनीय परम्परा का सूत्रपात करने वाले इस तथ्य को न भुलाए कि एक दिन उसका परिणाम उन्हें भी भुगतना होगा। अपनी मातृभाषा का पर्याप्त विकास किया जा सकता है किन्तु दूसरो के साथ होने वाले सम्पर्क-सूत्र को काटकर अपने हितों की सुरक्षा नहीं की जा सकती। बहुत बार ऐसा होता है कि तात्कालिक हितों की साधना में दीर्घकालीन हित भुला दिये जाते हैं।

त्याग, शालीनता और उदारता भारतीय जीवन के महत्त्वपूर्ण अंग रहे हैं।

११० अतीत का विसर्जन : अनागत का स्वागत

दूसरो के लिए अपने स्वार्थो का बलिदान करना, प्रवृत्तियो के स्तर को जग
बनाए रखना और दूसरो के साथ एकता स्थापित करना स्वतंत्रता के मूल्यों
प्रतिष्ठापित करना है। इन मूल्यों को प्रतिष्ठापित करने वाले स्वतंत्रता के
परतंत्रता की पकड से मुक्त करते हैं और अपने स्वार्थो की पूजा करने वाले
भाग्य परतंत्रता के हाथो मे सौंप देते हैं।

गांधी एक : कसौटियां अनेक

कितना सुन्दर स्थान और सुप्रभात है। सामने नदी और वृक्ष है। सभी प्राकृतिक चीजे हैं। इस प्राकृतिक दृश्य को देखकर प्रकृति ने भी स्वागत किया। बादलो का वितान बनाकर धूप में बैठने वालो की रक्षा की। गांधी-जयन्ती को आज का दिन सहज मिल गया। इससे लगता है कि गांधीजी के जीवन में प्रकृति रमी हुई थी। उनके जीवन से राष्ट्र की जनता को और बहुत सारे साधुओ को भी शिक्षा लेनी चाहिए। सन्तो और महन्तो को भी महात्माजी के जीवन से सादगी की प्रेरणा लेनी चाहिए।

गांधीजी का जन्मदिन अनेक स्थानो पर मनाया जाता है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि इतना शीघ्र ही उनका जन्मदिन मनाना लोग थोडे ही भूल जाएगे, दर्द की बात यह है कि लोग गांधीजी के दिन को मनाना नहीं भूले किन्तु उनके जीवन को भूल गए। मैं देख रहा हू कि जिन्होंने गांधीजी के साथ तपस्या की, उनकी आखो में आसू है। जिन्होंने उनके साथ तपस्या नहीं की और सम्पत्ति, सत्ता और अधिकार जिनके हाथ में है, उनकी आखो में हर्ष है। मैं ऐसे अनेक व्यक्तियो से मिलता हू जिनके जीवन में गांधीजी के सस्कार हैं, उनके हमारे विचारो का तार जुड़ जाता है।

ढेवर भाई गांधीजी के साथ रहे थे। उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा— 'आप जैसे व्यक्ति जब तक है तब तक लगता है गांधीजी के साथ वाले व्यक्ति है। जनता भी इससे आश्वस्त और विश्वस्त है, किन्तु भावी पीढी को तैयार किया या नहीं?' ढेवर भाई बोले— 'आपका कहना सच है। हम कर नहीं पाए, आप इसके लिए कोई मार्ग सुझाए।'।

राजेन्द्र बाबू आदि से जब मिलन होता तो उनके जीवन में गांधीजी के दर्शन परिलक्षित होते थे। आज अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो सफेद टोपी पहनते हैं, खादी के वस्त्र पहनते हैं, चर्खा भी रखते हैं और ग्यारह व्रत भी स्वीकार करते हैं, किन्तु ये सब ऊपर की बातें रह गई हैं। ऐसा देखकर दिल में पीडा होती है। केवल

पीड़ा की अभिव्यक्ति निकम्मी होती है। कोई भी व्यक्ति आसानी से नहीं है कि भारत का पतन हो गया। मैं मन में सोचता हूँ कि ऐसे कहने का होगा। हमें तो इसका समाधान और इलाज खोजना है। वह किसके पास है? समाधान की बात आती है तो लोग कहेंगे कि हम अकेले क्या कर सकते हैं? पूछता हूँ कि क्या गांधीजी प्रारम्भ में अकेले नहीं थे? यह प्रश्न भी एक-एक बूद से घटा भरता है। एक-एक मिनट से घटा बनता है। उसी कामभी एक-एक आदमी के करने से होता है। प्रत्येक व्यक्ति में यह आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं काम कर सकता हूँ और जितना कर सकता हूँ करूँगा।

सूर्य अस्त होने पर दीपक और चिराग सारी रात प्रकाश करते हैं। मैं सब सोचने लगे कि हम क्या कर सकते हैं तो क्या प्रकाश हो सकता है? कवि टैगोर ने लिखा है कि सूर्य अस्ताचल पर जाकर बोला—'मैं जा रहा हूँ, जाने के बाद अन्धकार को दूर करने का भार कौन लेगा?' सूर्य के प्रकाश चाद, तारे और नक्षत्र सब मीन हो गए। एक छोटा-सा दीपक घड़ा हुआ बोला—'मुझमें जितनी शक्ति है उतना प्रकाश अवश्य करूँगा।' सूर्य जाकर होकर चला गया।

एक दीपक की तरह यदि हजारों दीपक जल उठें तो क्या शहर तपस्वी नहीं उठे? उसी प्रकार केवल पीड़ा की अभिव्यक्ति की बात छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचना है कि मैं अपनी क्षमता का उपयोग करूँगा, उसे अपहनन नहीं करूँगा। अपहनन पाप माना गया है क्योंकि उसमें छिपाकर गुप्त रखने की बात आ जाती है।

गांधीजी के जाने के बाद राष्ट्र-नेताओं में जितनी शक्ति थी उस पर किसी ने इन्द्रजाल फँसा दिया है, वह लुप्त हो गई।

एक तपस्वी तपोवन में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या के प्रभाव में उसका आसन भी डोलने लगा। इन्द्र ने सोचा—'यह तपस्वी और अधिक तपस्या करेगा, तो मेरा आसन छीन लेगा, अतः कोई चक्र चलाना चाहिए।'

एक पथिक का रूप बनाकर इन्द्र नीचे आया। उसके हाथ में तलवार थी। तपस्वी के पास जाकर वह बोला—'स्वामिन! मैं शहर में जा रहा हूँ। तलवार लेकर जाना ठीक नहीं है। आप कृपालु हैं। मैं जब तक लौटकर आऊँगा हूँ, इसकी सभाल रखिए।'

तपस्वी ने तलवार अपने पास रख ली। दो घंटे बीते, चार घंटे बीते, पाँच दिन, दो दिन। ऐसा करते-करते महीनों बीत गए। पर वह पथिक नहीं आया उसे आना भी नहीं था। इधर तपस्वी अपनी तपस्या को भूल गए और तपस्या की सुरक्षा में लग गए। सुरक्षा की चिन्ता में तलवार के प्रति मोह उत्पन्न हो

गया। ध्यान, जप, तपस्या सब छूट गए। अब तो वह तलवार ही तपस्वी की तपस्या थी। इन्द्र का आसन डोलना बन्द हो गया। पर जगल के हजारो जानवरों के प्राण डोल उठे। जिम तपस्वी के पास साप और मेढक, शेर और बकरी साथ-साथ रहते थे वे सब तलवार के कारण भयग्रस्त हो गए।

गांधीजी के बाद लगभग यही स्थिति हो गई, मानो किसी ने तलवार रख दी हो। वह तलवार सत्ता, सम्पत्ति या विलास की है। उसके कारण सारे नेता जो एक प्रकार की तपस्या में रत थे, उसे भूल गए। सन्यासी ने अपना वेश नहीं छोड़ा। 'ओऽम्' का उच्चारण भी करता रहा। किन्तु ध्यान उस तलवार में ही रहा। गांधीजी के अनुयायी भी उनके आश्रम में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर उनका ध्यान कुर्सी में रहता है कि आगामी चुनाव में हमारी कुर्सी मलामत है या नहीं ?

आज के दिन के उपलक्ष्य में चिन्तन करना है कि गांधीजी क्या चाहते थे और उनके विचार क्या थे। गांधीजी सम्प्रदायवाद के पक्ष में नहीं थे। उनकी प्रार्थना-सभा में हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई आदि सब उपस्थित होते थे। किन्तु आज गांधीजी के भक्तों में जितनी साम्प्रदायिक कट्टरता है, उतनी कट्टरता सभवतः धर्म-सम्प्रदायों में भी नहीं है। एक सर्वोदयी नेता से मैंने कहा था—'हमने साम्प्रदायिकता को अच्छा नहीं मानकर छोड़ा, किन्तु आश्चर्य होता है कि साम्प्रदायिकता को न मानने वालों ने उसे अपना लिया। मैं एक सम्प्रदाय का आचार्य हूँ। सम्प्रदाय की वेशभूषा और परिधि को स्वीकार करके चलता हूँ, फिर भी साम्प्रदायिकता मुझे नहीं सुहाती। साम्प्रदायिकता का अर्थ है—अपने सम्प्रदाय को बढ़ाने के लिए दूसरे सम्प्रदाय पर आक्षेप करना तथा उसे बुरा बताना। किसी पर आक्षेप करने को मैं कट्टरता और गलती मानता हूँ।'

गांधीजी को उपदेश से अधिक क्रिया में विश्वास था। कल मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें गांधीजी ने लिखा है—'मेरे मरने के बाद मेरे समग्र साहित्य को जला दिया जाये। इससे जो करना है वही अवशेष रहेगा।' आज की स्थिति भिन्न है। आज करे चाहे कुछ भी नहीं किन्तु बोलने में चतुर है। कहने की अपेक्षा करने का ही सीधा असर जनता पर होता है।

जिसके जीवन में कथनी-करनी की समानता हो क्या उसका असर दूसरों पर नहीं पड़ेगा ? वजरभूमि में बीज नहीं उगते हैं, तो बीज की कमी है या बोनेवाले की कमी है ? जहाँ दोनों की पूर्णता होती है वहाँ फल क्यों नहीं मिलेगा ? गांधीजी जैसा कहते थे वैसा ही करते थे इसलिए उनका सहज प्रभाव होता था। सक्षेप में कहे तो गांधीजी एक आदर्श-धार्मिक थे।

उनके जीवन में एक बात सबसे बड़ी यह थी कि उन्होंने साध्य और साधन की एकता पर बल दिया था। उनका कहना था—'यदि हमारा साध्य पवित्र है,

तो उसके लिए साधन भी पवित्र होना चाहिए। अशुद्ध साधन से प्राप्त मन्त्र स्थायी नहीं होता।' यह सिद्धान्त उनकी नस-नस में रमा हुआ था। इन्होंने स्वराज्य को उन्होंने हिंसा से स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा—'अहिंसे के स्वराज्य सौ वर्ष बाद भी मिले तो मैं उसे पसन्द करूंगा।' साध्य-साधन के एकता के सम्बन्ध में उनका चिन्तन अनेक धर्माचार्यों से टकराता था। किन्तु आचार्य भिक्षु और महात्मा गांधी के चिन्तन में इस दृष्टि से समानता थी।

गांधीजी ने अपने जीवन में अहिंसा के विविध प्रयोग किए थे। वे एक वैज्ञानिक थे। उनका जीवन प्रयोगशाला था, उनका प्रारम्भिक तथा अन्तिम साहित्य देखने से यह तथ्य भली-भांति स्पष्ट हो जाता है। बड़े जीव की मृत्यु के लिए छोटे जीव को मारने में वे पाप बताते थे। खेतों को हानि पहुँचाने वाले बन्दर, हिरण तथा अन्य जहरीले जानवरों को मारने में वे पाप मानते थे। यद्यपि आवश्यकतावश उन्होंने जीवों को मारने की स्वीकृति भी दी पर उसे शुद्ध अहिंसा कभी नहीं माना।

मैंने गांधीजी के ग्यारह व्रत पढ़े। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह आदि की कितनी सुन्दर व्याख्या की है। उन्होंने कहा कि जितनी आवश्यकता है, उगने अधिक रखना परिग्रह है। यदि दरी से काम चल जाए तो कुर्सी रखना परिग्रह है। लगता है कि कोई जैन ऋषि अपरिग्रह का विवेचन कर रहा है।

छुआछूत के बारे में भी गांधीजी ने तीव्र प्रहार किया था। किन्तु रोद है कि आज की अस्पृश्यता की समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है।

गांधीजी के विचार युग के विचार थे किन्तु प्रश्न यह है कि उनके अनुयायी कहां तक उन्हें प्रश्रय देते हैं? मैं किसी पर व्यग्य नहीं करता किन्तु इतना अपरिग्रह कहना चाहता हूँ कि एक महापुरुष के विचार नदी के पूर की तरह बह न जाएं। उन्हें पकड़कर रखें। इससे विकास का पथ प्रशस्त होगा। अन्त में मेरा अनुगोच है कि सब औरों को सुधारने के साथ स्वयं को सुधारने का प्रयास करें। उनके लिए आपके सामने अणुव्रत प्रस्तुत है। आप इसे स्वीकार करें। तभी इस प्रकार के दिन मनाना सफल हो सकते हैं।

उपवास और महात्मा गांधी

मनुष्य शरीरधारी प्राणी है। शरीर भोजन के आधार पर चलता है। इस दुनिया का कोई भी आदमी खाये बिना जीवित नहीं रह सकता। फिर भी खाने के विषय में सब आदमी समान नहीं होते। कुछ लोग भोजन के अधीन होते हैं और कुछ लोग उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते। उसकी अधीनता की अस्वीकृति ने उपवास को जन्म दिया।

मनुष्य प्रतिदिन खाता है। कोई दिन में दो बार, कोई अधिक बार और कोई एक बार। दिन भर न खाना—यह स्वाभाविक नहीं है। यह या तो अभाव में होता है या अरुचिवश या संकल्पवश।

अभाव या अरुचि के कारण भोजन नहीं करने का नाम लघन है। संकल्पवश भोजन नहीं करना भी लघन कहलाता है, यदि उस संकल्प की पृष्ठभूमि में दूसरों के प्रति घृणा, द्वेष या विवशता की मनोभावना होती है।

जिसकी पृष्ठभूमि में अध्यात्म की भावना होती है, आत्मशोधन या प्रायश्चित्त का मनोभाव होता है और संकल्पपूर्वक भोजन नहीं किया जाता, वह उपवास है।

मूल्य

भारतीय धर्मों में उपवास का बहुत मूल्य रहा है। देहाध्यास को छोड़ना धर्म का मुख्य प्रयोजन है। उपवास देहाध्यास के विसर्जन की एक साधना है। ममत्व का मूल आधार देह है। जो दैहिक ममत्व को विसर्जित कर देता है, वह सबके प्रति अनासक्त हो सकता है। उपवास का स्वयंभू मूल्य है—अनासक्ति, इन्द्रिय-विजय, मानसिक शक्ति और धैर्य। हिन्दुस्तान में करोड़ों लोग उपवास के द्वारा आध्यात्मिक लाभ उठाते रहे। बौद्ध धर्म ने उपवास को मान्यता नहीं दी। वैदिक और जैन धर्म ने उसके विविध प्रयोग किए हैं।

राजनीति के क्षेत्र में

महात्मा गांधी से पूर्व उपवास का प्रयोग वैयक्तिक शुद्धि के लिए होता था। उन्होंने उपवास का प्रयोग अपनी शुद्धि द्वारा दूसरों का हृदय-परिवर्तन करने के लिए किया। प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था, यह बात नहीं है। गुरुगं सेठ ने अर्जुनमाली का हृदय-परिवर्तन करने के लिए आजीवन अनशन किया था। आरोंपों की शुद्धि के लिए भी उपवास करने के उदाहरण मिलते हैं। किन्तु गांधीजी ने दूसरों के हृदय बदलने के लिए उपवासों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की, वह अपने आप में नया प्रयोग था।

गांधीजी आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उनका कार्य सभी क्षेत्रों में चलता था। किन्तु मुख्य कार्यक्षेत्र था—राजनीति। महात्मा गांधी ने राजनीति के क्षेत्र उपवास का प्रयोग कर उपवास के इतिहास में एक नया परिच्छेद जोड़ दिया उनके इस कार्य को उनके राजनीतिक साथी भी पूर्णतः समझ नहीं पा रहे थे महात्मा गांधी ने लिखा है—‘अगर राजनीतिज्ञों को राजनीतिक मामलों में इतना उपयोगिता दिखाई नहीं देती, तो इसका कारण यह है कि इस बहुत बड़ा हथियार का यह अनोखा प्रयोग है।’^१

दुरुपयोग

दुनिया में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है, जिसका केवल सदुपयोग ही हो, दुरुपयोग न हो। शक्ति केवल शक्ति है। उसके सदुपयोग और दुरुपयोग का प्रश्न उस व्यक्ति पर निर्भर है, जिसे शक्ति प्राप्त होती है। अणु का उपयोग विध्वंसक अस्त्रों के निर्माण में भी हो रहा है और कल्याणकारी कार्यों में भी हो रहा है। उपवास बहुत बड़ी शक्ति है। गांधीजी ने उसका उपयोग अहिंसक अन्वेषण में किया था। वे उपवास को अहिंसा से भिन्न नहीं मानते थे। वर्तमान में उपवास उपयोग बल-प्रयोग के रूप में होने लगा है। इन वर्षों में ऐसी अनेक घटना घटित हुई हैं, अनेक बार ऐसे उपवास किए गए हैं, जिन्हें उपवास की अपेक्षा बल-प्रयोग कहना ही अधिक संगत होगा। गांधीजी स्वयं इस घतरे में अभिन्न थे। उन्होंने लिखा है—आमरण अनशन सत्याग्रह के कार्यक्रम का अभिन्न अंग है और खास परिस्थितियों में वही सत्याग्रह के शस्त्रागार का मन्त्र बनता है। रामबाण शस्त्र है। लेकिन अच्छी तरह तालीम पाए बिना हर कोई ऐसा प्रयोग करने योग्य नहीं होता।^२

पंडित नेहरू ने भी इस खतरे की ओर उन्हें मतक किया था।

१. गांधीजी : सर्वोदय, पृ० १०३

२. वही, पृ० १०२

गांधीजी ने अस्पृश्यता-निवारण के लिए उपवास किया, उस प्रसंग में पंडित नेहरू ने तार द्वारा यह संवाद भेजा था—‘अखबारों से समाचार मिला था। आश्चर्य भी हुआ और क्षोभ भी। फिर मेरा आशावाद सामने आया और मन को शान्ति मिली। समझ गया कि अति दलितों के उद्धार के लिए जितना त्याग किया जाए, उतना ही थोड़ा है। क्योंकि इन लोगों के स्वराज्य के बिना हमारा स्वराज निरर्थक है। उपवास का धार्मिक रहस्य मैं नहीं समझता। कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी करेंगे। मगर मैं आप जैसे जादूगर को क्या सलाह दूँ?’^१

जमशेद मेहता ने एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न गांधीजी के सामने रखा था। उन्होंने लिखा था—‘प्रायोपवेशन किसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, वगैरह बातों पर आप कुछ नियम तय कर दे, तो ठीक हो।’ उन्हें लिखा—‘ईश्वर के नाम का कितना दुरुपयोग होता है, यह सोच लीजिए। जब वह इस दुरुपयोग को सह लेता है तो फिर महान् शक्तियों का उपयोग करने में उनका दुरुपयोग भी हो जाए, तो यह सहने लायक है। फिर भी जैसा आप कहते हैं, उसे रोकने के लिए भरसक कोशिश करनी ही चाहिए। वह करने में मैं नहीं चूकूंगा।’^२

किन्तु गांधीजी उपवास करने की कोई आचार-सहिता तय नहीं कर पाए।

दुरुपयोग की संभावना से शक्ति के सदुपयोग का सर्वत्र निषेध नहीं किया जा सकता। यही सिद्धान्त गांधीजी के उपवास का प्रेरक रहा है।

मर्यादा

उपवास अहिंसात्मक प्रयोग है। अहिंसा की यह प्रक्रिया है कि अपनी सत्प्रवृत्ति के द्वारा दूसरों की सत्-प्रवृत्ति को जगाया जाए। महात्मा गांधी ने उपवास को इसी मर्यादा में मान्यता दी थी। उन्होंने इसी प्रकार का अभिमत प्रकट किया था—‘परोपकार के अपने रचनात्मक अर्थ में अहिंसा सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि उसमें अन्यायी को कोई शारीरिक या भौतिक हानि पहुँचाए या पहुँचाने का इरादा रखे बिना आत्मपीडन की बेहद गुजाइश रहती है। जिस आत्म-पीडन का लक्ष्य सदा यह रहता है कि उसके द्वारा अन्यायी के उत्तम गुणों को जगाया जाए, आत्म-पीडन से उसके दैवी स्वभाव को जगाया जाता है, जबकि प्रतिशोध उसकी आसुरी वृत्तियों को जगाता है। उचित परिस्थितियों में उपवास इस प्रकार की उत्तम अपील का काम देता है।’^३

१. महादेवभाई की डायरी, भाग २, पृ० ७४

२. वही, पृ० ८६

३. गांधीजी सर्वोदय, पृ० १०२-३।

वैयक्तिक शुद्धि के लिए किया जाने वाला उपवास दबाव में सर्वदा मुक्त होता है किन्तु दूसरों के मत-परिवर्तन के लिए किया जाने वाला पूर्व-उपवास दबाव से मुक्त होता है, यह कहना कठिन है। फिर भी जिसकी दृष्टि आध्यात्मिक होती है, उसका लक्ष्य दबाव डालने का नहीं होता। माते ने गांधीजी से अनुरोध किया था—‘आपको उपवास से दबाव डालने के बजाय शान्त मत-परिवर्तन करना चाहिए। इस मत-परिवर्तन के लिए आपको कम-से-कम एक सान को फिर करनी चाहिए और वह भी जेल में बैठकर नहीं, मगर बाहर निकलकर, मुझे तो सिर्फ अछूतपन का ही काम करना है, यह घोषणा करके आपको छुटना चाहिए।’

गांधीजी ने कहा—‘आपकी दलील मैं समझ सकता हूँ। मेरा उपवास निमी पर भी जबरदस्ती करने के लिए नहीं, बल्कि ठंडे पड़ गये अन्तरात्मा को मोड़ करने के लिए है। बदकिस्मती से यह सच है कि कुछ लोगो पर जबरदस्ती से सकती है। मगर यह बहुत व्यापक नहीं हो सकती है। धार्मिक सुधारक लोगों के मन पर आधिपत्य जमाने की कोशिश नहीं करता, वह तो लोगों को जागृत करता है और उन्हें विचार करने और काम करने में लगा देता है।’^१

भगवान् महावीर ने उपवास के बारे में एक नियामक सूत्र दिया था। उनका सूत्र है—‘ऐहिक सिद्धि के लिए तपस्या नहीं करनी चाहिए। पारलौकिक सिद्धि के लिए तपस्या नहीं करनी चाहिए। पूजा-प्रतिष्ठा के लिए तपस्या नहीं करनी चाहिए। केवल आत्म-शुद्धि के लिए तपस्या करनी चाहिए।’^२

आत्म-शुद्धि की भावना नितान्त आध्यात्मिक है। जैन परम्परा में यह सम्मत है कि लम्बे उपवासों को प्रकट करना नहीं चाहिए। गांधीजी अपने उपवासों की घोषणा करते थे। उनके उपवास में अपनी शुद्धि का भाव नहीं होता, ऐसा कहना मुझे इष्ट नहीं है। किन्तु अपनी शुद्धि के साथ दूसरों की भावना को जागृत करने का भी होता था। इसलिए वे उसे अपने तक सीमित रखने की स्थिति में नहीं रह पाते। देवदास गांधी को उन्होंने कहा था—‘तू ५२ आपत्ति कर सकता है कि यह प्रकट करने की क्या जरूरत थी? लेकिन इसकी भी जरूरत है। यह नयी चीज है। प्राचीन प्रणाली में मैं जो कुछ देखता हूँ, उसमें सुधार कर रहा हूँ। इसका अनर्थ भी हो सकता है। मेरा किसी एक आदमी के खिलाफ उपवास करने का हेतु हो तो मैं चुपचाप बर लूँ। अफ्रीका में उपवास किये थे, तब उसका डिबोरा कहा पीटा था? पर अहमदाबाद में मजदूरों के लिए किए, इसलिए मजदूरों के सामने घोषणा करना

१. महादेवभाई की डायरी, भाग २, पृ० ८६।

२. दशवैकालिक, ६/४।

की ज़रूरत पड़ी। इस बार गरीब बेजुबानों के लिए कर रहा हूँ, इसलिए उनके सामने प्रकट करने की ज़रूरत है। यह तो मुझमें जो एक साधारण शक्ति है, उसका मैं उपयोग कर रहा हूँ और दुनिया को बताना चाहता हूँ कि इस साधारण शक्ति का उपयोग मनुष्यमात्र कर सकता है।'^१

महात्मा गांधी उपवास का नया मूल्य स्थापित करना चाहते थे। इसलिए उसे सार्वजनिक रूप में प्रकट करना उनके लिए अनिवार्य था। खुरसेद बहन के साथ हुई बातचीत में उन्होंने यह मत प्रकट किया था— 'हिन्दू धर्म में तो पग-पग पर उपवास मौजूद है। मेरी मा—मेरी अपढ अज्ञान बहन—जैसे लोगों के जीवन में उपवास का महत्त्व था। हिन्दुस्तान की स्त्रियों के जीवन में यह चीज विद्यमान है। लेकिन मेरे-जैसे आदमी उपवास करे तो दुनिया देखे। और मुझे दिखलाना है। उस हद तक मुझे उपवास की घोषणा करनी पड़ेगी। रामचन्द्र समुद्र के सामने उपवास करते हैं, तो वह सार्वजनिक रूप में करते हैं।'^२

आध्यात्मिक भावना से शून्य व्यक्ति के आहार-त्याग को सही अर्थ में उपवास नहीं कहा जा सकता। वह केवल दूसरो पर दबाव डालने के लिए होता है। उसका उद्देश्य अपनी चित्त-शुद्धि व दूसरो की शुभ भावना जगाने का नहीं होता। दबाव से आसुरी वृत्तियाँ जागती हैं। कोरा दबाव डालने वाले लघन को भूख-हडताल की सज़ा देनी चाहिए। उसे उपवास की पवित्र कोटि में रखना उचित नहीं है। गांधीजी की आध्यात्मिक दृष्टि सधी हुई थी। वे आध्यात्मिकता को अनाज और उससे होने वाली तात्कालिक सफलता को भूसे के रूप में मानते थे। सरदार वल्लभभाई पटेल के साथ हुई चर्चा से उनकी मान्यता का स्पष्ट प्रतिबिम्ब प्राप्त होता है। उस चर्चा का अंश इस प्रकार है— 'ऐसे उपवास तो किसी भी क्षण किये जा सकते हैं। ऐसा करने की हिन्दुस्तान में सामान्य प्रथा है। जब कोई बड़ा सुधार करना हो, तब मनुष्य इसलिए उपवास करता है कि उस सुधार में ज्यादा शुद्धि रहे और उसे ज्यादा वेग मिले। उसमें वह अपने को आदेश मिलने का दावा नहीं करता। ऐसे उपवास दुनिया में सब कहीं स्वीकार किये गये हैं। उपवास खुद ही एक बड़ी चीज बन जाती है। यही उसका बचाव होता है। मेरे उपवास का दावा इससे ज्यादा नहीं। मैं जिस मथन में से गुजरा हूँ, वैसे मथन के बिना भी मैं यह उपवास कर सकता था। पर ऐसा करने की शायद मेरे में हिम्मत नहीं थी। मैं भारी जिम्मेदारी के बोझ के नीचे दब गया और उससे काप उठा। एक से अधिक बार मुझे इसकी प्रेरणा तो हुई थी कि उपवास करना चाहिए, पर मैं उसका विरोध करता रहा। ऐसी धार्मिक प्रवृत्ति की जीत

१ महादेवभाई की डायरी, भाग ३, पृ० २५७-५८।

२. वही, पृ० २६८।

का आधार उसके करने वाले की बौद्धिक शक्ति या दूसरी साधन-सम्पत्ति पर नहीं होता। उसका आधार केवल आध्यात्मिक सम्पत्ति पर होता है। आध्यात्मिक सम्पत्ति बढ़ाने का उपवास बहुत प्रसिद्ध उपाय है। हर एक उपाय से सोचे हुए परिणाम नहीं निकलते, पर अपने वक्तव्य में मैंने उसकी तुलना की है। जिन्होंने बड़ी धार्मिक प्रवृत्तियाँ चलाई हैं, उनका अनुभव यह है कि बौद्धिक, सांसारिक और ऐसे दूसरे साधन आध्यात्मिक पूजा में में मिला जाते हैं। आध्यात्मिक पूजा ही उनका आधार होती है। आध्यात्मिक पूजा के बिना किसी काम में नहीं आते।^१

निष्कर्ष

उपवास की प्राचीन भारतीय परम्पराओं तथा महात्मा गांधी के उपवास का अध्ययन करने पर हर कोई व्यक्ति सहज ही निम्न निष्कर्षों पर पहुँचा जाएगा :

१. उपवास देह-दमन नहीं है। चित्त और आत्मा का शरीर के साथ सम्बन्ध है, वही उपवास है।
२. उसका उद्देश्य है—(क) अपनी चित्त-शुद्धि और दूसरों की मानसिक भावना का जागरण; (ख) अन्याय व अनुचित प्रवृत्तियों का अस्तितापर पद्धति द्वारा अंत लाना।
३. उसकी काल-मर्यादा—जब तक मानसिक विचार निर्मल रहे, चित्त की अनुभूति न हो और लक्ष्य की प्राप्ति न हो।
४. चित्त-शुद्धि के विचार से शून्य, केवल दबाव के लिए किया गया आत्म-त्याग उपवास नहीं हो सकता। वह अन्याय के प्रतिकार वा अस्तिता साधन नहीं हो सकता।

इन निष्कर्षों पर चिन्तन कर उपवास की परम्परा में नये उन्मेष आवश्यक हैं। ऐसा किये बिना शक्ति के दुरुपयोग की संभावना को नहीं रोका जा सकता।

तीर्थकर और सिद्ध

जैन दर्शन आत्मवादी दर्शन है। आत्मा के सम्बन्ध में सब दार्शनिक एकमत नहीं है। कुछ दार्शनिक आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। कुछ उसे कूटस्थ नित्य मानते हैं। कुछ दार्शनिकों के मतानुसार आत्मा अनित्य है। जैन दर्शन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए छह बातें ज्ञातव्य हैं—

१. आत्मा है,
२. पुनर्भव है,
३. बन्ध है,
४. बन्ध के हेतु है,
५. मोक्ष है,
६. मोक्ष के हेतु है।

प्रत्येक शरीर में आत्मा है किन्तु किसी भी आत्मा का शरीर से पृथक् अस्तित्व ज्ञात नहीं होता, इसलिए आत्मा का अस्तित्व सदा सदेह का विषय बना रहता है। हमारे शरीर में जानने वाली सत्ता आत्मा है। वह चिन्मय है। उसमें दृश्य वस्तुओं को जानने की क्षमता है। किन्तु वह स्वयं पुनर्भवी है या नहीं है, यह जानने की क्षमता उसमें विकसित नहीं है। स्मृति, प्रत्यभिज्ञा, तर्क और अनुमान के आधार पर कुछ विद्वानों ने यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि आत्मा पुनर्भवी नहीं है तो अनेक विद्वानों ने यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि वह पुनर्भवी है। परोक्ष के आधार पर दोनों धाराएँ चल रही हैं। प्रत्यक्ष का प्रामाण्य किसी के पास नहीं है। यह विषय सूक्ष्म और दूरगामी है। इसलिए इसे केवल तार्किक स्तर पर सुलझाना संभव नहीं है। इसके समाधान के लिए तीव्र वैज्ञानिक प्रयत्न या तीव्र साधना निमित्त बन सकती है। जिन व्यक्तियों के मन में आत्मा की उत्कट जिज्ञासा जाग उठती है, वे आत्म-दर्शन की साधना के पथ पर चल पड़ते हैं। यह साधु जीवन की भूमिका है।

ध्यान की उच्चतम भूमिका पर आरोहण करते-करते साधु प्रत्यक्षदर्शन से उपलब्ध कर लेते हैं। वे प्रत्यक्षदर्शी (केवलज्ञानी) साधु जिन कहलाते हैं। वे जिन होते हैं पर सभी जिन तीर्थंकर नहीं होते। तीर्थंकर में कुछ अतिशय विशेषताएँ होती हैं। वे धर्म-शासन के शास्ता और पथ-दर्शक होते हैं। महा-महावीर तीर्थंकर थे। उनके शासन में सैकड़ों जिन थे। जीवनकाल में जिन तीर्थंकर दो भूमिकाओं में रहते हैं। निर्वाण होने पर वे सब सिद्ध बन जाते हैं। समान भूमिका को प्राप्त हो जाते हैं। सिद्ध अवस्था बन्धन-मुक्ति की अवस्था है। इस अवस्था में केवल आत्मा का अस्तित्व रहता है। इसलिए सिद्धता सर्व सामान्य भूमिका है। जैन आगमसूत्रों में सिद्धों के पन्द्रह प्रकार बतलाए गए हैं। किन्तु वर्तमान अवस्था से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। उनका आधार-पूज्यत्व की स्थिति है। सिद्धों के पन्द्रह प्रकार ये हैं :

१. तीर्थसिद्ध—तीर्थंकर के शासन में दीक्षित होकर मुक्त होने वाले।
२. अतीर्थसिद्ध—तीर्थंकर के शासन में दीक्षित हुए बिना मुक्त होने वाले।
३. तीर्थंकर सिद्ध—तीर्थंकर के रूप में मुक्त होने वाले।
४. अतीर्थंकर सिद्ध—तीर्थंकर की भूमिका को प्राप्त किए बिना मुक्त होने वाले।
५. स्वयंबुद्ध सिद्ध—स्वयं बोधि प्राप्त कर मुक्त होने वाले।
६. प्रत्येकबुद्धसिद्ध—किसी एक निमित्त से बोधि प्राप्त कर मुक्त होने वाले।
७. बुद्धबोधित सिद्ध—आचार्य के द्वारा सबुद्ध होकर मुक्त होने वाले।
८. स्त्रीलिंग सिद्ध—स्त्री-जीवन में मुक्त होने वाले।
९. पुरुषलिंग सिद्ध—पुरुष-जीवन में मुक्त होने वाले।
१०. नपुंसकलिंग सिद्ध—कृत् नपुंसक जीवन में मुक्त होने वाले।
११. स्वलिंगसिद्ध—मुनि के वेश में मुक्त होने वाले।
१२. अन्यलिंग सिद्ध—परिव्राजक आदि के वेश में मुक्त होने वाले।
१३. गृहलिंग सिद्ध—गृहस्थ के वेश में मुक्त होने वाले।
१४. एकसिद्ध—एक समय में एक ही मुक्त होने वाला।
१५. अनेकसिद्ध—एक समय में अनेक मुक्त होने वाले।

इन भेदों में सत्य की सम्प्रदाय, लिंग, वेश आदि बाह्य उपकरणों में भिन्नता स्वीकृति है। अमुक सम्प्रदाय में दीक्षित होने पर ही कोई मुक्त हो सकता है अन्यथा नहीं हो सकता। अमुक वेश धारण करने पर ही कोई मुक्त हो सकता है अन्यथा नहीं हो सकता। अमुक लिंग में ही कोई मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। दूसरों द्वारा प्रतिबुद्ध होने पर ही कोई मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता।

नहीं हो सकता। ये एकांगी धारणाएँ इन पन्द्रह भेदों के द्वारा निर्मूल की गयी हैं। मुक्त वह हो सकता है, जो बन्धन-मुक्ति की साधना में गतिशील है—सम्यक् दर्शनी, सम्यक् ज्ञानी और सम्यक् चारित्री है। भगवान् महावीर के अनुसार मुक्ति के नियामक तत्त्व सम्प्रदाय, वेश और लिंग नहीं हैं, किन्तु सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य है। इनका यथेष्ट विकास होने पर किसी भी सम्प्रदाय या वेश में मुक्ति हो सकती है और इनका विकास हुए बिना किसी भी सम्प्रदाय या वेश में मुक्ति नहीं हो सकती। सम्प्रदाय आदि बाह्य निमित्त हैं। उनका जीवन के साथ आत्मीय सम्बन्ध नहीं है। दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य जीव के मौलिक गुण हैं। ज्ञान, दर्शन, वीतरागता आदि धर्मों से अन्वित सत्ता का नाम जीव है। बन्धन-दशा में ये धर्म आवृत रहते हैं। इनकी साधना करने पर ये अनावृत होते चले जाते हैं। साधनाकाल में ये मुक्ति के साधन होते हैं और सिद्धिकाल में ये जीव के स्वाभाविक गुण हो जाते हैं।

जीव के मौलिक गुण चार हैं—ज्ञान, दर्शन, आनन्द और शक्ति। ये गुण सब सिद्धों में समान रूप से विकसित हो जाते हैं। इसलिए उस अवस्था में स्वरूपकृत कोई तारतम्य नहीं होता। आचाराग सूत्र में सिद्ध का स्वरूप निम्न शब्दों में व्याख्यात है

वह सस्थान-रहित है—दीर्घ और ह्रस्व नहीं है। वृत्त, त्रिकोण, चतुष्कोण और परिमडल नहीं है।

वह अरूप है—कृष्ण, नील, लोहित, पीत और शुक्ल नहीं है।

वह अगन्ध है—सुगन्ध और दुर्गन्ध नहीं है।

वह अरस है—तिक्त, कटु, कषाय, अम्ल और मधुर नहीं है।

वह अस्पर्श है—कर्कश, मृदु, गुरु और लघु नहीं है।

शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष नहीं है।

वह अशब्द है—उसमें ध्वनि-प्रकपन नहीं है।

वह स्त्री, पुरुष और नपुंसक नहीं है।

वह अशरीर, अजन्म और असग है।

वह अनुपम है—उसके प्रत्यक्ष बोध के लिए कोई उपमा नहीं है।

वह अपद है—उसकी व्याख्या के लिए कोई पद नहीं है। स्वर उस तक पहुँच नहीं पाते। उसे जानने के लिए कोई तर्क नहीं है। मति उसे ग्रहण नहीं कर पाती। वह चिन्मय अरूपी सत्ता है।

औपपातिक सूत्र में सिद्ध के बारे में कुछ विशेष जानकारी मिलती है। वहाँ कहा गया है—‘मुक्त जीव किससे प्रतिहत है? कहा स्थित होते हैं? कहा शरीर को छोड़ते हैं? और कहा जाकर सिद्ध होते हैं?’

वे अलोक से प्रतिहत होते हैं, लोक के अग्रभाग में स्थित होते हैं, मनुष्य में शरीर को छोड़ते हैं और लोक के अग्रभाग में जाकर सिद्ध होते हैं। वे सघन (एक-दूसरे से सटे हुए) और ज्ञान-दर्शन में सतत उपयुक्त होते हैं। वैसा सुख प्राप्त होता है, जिसके लिए इस जगत् में कोई उपमा नहीं है।

एक राजा अश्वारूढ़ होकर यात्रा के लिए गया। उसका घोड़ा रजसु वाला था। वह राजा को घने जंगल में ले गया। वहाँ एक जगली आरमी रजसु था। उसने राजा का आतिथ्य किया और उसे मार्ग बता दिया। राजा उसे साथ ले गया। उसने सकट में सहायता की, उसे याद कर राजा ने भी उसे बहुत सम्मान किया। उसे बड़े प्रासाद में ठहराया। बड़े-बड़े राजभवन दिगम्बर बढ़िया भोजन कराया। कुछ दिन रहकर वह जंगल में चला गया। घरवाले पूछा तो उसने कहा— मैं नगर में गया था। नगर कैसा होता है? उमर बड़े-बड़े घर होते हैं। उसने बहुत बतलाया पर उन्हें नहीं समझा गया। ऐसे प्रकार सिद्ध के सुख भी अनुभूतिगम्य है, वाणीगम्य नहीं हैं। सिद्ध का सुख अनागत और निर्विघ्न है, अतृप्ति और शोभ से मुक्त है।

जीव सिद्ध की अविकसित दशा है और सिद्ध जीव की विकसित दशा है। इन दोनों में दशा-भेद है, अस्तित्व-भेद नहीं है। प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व ऐकिक है, तब कोई कारण दिखाई नहीं देता कि जीव का अस्तित्व अनागत माना जाए।

मैं क्यों घूम रहा हूँ ?

मैंने अनेक लम्बी-लम्बी पद-यात्राएँ की हैं। इस वर्ष भी मैं लगभग दो हजार मील घूमा हूँ। मैं पदयात्रा क्यों कर रहा हूँ, बहुत लोग यह जानना चाहते हैं। मेरी यात्रा का उद्देश्य सत्य की जिज्ञासा, शोध और अभिव्यक्ति है। मैंने प्रकृति के प्राण मे लम्बा समय बिताया है। मैं किसी वाहन का उपयोग नहीं करता, इसलिए धरती और आकाश से मेरा सीधा सम्पर्क है। अनगिन पहाड़ों, नदियों, जंगलों, गुफाओं और राजपथों को मैंने देखा है। लाखों-लाखों लोगों से प्रत्यक्ष सम्पर्क हुआ है। विविध विचारधाराओं और परिस्थितियों का आकलन किया है। विश्व की विराटता को मैंने मुक्त दृष्टि से देखने का विनम्र प्रयत्न किया है।

मैं अनेकान्त में विश्वास करता हूँ। स्याद्वाद मुझे इष्ट है, इसलिए सहज ही मुझे आग्रह-मुक्त होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन यात्राओं और व्यापक सम्पर्क ने मेरी दृष्टि को नये-नये आयाम दिए हैं। मुझे जो सत्य उपलब्ध हुआ है, उसे मैं प्रयोग की कसौटी पर कस रहा हूँ और अनुभूत प्रयोग को जनता के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मुझे पहला सत्य यह मिला है कि विश्व केवल परिवर्तनशील या केवल स्थितिशील नहीं है। यह परिवर्तन और स्थिति का अविकल योग है। फिर मनुष्य को परिवर्तन से भयभीत क्यों होना चाहिए ? उसमें स्थिति को पूर्ववत् बनाए रखने का आग्रह क्यों होना चाहिए ? परिवर्तन परमाणु व विश्व की सबसे बड़ी इकाई -- सबसे घटित होता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक सभी नियमों व्यवस्थाओं और विधि-विधानों में उसकी अनिवार्यता है। फिर परिवर्तन-विमुखता का कोई अर्थ समझ में नहीं आता। युग जिस परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, उसके लिए पूर्ण तैयार रहना ही सत्य की उपलब्धि है।

कुछ लोगों ने कहा कि पश्चिमी वगल में वामपथी सरकार बन गयी, अब क्या होगा ? मैंने कहा — 'कुछ भी नहीं होगा। यदि आप लोग बदल जाएँ, समय की नब्ज को पहचान लें तो कुछ भी नहीं होगा और यदि आप समय-चक्र को

उलटने का यत्न करे तो जो नहीं होने वाला है, वह भी हो सकता है।

मानवीय समानता का सिद्धान्त आज से हजारों वर्षों पहले प्रस्तुत हुआ था किन्तु आर्थिक समानता का सिद्धान्त पहले प्रतिपादित नहीं हुआ। अन्तर्-युग के समाजशास्त्रियों ने उसका सम्यक् प्रतिपादन किया है। मनुष्य-जाति का बहुत बड़े भाग ने उसे मान्यता दी है। आज आर्थिक वैषम्य को बनाए रखने के लिए होने वाले किसी भी प्रयत्न में प्राण-शक्ति नहीं है। इसलिए परिष्कार-युगाचिता के साथ अपने चिंतन को मिला देना ही अनिष्ट चिन्ता में बचने का उपाय है।

कुछ लोग कहते हैं मनुष्य चाद में पहुँच चुका, अब धर्मशास्त्रों का क्या काम है? मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं होगा। जो मान्यताएँ परिवर्तनीय हैं, वे बदलती हैं और वे बदलनी ही चाहिए। परिवर्तनीय के प्रति परिवर्तन का दृष्टिकोण जान ही उलझनों से बचने का राजमार्ग है।

विश्व स्थितिशील भी है, फिर सब कुछ बदलने या प्राचीन को निरर्थक अनुपयोगी मानने का आग्रह क्यों होना चाहिए? इसमें सब कुछ परिवर्तनीय नहीं है। जीवन के कुछ स्थायी मूल्य होते हैं। मानसिक शान्ति एक स्थायी मूल्य है। वह परिवर्तनीय नहीं है। शान्ति के स्थान पर अशान्ति को प्रतिस्थापित करना अपेक्षित नहीं है। अभय, समानता, मैत्री, प्रामाणिकता सत्य आदि अनेक मूल्य ऐसे हैं, जिनका त्रैकालिक मूल्य है। अध्यात्म जीवन का स्थायी मूल्य है। अन्तर्-छोड़कर मनुष्य केवल आन्तरिक शान्ति से ही वंचित नहीं होता, व्यावहारिक सौमनस्य भी खो बैठता है।

मुझे दूसरा सत्य यह मिला है कि परिस्थिति-परिवर्तन व हृदय-परिवर्तन का योग किए बिना समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मुझे एक माध्यामिक विधायक मिले। मैंने उनसे अणुव्रत की चर्चा की। वे बोले—'मनुष्य वैश्व-आचरण करता है, जैसी परिस्थिति होती है, इसलिए हमारा ध्यान परिस्थिति-परिवर्तन की दिशा में केन्द्रित होना चाहिए।' मैंने उनसे कहा—'हृदय-परिवर्तन मानवीय एकता की तीव्र अनुभूति हुए बिना परिस्थिति के बदल जाने पर ही मनुष्य का आचरण बदलने में कठिनाई होती है। समस्याओं के समाधान के लिए परिस्थिति और हृदय दोनों का परिवर्तन आवश्यक है। एक राजनयिक या धर्म-परिस्थिति-परिवर्तन में मुख्य होगा, जबकि एक धार्मिक का ध्यान हृदय-परिवर्तन की दिशा में मुख्य होगा। एक धार्मिक परिस्थिति-परिवर्तन व एक राजनयिक हृदय-परिवर्तन की सापेक्षता की अवहेलना न करे तो मंगल विरहान के समाधान के लिए समस्याओं के समाधान में अधिक त्वरता आ सकती है।

मुझे तीसरा सत्य यह मिला है कि केवल सामाजिकता और वैश्व-आचरण को मान्यता देने से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। समाजवाद के लिए

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूल्य स्थापित होने पर ही समाजवादी शिविर में पनपने वाली व्यक्ति की उपेक्षा और व्यक्ति में पनपने वाली सकुचित स्वार्थ की सीमा— ये दोनों दोष दूर हो सकते हैं। सामुदायिक व व्यक्तिगत दोनों प्रकार की समस्याओं का अध्ययन करके सामुदायिकता को व्यवस्था की दुर्बलता व व्यक्ति को मानसिक दुर्बलता से बचाया जा सकता है।

मुझे चौथा सत्य यह मिला है कि वर्तमान और भविष्य दोनों में से एक भी उपेक्षणीय नहीं है। सामाजिक लोग जितना ध्यान वर्तमान पर देते हैं, उतना भविष्य पर नहीं देते और जितना भविष्य पर देते हैं, उतना वर्तमान पर नहीं देते यानी जितनी चिंता अगले जन्म की करते हैं, उतनी वर्तमान जीवन की नहीं करते। मुझे ये दोनों त्रुटिपूर्ण लगते हैं। वर्तमान को समझे बिना हम भविष्य को उज्ज्वल नहीं बना सकते और भविष्य का मूल्यांकन किए बिना हम वर्तमान को सर्वांगीण सुन्दर नहीं बना सकते। इसलिए हमारी दृष्टि वर्तमान और भविष्य— दोनों पर समकेन्द्रित होनी चाहिए।

मुझे सर्वांगीण व समन्वयात्मक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ है। एकांगी दृष्टिकोण से होने वाली कठिनाइयों और सर्वांगीण दृष्टिकोण से होने वाले समाधानों को हृदयगम करने के लिए मैं जनता के बीच घूम रहा हूँ।

मेरी यात्रा

मैं अनवरत यात्रा कर रहा हूँ। किसलिए कर रहा हूँ, यह जिज्ञासा स्वयं पर मेरे मन में भी उभरती है। मैं जैन मुनि हूँ। जैन मुनि के लिए राजस्थान में रहना वर्जित है। क्या इसीलिए मैं यात्रा कर रहा हूँ? यदि इनो उद्देश्य यात्रा करता तो उसके लिए राजस्थान से दक्षिण तक आने की आवश्यकता होती। उस नियम का पालन तो राजस्थान में ही हो जाता है।

जैन लोग हिन्दुस्तान के हर प्रान्त में हैं। मैं जैन धर्म का आचार्य हूँ। मेरा कर्तव्य है कि वह अपने अनुयायियों के बीच में जाकर उन्हें धर्म का प्रचार दे। क्या मैं इसी उद्देश्य से इतनी लम्बी यात्रा कर रहा हूँ? मेरे अनुयायियों का उपयोग करते हैं, मैं अपने पैरों से चलता हूँ। मैं उन तक पहुँचूँ, इसलिए यह बहुत सरल है कि वे मुझ तक पहुँचें और धर्म की प्रेरणा प्राप्त करें।

तो आखिर मैं किसलिए यात्रा कर रहा हूँ? यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और मेरे मन में भी है। मैं अपने मन की जिज्ञासा का समाधान चाहता हूँ, संभव है आपकी जिज्ञासा को भी समाधान मिल जाए।

यात्रा का उद्देश्य

मैं केवल जन्मना जैन नहीं हूँ, कर्मणा भी जैन हूँ। भगवान् महावीर द्वारा स्थापित तत्त्व के प्रति आस्थावान् हूँ। भगवान् ने जीव-मात्र की समानता का प्रचार किया था। एक समय में उनके शिष्यों ने इस स्वर को बहुत प्राणमानी बना दिया। जब जातिवाद और छुआछूत की बीमारी सक्रामक हो रही थी, तब भगवान् ने अचलो—दक्षिण और उत्तर—से जैन आचार्यों ने यह उद्घोष किया—'मनुस्स जाई'—मनुष्य-जाति एक है। उस समय मानवीय एकता का प्रचार क्रान्तिकारी स्वर था। धर्म-सम्प्रदाय, जाति, भाषा, रंग व भौतिकीय अन्तर नहीं। हुई मनुष्य-जाति क्या सचमुच एक है? इस तथ्य की शोध करने के लिए मैं गाव में घूम रहा हूँ, पथ-पथ की परिक्रमा कर रहा हूँ।

मैं राजस्थान से चला हूँ, गुजरात में आया। यहाँ भाषा बदल गई—हिन्दी की जगह गुजराती आ गई। गुजरात से मैं महाराष्ट्र आया। गुजराती के स्थान पर मराठी आ गई। मैं जैसे ही कर्नाटक या मैसूर में आया, कन्नड आ गयी। मद्रास में तमिल आ गई। हर भौगोलिक सीमा ने भाषा को नया रूप दिया है। मैं इस अनेकता या विविधता से बहुत मुग्ध हूँ। मैं भगवान् महावीर के 'अनेकता में एकता' सिद्धान्त को बहुत पसन्द करता हूँ। यदि इतनी बड़ी यात्रा में मैं एक ही भाषा, एक ही वेशभूषा, एक ही खानपान की पद्धति, एक ही धर्म-परम्परा और एक ही प्रकार की धरती को देखता तो मैं आश्चर्यपूर्ण आनन्द से वंचित रह जाता। विविधता ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। इस विविधता या अनेकता में मैंने देखा और बहुत गहराई से देखा कि मानवीय एकता का सूत्र कहीं भी टूटा नहीं है। मिट्टी कहीं काली आ गई है और कहीं पीली और कहीं लाल। किन्तु मनुष्य के हृदय में मैंने हर मिट्टी का प्रभाव देखा है। भाषा का परिवर्तन हो जाने पर भी मैंने भावों की समरसता का अनुभव किया है। जातीय व साम्प्रदायिक भेदों के उपरान्त भी मानवीय एकता का स्वर मुझे सर्वाधिक सुनाई दिया। अपने आकलन के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आज का युवक भेद की अपेक्षा अभेद को अधिक पसन्द करता है। अनेक स्थानों में अनेक लोगो ने अनेक बार मुझसे कहा—'आप जैन एकता के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसका हम समर्थन करते हैं।' कुछ लोगो ने कहा—'सम्प्रदायों की बाढ-सी आ गई। हम इन परस्पर-विरोधी धाराओं से ऊब चुके हैं। आप धर्म-समन्वय की बात करते हैं, वह हमें बहुत अच्छी लगती है।' कुछ लोगो ने कहा—'धर्म आज कोरा क्रियाकाण्ड बन गया है। आपकी धर्मक्रान्ति की बात हमें बहुत पसन्द आती है।'

मैंने गुजरात में प्रवेश करते ही अपनी यात्रा के तीन उद्देश्य बतलाए थे ·

१ मानवता या चरित्र का निर्माण ।

२ धर्म-समन्वय ।

३ धर्म-क्रान्ति ।

मुझे लगा कि मैं जिन तत्त्वों की खोज व जिन मूल्यों की स्थापना के लिए यात्रा पर निकला हूँ, उनके प्रति आज के मानस में सहज आकर्षण है। मेरा जन-मानस के प्रति और जन-मानस का मेरे विचारों के प्रति जो आकर्षण है, वही मेरी यात्रा को सहज बना रहा है।

मैं अधिक समय तक राजस्थान में रहा हूँ, फिर भी किसी भी प्रान्त से बधा हुआ नहीं हूँ, इसलिए सभी आत्मीयता का भाव है।

मैं लम्बे समय से हिन्दी के वातावरण में रहा हूँ, किन्तु जैन मुनि होने के कारण मैं किसी भी भाषा

क २५

रे मन

जीम ५

है हूँ।

मुनियों की यह प्रकृति रही है कि वे जिस प्रान्त में गये या रहे, उन्हीं भाषा का उन्होंने समर्थन किया। तमिल, कन्नड आदि दक्षिणी अंचल की भाषा में जैन विद्वानों की रचनाओं तथा जैनैतर विद्वानों द्वारा उनकी मुद्रा सुनकर मैं बहुत बार हर्ष-विभोर हो जाता हूँ।

मैं भाषा को माध्यम मानता हूँ। वह एक आदमी के भावों को दूसरे तक पहुँचाती है, जोड़ती है। हम भाषा को, मानवीय एकता को तोड़ने का साधन बनाकर कितनी भूल करते हैं, इस पर हमें गहराई से चिन्तन करना चाहिए।

मुझे अनेक मित्रों ने मुझाव दिया कि आप इस समय दक्षिण भारत में जाकर वहाँ आपको भाषा की समस्या का सामना करना पड़ेगा। मैंने उनमें जगन्नाथ राजनीति से लिप्त नहीं हूँ। भाषा-विवाद में मेरा कोई रस नहीं है। किसी भाषा को आगे लाना और अन्य भाषाओं के विकास को अवरुद्ध करना मेरी दृष्टि में अनुचित है। राष्ट्र की एक सम्पर्क-भाषा होनी चाहिए, इस विचार में मैं पसन्द करता हूँ। किन्तु मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि यह कार्य बनाते बिना आप इस कार्य के लिए हार्दिक रुचि उत्पन्न करना मुझे इष्ट है। मैं समग्र मानवता को जोड़ने के पक्ष में हूँ, तब भाषा का प्रश्न मेरे सामने क्यों कठिनाई उत्पन्न करेगा? मैं मानता हूँ कि मैं जिस प्रान्त में जाऊँ वहाँ मुझे उसी प्रान्त की भाषा बोलना चाहिए। मातृभाषा में जितना हार्दिक समझा जाता है, उतना अन्य भाषा में नहीं समझा जाता। किन्तु मेरी भी कुछ कठिनाइयाँ हैं। मैं जन्म के बाद बहुत व्यस्त हूँ। मेरी सर्वाधिक रुचि या तडप इस बात में है कि मनुष्य में मानवी गुणों का विकास हो। चरित्र-हीनता व्यक्ति या समाज के लिए अभिशाप है। उसके उन्मूलन में कुछ सहयोगी बनना चाहता हूँ। भौतिक प्रगति में राष्ट्र शरीर शक्तिशाली बनेगा, किन्तु उसकी आत्मा में शान्ति, मोहार्द्र और प्रगल्भ विकसित नहीं होगी। इसलिए चरित्र-निर्माण को मैं प्राथमिकता दूँगा। मैं आगमों के शोध का कार्य भी मैंने अपने हाथ में ले रखा है। इसलिए नए भाषा को सीखने में पर्याप्त समय लगाना कठिन है। मैं अपनी दुर्बलता या कठिनाई स्वीकार कर लेता हूँ, फिर भी मैं इस पक्ष का समर्थक नहीं हूँ कि आप ही सीखे बिना मैं आप तक नहीं पहुँच सकता। क्या एक हिन्दी-भाषी दूसरे भाषी से नहीं लड़ता? भाषा एक माध्यम है। हृदय एक हो तो भाषा के द्वारा दूसरों तक प्रेम पहुँचाते हैं और हृदय टूटे हुए हो तो भाषा के द्वारा हम दूसरों को घृणा पहुँचाते हैं। मैं भाषा की अपेक्षा भावों को अधिक महत्त्व देता हूँ। मेरे भाव आपके प्रति प्रेममय, मोहार्द्रपूर्ण और हित-भावना में ओत-प्रोत हैं। प्राणीमात्र के प्रति मैत्री का नकल्प किया है। मैं जन्मा नष्ट पट्टाया हूँ, परन्तु मैं के माध्यम में पहुँचता हूँ, किसी भाषा के माध्यम में नहीं पहुँचता। परन्तु मैं मैत्री-भावों को सुनने के लिए मेरे पास आती हूँ, किसी भाषा की नहीं।

मेरे पास नहीं आती। मुझे विश्वास है कि भावों की एकता होने पर भाषा की समस्या गौण हो जाती है।

मैं कृत्रिम समस्याओं द्वारा वास्तविक समस्या पर आवरण डालने को बहुत खतरनाक मानता हूँ। आज की वास्तविक समस्या मूल्यों का संघर्ष है। समाज, राजनीति, धर्म और व्यवसाय इन सबके पुराने मूल्य बदल रहे हैं और नये मूल्य प्रस्थापित हो रहे हैं। पुराने लोग नये मूल्यों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और नयी पीढ़ी पुराने मूल्यों को बलात् समाप्त कर देना चाहती है। एक पक्ष की रूढ़िवादिता और दूसरे पक्ष का अर्धर्य, दोनों मिलकर परिस्थिति को जटिल बनाये हुए हैं।

मैं परिवर्तन को अपरिहार्य मानता हूँ, इसलिए रूढ़िवाद में मेरा विश्वास नहीं है। मैं अहिंसा में विश्वास करता हूँ, हिंसक तोड़-फोड़ या अर्धर्य को पसन्द नहीं करता। मूल्यों के परिवर्तन की प्रक्रिया अहिंसात्मक हो, इसमें मेरी आस्था है।

आज हिंसा बढ़ रही है। इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। क्योंकि सामाजिक निरपेक्षता जब बढ़ती है, तब हिंसा को बढ़ावा मिलता है। समाज की आधार-शिला है सापेक्षता। एक आदमी दूसरे आदमी से सापेक्ष होता है, तभी समाज बनता है। सापेक्षता स्वार्थ-विमर्जन से निष्पन्न होती है। आदमी अपने स्वार्थ को मुख्य मान लेता है, तब वह समाज के प्रति निरपेक्ष व्यवहार करने लग जाता है। इस स्थिति में हिंसा को उत्तेजना मिलती है। सापेक्षता का अनुभव करने वाला आदमी दूसरे को ठग नहीं सकता, दूसरे का शोषण नहीं कर सकता, मिलावट नहीं कर सकता, मुताफाखोरी नहीं कर सकता। सारी की सारी सामाजिक विषमता निरपेक्षता का ही परिणाम है।

मैंने जहाँ तक अध्ययन किया है, इस समस्या का समाधान धर्म है। मैं धर्म का संदेश लेकर आप लोगों के बीच में आया हूँ। आप जानना चाहेंगे कि मैं किस धर्म का संदेश लेकर आया हूँ? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं किसी भी धर्म का संदेश लेकर नहीं आया हूँ। मैं केवल धर्म का संदेश लेकर आया हूँ। जितने धर्म प्रचलित हैं, वे लगभग सम्प्रदाय बन गये हैं। वे पूजा और उपासना की पद्धतियों व क्रियाकान्डों के आधार पर चल रहे हैं। उनसे युगीन समस्याओं को कोई भी समाधान मिलने वाला नहीं है। मैं उस धर्म को पसन्द करता हूँ, जिसमें चरित्र-शुद्धि का स्थान मुख्य है और उपासना का स्थान गौण है। अणुव्रत में उपासना का कोई प्रबन्ध नहीं है। वह केवल चरित्र-शुद्धि का प्रयत्न है। इसीलिए वह युग-धर्म है। उससे केवल मानसिक शान्ति और आन्तरिक पवित्रता ही प्राप्त नहीं होती है, अपितु युग की समस्याएँ भी सुलझती हैं। मुझे विश्वास है आप अणुव्रती बनने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। अणुव्रती बनने का अर्थ है मनुष्य बनना, अणुव्रती बनने का अर्थ है धार्मिक बनना और अणुव्रती बनने का अर्थ है नये सामाजिक मूल्यों को प्रस्थापित करना।

नारी को लक्ष्मी-सरस्वती ही नहीं, दुर्गा भी बनना होगा

समाज के दो घटक हैं—स्त्री और पुरुष। दोनों घटकों का स्वतन्त्र अस्तित्व पर दोनों की स्वतन्त्र अस्मिता नहीं है। हमारे देश के पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष वर्ग की अपनी अस्मिता है, पहचान है, इसलिए उसका प्रभुत्व भी है। मनु स्त्री-जाति शताब्दियों-सहस्राब्दियों से उपेक्षित और प्रताडित होती रही है। इसलिए उसमें हीन भावना आ गई। हीन भावना जीवन के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। जो समाज हीन भावना से आक्रान्त होता है, वह प्रगति नहीं कर सकता। हीन भावना छूटते ही प्रगति के द्वार खुल जाते हैं। यदि महिला समाज प्रगति का आकाक्षी है तो उसे सबसे पहले हीन भावना की गिरफ्त से मुक्त होना है। दुर्बलता या कमी का जहाँ तक प्रश्न है, वह किस वर्ग में नहीं होती? क्या पुरुष वर्ग में कोई कमी नहीं है? फिर महिलाएँ स्वयं को हीन क्यों मानें?

महिला जाति की हीन भावना का एक कारण है उसका पुरुष पर निर्भर रहना। इस सन्दर्भ में विचारणीय पहलू यह है कि पुरुष को अगर महिला की अपेक्षा नहीं है तो महिला को पुरुष की अपेक्षा क्यों हो? एक महिला को पुरुष जितनी जरूरत है, उतनी ही जरूरत पुरुष को महिला की होती है। क्योंकि वे एक-दूसरे के पूरक हैं। भारतीय परिवेश में पुरुष और महिला दोनों मापदंड रहना ही अपने जीवन को पूर्णता दे सकते हैं। एक-दूसरे से कटकर वे अधूरा जीवन जी रहे हैं। ऐसी स्थिति में महिलाओं का पुरुष के हाथ की कठपुतली बने रहना किसी भी तरह वाछनीय नहीं है।

महिला पुरुष की सहचरी है, सहधर्मिणी है। उसे अपने घर में वे सभी अधिकार प्राप्त हैं, जो एक पुरुष को होते हैं। पर इस बात को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती है, तब वियोगिनी वहनों की दुर्गति होती है। आज विधवा-विधवा अथवा महिला के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन मिला रहा है। क्यों? यदि वैधव्य भोग वाली वहनों को भी समाज में सम्मान से जीने का अधिकार प्राप्त होना, दुर्गति-खुशियों को नहीं छीना जाता, उन पर सामाजिक एवं नैतिक बर्जनाओं से बचा

नहीं थोपा जाता तो कोई भी भारतीय महिला पुनर्विवाह की बात नहीं सोचती। 'त्रिया-नेल हमीर-हठ चढै न दूजी बार'—यह कहावत व्यर्थ तो नहीं है। पर इसको व्यर्थता देने वाले सामाजिक परिवेश में परिवर्तन जरूर अपेक्षित है।

एक परिवार में तीन भाई हैं। तीनों की पत्नियाँ हैं। आर्थिक सपन्नता के कारण तीनों बहनें पूरे ठाट-बाट से रहती हैं। सयोग की बात, एक बहन को पति का विगोग हो गया। उसके बाद तो स्थितियाँ ही बदल गईं। दो बहनें उस परिवार में मालकिन की हैसियत से रहती हैं, क्योंकि वे सौभाग्यवती हैं। किन्तु तीसरी बहन के जीवन में एक दुःख क्या आया, दुःख का पहाड़ ही टूट पड़ा। उसे अपने ही घर में एक नौकरानी की तरह रहना पड़ता है। क्या कोई पुरुष अपनी पत्नी के वियोग में ऐसा जीवन जीता है? यदि नहीं तो स्त्री ने कौन-सा अपराध किया है जो उसे ऐसी हृदय-विदारक वेदना भोगनी पड़े। समाज का दायित्व है कि ऐसी वियोगिनी योगिनियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण वातावरण का निर्माण करे और उन्हें सचेतन जीवन जीने का अवसर दे।

प्रश्न हो सकता है कि यह स्थिति महिला की ही क्यों होती है? पुरुष की क्यों नहीं? कारण स्पष्ट है। महिलाओं ने काटना तो बन्द किया ही, फुफकारना भी बन्द कर दिया। ऐसी स्थिति में उनका वर्चस्व कैसे स्थापित हो सकता है?

एक भयंकर काला नाग था। वह देखने में जितना हिंसक लगता था, उससे भी अधिक खतरनाक था। वह जहाँ रहता था, उस स्थान के आसपास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक बार उस नागराज का किसी सन्यासी से सम्पर्क हो गया। सन्यासी ने उसको अहिंसा का उपदेश दिया। सयोग की बात थी, सन्यासी के उपदेश से नागराज की मानसिकता बदल गई। उसने अहिंसा वृत्ति स्वीकार कर ली। उसके बाद उसने काटना छोड़ दिया, फुफकारना छोड़ दिया और अधिक घूमना-फिरना भी बन्द कर दिया।

एक दिन कुछ बच्चों ने देखा—नागराज निश्चेष्ट सोया पड़ा है। उन्होंने कुछ ढेले उठाकर फेंके, पर वह हिला तक नहीं। यह सवाद पूरे गाँव में फैल गया। गाँव से कुछ और लोग वहाँ आये। लकड़ी और ढेलों से नागराज की अच्छी मरम्मत होने लगी। कुछ दिनों बाद वही सन्यासी घूमता-फिरता वहाँ आ पहुँचा। नागराज सन्यासी को पहचानकर बोला—'बाबाजी! आपकी अहिंसा ने मुझे मार दिया। इधर से आने वाले लोग इतना सताते हैं कि मेरा जीना दूबहर हो गया है। पहले ये लोग मेरे सामने भी नहीं देख सकते थे, अब मेरी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या मैं इन सबको सहन करता रहूँ?'

सन्यासी ने एक क्षण मुसकराकर पूछा—'तुम किसी को काटते तो नहीं हो?' नागराज के निषेधात्मक उत्तर पर सन्यासी ने फिर पूछा—'क्या तुम फुफकारते भी नहीं हो?' नागराज ने इस बार भी नकारात्मक उत्तर दिया। सन्यासी उसे

सबोधित कर बोला—'देखो भाई ! तुम सन्यासी नहीं हो, तुम्हारी अर्चना है—
है। तुमने अहिंसा का व्रत लिया है, पर इसका अर्थ यह तो नहीं है कि तुम
जीवन की सुरक्षा ही न करो।' सन्यासी के परामर्श से नागराज ने निर-
फुफकारना शुरू कर दिया। एक ही दिन में लोग उनसे भय खाने लगे। नागराज
का प्रभाव स्थापित हो गया।

महिलाएं भी जब तक अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगी, उन्हें सम्मान
नहीं लेगी, समाज उनका मूल्यांकन नहीं करेगा। भलमनसाहत बहुत बन्दी बन
है, पर इसमें भी जब अति हो जाती है, तब वह दुर्बलता की प्रतीक बन जाती है।
इस दृष्टि से महिला समाज को शक्ति-जागरण और उसके उपयोग सम्मान
बनना जरूरी है।

गृहस्थ जीवन में तीन बाते घर की शोभा है—लक्ष्मी, शिक्षा और सन्तान।
सौभाग्य से ये तीनों ही रूप नारी के हैं। लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा—इन्हें ही
देवियों को ससार पूजता है। परिवार और समाज में लक्ष्मी एवं सन्तान का
जितना महत्त्व है, दुर्गा का भी उससे कम महत्त्व नहीं है। केवल लक्ष्मी के
सरस्वती बनने से महिलाओं का काम नहीं चलेगा, उन्हें दुर्गा भी बनना पड़ेगा।
दुर्गा बनने का मतलब हिंसा या आतंक फैलाने से नहीं, शक्ति को सजोरकर रखने
से है। हर युग, हर देश और हर जाति की महिला में ये तीन गुण स्वाभाविक हैं।
लक्ष्मी उदारता की प्रतीक है, सरस्वती सृजनशीलता की प्रतीक है और दुर्गा
शक्ति की प्रतीक है। बहनों ने अपने लक्ष्मी-सरस्वती के रूप को मुरझाना शुरू
है, पर दुर्गा रूप को विस्मृत कर दिया है। यह विस्मृति न नारी जाति के हित
है और न पुरुष समाज के हित में है। पूजा व्यक्ति की नहीं, शक्ति की होती है।
शक्तिहीन की पूजा तो क्या, पहचान भी नहीं हो सकती। यदि महिलाओं को
अपनी स्वतंत्र अस्मिता स्थापित करनी है तो उन्हें समुचित और सुनियोजित
से अपनी शक्ति का समायोजन करना होगा।

कुछ महिलाएं अपने जीवन के सपाट धरातल पर तो निर्भीकता से जीते
हैं, पर सामने समस्या को देखकर घबरा जाती हैं। समस्याएं न रहें, यह तो
नहीं है। मैं चाहता भी नहीं कि समस्याएं न आएँ। आवश्यक यह है कि मनुष्य
उपस्थित होने पर घुटने नहीं टिकाकर उसका समाधान खोजा जाए। समाधान
कोई भी समस्या ऐसी नहीं है, जिसका समाधान न हो। समाधान खोजने का
व्यक्ति ही अपने कर्तृत्व को उजागर कर सकता है और समाज में अपना योगदान
स्थापित कर सकता है।

माउंटवेटन जब विद्यार्थी था, वह नैसर्गिक की शिक्षा प्राप्त कर रहा था।
एक दिन शिक्षक ने उससे पूछा—'तुम नाव में बैठकर समुद्र में जाओगे उत
तूफान आ जाएगा तो क्या करोगे?' माउंटवेटन तपाक में बोला—'मर जाऊँगा'।

डाल दूंगा ।' 'फिर तूफान आ गया तो ?' 'फिर लगर डाल दूंगा ।' 'मान लो एक तूफान और आ गया तो ?' 'सर । जितनी बार तूफान आएगा, मैं लगर डालता रहूंगा ।' अपने विद्यार्थी की इस निर्भीकता से प्रसन्न हो शिक्षक ने एक प्रश्न फिर पूछा—'तुम्हारे पास इतने लगर कहा से आएंगे ?' माउटवेटन बिना एक क्षण रुके बोला—'सर । जहा से इतने तूफान आएंगे ।' शिक्षक ने माउटवेटन को नौ सेना के लिए उपयुक्त और योग्य विद्यार्थी घोषित किया ।

महिला समाज को भी किसी समस्या से कायल होने की जरूरत नहीं है । पुरुषार्थ से समस्या स्वयं समाधान बन जाती है । इसके लिए अपेक्षा एक ही बात की है कि महिलाएँ गुडिया बनकर न बैठें । ये गहने और चटक-मटक वाले कपड़े जीवन को बोझिल बनाने वाले हैं । कुछ चिन्तनशील लोगो का अभिमत है कि स्त्रियो के लिए इतने आभूषणो का उपयोग पुरुष समाज का एक षड्यन्त्र हो सकता है । नारीको बधन मे रखने का सरल तरीका उसे यही लगा होगा । पुरुषो ने चाल चली और महिलाओ ने उसको अपना शृगार मानकर स्वीकार कर लिया । लेकिन अब वह समय बीत गया है । भगवान् महावीर ने तो ढाई हजार वर्ष पहले कह दिया था—'सबवे आभरणा भारा ।' आभूषण कितना ही कीमती क्यो न हो, वह उपहार नहीं भार है । इस आगम-वाणी को ध्यान मे रखकर महिलाओ को सादगीपूर्ण जीवन जीने के लिए तैयार रहना चाहिए । वेशभूषा जितनी सीधी-सादी होगी, जीवन-स्तर उतना ही उन्नत हो सकेगा ।

जीवन-स्तर को उन्नत बनाने वाली तीन शक्तिया हैं—ज्ञान-शक्ति, श्रद्धा-शक्ति और चरित्र-शक्ति । श्रद्धा की शक्ति महिलाओ को सहज प्राप्त है । ज्ञान-शक्ति का विकास युग की देन है । चरित्र-शक्ति को विकसित करने मे अणुव्रत पूरा सहयोगी बन सकता है । अणुव्रत की आचार-सहिता मे एक चरित्रनिष्ठ समाज का पूरा चित्र है । अणुव्रत जीवन का सबल है और विकास का धरातल है । महिलाएँ इस क्षेत्र मे काम करे तो बडा काम हो सकता है ।

महिलाओं के लिए तिसूत्री कार्यक्रम

मानव जाति के विकास का मूल आधार है चिन्तनशक्ति, संकल्पशक्ति और कर्मशक्ति का समुचित योग। किसी भी कार्य की सफलता के लिए चिन्तन के धरातल पर एक योजना बनाई जाती है, उस योजना को क्रियान्वित करने का संकल्प सजोया जाता है और उचित साधन-सामग्री का सकलन कर काम शुरु कर दिया जाता है। उस काम के प्रति गहरी निष्ठा और आन्तरिक लगन होना वह असंदिग्ध रूप से पूरा होता है। उसकी सम्पन्नता में समय लग सकता है उसमें अवरोध उपस्थित हो सकते हैं, पुरुषार्थ का नियोजन अधिक जागरूकता में करना पड़ सकता है, किन्तु वह हो जाता है। किसी भी काम की सपन्नता पर न आत्मतोष प्राप्त होता है, वह अपूर्व होता है। पर उस आनन्द का भी महत्त्व नहीं है, जो अपने उद्देश्य को सफलता की ओर अग्रसर देखकर होता है।

समाज में महिला-जागृति का काम बहुत महत्त्वपूर्ण और आवश्यक है, पर वह दुष्कर। जब तक महिलाओं की चेतना जागृत नहीं होती है, उन्हें अपनी दुर्बलता और क्षमताओं का सही बोध नहीं होता है, उनके मन में अपनी पहचान बनाने में स्वप्न आकार नहीं लेता है और उनका संकल्प सक्रिय नहीं होता है, तब तक महिला-जागरण का अभिक्रम भी सफल नहीं हो सकता।

सत्त्वहीन को सहारा नहीं मिलता

हमारे देश में शताब्दियों से महिलाओं को दुर्बल माना जा रहा है। यह मार्ग दुर्बलता उन पर इस प्रकार हावी हो जाती है कि अपने प्रति किए गए शोषण या शोषण के प्रतिकार में भी वे कुछ नहीं कर सकती। उनको कोई सहारा मिलता है तो भी वे अपने प्रति आश्वस्त नहीं हो पाती। जो व्यक्ति या वर्ग अपने प्रति आश्वस्त नहीं होता, अपनी शक्तियों के प्रति आश्वस्त नहीं होता, उसे उठा सकता है? और कौन बचा सकता है?

चोर चोरी कर निकला ही था कि राजपुरुषों ने उसका पीछा कर लिया।

चोर भागा और गाव से बाहर एक देवी के मंदिर में घुस गया। राजपुरुष उसके पीछे आ रहे थे। चोर ने देवी की मनौतिया की और अपने बचाव के लिए प्रार्थना करने लगा। सयोग की बात थी, देवी खुश हो गई। वह बोली—‘तुम घबराओ मत। जाओ, राजपुरुषों का मुकाबला करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।’ मुकाबले की बात सुनकर चोर के शरीर में कपकपी छूट गई। वह बोला—‘मा ! मुकाबला ही करना होता तो तुम्हारी शरण में क्यों आता ?’ देवी बोली—‘मुकाबला करने से घबराते हो तो यही खड़े हो जाओ और पूरी शक्ति के साथ चिल्लाओ। राजपुरुष लौट जाएंगे।’ चोर यह सुनकर कहने लगा—‘मा ! आत्राज होठों से बाहर ही नहीं निकल रही है, कैसे चिल्लाऊ ?’ देवी ने दूसरा उपाय बताते हुए कहा—‘मंदिर का दरवाजा बन्द कर लो और निश्चित होकर सो जाओ।’ चोर बोला—‘मा ! हाथों में ताकत ही नहीं बची है, दरवाजा बन्द कैसे करूँ ?’ देवी के चित्त में करुणा उमड़ रही थी। वह बोली—‘तुम इस प्रतिमा के पीछे आकर खड़े हो जाओ। कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा।’ चोर रुआसा होकर बोला—‘मा ! तुम कहती हो, वह सब ठीक है, पर करूँ क्या ? मेरे पाव धरती पर चिपक से रहे हैं। मैं तो दो कदम भी चल नहीं सकता।’ यह बात सुनकर देवी बोली—‘ऐसे सत्त्वहीन अकर्मण्य की रक्षा मैं नहीं कर सकती।’ देवी ने ये शब्द कहे तब तक राजपुरुष मंदिर में प्रवेश कर चके थे। वे चोर को बन्दी बनाकर ले गए।

दुर्बल और अकर्मण्य व्यक्ति को देवी शक्ति का भी सहारा नहीं मिल पाता, तब भला कोई मानवी शक्ति उसका आलम्बन कैसे बन सकती है ? सहयोग उसी को मिलता है, जो कुछ करता है। इस तथ्य को सामने रखकर कुछ क्रान्तिकारी महापुरुषों ने महिला जाति की ज्ञानचेतना और कर्मचेतना को जागृत किया। भगवान् ऋषभ ने पुरुष के लिए बहत्तर कलाओं का निरूपण किया तो स्त्री को चौसठ कलाओं में निष्णात होने की प्रेरणा दी। इससे महिलाओं का जीवन विश्वास की सुगन्धियों से भर उठा। उन्होंने अपनी खोज की यात्रा में पादन्यास किया। कभी उन्हें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिला तो कभी पीछे धकेला गया। कुल मिलाकर महिलाओं का सामाजिक या राष्ट्रीय व्यक्तित्व विकसित नहीं हो पाया।

बन्द खिडकियों से क्या देखे

एक समय था, हमारे समाज की महिलाएँ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे थीं। प्रबुद्धता तो बहुत आगे की बात है, उनमें साक्षरता भी नहीं थी। सामाजिक कुरूपियों और परम्परागत अन्धविश्वासों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि कोई भी महिला इधर-से-उधर नहीं हो सकती थी। महिलाएँ आत्मनिर्भर हो सकती हैं, यह बात कल्पना से बाहर की थी। चिन्तन और अभिव्यक्ति के क्षेत्र में उनके

अधिकार जितने सीमित थे, उतनी ही सीमाएँ उनकी बौद्धिक चेतना के विस्तार की दिशा में थी। इन सब परिस्थितियों में महिलाएँ इतनी दब गयीं कि उन्हें अपने अधिकारों को देखने के लिए उनके पास अपनी ही खिडकियाँ थीं। वे खिडकियाँ बंद रहती थीं, इसलिए दुनियादारी से उनका कोई वास्ता ही नहीं था।

लगभग पैंतीस वर्ष पूर्व हमने अणुव्रत आन्दोलन का प्रवर्तन किया। अणुव्रत का उद्देश्य है—मानव को आत्मसंयम की ओर अग्रसर कर समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना करना। केवल पुरुष वर्ग के द्वारा मूल्य-स्थापना का यह काम है—यह काम उसमें पूर्णता नहीं आयेगी तथा महिला-जागरण के बिना समाज-संस्था का स्वप्न पूरा नहीं हो सकेगा, यह सोचकर महिला-जागरण का अभियान प्रारम्भ हुआ। दृढ संकल्प के साथ उस अभियान को शुरू करते ही जागरण की प्रतिभा प्रकट हो गयी। महिलाओं में शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ा, अर्थहीन परम्पराओं का मोह कम हुआ, अधविश्वास की पकड़ शिथिल हुई, स्वतंत्र रूप में सोच-विचार की क्षमता बढ़ी और आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। उस मार्ग पर अग्रसर करने के लिए जिस जागरूकता, आत्मविश्वास और साहस की जरूरत है, वह अभी तक कम महिलाओं में आ पाया है। फिर भी मेरा यह विग्रह है कि आगे आने वाले कुछ ही वर्षों में महिलाओं में नयी चेतना का संचार होगा। उनके कार्यक्रमों से समाज को बड़ा लाभ मिलेगा।

प्रारम्भिक कार्यक्रम

महिला-चेतना का जागरण और महिलाओं की क्षमता का सामूहिक उपयोग के लिए उन्हें एक मंच देने की आवश्यकता अनुभव हुई। तैरापय महिला-संस्था की स्थापना इसी अपेक्षा की पूर्ति के लिए हुई। देश-भर के विवेकित तैरापय महिला सगठनों को केन्द्रित करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर तैरापय महिला मण्डल सक्रिय हुआ। विगत एक दशक में वह अपनी मन्द किन्तु व्यवस्थित गति से चल रहा है। जो-जो काम उसने हाथ में लिये उन्हें जागरण के पूरा करने का प्रयत्न किया गया। इससे महिलाओं की शक्ति के प्रति भरोसा बढ़ा है। महिला-सगठनों ने अब तक जो कुछ किया है, उसे ध्यान में रखते हुए अग्रिम दशक के प्रारम्भ में उन्हें योजनाबद्ध रूप से कुछ काम हासिल करने हैं। उनमें एक त्रिसूत्री कार्यक्रम यह हो सकता है—

- शक्ति-जागरण
- परिवार-निर्माण
- कार्यकर्ता-निर्माण

इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए समय-समय पर आवश्यक परामर्शियों और परिचर्चाओं का आयोजन किया जाए तो सहज रूप से

प्रनुरूप वातावरण तैयार हो सकता है। वातावरण बनाये बिना किसी भी काम में अविलम्ब सफलता मिल सके, यह बहुत कठिन बात है।

शक्ति-जागरण के सूत्र

- महिलाओं में शिक्षा का विकास।
- स्वावलम्बन या आत्मनिर्भरता का विकास।
- अपनी समस्याओं को सही नजरिए से देखने और समझने की क्षमता का विकास।
- अपने प्राकृतिक गुणों का पूरा-पूरा मूल्यांकन।
- अपने स्वरूप की सम्पूर्ण रूप से पहचान।

परिवार-निर्माण के सूत्र

- सामूहिक जीवन में शान्त सहवास का प्रयोग।
- जीवन को अन्तरंग और बहिरंग, दोनों ओर से स्वस्थ रखने का प्रयोग।
- वेशभूषा, रहन-सहन, भोजन आदि में सयम और स्वच्छता का प्रयोग।
- बच्चों के सस्कार-निर्माण की दृष्टि से पारिवारिक स्तर पर धार्मिक अनुष्ठानों का प्रयोग।
- पारस्परिक स्पष्टता और विश्वास को अर्जित करने के लिए तथा कुठार-निवारण के लिए नियमित रूप से गोष्ठियों का प्रयोग।

कार्यकर्त्ता-निर्माण के सूत्र

- सहिष्णुता का सकल्प
- गोपनीयता का सकल्प
- रूढ़ि-मुक्त रहने का सकल्प
- दूसरों की आलोचना न करने और अपनी आलोचना से निराश न होने का सकल्प।
- अपनी धार्मिक आस्थाओं के प्रति सम्पूर्ण रूप से समर्पित रहने का सकल्प।

इस त्रिसूत्री कार्यक्रम की सफलता के लिए महिला-संगठनों को सुनियोजित रूप में काम करने की अपेक्षा है। संगठनों से जुड़ी हुई हर महिला अपने दायित्व को समझे, अपने समय और चिन्तन का सामूहिक उपयोग करे और अपनी अनुभव-संपदा से कार्य-पद्धति को नया निखार दे। अतीत में जो विशिष्ट महिलाएँ ही गई हैं, उन्हें आदर्श के रूप में सामने रखकर वैसे बनने और बनाने का प्रयत्न किया जाए। एक निश्चित लक्ष्य के साथ निश्चित दिशा में सामूहिक अभियान करके महिलाएँ अपनी मजिल तक पहुँचे, और नयी सभावनाओं के द्वार खोले, यह आवश्यक है।

अतीत का विसर्जन : अनागत का स्वागत

आज मेरे सामने महिला के अनेक रूप उभर रहे हैं। एक समय या जव वस्त्र सजी हुई गुडिया के रूप में रहती थी। सोने-चादी और हीरे-पन्ने के पाभूत गोटे-किनारी, तारी आदि से चमचमाते हुए वस्त्र, एक हाथ लम्बा घूपट और यात्रिक जीवन—यह है उसके बाहरी परिवेश का स्वरूप। भीतर क्षात्ररों पर उसकी जो आकृति उभरती, उसमें सस्कारों की हठता, अन्धविश्वास, अति कुरूडियों और हीन-भावना की रेखाएँ स्पष्ट रूप में परिलक्षित होती थीं। मुझे करवट ली। समाज के मूल्य-मानकों में परिवर्तन आये। मनुष्य का दृष्टिकोण बदला और रूढ़ परम्पराओं में चिन्तनपूर्वक परिवर्तन करने का लक्ष्य निर्धारित गया। उस समय भी महिला-जागृति की बात एक स्वप्न-सी प्रतीत हो रही थी।

महिला-जागृति के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता आते, अपनी बात सुनाते, किन्तु महिलाएँ उन्हें मुनने-मन्ने के मूड में नहीं थीं। उन्होंने तब तक उन बातों को नहीं सुना, जब तब धर्म-गुरु ने उस ओर अपना ध्यान केन्द्रित नहीं किया। आखिर हमने सोचा कि धर्म अनुरूप समाज का पथ-दर्शन नहीं होगा तो समाज पिछड़ता जाएगा और उसे पिछड़ेपन का श्रेय मिलेगा धर्म को, धर्माचार्यों को और धर्म की विगद परम्परा को।

धर्म-गुरुओं का काम सामायिक, स्वाध्याय, ध्यान, तपस्या आदि की प्रेरणा देना ही नहीं है, समाज के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए सामाजिक मूल्यों के परिष्कार का दायित्व भी उन्हीं पर होता है। क्योंकि यदि भी समाज में धर्मगुरु के निर्देश का जितना पालन होता है, किमी का नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि धर्म का सम्बन्ध जीवन के समग्र विकास में है, इस दृष्टिकोण महिला विकास के कार्यक्रमों पर भी ध्यान देना जरूरी हो गया।

तब और अब की नारी में परिवर्तन आया है। पर देवना यह है कि यह परिवर्तन अपने चिन्तन एवं विवेक से कितना आया है, और प्रभाव एवं उत्तर

कितना आया है। जब तक महिला समाज में अपने विवेक से परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक उसका अधिक महत्त्व नहीं होगा। महिलाओं का कर्तव्य है कि वे अपने जीवन में आ रहे परिवर्तन को विवेक के साचे में ढालें, अन्यथा उसका विकास प्रवाहपालिता से अधिक मूल्यवान नहीं हो सकेगा।

आज का महिला-समाज प्रबुद्ध हो रहा है। शिक्षा उसके चिन्तन के विकास में निमित्त बन रही है। अब वह अपने सम्यक् चिन्तन से विवेक को जागृत कर भले-बुरे की पहचान करने लगा है। अपने हितों के बारे में वह सजग हो रहा है। उसकी यह सजगता ही उसे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर कर सकेगी।

भारत की स्थिति का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाए तो ज्ञात होता है कि यहाँ के जन-जीवन में अनुकरण की प्रधानता है। यहाँ का मनुष्य और विशेषरूप से महिला प्रतिक्रियापूर्ण जीवन जीती है। वह क्रिया नहीं, प्रतिक्रिया करती है। इसीलिए उसने वेश बदला है, पर साथ-साथ फैशन को अपनाया है। क्योंकि यह प्रतिक्रिया है। मेरा अभिमत यह है कि केवल प्रतिक्रियात्मक जीवन अच्छा नहीं होता। कोई भी तत्त्व या स्थिति आपके सामने आए, आप उसका अकन करे, अच्छे और बुरे का विवेक करे, स्वयं न कर सके तो दूसरों का मार्गदर्शन लें। सही चिन्तन कहीं से मिले, उसे स्वीकार करने में हित की ही सम्भावना रहती है।

समाज की महिलाओं ने हमारे चिन्तन को समझा है, स्वीकार किया है और उसके अनुरूप आचरण किया है। इसी का परिणाम है कि आज बहनों के काले वस्त्र भी छूट गए। जब तक परिवर्तन की बात सामने नहीं आयी, विधवा बहनें काले वस्त्रों में घुट-घुटकर अपनी जिन्दगी बसर करती थीं। उनका समाज में अवमूल्यन हो गया था। उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। अपशकुन मानकर उनका अपमान किया जाता था और मागलिक अवसरों पर उन्हें घर के किसी कक्ष में रहने के लिए विवश किया जाता था। इस स्थिति को महिलाओं ने सहज भाव से अपने ऊपर ओढ़ लिया और किसी भी विशेष प्रसंग पर दूर रहने का स्वभाव बना लिया।

बहुत वर्ष पहले की बात है, मैं एक गाँव से प्रस्थान कर रहा था। प्रस्थान से पूर्व एक वृद्धा महिला मेरे सामने थी, महिला क्या थी, धर्म की प्रतिमूर्ति थी। प्रस्थान के समय वह सामने से हट गयी। मैंने पूछा—‘माताजी कहा गयी?’ पास में खड़ी बहनें मौन हो गयीं। मैंने फिर पूछा तो वे सकुचाती हुई बोली—‘आप प्रस्थान कर रहे हैं, इसीलिए वह पीछे चली गयीं। आप अच्छे शकुन लेकर प्रस्थान करें।’ बात समझ में अब आयी। मैंने कहा—‘आज मुझे इस कुरुडि को समाप्त करना है। जब तक वह बहन सामने आकर दर्शन नहीं करेगी, यहाँ से प्रस्थान

नहीं होगा।' वहन कसमसा रही थी, आखिर वह आगे आयी, तब वह... प्रस्थान किया। इस घटना के बाद ऐसे सस्कार धीरे-धीरे क्षीण होने लगे।

संस्कारों की रूढ़ता के साथ हीन भावना भी एक तत्त्व है जो महिलाओं की प्रगति में बाधक है। महिलाएं यह सोचती हैं कि हम औरतें क्या कर सकती हैं? यह चिन्तन ही उन्हें कमजोर बनाने वाला है। रामायण का एक प्रसंग है—सीता का अपहरण हो गया। खोज करने पर पता लगा कि सीता का अपहरण रावण ने किया है और वह लंका में है। अब प्रश्न यह उठा कि लंका तक सीता का सवादा कौन लाए? यह सुनकर सब मौन हो गए। मुन्नीबेन ने कहा कि किसी ने वहा जाने की हिम्मत नहीं की। उस सभा में बृहदा बन्धुजाम्बवान उपस्थित था। उसने हनुमान की ओर देखकर कहा—'हनुमान! देवता लंका जाने का आह्वान है। तुम इसे स्वीकार क्यों नहीं कर लेते?' हनुमान क्षण सहमता हुआ—सा बोला—'क्या मैं लंका जा सकूंगा? जाम्बवान ने हनुमान को उत्तेजना देते हुए कहा—

कवनहु काज कठिन जग माही।

जो नहिं होहि तात। तुम पाही॥

'ऐसा कौन-सा काम है, जिसे तुम नहीं कर सकते।' इस एक वाक्य ने हनुमान को जगा दिया। वह लंका गया। वह केवल सीता का सवादा लेकर ही लंका आया, लंका को जलाकर आ गया। महिलाओं को न तो लंका जाना है और न लंका जलाना है, पर उन्हें अपनी शक्ति को जगाना है। महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, इस सूत्र को सामने रखकर काम करना है।

महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में काम करें या नहीं, व्यवसाय में प्रगति करें या नहीं, परिवार को सस्कारी बनाने का काम उन्हें करना है। भारतीय नारी भी अपने बच्चों को अच्छे ढंग से सम्भालती है और उन्हें सस्कारित करती है। इसके लिए उसे शान्त, सहनशील और गम्भीर होने की जरूरत है। निर्यात वह अपनी गलती को शान्ति से सह लेती है, उसी प्रकार अपनी बहन-भेदियों को भी सहन करना है, अन्यथा उनके जीवन में दोहरे सस्कार और दोहरे मायूस सक्रिय हो उठेंगे।

पिता-पुत्र ड्राइंग-रूम में बैठे थे। रसोईघर में वहनें काम कर रही थीं। सहसा काच का बर्तन टूटने की आवाज आयी। पिता ने पूछा—'पेटा टूट गया हुआ?' पुत्र बोला—'पिताजी! लगता है मा के हाथ में कोई काच गिर गिर पड़ा है।' पुत्र का यह कथन पिता को ठीक नहीं लगा। मा के हाथ में काच का बर्तन गिरा है, इसका क्या प्रमाण? संभव है वह बर्तन ही हाथ में नहीं हो। अपने मन की इस बात को बाहर निकालते हुए पिता ने पुत्र में कहा—

‘बिना जानकारी अपनी मा पर दोषारोपण करते हुए तुझे शर्म नहीं आयी ?’ भीतर जाकर देख, बर्तन किसके हाथ से गिरा है ? पुत्र ने रसोईघर में जाकर देखा । वहा उसकी मा बिखरी हुई काच की किरचे इकट्ठी कर रही थी । वह लौटकर पिता के पास आया और बोला—‘पिताजी ! बर्तन तो मा के हाथ से ही गिरा है ।’ पिता ने साश्चर्य पूछा—‘बेटा ! भीतर जाकर देखे बिना ही तुमने यह बात कैसे जान ली ?’ पुत्र बोला—‘पिताजी ! घर में किसी दूसरे के हाथ से कोई चीज गिरती है तो उसकी आवाज कुछ देर में बन्द हो जाती है, पर उसके साथ ही उठी हुई मा की आवाज गूजती रहती है । आज बर्तन के गिरने की आवाज के साथ दूसरी आवाज नहीं आयी, तब मैंने जान लिया कि यह बर्तन मा के हाथ से गिरा है ।’

यह एक ऐसा प्रसंग है, जो सास और बहू के सम्बन्धों पर प्रकाश डालता है । बहू-बेटी के हाथ से भी नुकसान हो सकता है, पर उसके लिए सास या मा द्वारा आक्रोश करने का औचित्य क्या है ? बहू-बेटी की गलती को प्रेम और वात्सल्य के साथ बताया जाए तो उसका नतीजा कुछ दूसरा ही निकलता है ।

विकास के लिए बदलाव और ठहराव दोनों जरूरी हैं । मौलिकता स्थिर रहे और उसके साथ युगीन परिवर्तन भी आते रहे, इस क्रम में विकास का पथ प्रशस्त होता है । महिलाएं अपने प्राकृतिक मौलिक गुणों को सुरक्षित रखती हुई युगीन सन्दर्भों को पहचानने, अणुव्रत और प्रेक्षाध्यान का जीवन में प्रयोग करे और अच्छी महिला का आदर्श उपस्थित करे । ऐसा करके ही वे अपनी स्वतन्त्र पहचान बना सकती हैं और शक्ति का समुचित उपयोग कर सकती हैं ।

भारतीय नारी का आदर्श

एक समय था जब भारत की महिलाएँ जागृत थीं, अपने दायित्व के प्रति उत्सुक थीं। बीच में सुषुप्ति का दौर चला, वे अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हो गईं। अब फिर से जागृति की लहर आई है और वे विकास के दरवाजे पर खटखट रही हैं। जब तक भारतीय नारी-मानस में निराशा, कुण्ठा और घटना रही, प्रगति की तो बात ही क्या, गति की सभावना भी नहीं थी। इन दुर्गमों पर विजय पाकर ही कोई आगे बढ़ सकता है। महिलाएँ आगे बढ़ी हैं, पर निर्विवाद है, पर अभी बहुत बढ़ना बाकी है। अब तक पथ मिला है, मजिल दूर है। पथ और मजिल एक नहीं है। पथ पर चलना है और मजिल में पहुँचना है।

कुछ महिलाएँ सोचती हैं कि हम अपनी मजिल को पा नहीं सकतीं, जीवन की सबसे बड़ी भ्रान्ति है। आशा और विश्वास के साथ पथ पर चलते रहे तो मजिल स्वयं सामने आकर खड़ी हो जाएगी। इसके लिए उद्यम, साधना और सेवा का आदर्श सामने रखकर चलना होगा। शिक्षा जीवन की पहली अपेक्षा है। उसके बिना साधना अधूरी रहती है। साधना के बिना सेवा भावना विकसित नहीं हो सकती। जन्म के साथ ही सेवा का व्रत नेत्रों में बनी वाली महिलाएँ बड़े से बड़ा काम कर सकती हैं। एक महिला दूसरी महिला के विकास में सहयोगी बने, यह बहुत बड़ी सेवा है। इसके साथ अमुक काम कर सकती हूँ, दूसरी कोई नहीं कर सकती—इस भ्रान्ति को दूर करना सबसे बड़ा साधना है और काम करने के लिए नये-पुराने सभी प्रकार के तौर-तरीकों का प्रयोग करना सबसे बड़ी शिक्षा है। शिक्षा, साधना और सेवा ही वह त्रिकोण है जिससे किसी भी वर्ग को कहीं से कहीं पहुँचा सकती है।

आज हमारे सामने हजारों महिलाएँ उपस्थित हैं और सभा में तिर्यक हैं। लगता है महिलाओं ने उस व्यग्र को झूठा कर दिया—गोठों में प्रवेश पड़ा कि सबसे बड़ा झूठ क्या है? किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ नहीं

भाई खडा होकर बोला—‘एक बगीचे मे दो कुर्सिया बिछी थी। वहा दो महिलाए वैठी थी और दोनो चुप थी। इस घटना को सबसे बडा झूठ स्वीकार किया गया। किन्तु अब परिस्थितिया बदल गई है। हजारो-हजारो महिलाए एक साथ बैठकर चुप रह सकती है। यह बहुत बडी साधना है।

मै महिलाओ का ध्यान एक बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हू कि वे और कुछ सीखे या न सीखे, भारतीय सस्कृति को न भूले। भारतीय सस्कृति क्या है? वह है अध्यात्म। अध्यात्म हमारे देश की विशिष्ट थाती है। दूसरे देशो के लोग यहा अध्यात्म सीखने के लिए आते थे। इसी सन्दर्भ मे कहा जाता था—

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।

स्व स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा ॥

ससार के सब लोग भारत आकर अध्यात्म या चरित्र की शिक्षा ग्रहण करे। क्या इस बदलते भारत के पास वह कुछ भी नहीं है, जिसकी ससार को अपेक्षा है। मेरा यह दृढ विश्वास है कि भारत अपनी मूल स्थिति मे लौटेगा और यहा से अध्यात्म की शिक्षा का समुचित ढग से निर्यात होगा।

भारतीय नारी का इतिहास भी कम प्रेरणाप्रद नहीं है। अनेक महिलाओ की प्रेरक और उद्बोधक कहानिया हम सुनते है। उनके साथ मै दो नाम जोडना चाहता हू। उनमे पहला नाम है महारानी कमलावती का। इषुकार राजा की पत्नी महारानी कमलावती ने अपने पति का सही मार्गदर्शन कर एक नये इतिहास को जन्म दिया। घटना इस प्रकार है—

इषुकार नगर मे भृगु नामक राजपुरोहित अपनी पत्नी यशा और दोनो पुत्रो के साथ प्रव्रजित होना चाहता था। उसके पास अपार धन-सम्पदा थी। परिवार मे कोई था नहीं, इस दृष्टि से उस सम्पदा पर राजा का अधिकार था। राजा के पास सूचना पहुची। वह प्रसन्न हुआ। उसने राजपुरुषो को आदेश दे दिया कि पुरोहित की सारी सम्पदा राजकीय भण्डार मे ले ली जाए।

महारानी कमलावती महलो मे थी। उसे ज्ञात हुआ कि पुरोहित जिस सपदा को छोडकर साधु बन रहा है, राजा उसमे अपने भण्डार की वृद्धि करना चाहता है। कमलावती का मन ग्लानि से भर गया। उसने अनुरोध किया कि महाराज महलो मे पधारे। राजा व्यस्त था इसलिए जा नहीं सका। कमलावती वैचैन हो रही थी। उसने दोनो ओर कनाते लगवाकर राजसभा मे जाने का निर्णय लिया। राजसभा मे पहुचकर वह बोली—‘राजन् ! आप क्या कर रहे है?’ राजा ने कहा—‘भण्डार भर रहा हू।’ रानी ने फिर प्रश्न किया—‘कैसे?’ राजा का उत्तर था—‘पुरोहित की सम्पत्ति से।’ रानी का अगला प्रश्न था—‘क्यो?’ इस प्रश्न के उत्तर मे राजा बोला—‘पुरोहित सपरिवार सम्पत्ति छोडकर साधु बन रहा है।

उसकी सम्पत्ति का कोई वारिस नहीं है, इसलिए उस पर हमारा अधिकार हुआ गया है।'

यह सुनकर महारानी बोली—'राजन् ! पुरोहित सम्पत्ति को छोड़ न दे और आप उसे बटोर रहे हैं ! राजन् ! मेरी बात मानो, आप वमन मत घबरो। दूसरी बात—पुरोहित के पास सम्पत्ति आई कहा से ? आपने दान-दक्षिणा में कुछ दिया, वही तो उसके पास है। क्या दी हुई सम्पत्ति को वापस लेना अग्राधर्म है ?'

महारानी कमलावती के शब्दों ने राजा इषुकार की चेतना को झगड़ डाला। उसे अनुभव हो गया कि वह गलत रास्ते पर है। उसने अपनी पत्नी को प्रायश्चित्त करने के लिए उस पुरोहित की सम्पत्ति ही नहीं छोड़ी, समूचा राज-वैभव छोड़कर साधु बनने का निर्णय ले लिया। भोग के पथ को छोड़ त्याग के महान् पथ पर अग्रसर होकर महाराज इषुकार अमर हो गया।

दूसरी घटना है महामती चन्दनवाला की। महाराज दधिवाहन और रत्ने धारिणी की अप्सरा-सी कन्या चन्दना। नियति का योग। वह बाजार में बिकी। सेठ धनावाह ने उसको खरीदा। सेठ ने उसे बेटी बनाकर रखा। पर उसकी ईर्ष्यालु पत्नी के मन में सन्देह का अकुर उग आया। उसने अवसर देय मौकिया डाह से चन्दना को विद्रूप कर दिया। सेठ उस समय बाहर था। तीन दिन के बाद वह घर पहुंचा। चन्दना की स्थिति देख सेठ का मन काप उठा। उम्में पूछा—'बेटी ! तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किसने किया ?' चन्दना बोली—'पिताजी ! किसी का दोष नहीं है। मेरे अपने कर्मों का दोष है।' सेठ ने अनेक बार पूछा, किन्तु चन्दना ने अपनी ईर्ष्यालु और क्रूर स्वामिनी मूला का नाम नहीं बताया। सहिष्णुता का कितना बड़ा आदर्श ? क्या कोई भी स्त्री इतना बलिष्ठ कर सकती है ? लाछित करने वाली के नाम को अज्ञात रख सकती है ? तिर्यक उच्च आदर्श है।

यह गम्भीरता, यह सहनशीलता नारी-जीवन का महान् गुण है। तनयों में उफ तक न करना, शारीरिक और मानसिक यत्रणाओं को चुपचाप सहन कर लेना, बहुत बड़ा काम है। महिलाओं को मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि वे आगे बढ़ें, प्रगति करें, स्वतंत्र बनें, अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करें, पर अपने मौलिक गुणों को विस्मृत न करें। मौलिकता को सुरक्षित रखने वाली महिनाएँ ही नारी प्रगति के नये आयाम खोल सकेंगी।

अनेकता में एकता का दर्शन

भारतीय सस्कृति धर्मप्रधान सस्कृति है। धर्म का अर्थ है अधिकार से प्रकाश की यात्रा। ससार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं। कुछ व्यक्ति प्रकाश की खोज में रहते हैं और कुछ प्रकाश को देखकर आखे मूढ़ लेते हैं। प्रकाश की खोज में निकले हुए व्यक्ति ही धर्म को समझ सकते हैं और पा सकते हैं। धर्म का आमन्त्रण प्रकाश के सम्मुख होने का आमन्त्रण है, अन्तर्मुखी बनने का आमन्त्रण है। धर्म आत्मा का तत्त्व है। आत्मा का कोई रूप नहीं होता। धर्म का भी कोई रूप नहीं है। अरूप सत्ता को पहचानना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने धर्म को भी नाम और रूप देकर सर्वसाधारण की बुद्धि का विषय बना दिया। नाम और रूप से अनुबन्धित धर्म ने अलग-अलग सम्प्रदायों के रूप में अपनी पहचान बना ली।

सम्प्रदाय का अर्थ है गतिशील परम्परा। किसी भी परम्परा में जब तक गतिशीलता रहती है, उसका स्वरूप विकृत नहीं होता। परम्परा को रूढ़ बनाने से साम्प्रदायिकता का जन्म होता है। धर्म और सम्प्रदाय दो अलग-अलग तत्त्व हैं। धर्म मूल है, सम्प्रदाय उसे प्राप्त करने का माध्यम है। धर्म सम्प्रदाय के लिए नहीं होता। सम्प्रदाय धर्म को पाने के लिए होता है। जैन धर्म एक अखण्ड तत्त्व है। वह सम्प्रदायों और उपसम्प्रदायों के अस्तित्व के घेरे में है। घेरे का हर खम्भा मजबूत है और उसकी अलग पहचान है। अपनी पहचान को और अधिक स्पष्ट बनाने के लिए उन खम्भों की लिपाई-पुताई बहुत अच्छे ढंग से हो रही है, पर उनको आपस में जोड़ने वाली दीवार इतनी कच्ची है कि वह हवा के छोटे से झोके से काप उठती है। उस कापती हुई दीवार के वे खम्भे इतने अकेले-अकेले दिखाई देते हैं कि उनको जोड़ने या एक करने का स्वर वार-वार मुनाई देता है। जैन एकता या जैन समन्वय की बात यही से शुरू होती है।

एकता और समन्वय इन दो शब्दों में बहुत नजदीकी रिश्ता है, पर ये दोनों एक ही अर्थ के बोधक नहीं हैं। एकता का अर्थ है—भिन्न-भिन्न अस्तित्वों का एकीकरण और समन्वय का अर्थ है—परस्पर सामंजस्य स्थापित करना। यदि

हम एकता शब्द को समन्वय या सामंजस्य का वाचक स्वीकार करते तो ऐसे शब्दों में से किसी भी शब्द के प्रयोग पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, जहाँ एकता शब्द को एकीकरण का ही वाचक माना जाता है, वहाँ जैन धर्म के आगे कुछ प्रश्नचिह्न खड़े हो जाते हैं।

जैन धर्म के सब सम्प्रदायों को एक कर देने की बात अव्यावहारिक होने के साथ-साथ कठिन भी बहुत है। जहाँ परस्पर विचार-भेद की स्थिति मौजूद है वहाँ एकत्व कर दिया जाए तो भी लाभप्रद नहीं होगा। हाथ की पांच अंगुलियाँ अपने-अपने स्थान में अलग रहती हुई कार्यकारी हो सकती हैं। उन सबको एक बना दें तो उनकी कार्यक्षमता समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार सब सम्प्रदायों के एकीकरण में लाभ की सम्भावना प्रतीत नहीं होती।

मनुष्य के मस्तिष्क में स्वतन्त्र सोचने की शक्ति है। जब तक यह शक्ति है हर मनुष्य अपने ढंग से सोचेगा। सोच का आधार और क्रम भिन्न होगा तो विचार-भेद रहेगा ही। विचार-भेद की स्थिति ही सम्प्रदायों की सृष्टि है। मेरी विनम्र राय के अनुसार सम्प्रदाय-भेद होना कोई गलत बात नहीं है। सत्ता का अकुरण होता है सामंजस्य के अभाव में। जैन विचारधारा सत्ता भर के विभिन्न विचारों में सामंजस्य स्थापित कर सकती है। एक ओर इतनी सत्ता दूसरी ओर जैन सम्प्रदायों में भी सामंजस्य की कमी। यह कितनी हानिकारक और विचारणीय बात है।

दिगम्बर-श्वेताम्बर, मूर्तिपूजक-अमूर्तिपूजक, स्थानकवासी-तेरापथी—जैन धर्म की इन प्रमुख शाखाओं में विचार-भेद को नकारना अज्ञान का सूचक है। बुद्धिमत्ता इस बात में है कि जिन बिन्दुओं पर उक्त सभी सम्प्रदाय सामंजस्य स्थापित कर सकें, करें। अनेकान्तवाद के सहारे विरोधी स्थितियों में भी अविरोध को निष्पन्न किया जा सकता है। फिर हमारे सामने ऐसी सौतेली विवशता है, जो हमें अविरोधी बिन्दुओं पर भी मिलने नहीं देती। अब भी यकीन है, हम लोग सोचें, समझें और समन्वय को जीना सीखें। अपनी पीढ़ी में विवाद नहीं तो कम से कम भावी पीढ़ी के लिए ही एक प्रयत्न करें, उसे अच्छा भविष्य दें ताकि जैनत्व का गौरव सुरक्षित रह सके।

आज से ग्यारह वर्ष पूर्व भगवान महावीर की पचीसवीं निर्वाण शताब्दी के अवसर पर जैन समाज के मान्य प्रतिनिधियों ने मिल-जुटकर गम्भीर विचार किया। निष्कर्ष रूप में वे कुछ बिन्दुओं पर एकमत हुए। एक प्रतिज्ञा, एक धर्म और एक ग्रन्थ को सर्वमान्य कराने की उस समय की उपलब्धि कम महत्त्वपूर्ण नहीं है।

उस समय जो काम बाकी रहा, उसके बारे में फिर चिन्तन की आवश्यकता पर वैसा नहीं हो सका। सकारण या अकारण ही उस काम में अग्रगण्य

गया। यदि कुछ कदम भी आगे बढ़ पाते तो आज एकत्व की अनेक नयी दिशाएँ खुल सकती थीं। नयी दिशाएँ नयी सम्भावनाओं को उजागर करती और जैन शासन की प्रभावना में चार चाद लग जाते।

खैर, जो समय गया, वह गया। अतीत को छोड़कर हम वर्तमान को देखें। वर्तमान का क्षण ही सबसे अधिक उपयोगी होता है। दूसरा क्षण आएगा, तब तक पहले क्षण का नाश हो जाएगा। अब हम एक भी क्षण को व्यर्थ खोएँ बिना अपने करणीय कामों के लिए एक बार फिर सचेतन प्रयत्न करें, यह अपेक्षा है। आज हमारे सामने अवसर है। इस समय सभी सम्प्रदायों के प्रबुद्ध आचार्यों, साधु-साध्वियों, श्रावकों और विद्वानों में समन्वय की भावना बल पकड़ रही है। इस अवसर का लाभ उठाकर हमें पारस्परिक फासले को कम करना है और कुछ रचनात्मक काम कर दिखाना है।

‘जैन समन्वय प्रकोष्ठ’ उक्त भावना को साकार करने के लिए उठाया हुआ एक कदम है। अमृत महोत्सव राष्ट्रीय समिति के अन्तर्गत इस प्रकोष्ठ ने बहुत शीघ्र ही ‘जैन समन्वय सम्मेलन’ बुलाने का निर्णय लिया है। दस और ग्यारह फरवरी १९८६ को होने वाले इस सम्मेलन के सन्दर्भ में स्थान, समय तत्त्वावधान आदि को लेकर कई प्रश्न उठ सकते हैं। पर इन छोटे-छोटे प्रश्नों में अपनी शक्ति को न लगाकर एक बार हम इसी बिन्दु पर मिलें कि कहीं से काम का प्रारम्भ तो हो। मुझे लगता है कि यह जो छोटा-सा कदम उठाया गया है, शुद्ध एवं व्यापक दृष्टि से सामंजस्य स्थापित करने के लक्ष्य को सामने रखकर ही उठाया गया है। प्रसन्नता इस बात की है कि इसे अधिकृत रूप से सभी आचार्यों, सन्तों, विद्वानों, चिन्तकों और पत्रकारों द्वारा महत्त्व दिया जा रहा है। इससे आशा की एक किरण फूटी है और कुछ हो सकने की भावना पुष्ट हो रही है।

जैन समन्वय के इस प्रथम चरण में हम सवत्सरी एक कैसे हो? और पूरे जैन समाज का एक मंच कैसे हो? इन दो बिन्दुओं को मूल आधार मानकर चले। इन दोनों में हमें सफलता मिली तो आगे के चरणों में काम करने की सुविधा रहेगी और हमारा उत्साह भी बढ़ेगा। इसके अग्रिम चरण कब, कहाँ और कैसे हो सकते हैं? इस सम्बन्ध में सबकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही हमें कोई निर्णय लेना है। हमारे सामने यह इतना बड़ा और महत्त्वपूर्ण काम है कि इसे पूरा करने में हम अपनी साम्प्रदायिक सर्कीर्णता को आड़े न आने दें। जिस उदात्त भावना से इस काम का चिन्तन, निर्णय और क्रियान्वयन हो रहा है, उतनी ही उदात्त भावना से हम इसके सुपरिणाम की प्रतीक्षा करें।

इस समय सारा ससार इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करने की तैयारियाँ कर रहा है। हमारे देश में भी इस सदी के कदमों की आहट सुनाई दे रही है। ऐसी स्थिति में जैनो को भी सोचना है कि यदि वे विभक्त और खण्डित मानसिकता

के साथ अगली सदी में प्रवेश करेंगे तो उनकी आने वाली पीढ़ी का व्यक्तिगत हितों और आग्रहों से ऊपर उठकर हम जैन धर्म की छवि को सुथरी बनाने का प्रयत्न करें, अनेकता में एकता स्थापित करें और उदारता से एक-दूसरे को समझने का प्रयत्न करें तो वह समय दूर नहीं रहेगा, बल्कि अपनी विकेंद्रित शक्तियों को केन्द्रित करके सुनियोजित रूप से काम करेंगे और उससे पूरा जैन समाज लाभान्वित होगा ।

विश्व-मैत्री का पर्व । पर्युषण

प्रत्येक राष्ट्र, समाज और संस्थान के अपने सांस्कृतिक मूल्य होते हैं। मनुष्य नश्वर होता है, पर सस्कृति एक अविनश्वर और कालजयी तत्त्व है। उसके अनेक अंग हैं। उनमें धर्म का स्थान सर्वोपरि है। धर्म वह मानवीय मूल्य है जिसके द्वारा जीवन को उसकी आन्तरिक गहराइयों के परिप्रेक्ष्य में समझा और जिया जा सकता है। इस धरती पर जितने अवतार, तीर्थंकर या धर्मप्रणेता हुए हैं, उन सबने धर्म का प्रवर्तन किया है, बल्कि यों कहना चाहिए कि धर्म-प्रवर्तन उनकी नियति रही है। उन्होंने धर्म का प्रवर्तन तो किया, पर किसी धर्म-सम्प्रदाय को जन्म नहीं दिया। आगे चलकर वही धर्म एक सम्प्रदाय का रूप ले लेता है, यह भी एक नियति है। कोई भी धर्म जब सम्प्रदाय के रूप में परिणत हो जाता है, तब धर्म का तत्त्व गौण हो जाता है और उसमें विकृतियों का प्रवेश शुरू हो जाता है। जब वे विकृतियाँ धर्म पर हावी हो जाती हैं, तब फिर कोई धर्म-प्रवर्तक जन्म लेता है और धर्म की नयी धारा का सूत्रपात करता है।

धर्म-जीवन का अन्तरंग तत्त्व है। उसके लिए अतिरिक्त प्रेरणा की कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। फिर भी लोक-चेतना में आयी सुषुप्ति को तोड़ने के लिए बार-बार प्रेरणा दी जाती है। इस दृष्टि से धार्मिक क्षेत्र में पर्व और प्रोहारों की परम्परा डाली गयी। भगवान महावीर ने इस सन्दर्भ में पर्युषण महापर्व की स्थापना की। यह पर्व आठ दिन का होता है और इसका आठवाँ दिन 'वत्सरी' कहलाता है। जैन शासन में यह सबसे बड़ा और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पर्व है, इसीलिए इसे 'पर्युषण महापर्व' कहा गया।

पर्युषण महापर्व के साथ कुछ किंवदन्तियाँ और कल्पनाएँ जुड़ी हुई हैं, किन्तु इनका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं मिलता। 'निशीय सूत्र' के भाष्य में पर्युषण पर्याय शब्दों का विवेचन है। उसके द्वारा इस महापर्व के स्वरूप को उजागर किया जा सकता है और इसकी उपयोगिता को समझा जा सकता है।

पर्युषण के अनेक अर्थों में एक अर्थ है—अवस्थिति। अवस्थिति यानी रहना।

काल के परिप्रेक्ष्य में चार मास की अवस्थिति पर्युषण है। क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में चार कोस तक की सीमाएं प्रचलित थीं। इसका एक अर्थ है गन्तव्य में होना। मेरे अभिमत से इसका आत्मस्थिति वाला प्रायोगिक स्वकीय मूल्यवान् है। आत्मस्थिति का अर्थ है—अपने आप में रहना। इनके तपस्या, खाद्य-सयम आदि अनुष्ठानों के साथ मानवीय मूल्यों की जागरूकता आराधना बहुत जरूरी है। मानवीय मूल्यों को शब्दों की सीमा में बाधना नहीं है, फिर भी हमारे आचार्यों ने दस धर्मों को सामने रखकर आत्माराधना का एक उपक्रम स्थिर किया है। उन धर्मों में साहिष्णुता, अनासक्ति, ऋजुता, सत्य संयम, सत्य आदि सार्वभौम तत्त्वों का समावेश है।

इन मूल्यों की उपयोगिता के सन्दर्भ में विचार किया जाए तो यह कह सकता है—पर्युषण-पर्व की परम्परा एक वैज्ञानिक परम्परा है। चानुमान प्रारम्भ में दो मास का समय जठराग्नि की मन्दता का समय है। इस समय उपवास या खाद्य-सयम का प्रयोग आत्महित के साथ स्वास्थ्य-साधना में भी बड़ा निमित्त बनता है।

असाहिष्णुता इस युग की सबसे बड़ी समस्या है। थोड़ी-सी प्रतिकूलता में व्यक्ति अपना सन्तुलन खो देता है। सन्तुलन छूटा कि उत्तेजना बड़ी। पर्याप्त उत्तेजना पर नियन्त्रण करना सिखाता है। इस दृष्टि से यह कर्माव-समन पर्व है।

जैन समाज में पर्युषण पर्व का इतना आकर्षण है कि कभी धर्मापराध करने वाले व्यक्ति भी इस पर्व के समय आत्मोन्मुख बनते हैं। कभी साधुनाशियों के पास नहीं जाने वाले व्यक्ति भी सवत्सरी के दिन अपनी उपस्थिति को अनिर्गम्य समझते हैं। इस दृष्टि से यह सामाजिक सगठन का पर्व है।

व्यवसायी लोग अपने आय-व्यय का पूरा हिसाब रखते हैं। यह हिसाब पत्र के स्तर पर होता है। आत्मा के स्तर पर भी लाभ और अलाभ का हिसाब रखना जरूरी है। यह हिसाब प्रतिदिन किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। सवत्सरी के अवसर पर तो करना ही चाहिए। स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति करने के लिए यह बहुत आवश्यक है। इस दृष्टि से पर्युषण आत्मालोचन का पर्व है।

आत्मालोचन वह व्यक्ति कर सकता है, जो ऋजु है। ऋजुता के दर्शन में अच्छे और बुरे कर्मों का सही प्रतिबिम्ब आ सकता है। उस प्रतिबिम्ब को अपनी भूलों का प्रायश्चित्त स्वीकार करना और भविष्य में उन भूलों का दुहराने का सकल्प करना पर्युषण पर्व को मनाने की सार्थकता है। इस दृष्टि से यह सकल्पाभिव्यक्ति का पर्व है।

पर्युषण-पर्व का सर्वाधिक आकर्षक अनुष्ठान है—'धर्मतप्राप्तता'। इसका अर्थ है क्षमा का आदान-प्रदान। व्यक्ति दूसरे के प्रतिकूल व्यवहारों को

करे तथा अपनी ओर से ऐसा व्यवहार न करे जो दूसरो के लिए पीडादायक हो। यदि जाने-अजाने मे ऐसा व्यवहार हो गया हो तो उसके लिए क्षमा मागकर तथा अपनी ओर से क्षमा देकर हल्कापन अनुभव करे। यह आत्मशोधन की सामान्य प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो समग्र मानवजाति के लिए कल्याणकारी है।

‘खमतखामणा’ की सहज प्रक्रिया यह है कि जिस समय किसी के प्रति दुर्भावना आ जाये या दुर्व्यवहार हो जाये, उसी समय क्षमा का आदान-प्रदान हो जाये। उस समय सम्भव न हो तो उस दिन इस प्रक्रिया को सम्पन्न कर ले। किसी कारणसे वह दिन टल जाये तो पाक्षिक प्रतिक्रमण के समय तक खमतखामणा कर ले। पक्ष पूरा हो जाने पर भी मन का शल्य न निकल सके तो चातुर्मास का अतिक्रमण न करे। चातुर्मास का समय भी बीत जाये तो पर्युषण पर्व की सम्पन्नता तक तो मन का ग्रन्थि-मोचन कर हो लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सवत्सरी महापर्व पर भी क्षमा का आदान-प्रदान नहीं करता है तो वह अपनी धार्मिकता को समाप्त कर लेता है। इस दृष्टि से यह ग्रन्थि-मोचन या ‘फोरगिवनेस एण्ड फोरगेट फुलनेस’ का पर्व है।

जैन धर्म मे पर्युषण पर्व का व्यापक महत्त्व है। इसके उपलक्ष मे एक साथ लाखो उपवास होते है। सैकडो प्रवचन सभाए होती हैं और लाखो पत्रो का आदान-प्रदान होता है। अन्य पर्वो का महत्त्व कभी कम-अधिक भी हो जाता है, पर इसका महत्त्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। मानवीय मूल्यो की प्रतिष्ठा मे इसका विशेष योगदान है। इस पर्व को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए तो हिंसा, आतक और युद्ध की समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। इस दृष्टि से पर्युषण पर्व विश्व मैत्री का पर्व है। विश्व मानव के साथ तादात्म्य का अनुभव इसी पृष्ठभूमि पर हो सकता है।

बिन्दु-बिन्दु विचार

- शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व मानव जीवन का शाश्वत सत्य है। इस सत्य तक पहुंचने के लिए हर युग में समन्वय की प्रासंगिकता है।
- रूस और अमेरिका की शिखर वार्ता इस तथ्य को पुष्ट करती है कि समन्वय युग की मांग है।
- जैन धर्म का प्रमुख सिद्धान्त है स्याद्वाद। स्याद्वाद विरोध में अविरोध और अनेकता में एकता का दर्शन है। यह दर्शन की भाषा है। व्यवहार में धरातल पर स्याद्वाद का अर्थ है समन्वय। जैन लोग अपने प्रमुख सिद्धान्त को समझे और जीवन में उतारें। यह तभी सम्भव है, जब सब जैन परस्पर समन्वित और संगठित होकर रहे।
- जैन समाज की विकेंद्रित शक्तियों को केन्द्रित कर उनका जीवन-निर्माण, समाज-निर्माण और राष्ट्र निर्माण में उपयोग करने के लिए समन्वय जरूरी है।
- जैन धर्म के सब सम्प्रदाय अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखते हुए भी जैनत्व की मौलिक आस्थाओं को व्यापकता देने के लिए सामूहिक प्रयत्न कर सकें, इसलिए समन्वय आवश्यक है।
- सत्य, धर्म या सम्प्रदाय से बड़ा है, इस सिद्धान्त को क्रियान्वित करने के लिए समन्वय एक आलम्बन हो सकता है।

समन्वय क्या है ?

- समन्वय कोई सिद्धान्त नहीं, जीवन शैली है। इस पर चर्चा करने से नहीं, इसे जीने से ही कोई तत्त्व हाथ लग सकता है।
- हाथ की पांच अंगुलिया अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखने पर भी एक हाथ में जुड़ी हुई हैं, यही समन्वय है।

- समन्वय मे किसी के अस्तित्व का विलय नही, उसकी सौहार्दपूर्ण स्वीकृति होती है।
 - विरोधी विचारो और व्यक्तियो मे सामजस्य स्थापित करने की कला का नाम है समन्वय।
 - अनाग्रह, धृति और सहिष्णुता की त्रिपगथा ही समन्वय का आधार है।
 - समन्वय का अर्थ है व्यक्तिगत स्वार्थ, पूर्व धारणा और अह चेतना की गिरपत से मुक्त होकर खुले मन से एक-दूसरे के निकट होना।
- जैन समन्वय का मतलब है सब जैन सम्प्रदायो का एकीकरण नही, उन सबमे सामजस्य की स्थापना है।

समन्वय कैसे ?

- साम्प्रदायिक सहिष्णुता और उदार दृष्टिकोण के द्वारा समन्वय साधा जा सकता है।
- जैन समाज के सवत्सरी महापर्व के सन्दर्भ मे जो विविधताएँ हैं, उन्हे एक बिन्दु पर ले जाना समन्वय की सबसे अच्छी शुरुआत हो सकती है।
- सवत्सरी की एकता के बारे मे चिन्तन और निर्णय का अधिकार किसी व्यक्ति विशेष या सम्प्रदाय विशेष को नही है। ऐसी स्थिति मे समग्र जैन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला एक 'समन्वय मंच' स्थापित हो जाए तो समन्वय की दिशा मे एक-एक चरण आगे बढ़ाया जा सकता है।
- जैन समन्वय के लिए कही से भी उठने वाले स्वर को बल देने के लिए अपनी ओर से कटिबद्ध रहना, प्रशस्त वातावरण निर्मित करने का एक उपाय है।
- व्यक्तिगत आग्रह को छोडकर जैन समाज के हित मे उठाए गए किसी भी प्रशस्त मुद्दे पर मुक्त भाव से सोचना यह भी समन्वय की श्रृंखला मे एक कडी है।

समन्वय नही हुआ तो ?

- सवत्सरी महापर्व के सम्बन्ध मे शीघ्र ही कोई समन्वयात्मक निर्णय नही लिया गया तो समाज को युवापीढी के विद्रोह का सामना करना पडेगा।
- समन्वय के अभाव मे खण्ड-खण्ड मे मनाए जाने वाले सवत्सरी महापर्व के दिन राष्ट्रीय अवकाश की सुविधा कैसे मिलेगी ?
- एक ही परिवार की भिन्न-भिन्न परम्पराओ मे श्रद्धा रखने वाले सवत्सरी के दिन जिस मानसिक द्वन्द्व की स्थिति से गुजरते है, इससे छुटकारा कैसे हो सकेगा ?

- ० जैन लोग सवत्सरी जैसे महत्त्वपूर्ण विन्दु पर भी एकमत नहीं हो पाएँगे अथवा अन्य छोटे-बड़े प्रश्न चिह्नों को विराम कैसे दे सकेंगे ?

विचारणीय विन्दु

- ० ऐसे सम्मेलन से क्या होगा ? इस प्रकार की आशंका को छोड़कर इस सम्मेलन को औपचारिकता के दामन से निकाल कर यथार्थ का परिवेश देकर गहन बनाने का प्रयत्न करें ।
- ० इस सम्मेलन की आयोजना किसने की ? कहाँ की ? क्यों की ? इन प्रश्नों में न उलझ कर इतना ही सोचें कि कहीं से एक प्रयास प्रारम्भ तो हुआ ।
- ० समन्वय सम्मेलन की सफलता दलीले एकत्र करने में नहीं, ठोस धरातल पर काम करने में है ।

आइए, हम एक बार पूरे मन से समन्वय सम्मेलन की सफलता के लिए मंगल कामना करें और सम्मेलन के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए शक्तिशाली अभियान चलाएँ ।

कैसे हो मनोवृत्ति का परिष्कार ?

प्रश्न बचपन की धरती कागज की तरह स्वच्छ होती है। उस पर जैसी रेखाएँ खींची जाती हैं, वैसा ही चित्र उभर आता है। क्या आपके मस्तिष्क में बाल-जगत के विषय में कुछ नयी रेखाएँ खींचने की परिकल्पना है ?

उत्तर : बच्चा पूरी तरह से खाली होता है, यह एकागी दृष्टिकोण है। वह अपने साथ क्रोमोसोम (गुणसूत्र) और जीन्स (सस्कार-सूत्र) लेकर आता है। सामाजिक वातावरण और निमित्तों का प्रभाव होता है। किन्तु बच्चे के अपने सस्कार बीज उपादान होते हैं। उपादान और निमित्त—दोनों का समुचित योग होने से बालक के भविष्य का सुन्दर रेखाचित्र बनता है। इस दृष्टि से यह निष्कर्ष निकलता है कि सबके सब बच्चे सस्कारी हो ही जाएंगे, यह चिन्तन सही नहीं है। कर्मों की सघनता हो तो प्रयत्न करने पर भी बालक को सस्कारी नहीं बनाया जा सकता।

कर्म सिद्धान्त को स्वीकार करने पर भी मेरा यह निश्चित विश्वास है कि सस्कारों की रेखा खींचने की सही स्लेट बचपन ही है। बहुत बच्चे ऐसे हो सकते हैं, जो अनुकूल वातावरण और प्रेरणा पाकर अच्छा विकास कर लेते हैं। इसके लिए बच्चों को गुरुकुल जैसी स्थिति में रखकर सघन प्रयत्न करने की अपेक्षा है। बहुत सोचने पर भी गुरुकुल से बढ़कर कोई ऐसी पद्धति विकसित नहीं हुई है, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहयोगी हो। सस्कार-निर्माण की दृष्टि से स्कूलों से भी अधिक उपयोगी छात्रावास हो सकते हैं।

मे इस क्रम को प्रारम्भ करने की बात चल

देखरेख में योजनाबद्ध तरीके से सस्कार-

पीढी को आशा भरा उज्ज्वल भविष्य

प्रश्न . बाल जगत में बढ़ रही गलत अ

न विश्व

य

म च

है।

राधी

परिष्कृत करने के लिए धार्मिक मंच से भी कुछ सहयोग किया जाना है क्या ?

उत्तर : बच्चों में अनुकरण की क्षमता बहुत होती है। वे जो कुछ देखते हैं पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। वर्तमान का मीडिया उनके सामने जो चित्र उपस्थित करता है, वे अपने आपको उसी दिशा में ढाल लेते हैं। इस सन्दर्भ में बच्चों के अभिभावकों द्वारा बरती जा रही लापरवाही उनके गलत संस्कारों के लिए उत्तरदायी है। परिष्कृत अभिभावक सजग रहे और वे बच्चों को चरित्र की प्रेरणा देने वाले वीडियो एवं ऑडियो कैसेट दिखाएँ व सुझाएँ तो बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण सम्भव है।

धार्मिक मंच का जहाँ तक प्रश्न है, वहाँ से भी कुछ रचनात्मक प्रवृत्तियों का संचालन हो सकता है। ध्यान देने की बात इतनी ही है कि वे प्रवृत्तियाँ आकर्षक हों, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बच्चों पर अनुकूल प्रभाव छोड़ने वाली हों। मूल बात एक ही है कि बेल को बड़ना है, बूट बढेगी। कंटीली बाड़ हो या दीवार, जो भी आलम्बन मिलेगा, उनके सहारे बढेगी। यही स्थिति बच्चों की है। उन्हें आलम्बन चाहिए। आलम्बन प्रशस्त होगा तो उनके जीवन की गति स्वतः ही ऊर्ध्वमुखी हो जाएगी।

प्रश्न : शिक्षा जगत में जीवन-विज्ञान का नाम चर्चा का विषय बन रहा है। यह बच्चों के लिए शैक्षिक बोझ को बढाने वाला तो नहीं है ?

उत्तर : जीवन विज्ञान के पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय प्रारम्भ में ही पर ध्यान रखा गया है कि इसमें बच्चों के दिमाग पर अतिरिक्त दबाव न पड़े। इसमें सिद्धान्त पक्ष पढाने के साथ प्रयोग पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। बच्चों को ऐसे प्रयोग कराए जाते हैं, जिनसे उनकी एकाग्रता बढती है और वे कम समय में अधिक काम करने लगते हैं। बच्चों में बौद्धिक विकास के साथ भावनात्मक विकास की ओर ले जाने वाला कार्यक्रम शिक्षा जगत में उभर रही अनेक समस्याओं का समाधान है। बहुआयामी होने के कारण यह प्रक्रिया न तो ऊबाऊ है और न इनमें बच्चों पर कोई बोझ ही बढता है।

जिन स्कूलों में जीवन-विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जा रहा है वहाँ के बच्चों में आश्चर्यजनक बदलाव आ रहा है। जिन बच्चों में अनुशासनहीनता, उच्छृंखलता आदि वृत्तियों को लेकर शिकायतें आती थी, उन बच्चों में अप्रत्याशित सुधार देखकर अध्यापक और अभिभावक अनुभव कर रहे हैं कि कुछ न कुछ नयी बात घटित हो रही है। माते

प्रयत्न से जीवन-विज्ञान के जो परिणाम आ रहे हैं, उन्हें देखकर यह भावना जागती है कि देश के सभी विद्यालयों में जीवन-विज्ञान को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रान्ति आ सकती है।

प्रश्न अणुव्रत, प्रेक्षाध्यान आदि परिपक्व मस्तिष्क वाले के लिए ही उपयोगी है अथवा बच्चों के लिए भी इनका कोई सीधा उपयोग है ?

उत्तर परिपक्व मस्तिष्क वाले को अणुव्रती और प्रेक्षाध्यानी बनाने में काफी कठिनाई हो रही है। वे लोग प्रेक्षाध्यान के शिविर तभी लेते हैं, जब उनको शारीरिक या मानसिक स्वार्थ साधना होता है। बच्चे स्वार्थ और परार्थ के द्वन्द्व से सर्वथा मुक्त होते हैं। उन्हें जो उजाला मिलता है, उससे वे पूरा-पूरा लाभ उठा सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर जीवन-विज्ञान का उपक्रम प्रस्तुत किया गया। इसके माध्यम से बच्चों के जीवन में अणुव्रत और प्रेक्षाध्यान दोनों उतर जाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस क्षेत्र में बच्चों को प्राथमिकता दी जाए।

आज प्रौढ शिक्षा का स्वर बहुत बुलन्दी पर है। इसके लिए सरकार का बजट बनता है। स्थान-स्थान पर काम भी हो रहा है। पर उसका परिणाम कितना सन्तोषजनक है, कहना कठिन है। क्या इससे अच्छा यह नहीं है कि होने वाले बच्चों में एक भी निरक्षर न रहे, इस बात पर पूरा ध्यान केन्द्रित किया जाए। यदि देश का हर बच्चा साक्षर और शिक्षित होता है तो आने वाले बीस वर्षों में निरक्षरता का अधेरा स्वयं समाप्त हो जाएगा।

प्रश्न कुछ लोगों का अभिमत है कि बच्चों को प्रारम्भ से ही यौन-सम्बन्धी शिक्षा दी जानी चाहिए। क्या आप भी इसे आवश्यक मानते हैं ?

उत्तर इस सम्बन्ध में मेरी सहमति सापेक्ष होगी। यह एक सच्चाई है कि आज का बच्चा अतीत की अपेक्षा अधिक समझदार होता जा रहा है। लोगों की जीवन-शैली ऐसी हो गई है कि बच्चों के लिए कुछ भी गोपनीय जैसा नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में उन्हें उचित मार्गदर्शन और प्रशिक्षण नहीं मिला तो वे विकृतियों की अधेरी गलियों में भटक सकते हैं। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि आधुनिकता के नाम पर उनको वह सब कुछ बताया जाए, जिनका उनकी कच्ची उम्र पर गलत प्रभाव हो सकता है। बच्चों को यौन-शिक्षा दी जा सकती है एक सीमा तक, पर किसी उपयुक्त प्रशिक्षक के द्वारा। इस बात को मैं सर्वथा अनुचित मानता हूँ कि बच्चे इधर-उधर से सेक्स सम्बन्धी जानकारियाँ बटोरे, वयस्कों के लिए बनी फिल्मों से ऐसी शिक्षा पाए और गुमराह हो जाए।

अवधारणा : आत्मा और मोक्ष की

प्रश्न : ईश्वर के अस्तित्व का अकाट्य प्रमाण क्या है ?

उत्तर : आत्मा का अस्तित्व ही ईश्वर के अस्तित्व का अकाट्य प्रमाण है। आत्म से भिन्न ईश्वर के अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष या सदिग्ध प्रमाण प्राप्त हो तो उसके लिए मैं स्वयं जिज्ञासु हूँ।

मुझे जो सत्य मिला है, उसके अनुसार मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आत्मा की निरन्तर विकासशील नहीं, किन्तु विकास के चरम बिन्दु पर पहुँची हुई अवस्था ही ईश्वर है। उसके अस्तित्व का प्रश्न आत्मा के अस्तित्व के प्रश्न से पृथक् नहीं है।

प्रश्न : आत्मा का क्या प्रमाण है ? यदि यह मान लिया जाए कि जड़भूतों के सम्मिलन से ही चेतन की उत्पत्ति हो जाती है, तो शरीर के नष्ट हो जाने पर चेतन भी लुप्त हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। इन विरोध में क्या तर्क है ?

उत्तर : आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि के लिए प्रत्यक्ष या असदिग्ध प्रमाण प्रस्तुत करना कोई सहज-मरल कार्य नहीं है। क्योंकि वह एक अमूर्त तत्त्व है। मूर्त-अस्तित्व की सिद्धि के लिए उपलब्ध प्रमाण अमूर्त को सिद्ध कर सकते हैं, ऐसा मान लेना एक आग्रही व्यक्ति के लिए बहुत मग्न हो सकता है किन्तु एक सत्य-शोधक के लिए कठिन। मैं आगम-प्रमाण से बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वह वैयक्तिक विश्वास का क्षेत्र है। ईश्वर के अस्तित्व की अपेक्षा हम आत्मा के अस्तित्व में अधिक स्पष्ट एवं अधिक निकट हैं, इसलिए अहं के प्रगाढ प्रकाश में जो देखना है, वह इसी स्वर में बोलता है कि 'मैं हूँ' यानी आत्मा का अस्तित्व है। इसका बाधक और 'मैं नहीं हूँ' इसका साधक कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं है। एक अनात्मवादी भी यह तर्क प्रस्तुत कर सकता है—'मैं हूँ' इसका साधक और 'मैं नहीं हूँ', इसका बाधक कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं है।

किन्तु ऐसा तर्क प्रस्तुत करने वाला तर्क-काल मे अह को अस्वीकृत करता हुआ भी हर क्षण उस अह की भाषा मे बोलता है, जिस भाषा मे कोई अचेतन या अचेतन योग से निष्पन्न कोई भी तत्त्व नहीं बोलता ।

आपके प्रश्न मे जो तर्क प्रस्तुत है, वह किसी प्रत्यक्ष या असदिग्ध प्रमाण से समर्थित नहीं है, यह उसके विरोध मे मात्र तर्क ही नहीं, किन्तु उसके मूल पर प्रहार है ।

प्रश्न . पुनर्जन्म यदि होता है तो उसका क्या प्रमाण है ?

उत्तर . आत्मा का होना ही पुनर्जन्म का प्रमाण है । इस प्रश्न का कोई स्वतन्त्र मूल नहीं है । पूर्वजन्म की स्मृति, सस्कार तथा क्रिया की प्रतिक्रिया—ये पुनर्जन्म की पुष्टि के व्यावहारिक प्रमाण है ।

प्रश्न : क्या पुनर्जन्म का आधार कर्म है ?

उत्तर . पुनर्जन्म का ही क्या, जन्म मात्र का हेतु कर्म है । जो कर्म-मुक्त होता है, वह जन्म-मरण से ही मुक्त हो जाता है ।

प्रश्न . श्री अरविन्द घोष का कथन है कि मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद आत्मा अन्य योनियो मे नहीं जाती, परन्तु हमारे प्राचीन सिद्धान्तो के अनुसार यह बात नहीं है । इस सम्बन्ध मे आपकी क्या राय है ?

उत्तर : श्री अरविन्द घोष ने कहा, उसमे सच्चाई नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता । सम्यक्-दृष्टि प्राप्त होने पर मनुष्य का अपक्रमण नहीं होता, वह इससे निम्न योनि मे नहीं जाता । किन्तु जिसे सम्यक्-दृष्टि प्राप्त नहीं होती, उसके लिए ऐसा नियम नहीं है । इसलिए इस कथन मे मैं विभ्रज्यवाद की मर्यादा से सच्चाई देखता हू ।

प्रश्न कर्म सिद्धान्त क्या है ?

उत्तर कर्म सिद्धान्त क्रिया की प्रतिक्रिया, चेतन और अचेतन के योग की रासायनिक प्रक्रिया या स्थूल प्रवृत्ति द्वारा सूक्ष्म की सक्रियता का सिद्धांत है । यह सूक्ष्म होने पर भी व्यावहारिक व बुद्धिगम्य है ।

प्रश्न यह सृष्टि स्वयम्भू है या किसी के द्वारा निर्मित ?

उत्तर जो मूल तत्त्व है, वे स्वयम्भू है । उनके रूपान्तर है, वे निर्मित भी होते हैं । निर्मात्री शक्ति कोई एक नहीं है । हर प्राणी निर्माता है । इसी कारण सृष्टि मे विविधता है । वह चेतन और अचेतन दोनों के योग से निर्मित है । दुनिया मे जितना दृश्य है, वह सारा का सारा या तो जीवित शरीर है या जीव-मुक्त शरीर । अत रूपान्तरण का कर्त्ता जीव है, इस प्रतिपत्ति मे मुझे बहुत स्वाभाविकता प्रतीत होती है ।

प्रश्न सत्य क्या है ?

उत्तर : सक्षेप मे सत्य का अर्थ द्रव्य या एकत्व रूप और विस्तार मे सत्य का

अर्थ पर्याय या नानात्व है। विश्व की भेदाभेदात्मकता सत्य है। परन्तु दृष्टि की व्याख्या है। उपादेय-दृष्टि से सत्य है आत्मा की अनागत अवस्थिति।

प्रश्न : सत्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?

उत्तर : सत्य की प्राप्ति के दो साधन हैं—नये संस्कारों का निरोध और पुराने संस्कारों का निरसन। सत्य की उपलब्धि में बाधक मूढता है। मूढता की दो भूमिकाएँ हैं—दृष्टि की मूढता, चरित्र की मूढता। जैसे-जैसे ऋजु भाव और अनाग्रह भाव विकसित होता है, वैसे-वैसे मूढता निरस्त होती है। जैसे-जैसे मूढता निरस्त होती है, वैसे-वैसे सत्य उपलब्ध होता है।

प्रश्न : जीवन क्या है ? जीवन का सत्य के साथ क्या सम्बन्ध है ?

उत्तर : शरीर-बद्ध आत्मा के प्रवहमान अस्तित्व की एक धारा जीवन है। पर्याय या परिवर्तन सत्य का अंश है। जीवन पर्यायात्मक सत्य है। वर्तमान में सत्य है, किन्तु भावी पर्याय के उदित होने पर असत्य बन जाता है।

प्रश्न : क्या राग-द्वेष जीवन के अभिन्न अंग हैं ? यदि नहीं तो उनकी उत्पत्ति कहा से होती है और ये जीवन को कैसे इतना प्रभावित करते हैं ?

उत्तर : राग-द्वेष जीवन के मूल सूत्र हैं। जीवन और मृत्यु का प्रवाह तब तक अविच्छिन्न रहता है, जब तक राग-द्वेष विच्छिन्न नहीं होते। ये जीवन के अंतरंग में इतने गहरे पड़े हुए हैं कि इनसे जीवन प्रभावित ही नहीं, बहुत दूर तक संचालित होता है। इनकी आग अंतरंग में सदा जलती रहती है, बाह्य निमित्त मिलने पर वह अभिव्यक्त हो जाती है। इसलिए हमारी यह भाषा अधिक सगत होगी कि राग-द्वेष की उत्पत्ति नहीं, किन्तु अभिव्यक्ति होती है।

प्रश्न : क्या राग-द्वेष का निराकरण किया जा सकता है ? यदि हाँ, तो किस प्रकार ?

उत्तर : राग-द्वेष के निराकरण का प्रारम्भ किया जा सकता है। त्रिभंग प्रारम्भ हो चुकता है, उसकी परिसमाप्ति क्यों नहीं होगी ? राग-द्वेष निराकरण का प्रारम्भ सम्यक्-दर्शन से होता है। जब तक हम राग-द्वेष को नहीं देखते, तब तक ये हम पर अपना आधिपत्य जमाए बैठे रहते हैं। जिस दिन हम देख लेते हैं कि ये हमारे नहीं हैं, केवल हम पर अपना प्रभुत्व जमाए बैठे हैं, उसी दिन से इनके निराकरण का प्रारम्भ हो जाता है। जैसे-जैसे दर्शनशक्ति विकसित होती जाती है, वैसे-वैसे चरित्र बनना बल बढ़ता और इनका निराकरण होता जाता है और अन्तिम निराकरण अपनी अन्तिम स्थिति पर पहुँच जाता है।

प्रश्न क्या हमारे नाते-रिश्ते चिरस्थायी हैं ? क्या इनका सम्बन्ध हमारे भूत या भविष्यकालीन जीवन से है ?

उत्तर · सम्बन्ध है, इसका अर्थ ही है कि वह समय की अवधि से मुक्त नहीं है। अवधि दीर्घकालीन भी हो सकती है। हार्दिक सम्बन्ध का सस्कार यदि पचास-साठ वर्ष तक टिक सकता है तो पांच छह-सौ वर्ष तक क्यों नहीं टिक सकता ? सूक्ष्म की शक्ति में विश्वास होने लगा है, शीघ्र ही अब इस रहस्य की ओर ध्यान जाने वाला है कि हमारी प्रवृत्तियों का सूत्र-धार स्थूल शरीर नहीं, किन्तु सूक्ष्म शरीर है और उसमें सुदूर भूत और भविष्य की प्रवृत्तियों को वहन करने की क्षमता है।

प्रश्न अच्छे और बुरे, पुण्य और पाप की व्याख्या और पहचान क्या है ? क्या वे हमारे भावी जीवन को प्रभावित करते हैं ? यदि हा तो किस प्रकार ?

उत्तर अच्छे और बुरे तथा पुण्य और पाप की व्याख्या या पहचान निरपेक्ष दृष्टि से नहीं की जा सकती। हमारे जीवन की जितनी भूमिकाएँ हैं, उतनी ही इनकी व्याख्या के सूत्र और पहचान के चक्षु हैं। हम किसी निश्चित बिन्दु पर खड़े होकर ही जानने की चेष्टा कर सकते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आपका अच्छे और बुरे की व्याख्या का आशय कर्मशास्त्रीय हो तो मैं कह सकता हूँ कि आत्मा के साथ विजातीय तत्त्व का अनिष्ट योग होता है, वह बुरा या पाप है और उसके साथ विजातीय का इष्ट योग होता है, वह अच्छा या पुण्य है। यह अच्छे और बुरे की व्याख्या है। हर वर्तमान से भविष्य प्रभावित होता है। हर भविष्य पूर्व की अपेक्षा से भविष्य किन्तु अपनी अपेक्षा से वर्तमान ही होता है, इसलिए वह पूर्व से प्रभावित हो सकता है, किन्तु सर्वथा नियन्त्रित नहीं। जैसे अतीत की घटनाओं से वर्तमान की प्रवृत्ति प्रभावित होती है, वैसे ही पुण्य या पाप से हर प्रवृत्ति प्रभावित होती है। यह प्रक्रिया स्थूल जगत् से हटकर सूक्ष्म जगत् के स्तर पर होती है, इसलिए अधिक प्रभावशाली होती है।

प्रश्न जीवन में शान्ति किस प्रकार प्राप्त की जाए ? इसके लिए क्या कोई साधना है ?

उत्तर सत्य को उपलब्ध किए बिना शान्ति उपलब्ध नहीं हो सकती। उसकी साधना है—एकत्व की भावना का अभ्यास या उस सम्बन्ध की खोज, जिसका सम्बन्ध किसी अमुक से नहीं, सबसे है।

प्रश्न · जीवन का उद्देश्य क्या है ?

उत्तर : जीवन का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। वह कोई पत्ने से ही बना-बनाया, घडा-घडाया है, ऐसा मैं नहीं मानता।

यदि इस प्रश्न का आशय यह है कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए तो मैं कह सकता हूँ कि उद्देश्यों की लम्बी सूची में सबसे प्रथम और सबसे बड़ा या सर्वाधिक अनिवार्य उद्देश्य होना चाहिए अपने आपकी उपलब्धि, जो अस्तित्व अनेक आवरणों से आवृत है, उमका अनावृतीकरण या परोक्षानुभूति की भूमिका से हटकर प्रत्यक्ष की भूमिका पर अवस्थिति।

प्रश्न : क्या मृत्यु का समय निश्चित रहता है ? क्या इसके पहले व्यक्ति का मृत्यु नहीं होती ?

उत्तर : साधारणतया जीवन की अवधि निश्चित होती है। अवधि की समाप्ति का अर्थ है मृत्यु। किन्तु आकस्मिक दुर्घटना आदि निमित्तों से उस अवधि में परिवर्तन भी हो सकता है। यह परिवर्तन-प्राप्त मृत्यु ही अकाल मृत्यु है। जो जीवन की अवधि पूर्ण होने पर आती है, वह काल-मृत्यु होती है।

प्रश्न : यदि यह सत्य है कि मृत्यु समय पर ही होती है, तो क्या आकस्मिक दुर्घटनाएं भी इसी सत्य के निमित्त होती हैं ?

उत्तर : इस प्रश्न का समाधान पूर्व प्रश्न के उत्तर में किया जा चुका है।

प्रश्न : सद्गुरु की प्राप्ति के लिए क्या किया जाए ?

उत्तर : सद्गुरु की प्राप्ति उसी व्यक्ति को हो सकती है, जो हीन-भावना में उतना ही मुक्त है, जितना कि अहंकार की भावना में मुक्त है या अहंकार की भावना से उतना ही मुक्त है, जितना कि हीन-भावना से मुक्त है। अतः सद्गुरु की प्राप्ति के लिए हीनता के विलयन और अहता के विसर्जन की पद्धति का आलम्बन लेना मुझे इष्ट लगता है।

प्रश्न : 'संशयात्मा विनश्यति'—इस उक्ति के अनुसार आजकल के पढ़े-लिखे हम लोगों का इस प्रकार की ऊहापोह के कारण क्या नाश ही होगा ?

उत्तर : संशय के दो अर्थ हैं—जिज्ञासा और संदेह। जिज्ञासा से विकास और संदेह से विनाश होता है। आधुनिक लोगो में जिज्ञासा नहीं, केवल संदेह होता है। इस स्थिति में कुछ अन्तर हो, यदि संशय उत्तरोत्तर ज्ञान की वृद्धि के लिए हो तो 'संशयात्मा विनश्यति' के स्थान पर 'न संशयमनारुह्य, नरो भद्राणि पश्यति' यह भी हो सकता है।

प्रश्न : मोक्ष का स्वरूप क्या है ? वह कैसे प्राप्त हो ?

उत्तर : मोक्ष अर्थात् बन्धन से मुक्ति। आत्मा की दो अवस्थाएँ होती हैं—बद्ध और मुक्त। मुक्त अवस्था, जिसमें सब प्रकार के बन्धन विच्छिन्न हैं।

जाते हैं, वह मोक्ष है। आत्म-स्वरूप का उदय ही मोक्ष का स्वरूप है। ईश्वर, मोक्ष या आत्मा की मुक्त अवस्था—तीनों एकार्थक है। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है सजातीय गुणो—ज्ञान, आनन्द, शक्ति और पवित्रता में रमण और विजातीय गुणो—अज्ञान, दुःख और विकृति से विरमण।

प्रश्न : मोक्ष के बाद की क्या स्थिति है ? क्या उसके बाद भी जीव है ?

उत्तर : आत्मा की जो स्वाभाविक स्थिति है, वही मोक्ष के बाद की स्थिति है। उस स्थिति में शरीर और शरीर-निष्पन्न धर्म नहीं होते, केवल आत्मिक धर्म होते हैं। मोक्ष के बाद आत्मा अनात्मा नहीं होती, जीव अजीव नहीं होता या चेतन अचेतन नहीं होता। उस स्थिति में आत्मत्व, जीवत्व या चैतन्य इतना प्रबुद्ध या अनावृत हो जाता है कि उसमें कोई बाधा उपस्थित नहीं होती।

प्रश्न : मृत्यु का समय यदि पूर्व-निश्चित है तो नियति का यह नियम मानव-मात्र के लिए है या प्राणीमात्र और जीवमात्र के लिए भी है ?

उत्तर : मृत्यु का नियम जैसे मनुष्य के लिए है, वैसे ही प्राणियों के लिए भी है। कुछ आपवादिक स्थितियों को छोड़कर सामान्यतः यह नियम सबके लिए समान है।

(प्रश्नकार—ससद-सदस्य सेठ गोविन्ददासजी)

समाधान के स्वर

प्रश्न : आप अभी कहां से आये हैं और आपको कहा जाना है ? आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है ?

उत्तर : मैं राजस्थान से दक्षिण भारत की पद-यात्रा पर निकला हूँ। यह पांच हजार मील की यात्रा लगभग चार वर्षों में पूरी होगी। मेरी यात्रा का उद्देश्य है—मानव-मानव का निर्माण। इस निर्माण के लिए मैंने पांच व्रत बनलाये हैं और उन्हीं का प्रचार करने गाव-गांव और नगर-नगर में घूम रहा हूँ।

प्रश्न : वे पांच नियम कौन-से हैं ?

उत्तर : वे हैं अहिंसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह।

प्रश्न : किन्तु आपकी अणुव्रत समिति मुख्य रूप से मिलावट-विरोधी अभियान चलाती है। क्या आपके इन पांचो व्रतों में इसका भी समावेश होता है ?

उत्तर : वास्तव में अच्छे अणुव्रती के लिए मुख्य रूप से ग्यारह व्रत हैं। सामान्य जनता के लिए मैंने पांच व्रतों का उल्लेख किया है।

प्रश्न : अणुव्रत क्या है ?

उत्तर : अणु का अर्थ है 'छोटा' और व्रत का अर्थ है 'नियम'। अणुव्रत अर्थात् छोटे-छोटे व्रत। यह जैन आगमों का शब्द है और जैन-साहित्य में इसका प्रचुरता से प्रयोग हुआ है। अणुव्रती वह है, जो इन नियमों का पालन करता है और अच्छा जीवन जीता है। मैंने इसका प्रवर्तन अठारह वर्ष पूर्व किया था और आज यह भारत का बहुत बड़ा नैतिक आन्दोलन बन गया है।

प्रश्न : क्या आपके सभी नियम केवल व्यापारियों के लिए ही हैं ?

उत्तर : नहीं, सभी वर्गों के लोगों के लिए इसमें वर्गीय नियम हैं। विद्यार्थी,

अध्यापक, राज्य-कर्मचारी, वकील, मजदूर, विधायक आदि-आदि के लिए वर्गीय नियम है।

प्रश्न · मैं मानता हूँ कि आप जैन मुनि हैं। आप जैनो के किस सम्प्रदाय में हैं ?

उत्तर मैं श्वेताम्बर जैन हूँ। श्वेताम्बरों में अनेक सम्प्रदाय हैं। मैं तेरापथ सम्प्रदाय का अनुयायी हूँ। मैं तेरापथी हूँ। मैं मूर्ति-पूजा में विश्वास नहीं रखता।

प्रश्न : तेरापथ का अर्थ क्या है ?

उत्तर इसका अर्थ है—हे प्रभो। यह तेरापथ है, हम तो उसके अनुयायी हैं।

प्रश्न : तेरापथ के कितने अनुयायी हैं ?

उत्तर · इस सभ में लगभग छह सौ पचास साधु-साध्वियाँ और पाँच लाख श्रावक-श्राविकाएँ हैं। इसमें एक ही आचार्य होते हैं। उप-आचार्य आदि अन्य कोई पद नहीं होते। यह लगभग दो सौ वर्षों से चल रहा है और यह जैन-सम्प्रदायों में क्रान्तिकारी सम्प्रदाय है।

प्रश्न · आप तेरापथ को क्रान्तिकारी किस दृष्टि से कहते हैं ?

उत्तर : हमारे कोई मन्दिर, मठ या हेड क्वार्टर नहीं होते। आचार्य के साथ-साथ हेड क्वार्टर बदलते रहते हैं।

प्रश्न · तेरापथ के प्रवर्तक कौन थे ?

उत्तर आचार्य भिक्षु इसके प्रवर्तक थे। उन्होंने साधु-समाज में आपसी कलह और सघर्ष देखे। उन्होंने इसका मुख्य हेतु माना—शिष्य परम्परा और स्थान की प्रतिबद्धता। आचार्य भिक्षु ने इन दोनों परम्पराओं का अस्तित्व मिटा डाला। अब हमारे सभ में एकमात्र आचार्य ही सर्वशक्ति-सम्पन्न होते हैं और वे ही दीक्षा देने के अधिकारी होते हैं।

प्रश्न · मैंने सुना है कि कई प्रान्तीय सरकारों ने आपके अणुव्रत आन्दोलन को मान्यता दी है। क्या यह सत्य है ?

उत्तर हा, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मैसूर और महाराष्ट्र सरकार ने इस आन्दोलन को पूरा सहयोग दिया है।

प्रश्न · उन्होंने किस प्रकार से सहयोग दिया है ?

उत्तर · प्रान्तीय सरकारों ने ऐसी अनेक विज्ञप्तियाँ प्रसारित की हैं, जिनमें विद्यार्थियों आदि को अणुव्रत समझने की प्रेरणाएँ हैं। दिल्ली सरकार ने अपने चार सौ स्कूलों में 'नैतिक पाठमाला' नामक पुस्तक का अध्यापन प्रारम्भ किया है। यह पुस्तक हमने तैयार की है।

प्रश्न · महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है ?

उत्तर यहाँ के शिक्षा-मंत्री मुझसे मिले थे। उन्होंने स्कूलों की सभी कक्षाओं के लिए नैतिक पाठ तैयार करने के लिए मुझसे कहा है। इस नैतिक

पाठमाला का एकमात्र उद्देश्य है—विद्यार्थी जीवन का नैतिक निर्माण ।

प्रश्न : आपका आन्दोलन असरकारी स्तर पर कितना फैला है ?

उत्तर : बहुत कुछ । अणुव्रत समितियों की अध्यक्षता में लगभग दस हजार व्यापारियों ने यह व्रत लिया है कि वे 'मिलावट' नहीं करेंगे । केवल बम्बई शहर में ही बारह सौ व्यापारी ऐसे हैं, जिन्होंने यह व्रत लिया है ।

प्रश्न : आपका अणुव्रत आन्दोलन अठारह वर्ष पुराना है । इससे जनता को प्रत्यक्षतः क्या लाभ हुआ है ?

उत्तर : सबसे बड़ा लाभ तो यह हुआ है कि सारे देश में नैतिकता का वातावरण बना है । अनेक स्थानों पर शुद्ध खाद्य वस्तुएं मिलने लगी हैं । कुछ समय पहले जब विद्यार्थियों ने व्यापक रूप से तोड़-फोड़मूलक प्रवृत्तियाँ प्रारंभ की थीं और सभी प्रान्त इसके शिकार हुए थे, उस समय अजमेर विद्यार्थियों ने कुछ भी उपद्रव नहीं किये । इसका एकमात्र कारण था कि अजमेर के सभी स्कूलों में अणुव्रत प्रवेश पा चुका था । हज़ारों विद्यार्थी अणुव्रती बने थे ।

प्रश्न : आप मुंह पर पट्टी क्यों रखते हैं ?

उत्तर : अहिंसा के लिए ।

प्रश्न : क्या आप पखो और विजली का उपयोग नहीं करते ?

उत्तर : नहीं ।

प्रश्न : क्या आप दान के रूप में रुपया-पैसा भी लेते हैं ?

उत्तर : नहीं, हमें रुपये-पैसे की आवश्यकता नहीं होती । हम भिक्षा से भोजन प्राप्त करते हैं । हम न भोजन पकाते हैं और न भोजन पकाने का काम । जो भोजन विशेष रूप से हमारे लिए बनाया जाए, उसे हम नहीं करते ।

प्रश्न : आपने कहा कि स्कूलों में अणुव्रत प्रवेश पा चुका है, क्या उसका कॉलेजों में भी हुआ है ?

उत्तर : हमारे पास पर्याप्त कार्यकर्त्ता नहीं है, इसलिए हमने कॉलेजों में अणुव्रतों को चलाने का सामूहिक प्रयत्न नहीं किया है । ऐसे हज़ारों कॉलेजों में गये हैं और जाते हैं ।

प्रश्न : विभिन्न प्रान्तों में जो अणुव्रत समितियाँ हैं, उनके अध्यक्षों का प्रकार क्या है ?

उत्तर : अणुव्रत समितियों के अधिकारी व्यक्ति प्रायः वे ही होते हैं, जिनका जीवन का प्रभाव जनता पर होता है । अखिल भारतीय अणुव्रत के अध्यक्ष हैं—रविशंकर महाराज ।

प्रश्न : देश-भर में कितनी अणुव्रत समितियाँ हैं और कितने अनुयायी हैं ?

उत्तर : देश में लगभग दो सौ समितियाँ हैं और लाखों अनुयायी हैं ।

प्रश्न : बंगाली लोग प्रधान रूप से अशाकाहारी होते हैं । क्या उन्होंने भी आपके व्रत लिये हैं ?

उत्तर : बंगालियों ने शाकाहार का व्रत लिया है । मैं उन व्यक्तियों को भी अणुव्रती के रूप में स्वीकार करता हूँ, जो स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करते हैं कि वे प्रथम प्रयास में मासाहार नहीं छोड़ सकते, परन्तु मासाहार छोड़ने का अभ्यास करना चाहते हैं । हमारी बंगाल यात्रा में अनेक बंगाली हमारे सम्पर्क में आए । उन्होंने अणुव्रतों को समझा है और स्वीकार भी किया है ।

प्रश्न : जो व्यक्ति अणुव्रतों को तोड़ देते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है ? क्या आप उन पर निगरानी रखते हैं ?

उत्तर : मैं उन पर निगरानी नहीं रखता । ऐसी घटनाएँ भी हैं कि कुछ व्यक्तियों ने व्रत तोड़ डाले । ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वयं मेरे पास आते हैं और अपनी भूल का प्रायश्चित्त करते हैं । मैं उन्हें प्रायश्चित्त के बदले, हृदय पवित्र करने की बात कहता हूँ ।

प्रश्न : हृदय की पवित्रता से आपका क्या आशय है ?

उत्तर : हृदय को सरल और ऋजु बनाकर पुनः उस भूल को न दोहराने का सकल्प लेना ही हृदय को पवित्र करना है । साथ-साथ मैं उन्हें उपवास, ऊनोदरी करने या अपनी प्रिय वस्तु को छोड़ने के लिए भी कहता हूँ ।

प्रश्न : जब व्यक्ति अणुव्रतों के नियमों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, तब आप क्या करते हैं ?

उत्तर : यह आन्दोलन निराशावादी आन्दोलन नहीं है, जो न फलने पर निराश हो जाए । हम अपना कर्तव्य करते हैं । कुछ साधु-साध्वी नेपाल और सिक्किम तक भी गये हैं और आन्दोलन का प्रचार किया है । मैं स्वयं पचीस हजार मील चल चुका हूँ । दक्षिण में मैं पहली बार जा रहा हूँ ।

प्रश्न : आप दक्षिण में कहा-कहा जाना चाहते हैं ?

उत्तर : मद्रास, बंगलौर, केरल, हैदराबाद आदि-आदि मुख्य स्थानों पर जाना है और साथ-साथ सभी प्रदेशों में मुझे घूमना है । मंसूर विधान सभा के अध्यक्ष मंसूर राज्य अणुव्रत समिति के अध्यक्ष हैं ।

प्रश्न : क्या आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिले हैं ? क्या वे अणुव्रती हैं ?

उत्तर : नाइक अणुव्रती नहीं हैं, किन्तु अणुव्रतों के समर्थक हैं । केन्द्रीय मंत्री जयसुखलाल हाथी अणुव्रती हैं ।

प्रश्न : आपके मुनि और क्या करते हैं ?

उत्तर : लगभग चालीस साधु-साध्वी आगम संपादन-कार्य में सलग्न हैं। आपन साहित्य को हम सस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। ईसा-पूर्व दूसरी शताब्दी के आस-पास महाराज सप्रति ने महाराष्ट्र में जैन मुनियों को बुलाया और उन्हें यहाँ रहने का अनुरोध किया था। सारे आगम महाराष्ट्री प्राकृत में हैं। हम उन्हें विविध व्याख्याओं के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़े-बड़े लगभग सौ ग्रंथ होंगे।

(दी टाइम्स ऑफ इंडिया, बम्बई/वार्ताकार किशोर बोली)

३०-६-६८

धर्म न अमीरी में है, न गरीबी में

प्रश्न · आपका अणुव्रत आन्दोलन बहुत समय से चल रहा है, फिर आपको प्रेक्षा-ध्यान चलाने की आवश्यकता क्यों हुई ?

उत्तर : अणुव्रत आन्दोलन सदाचार का भावान्दोलन है, पर सदाचार को प्रतिष्ठित करने के लिए एक प्रक्रियात्मक प्रयोग की आवश्यकता सदा अनुभव होती रही है । बहुत बार आदमी में सदाचार का सकल्प जागता है पर वह सकल्प स्थिर नहीं रह पाता । धीरे-धीरे यह अनुभव होने लगा कि आन्तरिक रूपान्तरण के बिना सकल्प सम्भव नहीं है, इसी खोज में प्रेक्षा-ध्यान से परिचय हुआ । प्रेक्षा-ध्यान से अन्तःस्वावी ग्रन्थियों में परिवर्तन आता है । आदमी के स्वभाव में परिवर्तन आ सकता है । उसमें आन्तरिक रूपान्तरण घटित हो सकता है । इस दृष्टि से अणुव्रत के साथ प्रेक्षा का अनुबन्ध एक महत्त्वपूर्ण देन बन गयी है ।

प्रश्न · आपकी नजरो में अणुव्रत आन्दोलन कहा तक सफल है ?

उत्तर अणुव्रत आन्दोलन के असफल होने का तो कोई सवाल ही नहीं है । मैं किसी सफलता को परिणाम में नहीं, उसके प्रयत्न में देखता हूँ । हमारा प्रयत्न शुद्ध है, इसलिए मैं इसे सफल ही मानता हूँ । हमारा यह दावा भी नहीं कि हम सारी दुनिया को सुधार देंगे । हम अपनी शक्तिभर प्रयत्न करना चाहते हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे ।

प्रश्न जिस तरीके से अणुव्रत आन्दोलन को जन-जन तक पहुँचाने के लिए आपने सारे भारत की यात्रा की है, क्या आप प्रेक्षा-ध्यान को भी जन-जन तक पहुँचाने के लिए सारे भारत की पुनः यात्रा करेंगे ?

उत्तर पद-यात्रा हमारा जीवन व्रत है । जब तक मैं चल सकता हूँ, पद-यात्रा करता ही रहूँगा । अणुव्रत और प्रेक्षा के कार्य को मैं भिन्न नहीं मानता । इसलिए मैं जहाँ भी जाऊँगा, दोनों काम साथ ही चलेंगे । अब तक मैंने एक लाख किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा कर ली है । मेरी अवस्था

भी सत्तर वर्ष के करीब हो गयी है। अपना दायित्व अब मैंने युवाचार्यों को सम्भाल दिया है। फिर भी मैं यह नहीं सोचता कि मैं किसी एक जगह बैठ जाऊंगा। हो सकता है लम्बी यात्रा न भी करूँ, पर यात्रा के प्रति अभी मेरा उत्साह है।

प्रश्न . क्या धर्म-प्रचार के लिए आपकी विदेश जाने की कोई योजना है ?

उत्तर . विदेश जाना हमारे लिए वर्जित नहीं है। यह यात्रा पैदल ही होती है। ऐसे देशों में जहाँ जहाँ से जाना जरूरी है वहाँ हमारी समणियाँ जाती हैं। अभी-अभी उनका एक ग्रुप लन्दन की यात्रा से लौटा है।

प्रश्न : समणियाँ कौन होती हैं और लन्दन में उन्होंने क्या धर्म-प्रचार किया ?

उत्तर . समणियाँ साधु और श्रावक के बीच की एक कड़ी हैं। अपनी आचार विधि के कारण साधु-साध्वियाँ एक सीमा तक ही कार्य कर सकती हैं। श्रावक लोग भी परिवार से बंधे होने के कारण एक सीमा तक ही कार्य कर सकते हैं, इसलिए बीच की कड़ी एक तीसरी श्रेणी प्रारम्भ हुई। इनका आचार-विचार वैसे साधु के समकक्ष ही होता है, केवल खान-पान, यातायात आदि की दृष्टि से कुछ अपवाद हैं। समणियों ने अनेक जगहों पर धर्म-प्रचार के माध्यम से अच्छा कार्य किया है, लन्दन में भी उन्होंने भारतीय समाज में अपने मौलिक संस्कारों में दिलचस्पी पैदा करने में अच्छी सफलता प्राप्त की है।

प्रश्न : क्या सभी जैनाचार्य मिलकर जैन सम्प्रदायों में एकता स्थापित कर सकते हैं ?

उत्तर : यदि सच्ची भावना से कोई कार्य किया जाए तो मैं उममें असम्भाव्यता नहीं देखता। जैन सम्प्रदायों की एकता का यह अर्थ लिया जाये कि सारे सम्प्रदाय मिट जाएं तो यह सम्भव नहीं लगता, बहरहाल यदि सभी सम्प्रदायों में सद्भाव और समन्वय दृष्टि का विकास हो तो यह एका की ओर बढ़ता कदम ही है। इसी दृष्टि से बहुत वर्षों पहले मैं एक पंचसूत्री योजना प्रस्तुत की थी। वह इस प्रकार है—

१. मंडनात्मक नीति बरती जाये। अपनी मान्यता का प्रतिपादन किया जाये, दूसरों पर मौखिक तथा लिखित आक्षेप न किया जाये।

२. दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता रखी जाये।

३. दूसरे सम्प्रदायों और उनके अनुयायियों के प्रति घृणा और तिरस्कार की भावना का प्रचार न किया जाये।

४. कोई सम्प्रदाय परिवर्तन करे तो उसके साथ सामाजिक बहिष्कार आदि अवाञ्छनीय व्यवहार न किया जाये।

५ धर्म के मौलिक तथ्यो—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—को जीवन-व्यापी बनाने का सामूहिक प्रयत्न किया जाये ।

मैं नही समझता कि यह कोई असम्भव काम है । मैं इसे नितान्त सम्भव मानता हू । यह केवल जैन सम्प्रदाय मे समन्वय साधने की ही योजना नही है अपितु समस्त धर्म-सम्प्रदायो मे समन्वय साधने की एक महत्त्वपूर्ण योजना है ।

प्रश्न अगर मान लिया जाये कि सारे जैन सम्प्रदाय एक हो जाये तो फिर किस धर्म-संघ की व्यवस्था होगी ?

उत्तर जैसा कि मैं पहले कह चुका हू कि मैं सम्प्रदायो को मिटाने के पक्ष मे नही हू । सम्प्रदाय को मिटाना विचार-स्वतन्त्रता का गला घोटना है, सभी सम्प्रदायो को अपनी-अपनी तरह से सोचने और करने की स्वतन्त्रता मे हम हस्तक्षेप न करे, यह भी आवश्यक है । हाथ मे पाच अगुलिया होती है । वे सब अलग-अलग होती है । बल्कि अगुलिया और अगूठे की दिशा सर्वथा भिन्न है । पर यह कोई दोष की बात नही है । इस भिन्नता का अपना बहुत बडा महत्त्व है । सारी यत्र सभ्यता का विकास इस भिन्नता से ही सम्भव हो सका है । भिन्न-भिन्न होते हुए भी पाचो अगुलिया हाथ के साथ जुडी हुई है । इसी प्रकार जैन सम्प्रदाय मौलिक विन्दुओ से जुडे हुए रहे, यह आवश्यक है ।

प्रश्न हाल ही मे लन्दन मे सम्पन्न हुए अन्तर्राष्ट्रीय जैन सम्मेलन पर आपके क्या विचार है ?

उत्तर विदेशो मे हमारे लाखो जैन बन्धु रहते है । अकेले लन्दन मे ही वीस-पचीस हजार जैन है । उनके बच्चो का रहन-सहन तथा खान-पान तेजी मे पश्चिमी ढांचे मे ढल रहा है ।

जैन सम्मेलन अपने धर्म-संस्कारो को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है, यह खुशी की बात है । ये लोग साम्प्रदायिक पूर्वाग्रहो से मुक्त हैं, यह भी खुशी की बात है ।

प्रश्न अभी कुछ दिनो पूर्व एक जैन मुनि का वक्तव्य आया कि धर्माचार्य राजनीति से ऊपर उठे । यह उन्होने आपके ऊपर सीधा व्यग्य किया है । इस पर आपके क्या विचार है ?

उत्तर मैं नही समझता कि यह मेरे पर व्यग्य है क्योंकि जब मैं स्वय भी यह मानता हू कि धर्म को राजनीति से ऊपर रहना चाहिए तो मैं इसे मानूंगा कि यह एक हर्कत है । मैं अपने आपको राजनीति से लिप्त नही मानूंगा ।

लिप्त नहीं होने का अर्थ यह नहीं कि किसी राजनीतिक व्यक्ति में समन्वय भी नहीं रखना। यदि हम सम्पर्क नहीं रखेंगे तो अपने अन्तर्-विचार उन्हें कैसे बता सकेंगे ? अलवत्ता यह आवश्यक है कि धर्म-गुरु स्वयं राजनीति में न फसे। अणुव्रत आन्दोलन के सिलसिले में हमारा देश के सभी शीर्षस्थ राजनेताओं से मधुर सम्पर्क रहा है, पर हम किसी भी दल विशेष का अपने पर दबाव महसूस नहीं करते। हमने विषय के लिए जितनी बड़ी बातें कही हैं उतनी सत्तापक्ष के लिए भी कही हैं। अतः हम नहीं समझते हैं कि हमारे पर राजनीति हावी है। अलवत्ता हमें राजनीति से एलर्जी नहीं है।

प्रश्न : लोगों का कहना है कि आप 'धनवानों से ज्यादा बातें करते हैं, बड़े-बड़े शहरों में चातुर्मास करते हैं, आपके चातुर्मास पर लाखों रुपये खर्च होते हैं ?

उत्तर : मैं धर्म न गरीबी में मानता हूँ, न अमीरी में। मैं तो गुणवत्ता को मानता हूँ। जिस किसी व्यक्ति में मुझे अच्छाई दिखाई देती है, मैं उसका आदर करता हूँ।

मेरे अधिकांश चातुर्मास कस्बों में होते हैं। बड़े शहरों में भी अनेक अनुयायियों की दृष्टि से मुझे चातुर्मास करने पड़ते हैं, पर अपनी रुचि में मैं गावों में ही रहना पसन्द करता हूँ। हमारा साधु-समुदाय स्वावलम्बी है, उसके लिए किसी प्रकार के अर्थ की जरूरत नहीं पड़ती। प्रचार-प्रसार तथा आने वाले दर्शनार्थी व्यक्तियों के लिए समाज व्यवस्था करता है। इसे मेरे साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आगे यह भी समझना चाहिए कि इस प्रकार के काम करने वाले संस्थानों की तुलना में हमारा धर्म-संघ बहुत मितव्ययी है।

प्रश्न : कुछ लोगो का यह भी कहना है कि आप अपने शासन-संघ को चलाने के लिए किसी साधु-साध्वी से गलती हो जाती है तो उसे दवा देते हैं। क्या यह सही है ?

उत्तर : मैं न तो गलती को दवाने के पक्ष में हूँ, न फैलाने के। मैं तो उसे सुधार के पक्ष में हूँ। मैं यह नहीं कहता हूँ कि हमारे संघ में कोई गलती नहीं करता। पर यह भी कह सकता हूँ कि मेरा साधु-साध्वी समाज जिस आचारनिष्ठ एवं अनुशासित है उस पर मुझे गर्व है। गलती होना कभी बड़ी बात नहीं है। आज नहीं, हमेशा ही मनुष्य में यह दुर्बलता रही है। हम हर गलती का मनोवैज्ञानिक ढंग से सुधार करने का प्रयत्न करते हैं। यदि उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती है तो हम उसे महन न कर सकते। आचार तथा अनुशासन की सम्भावनाओं में सुधार

गुजाइश नहीं होने पर मैंने बड़े-से-बड़े बल्कि एक साथ अनेक लोगों का सम्बन्ध विच्छेद किया है और यह अन्तिम कदम है। उससे पहले उसे सम्भलने का अवसर देना केवल धार्मिक ही नहीं, मानवीय दृष्टिकोण भी है।

प्रश्न तेरापथ के आद्यप्रणेता आचार्यश्री भिक्षु अपने गुरु रुघनाथजी से इसलिए अलग हुए थे चूँकि उस समय साधुओं के लिए स्थानक बनाये जा रहे थे लेकिन आज जगह-जगह पर भव्य तेरापथ सभा-भवन बन रहे हैं और साधु-साध्विया भी वही ठहरते हैं, ऐसा क्यों ?

उत्तर आचार्य-भिक्षु केवल स्थानको के लिए ही अपने गुरु से अलग नहीं हुए थे। मुख्य रूप से उसका कारण कुछ मौलिक विचार-भेद था। स्थानक भी इस दृष्टि से एक मुद्दा था। उस समय स्थानक साधुओं के निमित्त बनने लगे थे। साधु लोग स्थानको के निर्माण-व्यवस्थापन में सक्रिय भाग लेने लगे थे। आचार्य भिक्षु ने उसी का विरोध किया था, वह विरोध आज भी कायम है। आज तेरापथ में जो सभाभवन बनते हैं वे स्थानक का प्रति-रूप नहीं हैं। क्योंकि श्रावक लोग उनको अपनी धार्मिक, सामाजिक आवश्यकताओं के लिए उपयोग करते हैं, इस आवश्यकता को हम रोक भी नहीं सकते हैं। इस पर साधुओं का कोई हस्तक्षेप और अधिकार नहीं होता। समाज के लोग अपनी आवश्यकता से कोई मकान आदि का निर्माण करते हैं, उसे रोकना हम आवश्यक नहीं समझते हैं तथा समय पर उनका उपयोग करने में भी कोई दोष नहीं समझते।

प्रश्न क्या आप तेरापथ धर्म सघ के सिद्धान्तों में युग के अनुरूप कोई आमूल-चूल परिवर्तन करेंगे ?

उत्तर हमें अपने मौलिक सिद्धान्तों में परिवर्तन की कोई अपेक्षा महसूस नहीं होती। व्यवस्था तथा परम्परा नियमों में समयानुकूल परिवर्तन हमेशा होते आए हैं, हमने भी किया है। आगे भी रास्ता खुला है। हम लकीर के फकीर होने में विश्वास नहीं करते। किसी भी परम्परा की सार्थकता उसकी मूल भावना को समझने में है न कि उसे घसीटने में। सदर्भहीन परम्परा तथा व्यवस्था में परिवर्तन करने का अधिकार आचार्य को होता है। मैंने उस अधिकार का उपयोग किया है तथा आगे भी करने में कोई कठिनाई नहीं देखता हूँ।

क्या है लोकतन्त्र का विकल्प ?

प्रश्न : राजसमन्द इण्टरनेशनल कान्फ्रेन्स मे आपने अहिंसा के प्रशिक्षण की बात रखी थी। उसका प्रायोगिक स्वरूप क्या हो सकता है ?

उत्तर : अहिंसा का उपदेश बहुत हुआ है, होता है। किसी को मत मारो, किसी को मत सत्ताओ, किसी पर हुकूमत मत करो, किसी को बलात् करने अनुशासन मे मत रखो, किसी का अंग भंग मत करो, किसी का हक मत छीनो—यह अहिंसा का नेगेटिव रूप है।

सबके साथ मैत्री करो, समता की साधना करो, सबके प्रति सम-दृष्टि रखो, सहिष्णुता का विकास करो, सद्भाव की वृद्धि करो आदि अहिंसा का पोजिटिव रूप है।

अहिंसा के इस औपदेशिक स्वरूप को प्रायोगिक रूप कैसे मिले ? इस प्रक्रिया के प्रस्तुतकरण का क्रम ही आगे चलकर प्रशिक्षण के साथ जुड़ जाता है। ऊपर वर्णित सब बिन्दुओ का वैयक्तिक या सामूहिक रूप मे अभ्यास किया जाए, कराया जाए और प्रत्येक परिस्थिति मे सन्तुलन रखा जाए तो प्रशिक्षण का स्वरूप प्रभावी बन सकता है।

सैनिको के प्रशिक्षण शिविर चलते हैं। उनमे सैनिको को शस्त्र प्रयोग करना सिखाया जाता है। साथ-साथ यह भी सिखाया जाता है कि मरने का प्रसंग उपस्थित होने पर भी पीछे नहीं हटना है। यह बात उनके रोम-रोम मे रमा दी जाती है। यह प्रशिक्षण समाज एवं राष्ट्र की रक्षा के लिए दिया जाता है।

अहिंसा का प्रशिक्षण, आत्मरक्षा, अध्यात्मरक्षा अथवा मानवीय मूल्यों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। 'मरणधार सुध मग गिया, मार सके मारै नही ताको नाम मरद' आदि वाक्य हमारे लिए आरंभ है। शान्ति और समभाव से मरना भी एक प्रकार की तपस्या है, जो आस्था के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों का मुकाबला करना अहिंसा के

प्रशिक्षण का एक प्रयोग है। इसी श्रृंखला में प्रयोग की कुछ और कड़ियाँ जुड़ सकती हैं। पर ये प्रयोग तभी सफल हो सकते हैं, जब अहिंसा में प्रगाढ़ आस्था हो और जीवन की आसक्ति क्षीण हो।

प्रश्न महात्मा गांधी ने स्वाधीनता आन्दोलन में अहिंसा का सफल प्रयोग किया था। वह संघर्ष विदेशी सत्ता से था। आज कश्मीर, पंजाब और असम को आतंकवाद से मुक्त कराने के लिए अहिंसक समाधान क्या हो सकता है ?

उत्तर : महात्मा गांधी का एक सपना था। उनके सामने एक लक्ष्य था—राष्ट्र की स्वाधीनता। लक्ष्य-प्राप्ति के लिए मर-मिटने का हिमालयी संकल्प। हसते-हसते मर जाना, पर मारने वालों पर अशंका भी आक्रोश नहीं करना, कितनी बड़ी साधना है।

ऐसी ही साधना के लिए देश के एक बड़े वर्ग को संकल्पित होना पड़ेगा। आतंकवाद का जहाँ तक सवाल है, वह किसी एक प्रदेश या देश तक सीमित नहीं है। पूरे विश्व में यत्र-तत्र वह सिर उठा रहा है। उसके प्रतिरोध में व्यापक अभियान जरूरी है। नामांकित प्रदेशों की समस्या को समाहित करने के लिए एक लक्ष्यबद्ध और योजनाबद्ध कार्यक्रम चलाना होगा। इसके लिए बलिदानों मनोवृत्ति वाले उत्साही लोग हों और उनका नेतृत्व महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व के हाथ में हो तो अज भी सभावनाओं का सूरज अस्त नहीं हुआ है। एक ओर निष्ठा-शील, निष्काम, तटस्थ और प्रभावशाली व्यक्ति के नेतृत्व में अहिंसात्मक प्रयोग हो, दूसरी ओर आतंकवाद से जुड़े लोगों के हृदय-परिवर्तन का प्रयास हो, तो यह प्रयोग एक असाधारण प्रयोग हो सकता है। शर्त एक ही है कि इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले सब लोगों की अहिंसा में गहरी आस्था हो और उनका उचित प्रशिक्षण हो।

प्रश्न जैन समाज में हजारों साधु-साध्वियाँ हैं। एक नयी समण श्रेणी का प्रादुर्भाव आपने किया है। सशक्त मुमुक्षु बहनों का एक बड़ा दल आपके पास है। हिंसा के प्रतिकार के लिए वैचारिक और भावनात्मक साधन के अलावा क्या इनका कोई अन्य क्रियात्मक उपयोग किया जा सकता है ?

उत्तर हिंसा का कोई निश्चित चेहरा नहीं है। वह अनेक रूपों में राष्ट्र के लिए चुनौती बन रही है। हमने व्यक्तिगत अनेक लोगों को समझाने और उनका हृदय परिवर्तन करने के प्रयोग किए हैं। अनेक डाकुओं ने अपने जीवन की दिशा बदली है। जेल के सीखचों में बन्द अपराधियों का मन बदला है। हजारों-हजारों लोग व्यसनमुक्त हुए हैं। इस काम के लिए स्वयं कष्ट सहकर भी अनवरत पद यात्राओं का प्रयोग किया है। आज

के अत्यधिक सुविधावादी युग में ऐसा किया जा रहा है। इससे जल्द कोई प्रयोग नहीं हो सकती, यह बात नहीं है।

आतंकवाद की समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है। इस समस्या का मूलभूत उद्देश्य जब तक पकड़ में नहीं आता है, तब तक समाधान की गहराई में उतरने की बात नहीं बन सकती। पंजाब समस्या का मूल ध्यान में आया तो हमने सन्त लोगोवाल से मिलकर चर्चा की। उत्तरी हुई गुटियों के बीच एक रास्ता बना। यदि लोगोवाल रहते तो वह रास्ता और अधिक प्रशस्त हो सकता था। पर उनकी हत्या ने एक नयी समस्या खड़ी कर दी।

हर एक समस्या का समाधान हो ही जाएगा, ऐसी गर्वोक्ति कोई नहीं कर सकता। प्रयोग करना हमारा काम है। पंजाब जैसे अज्ञात प्रदेश में आज भी हमारे साधु-साधवियों के अनेक वर्ग विहार कर रहे हैं। क्या यह एक प्रयोग नहीं है ?

प्रश्न : हिंसक शक्तियाँ भिन्न-भिन्न विचारधाराओं के रहते हुए भी सगठित होकर अपना कर्तव्य दिखा रही हैं। एक विशिष्ट अहिंसक धर्मनेता के रूप में आप हिंसक शक्तियों को सगठित करने की दृष्टि से क्या मार्गदर्शन देंगे ? क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना आपके चिन्तन में है ?

उत्तर : हिंसा या हिंसक शक्तियों में जैसी संहारकता है, वैसा कोई चेप भी अवश्य है। उस कारण वे मिल जाती हैं और सगठित होकर अपने लक्ष्य को साध लेती हैं। अहिंसक शक्तियाँ अधिक सक्षम होकर भी मिलनसार नहीं हैं या मिलने में कठिनाई का अनुभव करती हैं। अहिंसक लोगों की अपनी दुर्बलता भी उनके सगठन की बाधा है। इस बाधा को निरस्त करने के लिए अहिंसकों को अहिंसा की शक्ति पर कभी सहित न होने वाला विश्वास करना होगा। हमारी तो यह निश्चित आस्था है कि निश्चिन्ता से जीने के लिए अहिंसक शक्तियों को सगठित होना ही होगा। इनके संगठन से प्रवाहित ऊर्जा हिंसा के घरोंदों को तोड़ने में सक्षम हो सकती है।

पिछले दिनों संवाद पढ़ा कि गोवर्धन को नजरबन्द कर दिया गया। उनके दो बड़े कार्यक्रमों—पेरेश्वरोंका और ग्लासनोस्त—वाँ जड़-मूल से समाप्त करने का अभियान चलाया गया। पेरेश्वरोंका और ग्लासनोस्त को समाप्त करने का स्वप्न देखने वाले स्वयं समाप्त हो गए, यह कोई छोटी बात नहीं है। प्रतीक्षा एक ही है कि कब समाप्त कब आए ? 'महुत्ताणं महुत्तेसु महुत्तो होइ तारिसो'—विश्व के इतिहास में महान् क्षण ऐसा आता है, जब कठिन से कठिन काम पूरा हो जाता है और

१८४ अतीत का विसर्जन · अनागत का स्वागत

उसकी छाप सब लोगो पर होती है। वैसे समय की प्रतीक्षा करने मे मेरा विश्वास कम है। किन्तु कुछ कार्य देश और काल की अनुकूलता मे ही सम्भव हो सकते हैं।

प्रश्न वर्तमान परिस्थितियो मे आपको भारत का भविष्य कैसा लगता है ? लोगो की लोकतन्त्र से आस्था डिगने लगी है। वैकल्पिक समाधान क्या हो सकता है ?

उत्तर मैं न तो किसी का भविष्यवक्ता हूँ और न बनना चाहता हूँ। किन्तु वस्तुस्थिति का व्याख्याता बनने मे कोई कठिनाई नहीं है। लोगो की लोकतन्त्र से आस्था हट गई—इस वाक्य को मैं एकागी मानता हूँ। जो चल रहा है, वह सही लोकतन्त्र है क्या ? यदि नहीं तो उस पर आस्था टिकेगी कैसे ? व्यक्ति जिस विचारधारा या सिद्धान्त मे आस्था रखकर चलता है, वह सही न हो तो आस्था कब तक टिकेगी ? लोकतन्त्र के प्रति अनास्था का स्वर उठा है, इसमे गलती लोगो की नहीं, लोकतन्त्र को चलाने वालो की है।

अणुव्रत दर्शन मे लोकतन्त्र के शुद्ध स्वरूप को देखा जा सकता है। एक दिन आएगा, जिस दिन अधिकांश लोगो को यह अनुभव होगा कि लोकतन्त्र की गाडी अणुव्रत की पटरी पर ही चल सकती है। मनुष्य यो जगल मे कब तक भटकता रहेगा ? आखिर उसे रास्ते की खोज तो करनी ही होगी। मेरे अभिमत से लोकतन्त्र का विकल्प लोकतन्त्र ही है, यदि वह सही और सक्षम हो।

कैसे मिटेगी अशान्ति और अराजकता

प्रश्न : आप सन्त हैं। सारी मानव जाति के उद्धार के लिए व्याकुल हैं। विश्व-शान्ति और समृद्धि आपका लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप क्या कर रहे हैं ? इसके लिए आपने किस मार्ग का अवलम्बन लिया है ? कृपया इस सम्बन्ध में समुचित मार्ग-दर्शन करें।

उत्तर : हम अपनी साधना के बारे में सोचते हैं तो विश्व सन्दर्भ में भी चिन्तन करते हैं। आध्यात्मिक या व्यापक दृष्टि वाले व्यक्ति चाहते हैं कि पूरी मानव जाति का कल्याण हो। हमारे मन में भी वह तड़प है। हम सन्तों की दो श्रेणियाँ होती हैं। कुछ सन्त केवल आत्मसाधना का लक्ष्य लेकर चलते हैं और कुछ आत्मसाधना के साथ जन-कल्याण की बात भी सोचते हैं। हमने अपनी साधना के साथ जनता को पथ-दर्शन देने की बात भी स्वीकृत की है। व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान व्यक्तिगत स्तर पर सुझाते रहे हैं। सार्वभौम समस्याओं से निपटने के लिए हमने अणुव्रत का अभियान शुरू किया। वैसे हमारी आस्था यह है कि किसी का कल्याण कोई दूसरा नहीं कर सकता। अपने कल्याण की जिम्मेदारी स्वयं पर है। मार्गदर्शक या प्रेरक के रूप में कोई व्यक्ति निमित्त बन सकता है। अणुव्रत के माध्यम से हम जनकल्याण के निमित्त उत्तर बन रहे हैं। पर इसके लिए पुरुषार्थ तो व्यक्ति-व्यक्ति को करना होगा। जो मनुष्य अणुव्रत के आदर्शों के अनुसार चलेगा, वह अपना उद्धार निश्चिन्त रूप से कर सकेगा, ऐसा हमारा विश्वास है।

प्रश्न : ऐसा लगता है कि चारों ओर अशान्ति और अराजकता बढ़ती जा रही है। इनके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं ? इनके क्या-क्या कारण हो सकते हैं और उनके निवारण हेतु किन प्रयासों की आवश्यकता है ?

उत्तर : अशान्ति और अराजकता बढ़ती जा रही है, यह प्रत्यक्ष है। हमें जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति या वर्ग पर नहीं छोड़ी जा सकती। वर्तमान

मे सत्ता के सिंहासन पर आरूढ व्यक्तियों को इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पर वे अकेले ही दोषी कैसे होंगे? जनता जागरूक और नीतिनिष्ठ होगी तो अराजकता चलेगी कैसे? हमारे अभिमत से कमोवेश रूप में इसकी जिम्मेदारी सभी वर्गों की है। अशान्ति और अराजकता को मिटाने या कम करने के कुछ उपाय सुझाए जा सकते हैं। जैसे—

- ० सत्ता और सम्पदा को हस्तगत करने के व्यामोह को छोड़ना।
- ० भौतिक सुविधाओं को जुटाने के लिए होने वाली भागमभाग से वचना।
- ० भौतिक लक्ष्यों को जैसे-तैसे पाने की मनोवृत्ति को बदलना।
- ० मानवीय मूल्यों को जीवनगत करने का लक्ष्य।
- ० आध्यात्मिक और नैतिक चेतना का जागरण।
- ० राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रीय प्रेम का विकास।

इन बिन्दुओं के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक जागरूकता अशान्ति और अराजकता के प्रभाव को क्षीण कर सकती है।

प्रश्न धर्म व सम्प्रदाय से क्या अर्थ है? ये दोनों अलग-अलग हैं या एक? आजकल जिस तरह धर्म को राजनीति में घसीटा जा रहा है, उसे आप कहा तक उचित मानते हैं? अगर उचित नहीं मानते तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या करना चाहिए?

उत्तर: आत्मशुद्धि एवं आत्मशान्ति के लिए सत्य, अहिंसा आदि व्रतों की आराधना का नाम धर्म है। जबकि सम्प्रदाय का अर्थ है उपासना प्रधान परम्परा। प्रतीकात्मक शैली में यो कहा जा सकता है—फल का रस धर्म और उसका छिलका सम्प्रदाय है। छिलके का उपयोग रस की सुरक्षा के लिए है। इसी प्रकार सम्प्रदाय का उपयोग धर्म की सुरक्षा है। धर्म से हमारा अभिप्राय केवल आध्यात्मिक, नैतिक मूल्यों से है तो वे किसी भी नीति के साथ जुड़कर उसका हित ही करेंगे। यदि सम्प्रदाय को राजनीति के साथ जोड़ दिया गया तो उससे कठिनाई अवश्य बढ़ेगी।

मजहब रूपी धर्म को राजनीति से दूर रखने का सीधा उपाय है सविधान की उस धारा का विश्लेषण, जो राष्ट्र को धर्मनिरपेक्षता अर्थात् सम्प्रदाय-निरपेक्ष रखना चाहती है। कुछ लोग धर्मनिरपेक्ष शब्द को लेकर उलझ जाते हैं। हमारे अभिमत के अनुसार धर्मनिरपेक्ष शब्द के प्रयोग में विधान-निर्माता की मशा यह रही है कि देश पर किसी सम्प्रदाय विशेष का प्रभुत्व न हो। पर इस शब्द के साथ जनमी गलतफहमियों के कारण धार्मिक मूल्यों की भी उपेक्षा होने लगी। शब्द में भी शक्ति होती है। उपयुक्त शब्द का प्रयोग हो तो किसी प्रकार की भ्रान्ति को अवकाश

नहीं मिलता। धर्मनिरपेक्षता शब्द पर कई बार खुलकर चर्चा हो चुकी है। किन्तु जब तक राजनीति में स्वार्थ और वोटों की प्रमुखता रहेगी, वस्त्रसम्प्रदाय को वैसाखियों के रूप में काम लेती रहेगी। लोकतान्त्रिक प्रणाली में किसी भी सम्प्रदाय को प्रमुखता देना नितान्त अवाञ्छनीय है, इस सच्चाई से जन-जन को परिचित करके ही धर्म और राजनीति के मिश्रण को रोका जा सकता है।

प्रश्न : साधु-सतों व धर्मगुरुओं की राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए या नहीं ? यदि होनी चाहिए तो किस सीमा तक ?

उत्तर : साधु-सतों को दलगत राजनीति से सर्वथा दूर रहना चाहिए। राजनीति पर धर्म का नियन्त्रण रहे, इस दृष्टि से धर्मगुरु राजनीतिक लोगों को आध्यात्मिक एवं नैतिक पथ-दर्शन देते रहे, इस सीमा तक उनकी भागीदारी में कोई आपत्ति नहीं लगती।

प्रश्न : साम्प्रदायिक सद्भाव में धर्मगुरुओं की भूमिका पर प्रकाश डालने की कृपा करें। (कार्य, व्यवहार, अपेक्षाएँ, जिम्मेदारियाँ, सभा, सम्मेलन आदि से)

उत्तर : रुचिभेद और विचारभेद के अनुसार प्रचलित उपासना पद्धतियों को सम्यक् अंजाम देने के लिए सम्प्रदाय अस्तित्व में आते हैं। उनकी बागडोर धर्मगुरुओं के हाथ में रहती है। ऐसी स्थिति में सम्प्रदायों के बीच सद्भावना बनाए रखने की जिम्मेवारी भी उन पर आती है। यदि धर्मगुरु आपस में झगड़ते रहे या एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहे तो उनके अनुयायी सद्भावना का सूत्र कहा खोजेंगे ?

बढ़ते हुए साम्प्रदायिक तनावों को कम करने का एक उपाय है— धर्मगुरुओं के शिखर-सम्मेलन। उन सम्मेलनों में उपस्थित धर्मगुरु साम्प्रदायिक सकीर्णता से ऊपर उठकर मानव जाति के हित में चिन्तन करे, चिन्तन को निर्णायक बिन्दु तक पहुँचाएँ और निर्णय की त्रिभुज में तत्परता दिखाएँ। व्यक्तिगत आग्रह और प्रतिष्ठा का व्यामोह छोड़कर सकारात्मक दृष्टि से कोई भी काम होगा, उसका फलित साम्प्रदायिक सद्भाव ही होगा। इसके लिए हमें अपने-अपने दायरों का व्यापक बनाना होगा।

प्रश्न प्रायः हर विवाद की जड़ सहिष्णुता (सहनशीलता) का अभाव ही माना जाता है। आपके क्या विचार हैं ?

उत्तर : हमारे अभिमत से असहिष्णुता एक कारण है। और भी कुछ कारण हैं जिन्हें नजरअंदाज करने से वास्तविकता उजागर नहीं हो सकती। कुछ कारणों का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। जैसे—

- ० एकागी दृष्टिकोण
- ० आग्रही मनोवृत्ति
- ० सचाई को स्वीकार न करने का मनोभाव
- ० व्यक्ति का अपना अज्ञान
- ० समभाव का अभाव

प्रश्न आजकल मन्दिर, मस्जिद विवाद ने काफी तूल पकड़ रखा है। मेरा तात्पर्य अयोध्या के विवाद से है। इस सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं ? किस मार्ग को अपनाने से इस विवाद का सहज और शान्तिपूर्वक हल हो सकता है ?

उत्तर यह विवाद या प्रश्न उतना जटिल नहीं है, जितना जटिल इसे बना दिया गया है। आग्रह-विग्रह या खीचातानी से यह विवाद समाप्त हो जाएगा, यह सम्भव नहीं लगता। इसे समाप्त करने का सर्वोत्तम तरीका है—सौहार्दपूर्ण वातावरण में द्विपक्षिक वातचीत। यह वार्ता तभी सफल हो सकती है, जब दोनों पक्ष अपने-अपने आग्रह छोड़कर, राष्ट्रहित को सामने रखकर, प्रेस्टिज की भावना से ऊपर उठकर उदारभाव से कोई निर्णय ले और शीघ्र ही उसकी क्रियान्वित करे।

अयोध्या के सन्दर्भ से एक बात मैंने पहले कही थी कि मुस्लिम वन्धु बिना किसी बाध्यता या दबाव के अपने उदार चिन्तन से सौहार्दपूर्ण तरीके से मन्दिर-निर्माण में बाधा न डाले तो हिन्दू-मुस्लिम एकता की समस्या का एक स्थायी समाधान हो सकता है। इससे शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व और आपसी सौहार्द की सम्भावनाएँ बढ़ सकती हैं।

जिस देश में हिन्दू और मुसलमान—दोनों को साथ-साथ रहना है, वहाँ आए दिन संघर्ष और पारस्परिक सन्देह का सिरदर्द मोल लेकर रहना किसी के लिए श्रेयस्कर नहीं है।

प्रश्न आज का मानव परेशान, तनावग्रस्त व अनेक प्रकार के कष्टों से दुःखी है। इसके क्या कारण हैं ? क्या अध्यात्म से मानव की विरक्ति इसका कारण है ? अध्यात्म के प्रति अनुराग पैदा करने के लिए क्या किया जाना चाहिए ?

उत्तर मनुष्य की परेशानियों, तनाव और अन्य अनेक कष्टों का सर्जक वह स्वयं है। उसकी आकांक्षाएँ, भोगवादी मनोवृत्तियाँ और पदार्थ से सुख पाने का दृष्टिकोण उसे दुःखों की ऐसी अन्धेरी खन्दक में ले जाकर छोड़ता है, जहाँ सुख की एक किरण का स्पर्श भी नहीं हो सकता। सामाजिक और राजनीतिक वातावरण, आर्थिक तंगी, मंहगाई, बेरोजगारी, प्रदर्शन, आडम्बर, आपसी प्रतिस्पर्धाएँ आदि अनेक कारण

हैं, जो व्यक्ति की परेशानिया बढ़ाने वाले हैं। अध्यात्म से विराग और भौतिकता से अनुराग इस परिस्थिति का प्रमुख निमित्त है। ऐसी स्थिति में मनुष्य के मन में अध्यात्म के प्रति अनुराग जगाना नितान्त अपेक्षित है।

अध्यात्म जीवन का एक मूल्यवान, सार्थक और उपयोगी पक्ष है। समता, करुणा, सयम, सादगी, सहिष्णुता, सामजस्य आदि जीवन मूल्य अध्यात्म की पौध पर ही विकास पा सकते हैं। इसके लिए आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन, सत्संग, ध्यान, अनुप्रेक्षा आदि प्रयोगों का सहारा बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तनाव की समस्या का समाधान प्रेक्षाध्यान पद्धति के द्वारा बहुत कम समय में हो सकता है, विद्यार्थी प्रारम्भ से ही अध्यात्म के प्रति अनुरागी बने, इस दृष्टि से जीवन विज्ञान का प्रयोग कार्यकारी हो सकता है।

प्रश्न : चरित्र-निर्माण में धार्मिक प्रवृत्तियों के समावेश की आवश्यकता क्या आप महसूस करते हैं ?

उत्तर : धार्मिक प्रवृत्तियों के दो रूप हैं—आचरणप्रधान और उपासनाप्रधान। चरित्र-निर्माण में दोनों का उपयोग है। सयम, त्याग, तपस्या, सदाचार आदि धार्मिक प्रवृत्तिया चरित्र की मूल घटक हैं। रूढ क्रियाकाण्ड रूप उपासना के साथ हमारी सहमति नहीं है। किन्तु चरित्र को पुष्ट करने वाली जागरूक उपासना से हमारा विरोध भी नहीं है। उपासना की सीढ़ियों पर आरोहण करके चरित्र के मन्दिर तक पहुंचने में सुविधा रहती है। इस दृष्टि से हम धार्मिक प्रवृत्तियों को भी आवश्यक मानते हैं।

प्रश्न : समाज की प्रगति में महिलाओं की भागीदारी व इनको आगे लाने के लिए किन-किन प्रयासों की आवश्यकता है ?

उत्तर : 'आधी दुनिया' के रूप में जिसकी पहचान होती है, समाज में उन महिलाओं की सशक्त भागीदारी न हो तो समाज का सर्वांगीण विकास हो नहीं सकता। यह कथन महिला और पुरुष की बराबरी की बकालत नहीं है। हमारा मंतव्य यह है कि महिलाएँ पुरुषों के समानाधिकार की बात को छोड़ अपने दायित्व को विकसित करने के लिए सजग रहें। अपना कार्यक्षेत्र घर और दफ्तर, दोनों को बना सकती हैं, किन्तु घर-परिवार की उपेक्षा कर बाहर जाने का औचित्य समझ में नहीं आता।

महिला समाज को आगे लाने के लिए आवश्यक है कि समाज में उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण हो। औरते क्या बन सकती है? जैसी शब्दावली उनके मनोबल को कम करती है। महिलाओं

की दीनभावना समाप्त हो, उन्हें अपनी क्षमताओं को काम में लाने के लिए पर्याप्त अवसर दिये जायें, उन्हें स्वतन्त्र चिन्तन के लिए प्रोत्साहित किया जायें और खान-पान एवं परिधान तक सीमित उनके नजरिए को सस्कार निर्माण जैसे रचनात्मक कार्यों की दिशा दी जाए, तभी उनके कर्तृत्व में निखार आ सकता है। हमने अपने धर्मसंघ में साध्वियों को ऐसे अवसर दिये हैं। उनके सुपरिणामों से हमें सन्तोष है। अब हम अपनी साध्वियों के माध्यम से समाज की महिलाओं के जागरण का काम आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें भी हमें अच्छी सफलता मिली है। हमारा यह विश्वास पुष्ट हो रहा है कि सही दिशा और सही मार्ग-दर्शन मिलने पर महिलाओं की कार्यक्षमता बढ़ सकती है।

जनसामान्य के लिए अणुव्रत की योजना

प्रश्न : आचार्यश्री ! आप 'चरैवेति-चरैवेति' के व्यावहारिक मन्त्र-द्रष्टा हैं । ८१ दशको की पद-यात्राओं से क्या आप सन्तुष्ट हैं ?

उत्तर . पदयात्रा हमारा जीवनव्रत है । जीवन भर के लिए जो व्रत स्वीकार किया, उसके पालन में असन्तोष का तो प्रसंग ही नहीं है । पदयात्रा हमारे सामने कोई बाधयता की स्थिति नहीं थी । हमने अपनी इच्छा में यह पथ चुना है । इसमें हमें आनन्द की अनुभूति होती है और हमारी अनुभूतियों का दायरा व्यापक बनता है । हमारे मिशन की व्यापकता का एक कारण पदयात्रा भी है । इतने लम्बे समय तक पदयात्रा करने में वाद भी हमारे मन में इसके प्रति कोई अरुचि नहीं है ।

आज का युग पदयात्रा की प्रासंगिकता के आगे प्रश्न नहीं उठा सकता है । पर हमारी दृष्टि में इसका शाश्वत मूल्य है और स्वर्णमिद उपयोग है । हम पदयात्रा को साधना और स्वास्थ्य की दृष्टि में तो आवश्यक मानते ही हैं, यह स्वावलम्बन का भी एक प्रयोग है । जनता के साथ सम्पर्क स्थापित करने का यह सरलतम उपाय है । हमने अपनी छोटी-सी जिन्दगी में पदयात्रा के माध्यम से लाखों-लाखों लोगों में सीधे सम्पर्क साधा है, उनकी समस्याओं को समझा है और अपनी नीमा में रहते हुए उनका समाधान सुझाया है । वैसे काम की कोई सीमा नहीं है, पर पदयात्राओं को लेकर हमें किसी प्रकार का असन्तोष नहीं है ।

प्रश्न : दीक्षा के समय आपके सामने क्या लक्ष्य था ?

उत्तर : अत्तहियट्ठयाए—आत्महित को सामने रखकर ही हमने दीक्षा स्वीकार करने की बात सोची थी । उस अवस्था में इससे बढ़कर कोई दूसरा लक्ष्य हो भी नहीं सकता था । दूसरा लक्ष्य था—गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञानार्जन करना । स्वर्गीय पूज्य गुरुदेव कालूगर्णा के व्यक्तित्व का मन में पर अप्रतिम प्रभाव था । उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पण होने का

मनोभाव पुष्ट हो गया तो घर में रहना असंभव हो गया। दीक्षित होने के बाद अध्ययन और अनुभवों के आधार पर लक्ष्य का विस्तार होता गया।

प्रश्न क्या अणुव्रत आन्दोलन के द्वारा आपने वह सब कुछ अर्जित कर लिया, जिसकी आपके मन में आकांक्षा थी ?

उत्तर : अणुव्रत आन्दोलन का प्रारम्भ किसी आकांक्षा की पूर्ति के लिए नहीं हुआ। उस समय की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में अणुव्रत अस्तित्व में आया। हमने अपनी शक्ति के अनुसार इसमें पुरुषार्थ का नियोजन किया। उसकी निष्पत्ति या परिणति को शब्दों से अभिव्यक्ति देना संभव नहीं लगता। इस सन्दर्भ में इतना ही कहा जा सकता है कि अणुव्रत के कार्यक्रमों को लेकर हमें आत्मतोष है। हम आज भी अपने सघ की शक्ति इसे जन-जन तक पहुंचाने में लगा रहे हैं। हमने कभी दावा नहीं किया कि हम पूरे ससार को अणुव्रती बना देंगे। पर हम जो काम कर रहे हैं, उसमें हमें रस है।

प्रश्न आपने मेवाड़ यात्रा को 'अहिंसा यात्रा' घोषित किया था। उस यात्रा की क्या सार्थकता रही ?

उत्तर एक दृष्टि से देखा जाए तो हमारी सभी यात्राएँ अहिंसा यात्राएँ रही हैं। मेवाड़ यात्रा को अहिंसा यात्रा के रूप में घोषित किया गया, इसके पीछे एक विशेष उद्देश्य था। हमारी वह यात्रा मुख्य रूप से राजसमन्द के लिए थी। वहाँ अहिंसा के प्रशिक्षण की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित था। राजसमन्द के विश्वशांति निलयम् में हमने विश्वभर के विद्वानों के साथ पांच दिनों तक अहिंसा के प्रशिक्षण के विषय में चर्चा की।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन होते रहते हैं। उनमें विश्वशांति की चर्चा होती है। किन्तु शांति की आधारभूमि अहिंसा के बारे में इतनी मुक्त और व्यापक चर्चा कम हुई है। हमारी इस कान्फ्रेंस का उद्देश्य न तो विश्वशान्ति था और न खाड़ी युद्ध का विराम। इन तात्कालिक मुद्दों पर कभी भी और कहीं भी ध्यान दिया जा सकता है। पर समस्या के मूल तक पहुंचना कठिन होता है। हमने सोचा—ससार में हिंसा का प्रशिक्षण चल रहा है, विधिवत् प्रशिक्षण चल रहा है, तीव्रता से चल रहा है। फिर अहिंसा की इतनी उपेक्षा क्यों हो ? क्या अहिंसा का प्रशिक्षण नहीं हो सकता ? यदि हो सकता है तो उसके महत्त्व को उजागर करना चाहिए। हमें सतोष है कि पांच दिनों में जो कुछ हुआ, कम नहीं हुआ। उससे अहिंसा के पक्ष में सशक्त वातावरण बना।

हम चाहते हैं कि अहिंसा के प्रशिक्षण की चर्चा केवल चर्चा तक ही सीमित न रहे। इसकी सम्यक् क्रियान्विति हो। इस सन्दर्भ में राजसमन्द योग्य पत्र भी तैयार किया गया। कुल मिलाकर वह यात्रा और सम्मेलन कल्पना से अधिक सफल रहा।

प्रश्न : कर्मणा जैन का प्रयोगात्मक स्वरूप आप क्या मानते हैं ?

उत्तर : हमने कर्मणा जैन की पूरी प्रक्रिया तैयार की है। उसका स्वरूप इस प्रकार है—

धर्म की आराधना के लिए न किसी जाति की बाधा है और न किसी सम्प्रदाय की। वह तो जीवन का तत्त्व है उसका सम्पूर्ण कर्म का आचरण के साथ है। भूल यह हुई कि उमे जन्म के साथ जोड़ दिया गया। जैनकुल में जन्म लेने वाला जैन कहलाता है, भले ही उनका आचरण जैन धर्म के अनुरूप न हो। वैष्णव आदि किसी अन्य कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति जैन नहीं कहलाता, भले ही उसका आचरण जैनधर्म के अनुरूप हो। भगवान महावीर ने कहा है—

कम्मणा बभणो होइ, कम्मणा होइ खत्तिओ।

वइसो कम्मणा होइ, सुदो हवइ कम्मणा ॥

—जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, या शूद्र नहीं होता। उक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होने का आधार उसका आचरण है। धर्म के विषय में भी यह सिद्धान्त लागू होता है। कोई भी व्यक्ति जन्मना धार्मिक नहीं हो सकता। जन्मना जाति हो सकती है, धर्म नहीं। जन्मना जैन या वैष्णव हो सकता है पर अणुव्रती नहीं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कर्मणा धार्मिक बनने का लक्ष्य निर्धारित करना है।

किसी भी जाति, कुल या सम्प्रदाय में जन्म लेने वाला कर्मणा जैन बन सकता है। जन्मना जैन व्यक्ति भी जब तक कर्मणा जैन नहीं बनता है, तब तक वह सही अर्थ में धार्मिक नहीं होता। कर्मणा जैन किसे माना जा सकता है? इसके लिए कुछ अर्हताएँ निश्चित हैं—

१. कर्मणा जैन वह होगा—

(क) जिसका दृष्टिकोण सही हो।

(ख) जिसका ज्ञान सही हो।

(ग) जिसका आचरण सही हो।

२. कर्मणा जैन वह होगा—

(क) जिसका अहिंसा में विश्वास हो।

(ख) जिसका अनाग्रह या सापेक्षता में विश्वास हो।

(ग) जिसका आत्मकर्तृत्व में विश्वास हो।

(घ) जिसका आहार शुद्धि में विश्वास हो।

३. कर्मणा जैन वह होगा—

(क) जो जातिवाद और छुआछूत को प्रश्रय न दे।

(ख) जो साम्प्रदायिक अभिनिवेश से दूर रहे।

४ जो कर्मणा जैन होगा, वह अपने जीवन में अहिंसा का विकास करेगा। इसके लिए वह भगवान महावीर को अपना आदर्श मानेगा और पथ-दर्शक के रूप में गुरु को स्वीकार करेगा।

कर्मणा जैन के लिए न्यूनतम नियम—

१ मैं किसी निरपराध प्राणी की हत्या नहीं करूंगा।

२ मैं आत्महत्या नहीं करूंगा।

३. मैं मासाहार तथा मद्यपान नहीं करूंगा।

४ मैं व्यसन मुक्त रहूंगा।

५ मैं हराभरा बड़ा वृक्ष हाथ से नहीं काटूंगा।

प्रश्न आप ऐसा करके क्या सम्प्रदाय बहुल देश में नया सम्प्रदाय नहीं बना रहे हैं ?

उत्तर • हमारा लक्ष्य किसी नये सम्प्रदाय का निर्माण नहीं है। धर्म का सम्बन्ध आचरण के साथ ही और उसे विवेक से स्वीकार किया जाए, इस उद्देश्य में हमने यह अभियान चलाया है। इसमें जन्मना जैनों को भी कर्मणा जैन बनाने का प्रावधान है। जैन हो या अजैन, जब तक धर्म कर्म या आचरण के साथ नहीं जुड़ेगा, उसका प्रभाव जीवन पर नहीं हो सकेगा। जो धर्म जीवन को प्रभावित न कर पाए, उससे क्या आशा की जा सकती है ? हमारी दृष्टि किसी नये सम्प्रदाय को पैदा करने की नहीं, भगवान महावीर के दर्शन को व्यापक बनाने की है।

प्रश्न : आपने बगडी में अपने एक प्रवचन में कहा था—जैन धर्म कोई सप्रदाय नहीं, विचार है। तो फिर विविध जैन सप्रदायों में पूजा या उपासना की पद्धतियों को लेकर टकराव क्यों है ? इस समस्या को सुलझाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे।

उत्तर • सच्चाई तो यही है कि जैन धर्म कोई सप्रदाय नहीं है। भगवान महावीर ने जिस रूप में धर्म की व्याख्या की, वह विचार या दर्शन से अधिक कुछ भी नहीं है। उस दृष्टि से धर्म को पूजापाठ में उलझाने का कोई औचित्य भी नहीं है। पूजापाठ सही अर्थ में धर्म नहीं है, यह बात कहकर मैं धार्मिक लोगों को उनकी उपासना विधि से विमुख करना नहीं चाहता। पर पूजापाठ को ही धर्म मान लेने से जो विडम्बना हुई है, उसे न समझना भी अच्छी बात नहीं है। पूजापाठ से धार्मिकता में सहयोग मिले, इस

सीमा तक वह आदेय है। किन्तु वह धर्म का मुखौटा पहनकर धर्म बन जाता है तब टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। पूजा-उपासना को अपनी-अपनी आस्थाओं को जीवित रखकर भी धर्म के मौलिक स्वरूप को उजागर किया जाए तो अनेक समस्याएं स्वयं तिरोहित हो जाएँ।

प्रश्न : हर आदमी के जीवन का कोई सपना होता है। क्या आपने भी कोई सपना देखा। यदि हाँ, तो क्या वह मूर्त रूप ले सका ?

उत्तर : हमने निद्रावस्था में बहुत अधिक सपने नहीं देखे, पर हमारे दिवांगमों की सूची बहुत लम्बी है। हमने जितने स्वप्न देखे, शायद कम लोग देख पाते हैं। सच तो यह है कि स्वप्न-द्रष्टा ही कुछ कर सकता है। हम प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे द्वारा देखे गए अनेक सपने फलवान बने हैं। हमारे सब स्वप्न सच हो गए, यह तो हम नहीं कह सकते। किन्तु हमारा विश्वास चिन्तन, निर्णय और क्रियान्विति की समन्विति में है। इन तीनों में कालक्षेप हो जाए तो स्वप्न के फलित होने में सन्देह रहता है। हमने कोई एक स्वप्न देखा हो तो उसकी चर्चा की जा सकती है। हमारा स्वभाव यह बन गया कि एक स्वप्न फलवान बनता है, उम्मे साथ ही कई नये स्वप्न उग आते हैं। इसी कारण कुछ लोग हमारे पहचान 'स्वप्न-द्रष्टा आचार्य' के रूप में करते हैं।

प्रश्न : तेरापथी समुदाय के लिए जो कसौटी है, क्या आपके अनुयायी उम पर खरे उतर रहे हैं ?

उत्तर : हम अपने अनुयायियों को दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। जो लोग तेरापथी परिवार में जन्म लेकर स्वयं को तेरापथी मानते हैं, वे जन्मना तेरापथी हो सकते हैं। पर तेरापथी के लिए निर्धारित कसौटी पर घुं उतरने की बात उन पर पूरी तरह से लागू नहीं होती। जो लोग तेरापथ दर्शन को समझकर उम्मे स्वीकार करते हैं और उसके अनुरूप जीवन शैली अपनाते हैं, उनके आचरण पर किसी प्रकार का सन्देह क्यों किया जाए ? इस दृष्टि से हम यह तो नहीं कह सकते कि सभी तेरापथी धार्मिक दृष्टि से कसौटी पर खरे उतरते हैं। पर यह अवश्य कहा जा सकता है कि कसौटी पर खरे उतरने वाले लोग कम नहीं हैं, उनके चिन्तन और आचरण में लम्बी-चौड़ी दूरी नहीं है।

प्रश्न . एक त्यागी-तपस्वी को वैभवशाली स्वागत-सत्कार में कैसा अनुभव होता है ?

उत्तर : पहली बात तो यह है कि स्वागत व्यक्ति का नहीं, गुणों का हो। सम्मान त्यागी का नहीं त्याग का हो। अभिनन्दन तपस्वी का नहीं तपस्या का हो। दूसरी बात—त्यागी-तपस्वी व्यक्ति स्वागत-सम्मान की आशा

रखेगा तो उसका त्याग-तप बहुत बीना हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है—‘इडिड च सक्कारण पूयणं च चए ठियप्पा’ गीता का स्थित-प्रज्ञ और जैन आगमों का आत्मस्थ व्यक्ति ऋद्धि सत्कार और पूजा की अपेक्षा नहीं रखता। वह उनसे दूर रहना चाहता है। उन लोगों को निमित्त बनाकर अध्यात्म अथवा त्याग प्रधान संस्कृति का स्वागत सम्मान हो तो उससे अनायास ही अनेक लोगों को अध्यात्म और त्याग की प्रेरणा मिलती है।

जैन मुनि पदयात्री होते हैं। सीमित साधनों से अपना जीवन यापन करते हैं। उनके लिए वैभवशाली स्वागत-सम्मान क्या होगा? वे तो वैभव की प्रतीक कोई चीज स्वीकार करते नहीं। उस उपलक्ष्य में होने वाले आयोजनों को सादा बनाया जा सकता है। किन्तु उस अवसर पर उपस्थित होने वाले जनसमुदाय को न तो रोकना संभव है और न उमकी अपेक्षा ही है। आयोजक लोग सजगता रखे तो सहजता और सादगी का विकास किया जा सकता है। ऐसे समारोहों की गरिमा इसी से बढ़ती है।

प्रश्न आपके स्वागत में कहीं ऐसा होता हो तो आप उसका विरोध क्यों नहीं करते? उस अवसर पर लगने वाली राशि से अभावग्रस्त लोगों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए आप अपने अनुयायियों को विवश क्यों नहीं करते?

उत्तर हमारा विश्वास बाधयता में नहीं, हृदय-परिवर्तन में है। हमने अपने जीवन में ऐसे अनेक प्रयोग किए हैं, जिससे परम्परागत तरीकों में बदलाव आया है। आज भी हमें जहाँ कहीं अतिरिक्त लगता है, हम तत्काल उस पर टिप्पणी करते हैं। पडाल और नगर की सजावट का प्रसंग हो या अभिनन्दन पत्रों की प्रतिस्पर्धा। हमने इस सन्दर्भ में समाज को अपने दृष्टिकोण से अवगत किया है। यही कारण है कि विगत कई वर्षों से समाज की संस्थाओं की ओर से न तो अभिनन्दन-पत्र भेट किए जाते हैं और न शहर में पग-पग पर स्वागत द्वारों का हुजूम रहता है। व्यवस्थाओं में काफी कुछ बदलाव आया है।

एक बात और है—अभिनन्दन, प्रशस्ति, स्वागत आदि में हमारी विशेष रुचि भी नहीं है। हमने अपने जीवन में अभिनन्दन और आलोचना दोनों की अतिया देखी है। बड़े से बड़ा अभिनन्दन और बड़ी से बड़ी आलोचना। इन दोनों स्थितियों में हमने अपने सन्तुलन को टूटने नहीं दिया, यह हमारे लिए सात्विक गौरव की बात है। हमारे चिन्तन के रास्ते सदा खुले हैं, जहाँ कहीं अतिरजन की बात सामने आती है, उस पर रोक लगाने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती।

आर्थिक दृष्टिकोण का जहा तक सवाल है, समाज के लोग सचेत हुए हैं, हो रहे हैं। वे सामाजिक उपयोगिता और अभावग्रस्त लोगों की आवश्यकता को गभीरता से लेते हैं तथा उस क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से काम भी करते हैं। समय और परिस्थिति के अनुकूल हम भी अपनी सीमाओं में रहते हुए समाज का मार्गदर्शन करते हैं। समाज उभरे पकड़ता है और अपने चिन्तन और कार्य की दिशाओं को परिष्कृत करता है। फिर भी पूरा समाज एक साथ बदल जाए, यह कल्पना तो नहीं की जा सकती।

प्रश्न : जो लोग अणुव्रती बनते हैं, वे उनका निर्वाह करते हैं या नहीं, समाज सगठन इसकी जाच पडताल करता है ?

उत्तर : कोई भी व्यक्ति व्रती बनता है, स्वेच्छा से बनता है। व्रत उस पर पड़े नहीं जाते। ऐसी स्थिति में हम यह सन्देह क्यों करें कि अणुव्रती लोगों का निर्वाह करते हैं या नहीं ? सामान्यतः अणुव्रत अधिवेशन के अवसरों पर अणुव्रती लोग मिलते हैं तो अपने व्रतों की समीक्षा करते हैं। किसी के व्रत में भंग होता है तो वह स्वेच्छा से प्रायश्चित्त भी करता है। कोई भी सगठन किसी की जाच-पडताल में समय और शक्ति का व्यय नहीं करेगा ?

प्रश्न : आप जन-साधारण के लिए दुर्लभ क्यों होते जा रहे हैं ?

उत्तर : हम जितने मुलभ हैं, इससे अधिक सुलभता क्या होगी ? जन-साधारण के लिए दुर्लभ होने की बात हमारी समझ में नहीं आई है। हमारी जातीय साधना और चर्या का जो समय है, उस समय तो जन-सम्पर्क में बचपन ही होगा।

प्रश्न : आपने सेवडा गांव में एक सम्बोधन में कहा था—'सन्त सुरसरी परमगण चले भृजंगी चाल' आप इस हिंसा प्रधान युग में कौन-सी चाल चला रहे हैं ?

उत्तर : भृजंगी चाल से कवि का अभिप्राय यह है कि वे सीधे नहीं चलने देंगे। बड़े रास्तों से जन-जीवन को उपकृत करते हुए चलते हैं। हमारे लिए लोग लाभान्वित हो सकते हैं। युग हिंसा प्रधान हो या अहिंसा प्रधान इससे सतों की गति में कोई अन्तर नहीं आना चाहिए। अहिंसा में हमारी गहरी आस्था है। हिंसा जितनी प्रबल हो रही है, हमारी आस्था उतनी ही बढ़ रही है। आज तो हमें यह अनुभव होता है कि ममार की समस्याओं का समाधान हिंसा के बल पर चाहने वाले लोगों को एक नए युग में निराश होकर अहिंसा की शरण में आना ही होगा। इस दृष्टि में हमें अहिंसा प्रधान चाल में किसी अवरोध की समावना नहीं है।

प्रश्न : आपकी जयपुर यात्रा का उद्देश्य क्या है ?

उत्तर : हमारी इस बार की जयपुर यात्रा किसी विशेष उद्देश्य से प्रेरित नहीं है। अभी हम राह चलते जयपुर आए हैं। हमे जैन विश्व भारती, लाडनू जाना था। अजमेर से उसका सीधा रास्ता था। हमने थोडा चक्कर लिया और यहा आ गए। आए तो उद्देश्य भी बन गया। हमने सोचा— गावो मे रहकर हम जो कार्य करते है, कभी-कभी शहरो मे भी करना चाहिए। शहरो मे प्रबुद्ध लोग अधिक सख्या मे रहते हैं। वे बात को जल्दी पकड सकते है। दूसरी बात जयपुर के श्रावक समाज की हार्दिक तमन्ना थी कि हम एक बार यहा आए। इसके लिए यहा की विधानसभा के अध्यक्ष हरिशकर भाभडा, स्वास्थ्य मंत्री ललित किशोर चतुर्वेदी, शिक्षामंत्री हरिकुमार औदीच्य आदि अधिकारियो ने बलपूर्वक अपनी भावना रखी। तीसरी बात डॉक्टर एस आर मेहता, जो पिछले दो दशको से विशेष रूप से हमारे स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे है। उन्होने भी चाहा कि हम एक बार जयपुर आ जाए तो स्वास्थ्य की पूरी जाच हो जाए। ये सब कारण मिले और हमने जयपुर आने का निर्णय ले लिया। जब हम यहा आ गए और हमे कुछ दिन रहना है तो कुछ काम भी करना ही है।

प्रश्न जैन समन्वय की आपकी परिकल्पना क्या है ? कृपया विस्तार से विवेचित करेंगे तो उचित रहेगा।

उत्तर इस प्रश्न को सुन मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। जैन धर्म का मुख्य सिद्धान्त है अनेकान्त। अनेकान्त का फलित ही समन्वय है। इसमे किसी प्रकार के आग्रह या अभिनिवेश को स्थान नहीं है। ससार की हर एक समस्या का समाधान इसके द्वारा सभव है। ऐसी स्थिति मे जैन समन्वय की बात पर अटकना कैसा-कैसा ही लगता है।

हमे लगता है कि आज जैन धर्म सम्प्रदाय बनकर रह गया है। जैन कौन ? जो जैन परिवार मे जन्म लेता है, वह जैन। जन्मना जैन का यह स्वरूप जैन धर्म के विभक्तिकरण का कारण बना। जैन सम्प्रदाय मुख्यत दो भागो मे बटे—दिगम्बर और श्वेतावर। श्वेतावर दो सप्रदायो मे विभक्त है—मूर्तिपूजक और अमूर्तिपूजक। मूर्तिपूजक सप्रदाय के अनेक गच्छ है। अमूर्तिपूजक सप्रदाय के दो विभाग है—स्थानकवासी और तेरापथ। सक्षेप मे जैन सप्रदायो के विस्तार का यह स्वरूप है।

इन सभी सप्रदायो मे तेरापथ की कुछ दुर्लभ विशेषताए हैं। एक आचार्य का नेतृत्व, एक प्रकार की आचार व्यवस्था और तत्त्व निरूपण

की एकता—इस ऐक्य-त्रयी के आधार पर तेरापय ने अपनी जनता पहचान बना ली। कुछ सैद्धान्तिक मौलिकताएँ भी इसके वैशिष्ट्य को उजागर करती हैं। समन्वय का सिद्धान्त हमें विरासत से प्राप्त है। पर जब से हमने अणुव्रत आन्दोलन का काम शुरू किया, एक चिन्तन उभरा कि जब तक हम जैनों में समन्वय का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाएँगे, अजैनों को निकट कैसे ले सकेंगे? इसी चिन्तन की निष्पत्ति है—जैन समन्वय मंच।

अपनी-अपनी आस्थाओं को सुरक्षित रखते हुए सब सम्प्रदायों के लोग सामूहिक प्रयत्न करे तो जैन एकता का अभियान आगे बढ़ सकता है। भगवान महावीर की २५वीं निर्वाणशताब्दी के अवसर पर एक प्रयास हुआ था। उसके फलस्वरूप जैनों का एक ध्वज, एक प्रतीक और एक ग्रन्थ 'समणसुत्त' सर्वमान्य हो गया। उस समय सोचे हुए मुद्दों में दो काम शेष रह गए—सब जैनों की सवत्सरी एक हो तथा जैनों का एक मंच हो। इसके लिए सब सम्प्रदायों के आचार्य और ध्याक मित्तर योजना बनाए तो अच्छा काम हो सकता है। इस दृष्टि से जयपुर में संगोष्ठी बुलाई गई है। हम उसके सकारात्मक परिणाम के लिए आशावादी हैं।

प्रश्न : इस विघटनकारी माहौल में सर्व-धर्म-समन्वय के लिए आप क्या आलाय रखते हैं ?

उत्तर : विघटनकारी माहौल में ही समन्वय की मूल्यवत्ता है। पर इस मन्वय का सम्बन्ध धर्म से नहीं मजहब से है, सम्प्रदाय से है। धर्म एक सार्वभौम तत्त्व है। उसे वाटना असंभव है। अहिंसा, सत्य आदि का विभाजन कभी हो ही नहीं सकता। इनकी अवधारणाओं को लेकर जो विचार-भेद होता है, समन्वय उसमें किया जाता है। जैन-सम्प्रदायों में समन्वय के लिए जिस पंचसूत्री का उपयोग किया गया, उसी को आधार बनाकर सब सम्प्रदायों में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। मन्वय की भावना से प्रेरित होकर ही हमने अणुव्रत आन्दोलन का मूत्रपा किया। अणुव्रत एक सार्वभौम धर्म है। किसी भी जाति, सम्प्रदाय, वर्ग आदि में जुड़ा हुआ व्यक्ति उससे जुड़ा रहकर भी अणुव्रती बन सकता है और अणुव्रत को मानव धर्म के रूप में स्वीकार कर सकता है।

प्रश्न . आज पग-पग पर सघर्ष और कठिनाइयाँ बढ़ रही हैं। ऐसे दौर में आप सामान्य क्या करें ?

उत्तर : सघर्ष और कठिनाइयों का सम्बन्ध किसी युग विशेष या मन्वय विशेष

साथ नहीं होता। इनकी सत्ता त्रैकालिक है। अतीत में कठिनाइयाँ नहीं थी, यह नहीं कहा जा सकता। वर्तमान में जो कुछ है, प्रत्यक्ष है। भविष्य, वर्तमान का फलित होता है। आज जब सघर्ष और कठिनाइयों का दौर चल रहा है तो वह भविष्य में कैसे रहेगा? हमारा चिन्तन यह है कि दोष कठिनाइयों को नहीं देकर अपने आपको देना चाहिए। क्योंकि अधिकांश कठिनाइयाँ मनुष्य की अपनी पैदा की हुई हैं। कठिन परिस्थितियों में रहता हुआ भी मनुष्य अच्छे ढंग से जी सकता है, यदि वह अपनी जीवन शैली को बदल दे। हमारा यह निश्चित विश्वास है कि जिस दिन मनुष्य अपने दृष्टिकोण और जीवनशैली में बदलाव ले आएगा, कोई भी कठिनाई उसके सुख-चैन और विकास में बाधा नहीं डाल सकेगी।

प्रश्न . आपके सगठन में भी राजनेताओं और प्रभावी सेठ-साहूकारों को ही प्रमुखता मिलती है। ऐसा क्यों? क्या इनके साधनों से ही अणुव्रत आंदोलन सफल हो जाएगा।

उत्तर . राजनेता हो, सेठ साहूकार हो, श्रमिक हो या और कोई, हमारा काम सबको प्रेरणा देने का है। हमारा सम्बन्ध आम आदमी से है। हम ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों की अपनी उपयोगिता है। उन सबके लिए नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों से परिचित होना और यथाशक्ति उनके अनुसार आचरण करना आवश्यक है। जो लोग सम्पर्क में आएंगे ही नहीं, उनको दिशा कैसे मिलेगी?

अणुव्रत की सफलता का जहाँ तक सवाल है, वह किसी से सफल नहीं है और सबसे सफल हैं। अणुव्रत को हमने मानवधर्म के रूप में प्रस्तुत किया है। धर्म के तत्त्व अपने आप में सफल-असफल क्यों होंगे? जो लोग उसे स्वीकार करेंगे, वे सफल होंगे। बड़े लोग अणुव्रती बनेंगे तो औरो को भी प्रेरणा मिलेगी। भारतीय सस्कृति में एक अवधारणा रही है कि यद् यदाचरति श्रेष्ठ तत् तदेवेतरो जन — श्रेष्ठ लोग जो आचरण करेंगे, सामान्य लोग उनका अनुसरण करेंगे। ऐसे श्रेष्ठ कौन हैं, जिनको उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा सके। क्या सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाले श्रेष्ठ हैं? क्या वैभव सम्पन्न लोग श्रेष्ठ हैं? क्या साहित्यकार, पत्रकार श्रेष्ठ हैं? पिछले दिनों मुख्यमंत्री के सामने हमने यही बात रखी थी। वे बोले—‘उदाहरण बनने वाले लोग मिलें, यह बहुत मुश्किल है। हम इस सम्बन्ध में निराश नहीं हैं। हमारी खोज जारी है। हमें अच्छे लोग मिल भी रहे हैं।

की एकता—इस ऐक्य-त्रयी के आधार पर तेरापच ने अपनी अन्तः पहचान बना ली। कुछ सैद्धान्तिक मौलिकताएँ भी इसके वैशिष्ट्य को उजागर करती हैं। समन्वय का सिद्धान्त हमें विरासत से प्राप्त है। पर जब से हमने अणुव्रत आन्दोलन का काम शुरू किया, एक चिन्तन उभरा कि जब तक हम जैनों में समन्वय का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाएँगे, अर्जनों को निकट कैसे ले सकेंगे? इसी चिन्तन की निष्पत्ति है—जैन समन्वय मंच।

अपनी-अपनी आस्थाओं को सुरक्षित रखते हुए सब सम्प्रदायों के लोग सामूहिक प्रयत्न करे तो जैन एकता का अभियान आगे बढ़ सकता है। भगवान महावीर की २५वीं निर्वाणशताब्दी के अवसर पर एक प्रयास हुआ था। उसके फलस्वरूप जैनों का एक ध्वज, एक प्रतीक और एक ग्रंथ 'समणसुत्त' सर्वमान्य हो गया। उस समय सोचे हुए मुद्दों में दो काम शेष रह गए—सब जैनों को सवत्सरी एक हो तथा जैनों का एक मंच हो। इसके लिए सब सम्प्रदायों के आचार्य और ध्याक मिनरर योजना बनाएं तो अच्छा काम हो सकता है। इस दृष्टि से जयपुर में संगोष्ठी बुलाई गई है। हम उसके सकारात्मक परिणाम के लिए आशावादी हैं।

प्रश्न : इस विघटनकारी माहौल में सर्व-धर्म-समन्वय के लिए आप क्या आगा रखते हैं ?

उत्तर : विघटनकारी माहौल में ही समन्वय की मूल्यवत्ता है। पर इस समन्वय का सम्बन्ध धर्म से नहीं मजहब से है, सम्प्रदाय से है। धर्म एक सार्वभौम तत्त्व है। उसे बांटना असंभव है। अहिंसा, सत्य आदि का विभाजन नहीं हो ही नहीं सकता। इनकी अवधारणाओं को लेकर जो विचार-भेद होता है, समन्वय उसमें किया जाता है। जैन-सम्प्रदायों में समन्वय के लिए जिस पंचसूत्री का उपयोग किया गया, उसी को आधार बनाकर सब सम्प्रदायों में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। समन्वय की भावना से प्रेरित होकर ही हमने अणुव्रत आन्दोलन का मूलपान किया। अणुव्रत एक सार्वभौम धर्म है। किसी भी जाति, सम्प्रदाय, वर्ग आदि में जुड़ा हुआ व्यक्ति उससे जुड़ा रहकर भी अणुव्रती बन सकता है और अणुव्रत को मानव धर्म के रूप में स्वीकार कर सकता है।

प्रश्न : आज पग-पग पर संघर्ष और कठिनाइयाँ बढ़ रही हैं। ऐसे दौर में जन सामान्य क्या करे ?

उत्तर : संघर्ष और कठिनाइयों का सम्बन्ध किसी युग विशेष या समय विशेष के

साथ नहीं होता। इनकी सत्ता त्रैकालिक है। अतीत में कठिनाइयाँ नहीं थी, यह नहीं कहा जा सकता। वर्तमान में जो कुछ है, प्रत्यक्ष है। भविष्य, वर्तमान का फलित होता है। आज जब सघर्ष और कठिनाइयों का दौर चल रहा है तो वह भविष्य में कैसे रहेगा? हमारा चिन्तन यह है कि दोष कठिनाइयों को नहीं देकर अपने आपको देना चाहिए। क्योंकि अधिकांश कठिनाइयाँ मनुष्य की अपनी पैदा की हुई हैं। कठिन परिस्थितियों में रहता हुआ भी मनुष्य अच्छे ढंग से जी सकता है, यदि वह अपनी जीवन शैली को बदल दे। हमारा यह निश्चित विश्वास है कि जिस दिन मनुष्य अपने दृष्टिकोण और जीवनशैली में बदलाव ले आएगा, कोई भी कठिनाई उसके सुख-चैन और विकास में बाधा नहीं डाल सकेगी।

प्रश्न आपके सगठन में भी राजनेताओं और प्रभावी सेठ-साहूकारों की प्रमुखता मिलती है। ऐसा क्यों? क्या इनके साधनों से ही अणुव्रत आदोलन सफल हो जाएगा।

उत्तर राजनेता हो, सेठ साहूकार हो, श्रमिक हो या और कोई, हमारा काम सबको प्रेरणा देने का है। हमारा सम्बन्ध आम आदमी से है। हम ऐसा मानते हैं कि प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों की अपनी उपयोगिता है। उन सबके लिए नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों से परिचित होना और यथाशक्ति उनके अनुसार आचरण करना आवश्यक है। जो लोग सम्पर्क में आये ही नहीं, उनको दिशा कैसे मिलेगी?

अणुव्रत की सफलता का जहाँ तक सवाल है, वह किसी से सफल नहीं है और सबसे सफल है। अणुव्रत को हमने मानवधर्म के रूप में प्रस्तुत किया है। धर्म के तत्त्व अपने आप में सफल-असफल क्यों होंगे? जो लोग उसे स्वीकार करेंगे, वे सफल होंगे। बड़े लोग अणुव्रती बनने को औरों को भी प्रेरणा मिलेगी। भारतीय सस्कृति में एक अवधारणा रही है कि यद् यद्वाचरति श्रेष्ठ तत् तद्देवेतरो जनः—श्रेष्ठ लोग जो आचरण करेंगे, सामान्य लोग उनका अनुसरण करेंगे। ऐसे श्रेष्ठ कौन हैं, जिनको उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा सके। क्या सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाले श्रेष्ठ हैं? क्या वैभव सम्पन्न लोग श्रेष्ठ हैं? क्या साहित्यकार, पत्रकार श्रेष्ठ हैं? पिछले दिनों मुख्यमंत्री के सामने हमने यही बात रखी थी। वे बोले—‘उदाहरण बनने वाले लोग मिलें, यह बहुत मुश्किल है। हम इस सम्बन्ध में निराश नहीं हैं। हमारी खोज जारी है। हमें अच्छे लोग मिल भी रहे हैं।’

प्रश्न : जन सामान्य के लिए आपके पास अणुव्रत की क्या योजनाएँ हैं ?

उत्तर : अणुव्रत पूरी तरह से जन-सामान्य के लिए ही है। जाति, सम्प्रदाय, रंग, लिंग आदि सब भेदों से ऊपर अ से ह तक किसी भी श्रेणी का व्यक्ति अणुव्रती बन सकता है। अणुव्रत आचार संहिता की सभी धाराएँ युगानुसमस्याओं को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई हैं। कुछ धाराएँ ऐसी हैं, जो अनिवार्य रूप से सबके लिए ग्राह्य हैं जैसे—

- निरपराध की हत्या नहीं करना।
- तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लेना।
- साम्प्रदायिक अभिनिवेश और उन्माद से दूर रहना।
- जातिवाद से दूर रहना, किसी को अस्पृश्य नहीं मानना।
- व्यसन-मुक्त जीवन जीना।
- मादक व नशीली चीजों का परिहार करना।

जन-सामान्य इन नियमों को स्वीकार कर अपना आचरण बदल ले तो एक बड़ा काम हो सकता है। इसी दृष्टि से हम पदयात्रा करके गांव-गाव में जाते हैं। आम लोगों से सीधा सम्पर्क साधते हैं और उन्हें अणुव्रत के साथ जोड़ते हैं।

प्रश्न : आप सादगी का उपदेश देते हैं, पर आपके संगठन की पत्रिकाएँ चमक-दमक में आगे हैं, महंगी हैं उनका प्रचार सीमित है। तब विचार प्रसारण का क्या होगा ?

उत्तर : हम सादगी को जितना महत्त्व देते हैं, कला को भी उतना ही महत्त्व देते हैं। फूहड़पन घर का हो, कपड़ों का हो, साहित्य का हो या पत्र-पत्रिकाओं का, व्यक्ति और संगठन की गरिमा को कम करता है। कलात्मकता और चमक-दमक में जो अन्तर है, उसे समझना जरूरी है। चमक-दमक का सम्बन्ध कोरे प्रदर्शन से है। जबकि कला के प्रदर्शन में दर्शन रहता है। सहज सुरुचिपूर्णता और प्रथम दर्शन में ही पाठकों को आकृष्ट करना—किसी भी पत्रिका के सम्पादक के कौशल की अभिव्यक्ति है।

महंगी या सस्ती वस्तु होती है, उसका सम्बन्ध मनुष्य की मानसिकता के साथ अधिक है। वह शरीर के लिए आवश्यकता की चीजें, फिर चाहे वे वस्त्र हों, जूते हों या और कुछ हों, उनके बारे में प्रश्न नहीं उठाता। साहित्य और पत्र-पत्रिकाओं के प्रसंग में यह प्रश्न

वार-वार उठता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि सब कुछ महंगा है तब ये सस्ते कहा से होंगे ? साहित्य और पत्रिकाएँ विचार-प्रसारण का माध्यम हैं। इनका प्रचार सीमित है, यह बात सही है। जैसे-जैसे लोगो को अवगति मिल रही है, वे इधर ध्यान दे रहे हैं। गत वर्ष 'राजस्थान पत्रिका' ने इस काम में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे लाखो लोग हमारे विचारों से परिचित हुए हैं। यह क्रम इसी प्रकार चलता रहा तो विचार-प्रसारण की समस्या स्वतः सुलझ जाएगी।

प्रश्न नैतिकता की बातें करने वाले सगठन की पत्र-पत्रिकाएँ लेखकों का लगातार शोषण कर रही हैं। न उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है और न अंक। क्या यह कथनी-करनी की प्रवचना नहीं है ?

उत्तर • कोई भी पत्र-पत्रिका लेखक का शोषण करे, यह वाछनीय नहीं हो सकता। लेखक समाज का वह घटक होता है, जो पूरे समाज या राष्ट्र की चेतना को जगाता है। नैतिक मूल्यों के सवाहक पत्र-पत्रिकाओं से तो ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसी भी लेखक का लेख जिस पत्र-पत्रिका में छपे, वह अंक उसे उपलब्ध हो, यह व्यवहार की छोटी-सी बात है। इस क्रम में किसी ओर से प्रमाद हुआ हो तो उसे प्रमाद ही माना जाएगा। अब रहा प्रश्न पारिश्रमिक का। पारिश्रमिक के लिए किसी लेखक के साथ अनुवध किया गया हो और फिर उसे पारिश्रमिक न दिया जाए, यह अनुचित है। बिना किसी अनुवध के कहीं लेख आदि प्रकाशित होते हों, वहाँ लेखक को अपनी स्थिति पहले से स्पष्ट कर देनी चाहिए। यद्यपि इन सब बातों से हमारा सीधा सम्बन्ध नहीं है। इस विषय में प्रकाशक और सम्पादक से पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। किन्तु जहाँ तक हमें ज्ञात है, अणुव्रत एक मिशन की पत्रिका है। इसमें आपवादिक स्थिति को छोड़कर पारिश्रमिक देने की व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न • युद्ध और हिंसा पर भव्य सम्मेलन करके प्रस्ताव तो पारित कर दिए जाते हैं, पर व्यावहारिक रूप से हृदय-परिवर्तन के प्रयत्न क्यों नहीं हो पा रहे हैं ? क्या इस सन्दर्भ में आपके पास कोई योजना है ?

उत्तर • केवल प्रस्ताव पारित करने में हमारा विश्वास नहीं है। इसीलिए विगत फरवरी में सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्वशांति, युद्ध या हिंसा को लेकर कोई बड़ी चर्चा नहीं की। हमारा उद्देश्य था—'अहिंसा का प्रशिक्षण। युद्ध तात्कालिक समस्या है। युद्ध क्यों होता है ? उसके मूल तक पहुँचकर उसे समाप्त करना और अहिंसा की शोध एवं उसके प्रयोग

की आवश्यकता अनुभव कराना।' इस दृष्टि से सम्मेलन में अहिंसा के प्रशिक्षण की योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। आश्चर्य की बात है कि प्रशासन, अध्यापन, पत्रकारिता आदि अनेक विषयों की ट्रेनिंग दी जाती है पर जीवन-मूल्यों की उपेक्षा हो रही है। अहिंसा एक ऐसा जीवन-मूल्य है, जिसका समुचित प्रशिक्षण दिया जाए तो हृदय-परिवर्तन की घटनाएं सहज रूप में घटित हो सकती हैं।

प्रश्न : ज्ञान की परीक्षा सत्य से होती है और सत्य की आचरण से। आपने अनुयायियों के आचरण-परिवर्तन पर आप क्या सोचते हैं ?

उत्तर : अनुयायियों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—अनुयायी और धार्मिक। अनुयायी वे होते हैं, जो पीछे चलते हैं, अनुगमन करते हैं। अनुयायी के साथ आचरण-परिवर्तन की बात लागू नहीं होती है। आचरण उनका बदलता है, जो धार्मिक होते हैं। हम अपने अनुयायियों को धार्मिक बनाना चाहते हैं। अनुयायी जन्मना धार्मिक तो हो सकते हैं, पर कर्मणा धार्मिक नहीं हो सकते। व्यक्ति ज्ञान और कर्म से धार्मिक बने, इसके लिए एक पूरी योजना है। उसके अतिरिक्त अपुत्र, प्रेक्षाध्यान और जीवन-विज्ञान—इनके माध्यम से भी हम जीवन या आचरण-परिवर्तन का अभियान चला रहे हैं। जो लोग इनके अनुसार जीवन-शैली स्वीकार करते हैं, वे अनुयायी हो या नहीं, निश्चित रूप से बदलते हैं अन्यथा केवल अनुयायी होने से बदलाव की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती।

प्रश्न : अब तक की अणुव्रत आन्दोलन की उपलब्धियों पर आपने कभी समीक्षात्मक विवेचना करवायी ?

उत्तर : हम अणुव्रत की समीक्षा करते और करवाते रहते हैं। रायगुमागी का जहाँ तक प्रश्न है, न अब तक कभी ऐसा किया और न ऐसा करने में हमारा विश्वास है। अणुव्रत का अधिवेशन प्रतिवर्ष आयोजित होता है, उस समय वार्षिक कार्यक्रमों की समीक्षा तो होती ही है। उगम उपलब्धियों के साथ अनुपलब्धियों और उसके कारणों की मीमांसा भी की जाती है। आगामी वर्ष के कार्यक्रम का निर्धारण होता है। इस वर्ष हम अणुव्रत वर्ष (१ जुलाई, १९६० से ३० जून, १९६१) मना रहे हैं, वह भी समीक्षात्मक विवेचना की ही निष्पत्ति है।

प्रश्न : मर्यादा महोत्सव में आपने फरमाया था—'मैं महाप्रज्ञ से कहना चाहता कि अब सब में एक महाप्रज्ञ से काम नहीं चलेगा।' तो क्या आप नये महाप्रज्ञ घोषित करने का संकेत दे रहे थे या सरकार में अतिरिक्त

निदेशको की तरह नए पद स्थापित करने की तरफ इशारा था आपका ? या आप कुछ अन्य विचार रखते हैं इस सदर्थ में ?

उत्तर · मेरा उद्देश्य किसी नये पद की व्यवस्था से नहीं था। अनेक पदों की ऐसी कोई अपेक्षा भी नहीं है। मेरा अभिप्राय गुणात्मकता से था, व्यक्तित्व-निर्माण से था। सघ के कार्य-क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए ऐसे अनेक व्यक्तियों के निर्माण की अपेक्षा है, जिनकी प्रज्ञा जागृत हो।

प्रश्न आपका आगामी चातुर्मास कहा होगा ?

उत्तर अभी इस सम्बन्ध में घोषणा नहीं की है। पहले हम मेवाड में थे तो वहाँ उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमद, केलवा और आमेट—पाँच क्षेत्र चातुर्मास के दावेदार थे। मेवाड से हम जयपुर आ गये और आगे जैन विश्व भारती तक जाना निर्णीत कर दिया। इससे उस इलाके में राजलदेसर, वीदासर, सुजानगढ़ और लाडनू—ये चार क्षेत्र प्रार्थी हैं। अभी तक हमने अपना निर्णय दिया नहीं है।

प्रश्न क्या जयपुर में चातुर्मास करना उचित नहीं होगा ?

उत्तर · उचित क्यों नहीं, जयपुर के अधिकारी और श्रद्धालु जन भी यहाँ चतुर्मास के लिए गहरी प्रार्थना कर रहे हैं। बड़े शहरों में रहने से कुछ आवश्यक काम करने में सुविधा भी रहती है। किन्तु इस वार यहाँ चतुर्मास विताने का लक्ष्य नहीं है।

प्रश्न · राजस्थान सरकार शिक्षा पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा शामिल करने जा रही है। इस सदर्थ में आप क्या सोचते हैं ?

उत्तर · नैतिक शिक्षा का चिन्तन और निर्णय एक बार पहले भी राजस्थान सरकार ने किया था। उस समय चन्दनमल जी वैद शिक्षामंत्री थे। नैतिक शिक्षा की बात से किसी की असहमति नहीं हो सकती। प्रश्न एक ही है कि वह प्रभावी कैसे हो ? जीवन के साथ कैसे जुड़े ? पुस्तकों, भाषणों, महापुरुषों की जीवन-गाथाओं या कहानियों से ही नैतिक शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो जाता तो वह आज तक कभी का हो गया होता। क्योंकि ऐसे प्रयत्न कई बार हुए हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे।

हमारा चिन्तन यह है कि शिक्षा पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा की दृष्टि से थ्योरिटिकल और प्रैक्टिकल—दोनों पक्षों पर ध्यान देना जरूरी है। विद्यार्थी को केवल सिद्धान्त पढ़ा दिये जाएंगे तो पाठ्यक्रम का ही एक हिस्सा बनकर रह जाएगा। जब तक विद्यार्थी को प्रयोग नहीं करवाए जाएंगे, उसमें रूपान्तरण की संभावना नहीं की जा सकेगी। हमने इस

दिशा में एक प्रयत्न किया है। शिक्षा के साथ एक नया विषय 'जीवन-विज्ञान' जोड़ा जाए तो नैतिक शिक्षा ही नहीं, उससे आगे का उद्देश्य भी फलित हो सकता है। जीवन-विज्ञान का सबध बायोलॉजी से नहीं, जीने की कला से है। इसमें पढना कम है और प्रयोग अधिक करना है। पिछले कुछ वर्षों से कई विद्यालयों में इसका प्रयोग चल रहा है, वहाँ परिणाम भी अच्छे आए हैं। अनेक शिक्षाधिकारियों से भी हमारी इन सम्बन्ध में बात हुई है, उनका सकारात्मक चिन्तन और इस पद्धति को वैज्ञानिकता के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि नैतिक शिक्षा के सबध में समीक्षा या निर्णय लेने वाले अधिकारी 'जीवन-विज्ञान' को भी समझ ले तो अच्छा क्रम बन सकता है।

प्रश्न : वैचारिक क्रान्ति बच्चों और महिलाओं आगे बढ़ाती हैं। आपके सपने इन दोनों के लिए न प्रचार साहित्य है और न विचार साहित्य, जो विशेष रूप से उनके लिए ही तैयार किया गया है। इस प्रश्न पर आप क्या सोचते हैं ?

उत्तर : बच्चों और महिलाओं को दिशा-बोध देने के लिए साहित्य की अच्छी भूमिका है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता। यह भी सही है कि हमारे यहाँ से जो साहित्य लिखा गया है, बच्चों के लिए उपयोगी साहित्य कम है। पिछले कुछ समय से हमने इस ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। बच्चों के लिए कुछ कॉमिक्स लिखे गये हैं, लिखे जा रहे हैं। पर जिना का काम हुआ है, वह पर्याप्त नहीं है। इसे आगे बढ़ाने की अपेक्षा है।

महिलाओं के सबंध में चिन्तन किया जाये तो उनको लक्ष्य में रखकर साहित्य का निर्माण भले ही न हुआ हो, पर उनके लिए उपयोगी साहित्य प्रचुर मात्रा में है। हमने इस दृष्टि से अपनी साधियों को निर्देश दे रखा है। अनेक साधिव्या और स्वयं साध्वीप्रमुखा महिलाओं की चेतना को जगाने एवं झकझोरने के लिए प्रयत्नशील हैं। वैसे राजस्थानी महिलाओं की स्थिति और मानसिकता में जो बदलाव आया है, वह कम आश्चर्यजनक नहीं है। समाज की पत्र-पत्रिकाओं में भी महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ स्तम्भ हैं, जिनके अन्तर्गत उनके लिए उपयोगी रचनाओं का प्रकाशन होता है।

महिला समाज का अपना अखिल भारतीय संगठन है। उसकी अनेक नेतृत्व में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ सामाजिक और सेवामूलक प्रवृत्तियाँ व्यवस्थित रूप से चल रही हैं। महिला मण्डल का एक मासिक बुनियादी 'नारी लोक' निकलता है। उसके माध्यम से महिलाओं को ममत्वपूर्ण

प्रेरणा मिलती रहती है। फिर भी इस दिशा में सुनियोजित रूप से साहित्य-निर्माण पर ध्यान देना जरूरी है।

प्रश्न : राजस्थानवासियों को आप कोई विशेष सन्देश देना चाहते हैं ?

उत्तर : राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, जहाँ के लोग पूरे देश में ही नहीं, बाहर भी अनेक देशों में रहते हैं। वे जहाँ भी गये हैं, अच्छा काम किया है, कर रहे हैं। प्रवासीय क्षेत्रों की भाषा सीखकर वे स्थानीय लोगों के साथ घुल-मिल रहे हैं। वहाँ व्यवस्थित होने में उनके सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ भी आयीं। उन्हें सहकर भी वे आगे बढ़े हैं। राजस्थान के सभी लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वे स्वार्थ की भूमिका से ऊपर उठकर परार्थ और परमार्थ की बात भी सोचें। अर्थ का अर्जन करने के साथ विमर्जन के सिद्धान्त को भी समझें। शादी-विवाह तथा अन्य समारोहों में आडम्बर तथा प्रदर्शन के दुष्परिणामों को समझकर उनसे बचते रहें।

दूसरी बात—जहाँ समाज है, वहाँ सेवा की अपेक्षा रहती है। राजस्थान में ही नहीं, राजस्थानी लोग जहाँ कहीं रहे, वहाँ वे इस विषय में किसी से पीछे क्यों रहे ?

हम लोग पूरे विश्व की मानव-जाति के आध्यात्मिक और नैतिक विकास के लिए काम कर रहे हैं। राजस्थानी लोग उस कार्यक्रम में विशेष लाभ उठाएँ। वे अपनी भावी पीढ़ी के सस्कार-निर्माण हेतु जागरूक रहें। उसकी खान-पान विषयक शुद्धि को उपेक्षित न करें। उमें स्मॉकिंग और ड्रिंकिंग जैसे दुर्व्यसनो से दूर रखें। ऐसा करके ही वे राजस्थान की धरती के धार्मिक एवं सांस्कृतिक गौरव को सुरक्षित रख सकेंगे।